लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5-97
Fumigated
On 3.11.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११--सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९--१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९--१९२९

स्थगन प्रस्ताव--

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९-३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०-३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१-३२

राज्य सभा से सन्देश १९३२-३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन--

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् १९३३-३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४---५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका १९५७---६८

अंक १२--मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९--९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४--२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६--७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८-७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९-८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०-८१

प्राक्कलन समिति--

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३
अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२००	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना	२२०८-०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९-१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण	२२१०-११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११-१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि	२२१६-१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका	२२५१—५८
अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९००	२२५९—८१

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२ — २२८१--८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६ . — २२८७--२३४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना — २३५०-५१

सभा का कार्य . — २३५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . — २३५१-५२

इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य . — २३५२-५३

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . — २३५३--६३

आय कर विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . — २३६३--८०

श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार — २३८०-८१

कार्य मंत्रणा समिति--

छियासठवां प्रतिवेदन . — २३८१

कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा . — २३८१--८६

दैनिक संक्षेपिका . — २३८७--९५

अंक १५--शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५ . . — २३९७--२४२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९ . . . — २४२०--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२ . — २४३९--२५०२

निधन संबंधी उल्लेख . . . — २५०३-०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — २५०४-०५

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . — २५०५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . — २५०५

सभा का कार्य . . . . — २५०६

श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में . . — २५०६,४०--४३

कार्य मंत्रणा समिति--

छियासठवां प्रतिवेदन — २५०६-०७

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२–७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक . . . . २६४६—६६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

खंड १३ से २६८ और अनुसूची १ से ५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . २६६६—७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३—८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५—९१

अंक १७—मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२९, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६९३—२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१—७५

स्थगन प्रस्ताव—

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दियाजाना २७७६—७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७—७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८—७९

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१—

पुर:स्थापित . . . २७७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २७८०—९४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७९४—२७२९

दैनिक संक्षेपिका . २८३०—३६

अंक १८—बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७—६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ .	२८७८--२९४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२९४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२९४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठास्सीवां प्रतिवेदन	२९४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२९४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ .	२९४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२९४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२९७३--९३
दैनिक संक्षेपिका	२९९४--३००३
अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, ११११, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७९
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय	पृष्ठ

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३०८०—९३

खंड २ से ४ और १ . . . . . . ३०९८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ३०९८—३१०६

समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—

विचार करने के प्रस्ताव . . . ३०९४—९७

खंड १ और २ . . . . . . ३०९७

पारित करने का प्रस्ताव ३०९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . . ३१०६–०७

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३१०६–०७

भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव ३१०७—१९

मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३११९—२२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३१२३—२९

अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७ . . . . . ३१३१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७ . . . . . . ३१५४—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९ . . . . . ३१६०—३२१७

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३२१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . . ३२१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२१८

सभा का कार्य ३२१९–२०

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . . ३२२०

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . . ३२२१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३२२१—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठ्ठासीवा प्रतिवेदन ३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३६
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)--परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३६--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)--विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1210 (Ai) LS—10-10-61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, ३० अगस्त, १९६१
८ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मद्य निषेध

+
†*१०४५. { **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री झूलन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्यनिषेध को तत्परता से लागू करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये मद्य निषेध का कार्यक्रम तीसरी योजना के ३५-वें अध्याय में दिया गया है, जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर पहले रखी जा चुकी है । केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की एक बैठक ४ और ५ सितम्बर, १९६१ को इस कार्यक्रम के ब्यौरे पर चर्चा करने के लिये की जा रही है ।

†**डा० विजय आनन्द :** क्या विदेशी पर्यटकों को पर्मिट दिये जायेंगे क्योंकि अन्यथा उनको मद्य निषेध के कारण बड़ी असुविधा हो जायेगी ?

†**श्री दातार :** यह ब्यौरे का प्रश्न है । इस बात पर चर्चा की जायगी कि योजना में जो कुछ उपबन्ध किया गया है उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

1203(ai) LSD—1.

†**डा० विजय आनन्द :** मद्यनिषेध के कारण केन्द्रीय और राज्य सरकारों को कितनी-कितनी हानि होगी ?

†**श्री दातार :** इन सब प्रश्नों पर केन्द्रीय मद्य निषेध, समिति की बैठक में चर्चा की जायगी ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि योजना में जो शराब-बन्दी का प्रश्न रखा गया है, वह सब राज्यों में एक-सा नहीं है? क्या केन्द्र इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है कि हर राज्य में और विशेष कर मध्य प्रदेश में, जहां मालूम होता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मद्य-निषेध का कोई काम नहीं होगा, मद्य-निषेध का काम चलाया जाये ?

†**श्री दातार:** स्थिति तीसरी पंचवर्षीय योजना में अच्छी तरह स्पष्ट कर दी गई है । यह बताया गया है कि सब राज्यों में पूर्ण मद्यनिषेध के लिये विशिष्ट तिथि नियत करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं, परन्तु उद्देश्य यह है कि यथा-शीघ्र इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाय ।

†**डा० गोविन्द दास :** मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि मध्य प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में शराब-बन्दी के काम को करीब-करीब छोड़ दिया गया है और क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र मध्य प्रदेश को कोई हिदायत देने वाला है ?

†**श्री दातार :** हम इस प्रश्न पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के परामर्श से आगामी सम्मेलन में विचार करेंगे ।

†**श्री त्यागी :** क्या इस मद्य निषेध के साथ-साथ चहूं ओर मद्यसंयम के पक्ष में शिक्षात्मक प्रचार करने की भी व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री दातार :** जी, हां । जोर इस प्रचार पर है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर शराब-बन्दी की योजना इस वक्त लागू की गई है, क्या वहां वह सफल है और क्या यह ठीक नहीं है कि जहां पर यह योजना लागू है, वहां ग़ैर-कानूनी तौर पर शराब की बिक्री बहुत ज्यादा होने लगी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । मैं ऐसे प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा जो बुनियादी बातों के बारे में है कि आया मद्य निषेध अपनाया जाना चाहिये या नहीं । ये नीति के विषय है । माननीय सदस्यों में मतभेद हो सकते हैं, परन्तु उनको प्रश्न काल में नीति को बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** केन्द्रीय सरकार इस मामले में विशेष कर केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में क्या काम करेगी ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न पर अखिल भारतीय स्तर पर सोचना होगा । केन्द्रीय और राज्य सरकारों को इसके लिये कंधे से कंधा मिला कर यह प्रयत्न करना होगा कि न केवल राज्यों में अपितु संघ राज्य क्षेत्रों में भी प्रत्येक संभव कार्य किया जायगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत की हर एक स्टेट में प्राहिबिशन के सम्बन्ध में कोई यूनिफार्म पालिसी अपनाने का प्राविजन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अनुवाद के लिये एक कर्मचारी को लगा रखा है ।

†**श्री दातार :** कठिनाई यह है कि वह धीरे स्वर में बोलते हैं ।

†**सेठ अचल सिंह :** क्या मद्य निषेध के बारे में सरकार ने सब राज्यों में एकरूप नीति अपनाई है ?

†**श्री दातार :** सब राज्यों में एकरूप नीति अपनाना कठिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अंग्रेज़ी में बोले हैं अतः अनुवाद करना आवश्यक नहीं । यहां व्यवस्था की गई है । जहां माननीय सदस्य समझने में असमर्थ होंगे, मैं अनुवादक को अनुवाद करने को कहूंगा ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या सरकार इस प्रश्न की जांच के लिये कोई आयोग नियुक्त करने को तैयार है कि क्या नीति मद्य-निषेध क्षेत्रों में सफल रही है और शेष देश में इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये अर्थोपाय ढूढें ?

†**श्री दातार :** आयोग नियुक्त करना अनिवार्य नहीं । १९५४ में योजना आयोग ने समिति बनाई थी और उसने पूर्ण विवरण दिया है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या सरकारी मद्य की दुकानों को मद्य देना केन्द्रीय मद्य निषेध नीति का अंग है, जैसाकि उड़ीसा में करने का विचार ?

†**श्री दातार :** प्रश्न उत्पन्न आरोपजनक है; मैं इस बात पर जोरदार आपत्ति करता हूं कि जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है । मद्य देना सरकार की नीति कभी नहीं हो सकती ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** उड़ीसा सरकार ने कहा है कि वे सरकारी शराब की दुकानें खोलें और शराब देंगे । मुझे नहीं मालूम कि क्या वह सरकार की नीति का अंग है ।

†**श्री त्यागी :** मद्य सरकारी क्षेत्र में ह ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम ने ३५ वर्ष पूर्व कांग्रेस के साथ-साथ इसे प्रारम्भ किया था । यह कल या आज आरंभ नहीं किया गया । मत भेद हो सकते हैं परन्तु आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** आरोप लगाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ मामले हैं जिनके साथ स्वतंत्रता आन्दोलन आरंभ हुआ । कुछ लोगों को इससे अनुराग है जितना कुछ लोगों को खद्दर से है । कुछ लोगों की यह विश्वास की बात है । जब उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन प्रारंभ किया, जब परिस्थितियां अच्छी नहीं थीं, अत्याधिक कठिनाइयां थीं और वे उनको जानते थे । इसलिये कोई माननीय सदस्य इस विचार का खंडन करने का प्रयत्न नहीं करेगा, चाहे उनके विचार भिन्न हों । कुछ लोगों के लिये जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया, यह विश्वास की बात है । उनके बारे में, जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग नहीं लिया, हो सकता है यह विश्वास की बात न हो । उन कुछ लोगों के मामले में भी जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया है, यह बात विश्वास की चाहे न हो । परन्तु आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये । यदि वे नीति को बदलना चाहते हैं, यह प्रश्न काल में नहीं किया जा सकता । यह बिना आरोप शिष्ट भाषा में पूछा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** इस मामले में कोई दोषारोपण नहीं है। यदि मैंने कुछ कहा उससे ऐसा आभास मिला हो तो मैं उन शब्दों को वापिस लेता हूं। परन्तु यह तथ्य है कि उड़ीसा के राज्यपाल ने विधान सभा में अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार मद्य संभरण के लिये मद्य की दुकानें खोलेगी। मुझे मालूम नहीं कि क्या वह सरकार की नीति का अंग है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा। इससे मेरे मन में यह बात आई जैसा कि श्री दातार के मनमें आई कि उड़ीसा सरकार पहले से शराब दे रही है। ऐसी बात नहीं कि राज्यपाल ने कहा हो कि वे ऐसा करेंगे। हमें यह ख्याल हुआ था कि उड़ीसा सरकार पहले से शराब दे रही थी।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मैंने कहा कि ऐसा करने का विचार है। मेरा यह प्रश्न था। यह अभिलेख से देखा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक, हमने यह बात नहीं समझी।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** अब माननीय मंत्री हमें बता दें। मैं यह बात सूचनार्थ पूछ रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, "तुम ने अपनी मां को पीटना कब बन्द किया", और उत्तर 'हां' या 'ना' हो तो इसका यह अर्थ होता है कि वह व्यक्ति अपनी मां को पीटता रहा है। यह सूचक प्रश्न (लीडिंग क्वेश्चन) माना जाता है। सब से पहले माननीय सदस्य को पूछना चाहिये कि "क्या यह सच है कि उड़ीसा के राज्यपाल ने वक्तव्य दिया है कि उड़ीसा सरकार इसके बाद मद्य संभरण करेगी ?" "माननीय सदस्य यह अनुमान करते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि क्या सरकार उसे बतौर एक नियम अपना रही है। यह सच हो सकता है या सच नहीं भी हो सकता।

†**श्री नागी रेड्डी :** यह सच है, क्योंकि यह वक्तव्य उड़ीसा विधान सभा में दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें माननीय मंत्री से पता करना चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मैं यही चाहता हूं।

†**श्री दातार :** मुझे नहीं पता कि क्या उड़ीसा की विधान सभा के सभा पटल पर कोई ऐसा वक्तव्य दिया गया है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** हमने राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण समाचार पत्रों में देखा है, और इस मामले का जैसा कि मा० सदस्य ने उल्लेख किया है, उस अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। परन्तु अभी हमारे पास शासकीय रिपोर्ट नहीं आई है। हम जानना चाहते हैं कि उन की योजना क्या है। हमें ब्योरे का पता नहीं है। इसलिये हम इस समय कोई बात निश्चय से नहीं कह सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुर्तगाली विमानों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण

+

†*१०४६ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून, १९६१ से पुर्तगाली विमानों द्वारा किये गये भारतीय आकाश सीमा के अतिक्रमण तथा पुर्तगालियों द्वारा किये गये सीमा उल्लंघन की घटनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन अतिक्रमणों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) १ जून, १९६१ से पुर्तगाली विमान ने भारतीय आकाश सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

सीमावर्ती अतिक्रमण के बारे में, २३ अगस्त, १९६१ को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१६६ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना है।

(ख) सरकार का पक्का निश्चय है कि हमारे प्रभुत्व के अतिक्रमण को रोकने के लिये प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी और जहां तक अनिवार्य होगा इस देश की शक्ति का उपयोग किया जाएगा। यह स्वीकार किया जाएगा कि इन प्रयत्नों का ब्यौरा बताना लोक हित की दृष्टि से उचित नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान उस प्रेस टिप्पण की ओर दिलाया गया है कि गोआ और अन्य स्थानों में पुर्तगाली सेना और शस्त्र बहुत जमा किये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या प्रेस द्वारा दी गई इस सूचना में कोई सचाई है अथवा क्या यह गलत है और यदि यह सच है तो सरकार ऐसे कृत्यों का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

†**सरदार मजीठिया :** यह इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न आकाश सीमा के अतिक्रमण के बारे में है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह उत्पन्न होता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या समाचार-पत्र की खबर सच है। यह आकाश सीमा या भूमि सीमा के अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं, यह कुछ और भी हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें अब केवल आकश सीमा के बारे में पूछना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सीमावर्ती अतिक्रमणों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है या यह वहीं है जहां पहले थी?

†**सरदार मजीठया:** जैसा कि प्रधान मंत्री ने उत्तर में बताया गया है, अतिक्रमण की केवल एक घटना हुई थी और वह भी ऐसी थी कि वे भारतीय क्षेत्र में २०० गज घुसे और वापिस भाग गये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कांगों में भारतीय दल

+

†*१०४८. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री आसर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से भारतीय सैनिकों को वहां भेजा गया है तब से क्या कोई सरकारी दल कांगो गया है ;

(ख) क्या उस दल ने वहां हमारे सैनिकों के काम के बारे में कोई रिपोर्ट पेश की है ;

(ग) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में किन किन महत्वपूर्ण बातों का सुझाव दिया गया है; और

(घ) हमारे सैनिकों ने वहां पर अभी तक किस प्रकार का काम किया है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) दल का उद्देश्य हमारे सैनिकों की काम करने की शर्तों की जांच करे, भारत आने के लिये परिवहन व्यवस्था करे और यह देखे कि क्या उनके उपभोग से संबंधित करार की शर्तों का पालन किया जा रहा था ।

उन की रहने की हालत संतोषजनक है, उन की तबीयत ठीक है और उन के काम का स्तर बहुत ऊंचा माना गया है ।

(घ) भारतीय सेवाएं सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित विनियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सेना को सौंपें जाये तथा भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बीच हुये समझौते के अनुसार सौंपें गये काम कर रही है ।

†श्री श्री नारायण दास : हमारी सेनाओं द्वारा किये गये संतोषजनक कार्य को देखते हुये क्या अधिक सेनाओं के लिये कोई मांग की गई है और यदि हां, तो हमारी सरकार ने उसे किस भाग तक स्वीकार किया है ?

†सरदार मजीठिया : इस प्रश्न का उत्तर कल इसी सभा में दिया गया था ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या ऐसे कोई संकेत मिले हैं कि कब तक हमारी सेनाएं लौट आएंगी क्योंकि कांगो की स्थिति में संतोषजनक सुधार हो चुका है ?

†सरदार मजीठिया : इस प्रश्न का मैंने ९ अगस्त, १९६१ को उत्तर दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हेम बरूआ :** इस समिति के इस कथन के अतिरिक्त, कि कांगों में हमारी सेनाओं की रहने की हालत अच्छी है, क्या कांगो में सेनाओं को काम देने के मामले में सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का पर्याप्त पालन किया जाता है या नहीं। क्या इस दल ने इस बात का पता लगाया है ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं। इस प्रश्न का उत्तर ९ अगस्त को दिया था, परन्तु मैं इसे दुहराता हूं कि हमारी सरकारी और महासचिव के बीच हुये करार का पालन किया जा रहा है।

†**श्री हेम बरूआ :** सुरक्षा परिषद् के संकल्प में यह नहीं कहा गया कि कांगो स्थित सेनाओं का उपयोग शोम्बे की सेनाओं को निरस्त्र करने या ऐसे किसी अ य काम के लिये किया जाएगा। परन्तु हाल ही में उनको इस काम के लिये लगाया गया है। इसलिये मैं इस पर जोर दे रहा हूं और इसी कारण मैं यह पूछ रहा हूं।

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैंने बताया, हमारे और महासचिव के बीच इस बारे में कुछ समझौता है कि हमारी सेनाओं का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिये। यह बात मैंने पहले भी कही है कि इस का पालन किया जा रहा है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को दी गयी पेशगी का वापसी भुगतान

+

†*१०४९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :** **सरदार इकबाल सिंह :** }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) को दी गईं पेशगी के वापसी भुगतान की शर्तें इस बीच अंतिम रूप से निश्चित कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). जी नहीं। प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या किसी समवाय ने १ मई, १९६१ से कोई राशि वापिस की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि यह प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर निर्भर होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि भुगतान की शर्तों का फैसला टिस्को और इस्को को दिये जाने वाले संधारण मूल्य के फैसले हो जाने के उपरांत किया जाएगा। इस बारे में प्रशुल्क आयोग द्वारा अन्तिम फैसला कब किया जाएगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** क्योंकि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त होने का समय निश्चित नहीं है मैं कोई उपयोगी सूचना नहीं दे सकता। प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हम इस का परीक्षण जल्दी करेंगे और यथाशीघ्र कार्रवाई करने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : टिस्को और इस्को को क्रमशः कितना भाग दिया गया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह सूचना पहले दी जा चुकी है। मैं समझता हूं कि टाटा को १० करोड़ और इस्को को एक अवसर पर १० करोड़ और दूसरे अवसर पर १० लाख रुपये से कुछ अधिक।

†श्री तंगामणि: क्या इन को दिये गये ऋणों में कुछ राशियां वसूल हुई हैं ? मा० मंत्री ने अभी कहा है कि टिस्को को १० करोड़ रुपये और इसको को १० करोड़ १० लाख रुपये दिये गये हैं। क्या कुछ राशि लौटाई गई है या नहीं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : अभी तक नहीं।

†श्री हेम बरूआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संधारण मूल्यों का निर्धारण प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के साथ मिला हुआ है, क्या इस बीच संधारण मूल्यों का अन्तरिम निर्धारण किया गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह इससे कैसे उत्पन्न होता है। यह वसूली के निबंधनों के बारे में है।

†श्री हेम बरूआ : पिछले अवसर पर कहा गया था कि संधारण मूल्य नियत नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है।

†अध्यक्ष महोदय : वसूली के निबंधनों का संधारण मूल्य से कोई संबंध नहीं है।

†श्री हेम बरूआ : ये ब्याज रहित ऋण हैं और एक निर्वचन हैं कि संधारण मूल्य बढ़ाए जाएंगे ताकि वे इन ऋणों को लौटाने में समर्थ हो सकें। पिछले अवसर पर ऐसा ही हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या लौटाने में संधारण मूल्य नियत किये जाने के कारण विलंब हुआ, और क्या यह सच है कि संधारण मूल्य बढ़ाया जा रहा है ताकि कंपनियां ऋण लौटाने में समर्थ हो सकें और इस प्रकार समाज पर भार डाला गया है ? मा० सदस्य यह जानना चाहते हैं।

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह बात यहां कई बार आई जा चुकी है। इस मामले पर सरकार की स्थिति का भी स्पष्टीकरण किया जा चुका है, परन्तु चूंकि यह प्रश्न पुनः पूछा गया है मैं पहले बताई गई स्थिति को दुहराऊंगा कि किन निबंधनों पर ये ऋण दिये गये थे। यह १९५३ में हुआ था और स्थिति इस प्रकार है :

†अध्यक्ष महोदय : क्या ये निर्ब्याज ऋण है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी, नहीं। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार ५ प्रतिशत की दर पर ब्याज एक नियत तिथि से लिया जा रहा है। प्रारंभ से नहीं, बल्कि बाद की नियत तिथि से। जो मूल करार किया गया है उसे आप पसंद करें या न करें, परन्तु उसमें यह सब कुछ है।

†अध्यक्ष महोदय : उससे मुझे कोई संबंध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऋण इस्पात समवायों को दिये गये थे ताकि वे अंशतः आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम की लागत दे सके। ये ऋण देते समय इरादा यह था कि इस्पात कंपनियों को निर्माण की अवधि में कोई ब्याज न मांगा जाए। करार में ये उपबंध हैं। (क) ऋणों की अवधि पूर्णता की कोई तिथि नहीं होगी और ३० जून, १९५८ या बाद की कोई तिथि तक जो परस्पर स्वीकार हो जाए कोई ब्याज नहीं होगा और (ख) भारत सरकार प्रशुल्क आयोग की मंत्रणा पर यह फैसला करेगी कि आया १ जुलाई से या पूर्वोक्त बाद की तिथि में कंपनी से उक्त ऋण पर कोई ब्याज लिया जाए और किस तारीख को कंपनी को ऋण लौटाना चाहिये। इस सीमा तक कि ब्याज और ऋण की अदायगी टिस्को और इसको कंपनियों की अंशपूंजी में से न निकलने पाये, अदा दी जाने वाली राशियां इस्पात के मूल्य के विशेष तत्व से निकलना चाहिये। स्थिति यह है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : ब्याज देने से युक्ति के लिये कितनी अवधि रखी गई है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया था और उससे जांच करने तथा कंपनियों द्वारा ब्याज और ऋण की अदायगी के बारे में अपना प्रतिवेदन देने को कहा गया था और आयोग ने यह सिफारिश की कि विशेष ऋणों पर ब्याज दोनों कंपनियों से १ जुलाई, १९५८ से ५ प्रतिशत वार्षिक दर पर लिया जाए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा गया था कि ब्याज १ जुलाई १९५८ से लिया जाएगा जैसा कि मा० मंत्री ने पहले बताया है। क्या कंपनिया १ जुलाई १९५८ से लगातार ब्याज दे रही हैं या ब्याज भी देना अभी बकाया है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह किया जा रहा है क्योंकि प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि जब तक ३१ मार्च, १९६० के पश्चात्, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में, इस्पात और लोहा के सभी मुख्य उत्पादकों को सामान्य संधारण मूल्य के बारे में फैसला न कर लिया जाए, राशि की वास्तविक अदायगी स्थगित कर दी जाए और यह मामला प्रशुल्क आयोग के सामने है। उस रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय किया जा सकता है।

वेतन आयोग की सिफारिश

†*१०५०. { **श्री नेकराम नेगी** : **श्री रामकृष्ण गुप्त** : **श्री स० मो० बनर्जी** : }

क्या **वित्त** मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६१ उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वेतन आयोग की जो सिफारिशें मंजूर करली हैं, क्या उन्हें कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). वेतन आयोग की सिफारिशों को दर्शाने वाला एक विवरण, जो सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं, परन्तु जो अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं, सभा पटल पर रखा जाता है। और प्रत्येक के बारे में बताया गया है कि अमुक सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई है।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण में पहली सिफारिश सरकारी डाक्टरों को गैर-सरकारी इलाज की अनमति के बारे में है। इस सिफारिश के बारे में कहा गया है कि यह सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लागू होने पर कार्यान्वित की जाएगी। सरकार द्वारा इस संगठन को स्थापित करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ताकि यह सिफारिश कार्यान्वित हो?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रश्न से ही स्पष्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय यथाशीघ्र केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को चलाने के लिये सब कार्य कर रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वेतन आयोग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप और सरकार द्वारा परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, आकस्मिक छुटियां १५ से घटा कर १२ कर दी गई थीं और शनिवार को पूरा कार्य दिन बना दिया गया था। क्या सरकार ने इन रियायतों को पुनः देने का हाल ही में फैसला किया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : वेतन आयोग की सिफारिश पर आकस्मिक छुट्टियां घटाई गई है और काम के अधिक घंटे कर दिये गये हैं जिसके विरुद्ध अभ्यावेदन हुए हैं। मा० सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इन रियायतों को पुनः देने का फैसला किया है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं बता चुकी हूं कि वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। हमें अब केवल औद्योगिक कर्मचारी और औद्योगिक संस्थानों की व्याख्या करनी है।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मा० सदस्य का प्रश्न वेतन आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन के बारे में हैं। कुछ मामलों में कुछ परिवर्तन हुआ है, परन्तु बड़े मामलों में कोई अन्तर नहीं हुआ, केवल छोटे मामलों में सरकार द्वारा किये गये आदेशों में कुछ अन्तर है और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न छुट्टी के दिनों और शनिवार के बारे में है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : क्या यह शनिवार के बारे में है?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हाल ही में यह धारणा हुई थी कि सरकार ने आकस्मिक छुट्टियों को लौटाने का अब फैसला कर लिया है जो १५ से घटा कर १२ कर दी गई थीं और शनिवार को आधा दिन कर दिया जाएगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : अधिकांश मामलों में वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। मा० उपमंत्री ने अभी बताया है कि उन्हें बहुत शीघ्र कार्यान्वित

---

†मूल अंग्रेजी में

किया जाएगा। वेतन आयोग की सब सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि दो वर्ष बीत चुके हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं नहीं जानता कि दो वर्ष कब पूरे हो गये हैं। सिफारिशें बहुत हैं, कर्मचारियों की संख्या बहुत है और किस्में भी अनेक हैं कि कुछ समय लगना अनिवार्य है। नीति निर्धारित करना बड़ा सरल होता है, किन्तु उस की कार्यान्विति उतनी सरल नहीं होती। अतः अधिक समय लगेगा। मैं केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सामान्य प्रश्न की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिये थी क्योंकि प्रश्न यह है कि क्या सब सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं। संभव है कुछ सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। हम जानते हैं कि जब प्राक्कलन समिति कुछ सिफारिश करती है, कुछ तुरन्त कार्यान्वित की जा सकती हैं और कुछ में थोड़ा समय लगता है। इसलिये यह साधारण प्रश्न है कि क्या सब सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं। हो सकता है उन में से कुछ को अभी कार्यान्वित करना बकाया हो। यदि अधिक ब्योरे की जरूरत है तो माननीय सदस्य प्रत्येक सिफारिश के बारे में पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** : पिछले प्रश्न के उत्तर में एक बड़ी सूची दी गई थी। अब हम ने केवल उन सिफारिशों के बारे में पूछा है जो सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं और जिन की संख्या केवल १५ है। इन १५ सिफारिशों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इन की कार्यान्विति की स्वीकृति की क्या स्थिति है।

†**अध्यक्ष महोदय :** बताया जा चुका है कि एक के अतिरिक्त सभी सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उन में से अधिकांश कार्यान्वित की जा चुकी हैं। कुछ अभी विचाराधीन हैं। कुछ राष्ट्रीय संयुक्त परिषद् को सौंपी जायेंगी। यह लंबी सूची है और मैं सम्पूर्ण ब्योरा नहीं दे सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह १५ वीं सूची है तो क्या वक्तव्य देना सुविधाजनक नहीं होगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : समय समय पर सारिणियां और विवरण दिये गये हैं। इस मामले में भी दिये गये हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : उस विवरण में कहा है कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिये छुट्टी की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। औद्योगिक कर्मचारियों एवं औद्योगिक संस्थान की परिभाषा, आदेश जारी करने से पूर्व बनानी है और इस मामले पर अन्तर्विभागीय बैठक में विचार करने का प्रस्ताव है। अभी तक औद्योकि कर्मचारी की परिभाषा मालूम नहीं है। अतः विलम्ब से क्षोभ हो रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं अगला प्रश्न।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए उपकरण का निर्माण

+
†*१०५१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये आवश्यक उपकरण तैयार करने के लिये शुरू की गई बातचीत इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या है; और

(ग) क्या पम्प तथा भूछिद्रण उपकरण के फालतू पुर्जे पहले ही आयुद्ध कारखानों से उपलब्ध हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): (क) और (ख). युद्ध सामग्री कारखाने स्लश पम्पों और छिद्रण उपकरण के कुछ पुर्जों का निर्माण कर सकेंगे । जहां तक अन्य उपकरणों का संबंध है, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचियों की प्रतिरक्षा संस्थापनों द्वारा छानबीन की जा रही है । अग्रेतर चर्चा जारी है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कम्पनियों के साथ बातचीत की जा रही है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं उत्तर में बता चुका हूं कि कुछ पुर्जों के निर्माण के लिये युद्ध सामग्री कारखानों के साथ बातचीत चल रही है ।

†श्री सुबोध हंसदा : इन युद्ध सामग्री कारखानों में समस्त उपकरणों का निर्माण किया जायगा अथवा केवल पुर्जों का ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : पूरे उपकरण किस के ? रिग्ज ? अभी तक हम युद्ध सामग्री कारखानों से कुछ पुर्जों के निर्माण की व्यवस्था कर सके हैं ।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदालियां

†*१०५२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७२ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदालियों को बढ़ाने की क्या कसौटी है; और

(ख) इस बात का क्या कारण है कि जब कि मद्रास ने संख्या कम कर दी है कुछ दूसरे राज्यों ने आई० ए० एस० अफसरों की संख्या काफी बढ़ा दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) प्रत्येक राज्य के भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के संवर्गों की शक्ति बढ़ाना राज्य सरकारों की प्रशासकीय एवं पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर निर्भर है ।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं का विचार कर के अपने संवर्गों की शक्ति बढ़ा ली है । मद्रास सरकार से भी समान प्रस्ताव प्रतीक्षित है ।

नवम्बर, १९५८ में मद्रास के भारतीय प्रशासन सेवा के संवर्ग में उपविकास आयुक्तों के चार पद सम्मिलित कर लिये जाने के कारण उस की शक्ति १४१ से बढ़ा कर १५० कर दी गई । नवम्बर १९६० में जब उप विकास आयुक्तों के पद उस संवर्ग में से निकाल दिये गये तो शक्ति घटा कर १४१ कर दी गई । इस प्रकार थोड़ी सी अवधि (अर्थात् नवम्बर, १९५८ से नवम्बर, १९६०) को छोड़ कर मद्रास के भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं की गई है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि आप विवरण देखें तो ज्ञात होगा कि मैसूर की पुनरीक्षित शक्ति १०० है और उड़ीसा की भी १०० है जब कि पंजाब की १०९ से बढ़ा कर १६२ कर दी गई है अर्थात् ५३ अधिकारी और बढ़ा दिये गये हैं । यह ५३ की संख्या अन्य दस राज्यों की शक्तियों की वृद्धि के बराबर है क्या ५३ नये पद निर्मित किये गये हैं और इस असाधारण वृद्धि का कारण क्या है ?

†श्री दातार : यह विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं पर निर्भर है । वे अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करके केन्द्रीय सरकार को सूचित करते हैं; तब समस्त स्थिति पर भली प्रकार विचार किया जाता है और या तो वृद्धि की अनुमति दे दी जाती है या उन से मामले पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की जाती है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं यह सिद्धान्त तो स्वीकार करता हूं । परन्तु मैं निश्चित सूचना चाह रहा हूं । एक राज्य में ५३ भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की असाधारण वृद्धि हुई है । उस की तुलना के मैसूर और उड़ीसा राज्यों में से प्रत्येक में केवल १०० अधिकारी हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस का उत्तर दे चुके हैं कि राज्यों की संख्या उन की आवश्यकताओं पर निर्भर होती है जिसे वहां की सरकार गृह मंत्रालय के सामने पेश करती हैं ।

†श्री रघुवीर सहाय : क्या भारतीय प्रशासन सेवा के संवर्ग की शक्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रान्तीय असैनिक सेवा के लिये भर्ती जारी रहे और क्या इस प्रवत्ति से प्रान्तीय असैनिक सेवा के स्तर में गिरावट नहीं आई है ?

†श्री दातार : वृद्धि की कोई सामान्य प्रवत्ति नहीं है । जहां आवश्यकता होती है वहीं वृद्धि की जाती है । भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिये कुछ पद निश्चित किये गये हैं । केवल उन्हीं के प्रबंध में भारतीय प्रशासन सेवा से नियुक्तियां की जाती हैं । जहां तक प्रान्तीय असैनिक सेवा का संबंध है, उस का अपना अलग महत्व है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि जिस राज्य की जितनी आवश्यकता होती है उस के अनुसार भरतियां की जाती हैं आई० ए० एस० में । मुझे यह मालूम हुआ कि सरकार ने यह परीक्षण किया है कि दक्षिण भारत के आई० ए० एस० के अधिकारी उत्तर भारत में

---

†मूल अंग्रेजी में

और उत्तर भारत के अधिकारी दक्षिण भारत में नियुक्त किये जायें। यदि यह अन्तर्राज्यीय सेवा केडर बन चुका है तो हर एक राज्य के लिये अलग-अलग आवश्यकता कम या ज्यादा होने की क्या वजह है ?

†**श्री दातार :** ये दो प्रश्न सर्वथा भिन्न हैं। जहां तक संवर्ग का संबंध है वह प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर निर्भर है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** वह कहते हैं कि संवर्ग की शक्ति बढ़ाना किसी राज्य की मांग पर निर्भर है। जब किसी विशेष राज्य के लिए प्रशिक्षण दिए गए आई० ए० एस० अधिकारी उत्तर भारत में नियोजित किए जाते हैं अथवा इसका उल्टा किया जाता है तो . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि उन्हें किसी राज्य विशेष के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मसूरी में एक प्रशिक्षण स्कूल है।

†**श्री म०ला०द्विवेदी :** वह कहते हैं कि प्रशिक्षणार्थियों की संख्या राज्य विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार कम या अधिक होती है।

†**श्री दातार :** परन्तु ये दो प्रश्न सर्वथा भिन्न हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इसे गलत समझ रहे हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है कि कौन किस राज्य में नियुक्त किया जाता है। यदि कोई राज्य अधिक अधिकारी चाहता है तो वह उनका संभरण करने के लिए तैयार हैं। प्रशिक्षण उनकी मांग पर निर्भर होता है।

†**श्री तिरुमल राव :** चूंकि आई० सी० एस० संवर्ग समय के बीतने के साथ-साथ धीरे-धीरे खत्म हो जाना है क्या उसके स्थान पर उतनी ही क्षमता और अनुभव सहित भारतीय प्रशासन सेवा को लाने का कोई कार्यक्रम हैं ?

†**श्री दातार :** वह तो पहले ही मौजूद है। जहां तक प्रशासकीय सेवा का सम्बन्ध है अब आई० ए० एस० सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा है; कदम उठाए ही जा रहे हैं।

श्री रंगा : क्या वह सिद्धान्त अथवा अभ्यास छोड़ दिया गया है जिस के अनुसार इस अखिल भारतीय सेवा के उत्तरी राज्यों के व्यक्ति दक्षिण में भेजे जाते थे और दक्षिण के उत्तर में ताकि राज्य में आई० ए० एस० के बाहर के काफी लोग रहें और प्रशासन अधिक अच्छा हो सके ?

†**श्री दातार :** सरकार इस सिद्धान्त का अनुसरण कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** दूसरी ओर एक कठिनाई भी है। ये लोग माननीय गृह मंत्री से अपने मूल-राज्यों में नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन करते हैं।

†**श्री रंगा :** बाहर के लोगों से प्रशासन निष्पक्ष हो सकेगा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्यों को ऐसी कोई हिदायत अथवा सलाह दी है कि विभागाध्यक्षों के पद केवल आई० ए० एस० अधिकारियों को दिए जाने चाहिए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जिला अधिकारी के ऊपर के कुछ प्रशासकीय पद और कुछ अन्य पद ऐसे हैं जो आई० ए० एस० अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैं विशेष रूप से विभागाध्यक्षों के पद के संबंध में ही जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। माननीय सदस्य को इस के लिए पृथक सूचना देनी चाहिये।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा सरकार की आवश्यकता केवल १०० की थी अथवा उन्होंने अधिक की मांग की थी परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल १०० मंजूर किए?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न केवल मद्रास से संबंधित है। वैसे मैं पहले एक अवसर पर प्रत्येक राज्य के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० संवर्गों की शक्ति, आवश्यक शक्ति और मंजूर की गई शक्ति बता चुका हूं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैं यह जानना चाहता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग अलग, राज्यों की सूचना देने में असमर्थ हैं। यह प्रश्न केवल मद्रास से संबंधित है। मैं अन्य १४ या १५ राज्यों के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री त्यागी** : हम ने हाल में यह पढ़ा था कि मुख्य मंत्रियों ने अपने सम्मेलन में इन सेवाओं के एकीकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया था। क्या उस दिशा में कोई प्रगति हो रही है?

†**श्री दातार**: जहां कहीं किसी संवर्ग में नियुक्तियां वार्षिक परीक्षा के आधार पर की जाती हैं उन में उस सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है। उसका विचार किया जाता है। एक राज्य के अधिकारियों से दूसरे राज्यों में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए कहा जाता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: मैं इस प्रश्न के संबंध में दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में कलक्टरों और जिलाधीशों और सचिवों के कुछ प्रतिशत पदों पर प्रान्तीय असैनिक सेवा के अधिकारी होते हैं जब कि अन्य राज्यों में वे पद केवल आई० ए० एस० अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं? यदि ऐसा है कि तो इस प्रकार के भेदभाव का क्या औचित्य है?

†**श्री दातार** : सामान्यतः विचार यह है कि जहां तक इन उच्च प्रशासकीय सेवाओं का संबंध है उन पर यथाशीघ्र आई० ए० एस० अधिकारी नियुक्त हो जायें। कुछ ऐतिहासिक कारणों से, विशेषकर भूतपूर्व 'ख' श्रेणी के राज्यों में। कुछ पद ऐसे हैं जिन पर राज्यों के अधिकारी नियुक्त हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि मुश्किल से पांच वर्ष के अनुभव वाले आई० ए० एस० अधिकारी कलक्टरों और सचिवों के पद पर आसीन हैं तथा उन्हें पी० सी० एस० के अनुभवी और योग्य अधिकारियों से अग्रिमता दी जाती है? यदि ऐसा है तो इस प्रक्रिया के क्या कारण हैं?

†**श्री दातार** : नियुक्तियां करने में अन्य बातों के साथ अनुभव की अवधि का भी विचार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता परन्तु बड़े सम्मानपूर्वक अध्यक्षपीठ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तीन प्रश्न पूछ चुका हूं जिनका बड़ा अनिश्चित और सामान्य उत्तर दिया गया है। प्रश्न निर्दिष्ट पूछे गए हैं परन्तु उत्तर निर्दिष्ट नहीं हैं। यह सूचना देने से बचने जैसा है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं दिए गए उत्तरों से संतुष्ट हूं। माननीय सदस्य को संभवतः वह सब सूचना न मीली हो जो वह चाहते हैं। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या पांच वर्ष से भी कम अनुभव वाले व्यक्तियों को कलक्टर नियुक्त किया गया है ? माननीय मंत्री ने बताया कि अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। अतः यदि किसी मामले में ऐसा न किया गया हो तो माननीय सदस्य उसे माननीय मंत्री की जानकारी में ला सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्नों का हल इसी प्रकार हो सकता है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं व्यक्तिगत मामलों का निर्देश नहीं कर रहा हूं। ऐसा सामान्यतः होता है।

†अध्यक्ष महोदय : वह इस बात से इन्कार करते हैं। माननीय सदस्य सब के बराबर ही अंग्रेजी समझते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। यदि किसी मामले में ऐसा न हुआ हो तो वह उसे माननीय मंत्री की जानकारी में ला सकते हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वह कहते हैं कि पांच वर्ष से कम के अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाता है ? क्या उनका यह उत्तर है।

†अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मामला हो तो माननीय सदस्य उसे मंत्री जी की जानकारी में ला सकते हैं। अगला प्रश्न।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन

†१०५५. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की दर बढ़ाने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया था उसे कार्यान्वित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह बात उन के ध्यान में आई है कि इस सम्बन्ध में आदेश दिये जाने के बावजूद भी भूतपूर्व सैनिकों को अब तक बढ़ी हुई दर से पेंशन नहीं मिली है जिस से उन में असंतोष की भावना बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो बढ़ी हुई दर से पेंशन देने के आदेशों को कार्यान्वित करने तथा बकाया राशि का भुगतान करने के लिये भी क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों की, पेन्शन पर बढ़े हुए दरों पर अस्थायी वृद्धियों के लिए आदेश ३१ दिसम्बर, १९६० को जारी कर दिए गए थे। इन आदेशों के अन्तर्गत, जो १ अप्रैल, १९५८, से लागू हैं, साढ़े तीन लाख पेन्शनर आते हैं। इसकी तुलना में ४ अगस्त १९६१ खुद तक ७४,०००

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्तिगत स्थितियों में, संशोधित अस्थायी वृद्धियों की स्वीकृतियों के निमित्त, आदेश जारी कर गए थे। इस के अतिरिक्त दो परिपत्र जारी किए गए थे, जिन के आधार पर पेन्शनों का भुगतान करने वाले अधिकारी, व्यक्तिगत मामलों के बारे में, किसी अतिरिक्त आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना, लगभग ८४,००० पेन्शनरों को अदायगी कर सकते हैं। लगभग ७,००० अन्य स्थितियों में भुगतान करने वाले अफसरों को स्वीकृतियां जारी करने के लिए संशोधित दरों पर दावे तैयार कर लिए गए हैं। यह प्रगति सरकार के आदेशों को क्षिप्रतम रीतियों से कार्यान्वित करने के, कार्य के कारण संभव हो सकी है।

पेन्शनरों की बहुत बड़ी संख्या को सामने रखते हुए जिन्हें उच्च अस्थायी वृद्धिएं १-४-१९५८ से सावशेष प्राप्त होंगी, प्रतिरक्षा लेखा (पेन्शन) नियन्त्रक, इलाहाबाद और देश भर के, पेन्शन भुगतान करने वाले अधिकारियों को, सरकार के आदेश कार्यान्वित करने में, और बढ़ी पेन्शनों की अदायगी में, अवश्य ही कुछ समय लगेगा। इसलिये सरकार ने ६ फरवरी, १९६१ को पेन्शनरों को परामर्श देते पत्रज्ञप्ति जारी की है, कि वह नियंत्रक द्वारा पुनरीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करें।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये भी मुझे यह पूछना है कि जब कि यह आदेश ३१ दिसम्बर, १९६० को जारी हो गया था फिर ऐसा क्यों है कि अभी तक लगभग दो लाख भूतपूर्व सैनिकों को ही इसका लाभ पहुंचा है ? मैं जानना चाहता हूं कि शेष के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है और देरी से देरी कब तक उनको इसका लाभ पहुंच सकेगा ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, साढ़े तीन लाख में से तकरीबन सवा दो लाख का तो फैहला हो ही गया है। बाकी जो एक लाख के लगभग रह गए हैं उनके मामले में देरी होना आवश्यक है क्योंकि यह मामला इतना सीधा नहीं है। जब कि पेंशन का रेट बढ़ाया जाता है तो उस वक्त पर बहुत से और सवालात सामने आते हैं जैसे उनका क्या रेंक था और किस किस्म की पेंशन थी और दूसरे ऐसे मामलों पर साथ साथ विचार किया जाता है। यही वजह है कि इतनी देरी हो रही है और इतनी देरी लाजिमी है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह मैं मान सकता हूं कि बकाया की अदायगी में देरी हो सकती है, लेकिन क्या इस तरह के आदेश दिये गये हैं कि जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वह जल्दी लागू की जाएं ताकि उससे लोगों को लाभ मिल सके ?

सरदार मजीठिया : ऐसा तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा जो बढ़ोतरी हुई है वह सात रुपये से लेकर साढ़े बारह रुपये तक है, और कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिये यह तै करने के लिये उनका रेंक भी देखना होगा और यह भी देखना होगा कि किस टाइप की पेंशन है और और मसले भी सामने आएंगे। इसलिये देरी होना लाजिमी है।

श्री हेमराज : इस मामले का फैसला १९६० में ही हो गया था, लेकिन क्या यह सही है कि इसके मुताबिक अभी किसी को पेमेंट नहीं किया गया है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं ; यह बात ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि मुझ से पहले माननीय सदस्य ने कहा, साढ़े तीन लाख सैनिकों में से दो लाख २८ हजार का फैसला हो गया है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : चूंकि सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार पेंशनर अधिक वेतन के हकदार होंगे, मैं जानना चाहती हूं कि क्या उन सबको सूचित कर दिया गया है क्योंकि उनमें से बहुत से यह नहीं जानते हैं कि वे अधिक पेंशन पाने के हकदार हो गए हैं ? उनके जिन संबंधियों को वह पेंशन मिलेगी उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। जब उन्हें यह मालूम होगा और वे उसके लिये प्रार्थनापत्र देंगे और उन्हें कोई सहायता मिलेगी इस बीच में बहुत बड़ा समयान्तर है ।

†सरदार मजीठिया : सरकार उचित अधिसूचना निकाल चुकी है। यह सरकारी अधिसूचना है और उसका सभी लाभ उठाते हैं। मैं इस सभा के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रत्येक मामले का समुचित ध्यान रखा जाएगा और कोई अन्याय नहीं होगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में यह कहा गया है कि इलाहाबाद के प्रतिरक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक और पेंशन वितरण अधिकारियों को सरकार के आदेशों का पूर्ण क्रियान्वयन करने में कुछ समय लगेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने निर्णय किया था तो क्या वैसा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों की सहमति से नहीं किया गया था और यदि उनकी सहमति से किया गया था तो वे इतना अधिक समय क्यों ले रहे हैं ?

†सरदार मजीठिया : जब इन ७४,००० और ८४,००० और ७०,००० व्यक्तियों के मामलों का निर्णय किया गया था तो प्रतिरक्षा लेखा महानियंत्रक से परामर्श किया गया था। जिस समिति ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ मिल कर इस पर विचार किया था उसमें उनका प्रतिनिधि मौजूद था। वित्तीय परामर्शदाता भी उसमें था। उन सबने इस मामले में विचार किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कंट्रोलर आफ डिफेंस एकाउंट्स ने मंत्रालय को बतलाया है कि देरी से देरी कब तक ये हिसाब पूरे कर लिए जाएंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये हिसाब इस फाइनेंनशल इयर के अन्त तक तो पूरे हो जायेंगे या नहीं ?

सरदार मजीठिया : यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक पूरे हो जायेंगे। मगर कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इनको निपटाया जाए ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस योजना और कार्यक्रम के अन्तगर्त आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी भी पेंशन प्राप्त करेंगे। क्या उनकी समस्त देय पेंशन का वितरण किया जा चुका है ?

†सरदार मजीठिया : यदि आजाद हिन्द फौज के संबंध में पृथक प्रश्न पूछा जाये तो हम उसका उत्तर देंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : बढ़ी हुई पेंशन के कारण सरकार को कितनी अतिरिक्त राशि भुगतान करनी पड़ेगी ?

†सरदार मजीठिया : सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि तभी मालूम हो सकेगी जब कि प्रत्येक पेंशनर की पेंशन का अंतिम निर्णय हो जाएगा। मोटे तौर से मैं यह कह सकता हूं कि वह राशि कुछ करोड़ रुपये होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुध कारखाना कर्मचारियों के लिए औद्योगिक परिषद्

†*१०५६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाना कर्मचारियों के लिये औद्योगिक परिषद् की बैठक कलकत्ते में महानिदेशक के कार्यालय में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों पर चर्चा की गई ;

(ग) कर्मचारियों के कितने प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे ; और

(घ) किन-किन मदों पर निर्णय किये गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) :** (क) अभी तक औद्योगिक परिषद् की दो बैठकें हो चुकी हैं जिनमें से अंतिम अप्रैल, १९५९ में हुई थी।

(ख) पिछली बैठक में निम्नलिखित बातों पर चर्चा हुई थी :

(१) औद्योगिक संबंध ;

(२) उत्पादन समस्याएं और उत्पादिता ;

(३) आयुध कारखानों में अनुशासन; और

(४) कल्याण कार्य।

(ग) चवालीस सदस्य।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(१) 'परिवार कल्याण' की योजना को सफल बनाने के लिये महिला कल्याण संघ की अधिक शाखायें खोलना।

(२) मान्यताप्राप्त संघों को कार्यालय-स्थान, जहां ऐसा स्थान उपलब्ध हो, आवण्टित करना।

(३) औद्योगिक कर्मचारियों और अनौद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों की समानता दूर करना।

(४) एक संस्थापन में केवल एक संघ को मंजूरी देना।

(५) निम्नतम स्तर पर वार्ता-यंत्र की समाप्ति।

(६) आयुध कारखानों के कर्मचारियों के बच्चों को अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें।

(७) श्रमिकों को कार्य के घण्टों में चाय और नाश्ता दिया जाना।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में चौथा पद एक संस्थापन में केवल एक संक को मान्यता देना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि अधिकांश प्रतिरक्षा संस्थापनों में विरोधी संघ बने हुए हैं अतः सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठायेगी कि अधिक प्रतिनिधि संघ को ही मान्यता दी जाए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : इस सिफारिश पर सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई संघ मान्यता की शर्तों को पूरा करता है तो सरकार मान्यता देने से इन्कार नहीं कर सकेगी ।

†श्री मुहम्मद इलियास : माननीय मंत्री ने शर्तों का उल्लेख किया। वे शर्तें क्या हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : शर्तों का सभा में हमेशा निर्देश किया जाता रहा है।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में एक अन्यपद औद्योगिक और अनौद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों की असमानता को हटाना है। क्या सरकार एडमिरल शंकर समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी जो इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी ?

†श्री रघुरामैय : इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। अभी कुछ प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हड़ताल में भाग लेने के कारण लगभग ३२ संघों की मान्यता खत्म हो गई है। क्या सरकार इस मामले पर पुर्नविचार करके उनको पुनः मान्यता दे देगी ?

†श्री रघुरामैया : यह एक सामान्य प्रश्न है अतः प्रतिरक्षा मंत्री अलग से कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसका विचार सरकार करेगी ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न ।

स्कूल अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*१०६२. { **श्रीमती इला पालचौधरी:**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी योजना के अधीन इस वर्ष (१९६१) भारत में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये कोई योग्यता छात्र-वृत्तियां दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उनका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अभी नहीं, क्योंकि राज्य सरकारों से सिफारिशों की प्राप्ति की अंतिम तारीख १५ सितम्बर, है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : केन्द्र द्वारा कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ? कितनी छात्र-वृत्तियां देने का विचार किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हमने ये छात्रवृत्तियां समस्त राज्यों में विभाजित की हैं। क्या मैं समस्त विवरण सभा-पटल पर रख दूं ताकि माननीय सदस्य यह देख सकें कि प्रत्येक राज्य को कितनी छात्रवृत्तियां आवण्टित की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरविन्द घोषाल** : छात्रवृत्तियों के लिये अध्यापकों के बच्चों के प्रवरण के लिये क्या कसौटी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अध्यापकों के असाधारण योग्यता वाले बच्चों को इन छात्र-वृत्तियों के लिये वरण किया जाएगा । कुल छात्रवृत्तियां ५०० हैं और वे विभिन्न राज्यों में विभाजित हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या राज्य-वार विभाजन के सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राज्य-वार विभाजन का निर्णय किया जा चुका है और जैसा कि मैंने कहा था मैं उस समस्त विवरण को यहां रख दूंगा । यदि सभा चाहे तो मैं उसे पढ़ कर भी सुना सकता हूं । परन्तु उसमें समय लगेगा ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : केवल चौदह राज्य ही तो हैं अतः उसे पढ़ ही दिया जाए ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** :—

राज्य	छात्रवृत्तियों की संख्या
आन्ध्रप्रदेश .	४२
आसाम .	१५
बिहार	३५
बम्बई .	७६
जम्मू तथा काश्मीर .	५
केरल .	३३
मध्य प्रदेश. .	३१
मद्रास	४७
मैसूर	३२
उड़ीसा	१६
पंजाब .	२३
राजस्थान .	१५
उत्तर प्रदेश.	५६
पश्चिम बंगाल . . .	४४
अण्डमान और निकोबर द्वीप समूह	५
दिल्ली . . .	५
लक्कदीव और मिनिकाय द्वीप .	५
हिमाचल प्रदेश	५
मनीपुर	५
त्रिपुरा	५

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन**: विभिन्न राज्यों को यह आवण्टन किस कसौटी के आधार पर किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह सामान्यतः विभिन्न राज्यों में नियोजित अध्यापकों की संख्या के आधार पर है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या ये छात्रवृत्तियां समस्त स्कूल अध्यापकों, चाहे उनका वेतन कुछ भी हो, के बच्चों के लिये है अथवा वेतन पर कोई प्रतिबन्ध है ताकि उतने वेतन तक के अध्यापकों के बच्चों को ही वे छात्रवृत्तियां मिलें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने के लिये एक साधन परीक्षा है और वह निम्न प्रकार है : ५०० रुपए प्रतिमाह तक की आय, चाहे बच्चे कितने भी हों, ५०० रुपए और ६०० रुपए प्रतिमाह के बीच की आय, दो या अधिक बच्चों वाले अध्यापकों के लिये, ६०० रुपए और ७०० रुपए प्रतिमाह के बीच की आय, तीन या अधिक बच्चों वाले अध्यापकों के लिए; ७०० रुपए और ९०० रुपए प्रतिमाह के बीच की आय, चार या अधिक बच्चों वाले अध्यापकों के लिये, इस प्रकार समस्त साधन परीक्षा निर्धारित की गई है और हम स्कूल अध्यापकों के अधिकाधिक बच्चों को उसका लाभ प्राप्त कराना चाहते हैं और हमें आशा है कि धीरे धीरे स्कूल अध्यापकों के समस्त प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के योग्य बच्चों को यह प्राप्त हो जाएगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय मन्त्री ने कहा कि छात्रवृत्तियों का विभिन्न राज्यों में विभाजन अध्यापकों की संख्या के आधार पर किया गया है । उत्तर प्रदेश और बम्बई के दिये गये आंकड़ों के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों की तुलना में उनमें अध्यापकों की संख्या अधिक है और इसीलिये उन्हें अधिक छात्रवृत्तियां आवण्टित की गई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये छात्रवृत्तियां विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकण्डरी स्कूलों के अध्यापकों की संख्या के अनुपात से इस शर्त के अधीनस्थ विभाजित की गई हैं कि यदि किसी राज्य का कोटा पांच छात्रवृत्तियों से कम हो तो उसे कम से कम पांच छात्रवृत्तियां मिलेंगी । हमने इस सिद्धान्त का पालन किया है और माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं कि विभाजन इस आधार पर हुआ है । दूसरे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ये छात्रवृत्तियां उन्हीं राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रमानुसार दी जायेंगी । छात्रवृत्तियों का विभाजन मुख्यतः इस आधार पर किया जाएगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी हाल ही में हमारे गृह-मन्त्रालय ने एक परिपत्र भेजा है राज्य सरकारों को कि स्कालर्शिप्स देने के लिये माप दण्ड आर्थिक होगा न कि कोई और विचार । मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि हमारे अध्यापक जो हैं उन का आर्थिक स्तर बहुत कम है इसलिये उनके पिछड़ेपन के लिहाज से उनके बच्चों को भी क्या पोस्ट मैट्रिक स्कालर्शिप्स दिये जायेंगे ।

डा० का० ला० श्रीमाली : दूसरे स्कालर्शिप्स की जो योजना है वह भिन्न है, और मैं समझता हूं कि उस को भिन्न होना चाहिये । उस सारी योजना को अनाउंस कर दिया गया है । यह खास योजना अध्यापकों के बच्चों के लिये है, और जो कुछ डिस्ट्रिब्यूशन होता है, उसका सिद्धांत मैंने आपके सामने रख दिया है । मकसद यह है कि अध्यापकों को जितनी सुविधायें मिल सकें, उतनी दी जायें ।

श्री दी० चं० शर्मा —उठे

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री दी० चं० शर्मा के बच्चे हैं ? क्या वह इस लाभ के अन्तर्गत आते है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जी हां। मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह आश्रित बच्चों की संख्या बढ़ाना पसन्द करेंगे जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है क्योंकि आंकड़ों से मालूम होता है कि अध्यापकों के अन्य व्यवसाय के लोगों की अपेक्षा अधिक बच्चे होते हैं ?

लुब्रिकेटिंग तेल कारखाना

+

†*१०६३. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री २ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में लुब्रिकेटिंग तेल कारखाना खोलने की स्टैण्डर्ड वैक्युअम कम्पनी के प्रस्ताव मंजूर कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय विधि मंत्री का वक्तव्य

+

†*१०६८. **श्री हेम बरुआ :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विधि मन्त्री ने असम की भाषा समस्या कछार नेताओं तथा केन्द्रीय गृह मन्त्री के साथ बातचीत के जरिये सुलझाये का समर्थन करते हुये अभी हाल में कलकत्ते के एक समाचार पत्र सम्मेलन में यह कहा था कि "यदि किसी तरह बातचीत विफल हो जायेगी, तो असम में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और उसके परिणाम भी अनिवार्य होंगे";

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विधि मन्त्री के इस वक्तव्य की असम में व्यापक प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार के एक सदस्य द्वारा दिये गये इस वक्तव्य का आशय या सारांश सरकार जनता को बतायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

(ख) सरकार को आसाम में कुछ प्रतिक्रिया का पता लगा है।

(ग) सभी विवादों को समाप्त करने के लिये विभिन्न पार्टियों से गृह-कार्य मन्त्री की बातचीत के द्वारा बनाये गये फार्मूले को स्वीकार करने की अत्यधिक आवश्यकता पर विधि मन्त्री बल दे रहे थे। वह बता रहे थे कि यदि इस फार्मूले को अस्वीकार करने के कारण बातचीत भंग हो गई तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ:** क्या सरकार के एक सदस्य द्वारा दिये गये इस वक्तव्य से कि "यदि किसी तरह बातचीत विफल हो जायेगी तो असम में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और उसके परिणाम भी अनिवार्य होंगे।" आसाम की जनता के एक विभाग को अप्रत्यक्षतः प्रोत्साहन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपना यह वक्तव्य आन्दोलन को चलाने वाली संग्राम परिषद के सामने दिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अपनी अपनी राय है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** उत्तर से स्पष्ट है कि विधि मन्त्री ने गृह युद्ध आरम्भ करने के लिये किसी को भी प्रोत्साहित नहीं किया। सच यह है कि उन्होंने दूसरी ही बात कही थी। वह उनसे अपील कर रहे थे कि कोई आन्दोलन आरम्भ न करें। परन्तु जब उन लोगों ने उनसे कहा कि आन्दोलन किया जायेगा तो विधि मन्त्री ने उन्हें बताया कि वह मनाने का प्रयत्न करें और मेरे प्रस्तावों से सहमत हों। जब उन्होंने कहा कि "मान लो उनकी बात नहीं मानी जाये।" तब विधि मन्त्री ने उन्हें बताया कि सम्भव है कुछ कठिनाइयां हों और राज्य में कुछ झगड़े फिसाद हो जायें।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** माननीय मन्त्री ने बताया कि सरकार को कुछ प्रतिक्रियाओं का पता लगा है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको इसका पता कहां से लगा ? समाचार पत्रों से; जल्सों से अथवा अन्य सार्वजनिक जीवन की बातों से ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमने आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वही सब पढ़ा है।

†**श्री मनायन :** क्या मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के आधार पर शास्त्री फार्मूले की कुछ सिफारिशों जैसे कछार की भाषा बंगाली हो, को हटा दिया जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जी नहीं। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मुख्य मन्त्री सम्मेलन की सिफारिशों में रद्द नहीं किया गया है। कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों से उन्हीं सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया है और बंगाली जिले की प्रशासनिक भाषा रहेगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या आसाम के मुख्य मन्त्री ने विधि मन्त्री के इस वक्तव्य के बारे में भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है और क्या भारत सरकार ने विधि मन्त्री और मुख्य मन्त्री दोनों से बातचीत की थी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुख्य मन्त्री को कुछ सन्देह था और उन्होंने विधि मन्त्री को यह पत्र लिखा जिसकी एक प्रति हमारे पास भी भेजी गई थी। मामला उन्हें समझाया गया और मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस मामले में विधि मन्त्री ने हमारी बहुत सहायता की थी। उनके उद्देश्य उत्तम तथा ठीक थे। वह उन लोगों से आन्दोलन न करने को ही कह रहे थे। मेरे विचार से उन में आपसी बातचीत के कारण हमें बहुत सहायता मिली है। मुख्य मन्त्री को पूरी तरह से सन्तोष हो गया है कि विधि मन्त्री ने जो कुछ भी कहा वह बुरे उद्देश्य से नहीं कहा था।

†**श्री मनायन :** मैं अपने क्षेत्र दार्जिलिंग के बारे में यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की प्रशासनिक भाषा असमी के साथ साथ बंगाली भी होगी अथवा प्रशासनिक तथा अन्य सरकारी कामों में केवल बंगाली को ही रखा जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** क्योंकि इस क्षेत्र में बंगाली भाषा भाषी ७० प्रतिशत हैं इसलिये यह निर्णय किया गया है कि प्रशासनिक भाषा बंगाली ही होगी। इस जिले में बंगाली के अतिरिक्त और किसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** मैं माननीय गृह मन्त्री का ध्यान माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा श्री अतुल्य घोष को लिखे गये पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने बताया है कि 'राज्य भाषा समस्त राज्य की भाषा है।' यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात आसाम की घोषित सरकारी भाषा पर भी लागू होगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं यह स्पष्टतया बता चुका हूं कि राज्य की सरकारी भाषा सारे राज्य में लागू होगी। परन्तु राज्यों के कुछ भागों में अल्प भाषा भाषी रहते हों तो उनको प्रशासन तथा शिक्षा में कुछ सुविधायें अवश्य मिलेंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्देमान और निकोबार द्वीप-समूह में शिक्षा

*१०४७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह शिक्षा के लिये कोई विशेष व्यवस्था की गई है ;

(ख) वहां अब तक कितने विद्यालय और महाविद्यालय खोले जा चुके हैं; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक इस क्षेत्र में शिक्षितों की कितने प्रतिशत संख्या बढ़ी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) ८४ विद्यालय खोले गये। महाविद्यालय कोई नहीं खोला गया।

(ग) ८.४६ प्रतिशत।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्राक्कलन

†*१०५३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विकास कार्यक्रम के खर्च के प्राक्कलन लगभग २५ लाख रुपये कम कर देने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के काम काज पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में भी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ३१ मार्च, १९६१ तक किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर 'विकास' के अधीन व्यय प्राक्कलनों में १६.९४ रुपये की कमी की गई। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का १९६०–६१ का कुल व्यय १६.४८ करोड़ रुपये था। इस आधार पर कम की गई धनराशि बहुत कम है और केवल १ प्रतिशत आती है। व्यय में इस प्रकार की कमी-

---

†मूल अंग्रेजी में

बेशी अनिवार्य होती है। परन्तु विकास व्यय में कमी का कोयला उत्पादन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने १९६०–६१ की अन्तिम तिमाही में प्रतिवर्ष १३५ लाख टन के उत्पादन लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर लिया था।

विकास के अधीन आनेवाले निम्नलिखित कामों पर व्यय कम होने के कारण प्राक्कलनों में कमी हुई :

ढलुवां स्थान की खुदाई और गढ़े खोदना
बंकरों का निर्माण
रास्तों की खुदाई
सड़क तथा नालियां
अन्य विविध कार्य
जल संभरण व्यवस्था।

(ख) रानीगंज क्षेत्र में ड्रिलिंग तथा खुदाई हो रही है। पूरे भू-भौतिकीय तथा खोज के आंकड़े मिल जाने के बाद इस क्षेत्र के विकास पर विचार किया जायेगा।

खनन छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का निदेशालय

†*१०५४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का निदेशालय स्थापित करने के लिए संगठनात्मक तथा वित्तीय ब्यौरा इस बीच तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वह संभवतः कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के क्षेत्र अवधि के बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). ब्यौरे बना लिए गए हैं तथा यह निर्णय किया गया है कि यथाशीघ्र निदेशालय स्थापित किया जाये। इस काम के लिए आवश्यक कर्मचारी स्वीकार कर दिए गए हैं।

(ग) प्रशिक्षण के क्षेत्र और अवधि के बारे में अभी भी विचार किया जा रहा है।

मशीनें तैयार करने वाले कारखानों के लिए जापान द्वारा सहयोग

†*१०५७. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान जो बातचीत की थी उसमें मशीनें बनाने वाले कुछ संयंत्रों, वस्त्र मशीनों, मिट्टी हटाने वाली मशीनों और लोह अयस्क के खनन की मशीनों की सपलाई के संबंध में जापान का सहयोग प्राप्त किया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जापान ने कितना और क्या क्या माल देना स्वीकार किया है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). जापान को सदभावना शिष्टमंडल गया था। किसी भी प्रकार के सहयोग के बारे में बातचीत नहीं की गई थी। साधारण बातचीत हुई थी।

गैर-छात्र युवक गोष्ठियां (यूथ क्लब)

†*१०५८. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सारे देश में वित्तीय सहायता से गैर-छात्र युवक गोष्ठियों (यूथ क्लब्स) को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ख) अब तक इस प्रयोजन के लिए कितना धन मंजूर किया गया और दिया गया?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) १९६०–६१ के लिए स्वीकृत धनराशि: ३१,५०३·०० रुपये; तीसरी योजना के लिए स्वीकृत धनराशि: ४.५० लाख रुपये।

दिल्ली में आदर्श हाई स्कूल

†*१०५९. **श्री कोडियान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सरकारी हाई स्कूलों के विकास की योजना जिससे उन्हें सारे देश के लिए नमूना बनाया जा सके, कार्यान्वित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने कितना खर्च किया है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली के सरकारी हाई स्कूलों को समस्त देश के नमूना स्कूल बनाने की कोई योजना नहीं है। परन्तु सरकार ने सरकारी स्कूलों में यंत्र तथा अध्यापन सुधारने का निर्णय किया है। आरंभ में इस काम के लिए कुछ स्कूल छांटे गये हैं। इन स्कूलों का विकास निम्नलिखित रूप में किया जायेगा:—

(१) उचित अर्हता प्राप्त पर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था;

(२) अध्यापन सामग्री समेत फरनीचर, विज्ञान आदि के यंत्रों का पर्याप्त संभरण;

(३) क्लासरूम पुस्तकालयों समेत पुस्तकालय की पर्याप्त सुविधा;

(४) विज्ञान (लड़कियों के स्कूलों में गृह विज्ञान) की पढ़ाई तथा सह पाठ चर्या;

(५) कमज़ोर बच्चों को अतिरिक्त अध्यापन;

(६) राष्ट्रीय अनुशासन योजना तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार विद्यार्थियों तथा अध्यापकों में अनुशासन की भावना जागृत करने के तरीकों को लागू करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति के रिकार्ड बनाना ।

(८) वातावरण सुधारना—स्कूल में बगीचा बनाना, सफाई की उचित व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधायें आदि ।

क्योंकि उपरिलिखित रूप में स्कूलों का विकास करने में पर्याप्त धन व्यय होगा इसलिए इन सुधारों को अभी लागू न करने का निर्णय किया गया है। आरंभ में दिल्ली प्रशासन ने १२ स्कूलों में यह सुधार कार्य किए हैं और अन्य १२ स्कूलों में इन सुधार कार्यों को इस वर्ष आरंभ करने की आशा है।

उपरिलिखित १२ स्कूलों में सुधार कार्यों पर १,४३,०४६ रुपयों का अतिरिक्त व्यय किया गया है।

केरल में खेल-कूद

†*१०६०. { **श्री नारायणन कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में खेल-कूद की उन्नति के लिए केरल सरकार ने कोई योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५]**

विदेश से ईंधन विशेषज्ञ

†*१०६४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलम्बो योजना के अधीन किसी ईंधन विशेषज्ञ ने १९६१ में भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अध्ययन का परिणाम क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). कोलम्बो योजना अधिछात्रवृत्ति के अधीन औद्योगिक ईंधन क्षमता सबंधी दो कोलम्बो योजना विशेषज्ञ भारत आये थे और उन्होंने कलकत्ता क्षेत्र में कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाली कुछ औद्योगिक स्थापनाओं का दौरा किया था। कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन

†१०६५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन योजना के विषम में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कितने स्थानों पर इस योजना का प्रयोग किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). राज्य सरकारों ने १९६०–६१ के लिए योजना के निम्नलिखित पुनरीक्षित ढांचे के संबंध में उत्साह नहीं दिखाया था। शिक्षा संस्थाओं में परीक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। भारत सरकार से कोई धन नहीं मांगा जाना चाहिए। प्रत्येक जांच केन्द्र में वर्ष में चार बार परीक्षण होने चाहिएं। यद्यपि अभी राज्य सरकारों से रिपोर्ट नहीं मिली है परन्तु मालूम हुआ है कि १९६०–६१ में कुछ राज्यों ने आन्दोलन आरंभ किया था।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) द्वारा आदिवासियों का निष्कासन

†*१०६६. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी, चिरिया, ने जमीन बंदोबस्त से ठीक पहले गरीब आदिवासी किसानों को अपनी पुश्तैनी "खुदकाटी" जमीनों से जबर्दस्ती निकाल दिया था ;

(ख) क्या आदिवासियों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पास आवेदनपत्र भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार से मामले की अग्रेतर जांच करने की प्रार्थना की गई है।

मध्य प्रदेश में सायंकालीन कामगर शिक्षा संस्था

***१०६७. श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कामगरों की शिक्षा के लिये स्थापित की गई सायंकालीन कामगर शिक्षा संस्था द्वारा कितने कामगरों को शिक्षित बनाया गया है ; और

(ख) वर्ष १९६१ में संस्था के मंत्रणा बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं और उन में क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) अभी तक कोई नहीं, क्योंकि पहली साक्षरता कक्षा फरवरी, १९६१ में शुरू हुई थी और उस के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की है।

(ख) अब तक दो। जहां तक मुख्य निर्णयों का सम्बन्ध है, एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

कामगर संस्थान, इंदौर का कोई सलाहकार बोर्ड नहीं है। बोर्ड का नाम कामगर संस्थान बोर्ड, इंदौर है। १९६१ वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक २० फरवरी, १९६१ को हुई थी और उस बैठक में जो मुख्य निर्णय किए गए थे इस प्रकार हैं :—

बोर्ड ने शिक्षा मंत्रालय को भेजने के लिये १९६१–६२ के १,२१,४९२.०० रु० के अन्तिम बजट प्राक्कलनों का अनुमोदन किया।

बोर्ड ने यह प्रस्तावित किया कि एक कार्यक्रम प्रशासक और दो समाज शिक्षा व्यवस्थापक होने चाहिएं। बोर्ड ने अन्य दफ्तरी अमले की आवश्यकताओं को भी अन्तिम रूप दिया।

बोर्ड ने यह संकल्प किया कि मध्य प्रदेश वेतन समिति की वे सिफारिशें, जिनको मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उस के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

व्यवस्थापकों और शिक्षकों के पूरे समय की नियुक्ति के प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया।

कवि-गोष्ठियां, रामायण-पाठों, नाटकों तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि जैसे विभिन्न समारोहों के आयोजन पर होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा बोर्ड ने निश्चित कर दी।

बोर्ड ने संस्थान के लिए सिनेमा मोटर-गाड़ी की व्यवस्था के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

बोर्ड ने सिफारिश की कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के पाठ्य-क्रमों को अपनाकर प्रारम्भिक स्तर की हिन्दी सिखलाने के लिए कक्षाओं का भी आयोजन, किया जाए।

बोर्ड ने पाठ्य-क्रम उप-समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उप-समिति द्वारा स्वीकृत पाठ्य-क्रमों का अनुमोदन किया।

बोर्ड की दूसरी बैठक ५ अगस्त, १९६१ को हुई। अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित बैठक की कार्यवाइयों का विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान

†*१०६९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में भाग लेना मंजूर कर लिया है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : जी हां।

अमृतसर सीमा

†*१०७०. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६१ तक भारत में अवैध प्रवेश के लिये कितने लोग अमृतसर सीमा पर गिरफ्तार किये जा चुके हैं, और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में से कितनों को सजा दी गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १००

(ख) ५६

कटंगा में भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया जाना

†*१०७१. **श्री आसर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मो० ब० ठाकुर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ जुलाई, १९६१ को कटंगा टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) १७ जुलाई को भारतीय सैनिक उत्तर कटंगा के निएम्बा में एक सड़क चौकी पर पहरा दे रहे थ। कुछ लड़ाकू सैनिक चौकी पर आये और उन्होंने उनको हटाने का प्रयत्न किया। भारतीय सैनिकों ने उनको ऐसा करने से रोका। परन्तु लड़ाकू सैनिकों ने उन पर गोली चलादी। हमारे सैनिकों ने भी उलट कर गोली चलाई। भारत का कोई सैनिक नहीं मरा गया।

(ग) भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

सोवियत वनस्पति शास्त्र-विशेषज्ञ

†*१०७२. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः रूसी वनस्पतिशास्त्र विशेषज्ञ मई, १९६१ में कोयाम्बटूर, उटी, पूना और बंगलौर जैसे केन्द्रों में गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार का अध्ययन शुरू किया है,

(ग) क्या कोई रिपोर्ट सरकार को पेश की गयी है ; और

(घ) क्या भारत के प्रमुख वनस्पति शास्त्री भी इस अध्ययन से संबंधित हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) छहों रूसी वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञों ने भारत के कोयम्बटूर, उटी तथा बंगलौर का दौरा किया था परन्तु पूना का नहीं ।

(ख) उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया था । वह भारतीय पौधों, बीजों तथा छोटे पौधों के नमूने इकट्ठा करने आये थे जिस से उनको रूस में बोया जा सके और उनका प्रचार किया जाये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारत के वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ तथा मुख्य वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ रूसी वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञों के साथ भारत के विभिन्न भागों में गये थे ।

सेरथा में छिद्रण

†*१०७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेरथा में दूसरे कूएं का छिद्रण शुरू किया जा चुका है और यदि हां, तो क्या वह इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) क्या इस कुएं में तेल का अच्छा संग्रह पाया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : सेरथा में दूसरे कुंए का छिद्रण करने की तैयारी हो रही है और आशा है कि शीघ्र ही यह काम शुरू हो जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मिस्र में भारतीय दल द्वारा पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

†*१०७४. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व संबंधी खुदाई करने के लिये जिन पुरातत्व विषयक पदाधिकारियों को मिस्र भेजा गया था, क्या उन से कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या मिस्र सरकार ने भारत से आये पुरातत्व विषयक पदाधिकारियों द्वारा पुरातत्व संबंधी कार्य के लिये कोई स्थान नियत कर दिये हैं, और

(घ) क्या खुदाई कराने के लिये इस वर्ष भारतीय पुरातत्वज्ञों को मिश्र भेजने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). अभी खुदाई आरम्भ नहीं हुई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां । दिसम्बर १९६१ में ।

बड़ोदा के पास तेल शोधक कारखाना

†*१०७५. **श्री याज्ञिक** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल शोधक कारखाना स्थापित करने और एलाइड-पैट्रों-केमिकल

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों द्वारा उपयोग के लिये बड़ौदा के पास हजारों एकड़ जमीन प्राप्त की जा रही है ;

(ख) क्या इन अर्जनों के कारण कुछ गांवों को अपने मूल स्थानों से पूरी तरह हटाना पड़ेगा ;

(ग) क्या अर्जन कार्यक्रम दूसरे उद्योगों के लिये आवश्यक होने पर जमीन प्राप्त करने के उद्देश्य से कई दौर में नहीं अपनाया जा सकता; और

(घ) क्या ये उद्योग स्थापित करने के लिये वैकल्पिक जमीनों के ऐसे ही क्षेत्र बड़ौदा के पास आसानी से उपलब्ध नहीं हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) कुल १९७४ एकड़ (शोधनशाला के लिये १३७४ तथा नगर के लिए ६००) भूमि शोधानशाला के लिए अर्जित की गई है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ४ के अधीन अधिसूचना जारी की है। अलाइड–पैट्रो–कैमिकल इंडस्ट्रीज के लिए भूमि इस में शामिल नहीं है क्योंकि उस संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने शोधनशाला तथा नगर के लिए अर्जित भूमि की अधिसूचना की है। अन्य उद्योगों के लिये आवश्यक होने पर भूमि का अर्जन किया जायेगा।

(घ) जी नहीं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नियुक्त स्थान चुनाव समिति ने सभी पहलुओं पर विचार कर के कोयाली को सर्वोत्तम स्थान माना है।

सैनिक सचिव की शाखा में जांच

†*१०७६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ मई, १९६१ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या १९ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक सचिव की शाखा के जिस मामले के बारे में जांच हो रही थी क्या वह पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या निकला ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

जांच न्यायालय इसलिये बनाया गया था कि वह इस बात की जांच करें कि सैनिक सचिव को भेजी गई एक अधिकारी की वार्षिक गुप्त रिपोर्ट की प्रति में ऐसे कुछ रिमार्क जो उस में मूलतः नहीं थे किस प्रकार शामिल कर दिये गये तथा ऐसे कुछ रिमार्क जो उस में मूलतः थे किस प्रकार निकाल दिये गये। जांच न्यायालय इस बात का निश्चय नहीं कर पाया कि यह काम किस व्यक्ति ने किया। परन्तु उन्होंने यह भी बताया है कि सैनिक सचिव ने जांच में पूरी सहायता नहीं की तथा उन्होंने मामले के बारे में सभी जानकारी तथा तथ्य नहीं बताये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सैनिक सचिव को १ अगस्त, १९६१ को रिटायर होना था परन्तु उन्होंने कहा कि मुझ को १७ मार्च, १९६१ को ही रिटायर कर दिया जाये और १७ जलाई, १९६१ से रिटायरमेंट की तिथि के आने तक ८ महीने की छुट्टी मांग थी। परन्तु जांच के परिणामस्वरुप उनसे यथाशीघ्र छुट्टी चले जाने को कहा गया और वह छुट्टी आरम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पहले ही छुट्टी चले गये।

नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति

†*१०७७. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा के लिये उपयुक्त साहित्य चुनने का काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) उपयुक्त साहित्य का चुनाव करने का काम हाथ में है परन्तु पूरा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम

†*१०७८. { **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री क० भे० मालवीय : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम के बारे में प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मामले पर विचार कर रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल प्रतिष्ठान

†*१०७९. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कम्पनी की देश के बड़े बड़े बन्दरगाहों तथा नगरों में तेल प्रतिष्ठान बनाने की योजना है; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां। ३१-३-६२ को समाप्त होने वाली अवधि की योजना को अन्तिम रूप दिया गया है।

(ख) ३१-३-६२ तक मुख्य प्रतिष्ठानों में टैंकेज क्षमता के निर्माण के लक्ष्य बम्बई, कांडला, कोचीन, कलकत्ता, मद्रास, विज़ाग, सिलीगुरी, शकूरबस्ती, बरौनी, कानपुर, तथा धनबाद में २३६,५०० टन हैं।

इन के अतिरिक्त योजना में ३१-३-६२ तक पचास आन्तरिक इकट्ठे डिपो बनाने की व्यवस्था है। इन में १५० टन की क्षमता वाले ३५ छोटे डिपो तथा ५०० टन की क्षमता वाले १५ बड़े डिपो होंगे।

राष्ट्र मंडल शिक्षा सम्मेलन

†*१०८०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन कब और कहां होगा,

(ख) क्या यह पिछली कान्फ्रेन्स से कुछ भिन्न होगी और क्या शिक्षाविदों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी भाग लेंगे; और

(ग) पहिली कान्फ्रेन्स का क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दूसरा राष्ट्रमंडलीय शिक्षा सम्मेलन ११ से २५ जनवरी, १९६२ तक दिल्ली में होगा।

(ख) दूसरे सम्मेलन का क्षेत्र बड़ा होगा ? उस में पहले सम्मेलन में आरम्भ किये गये कार्यों की प्रगति का पुनरीक्षण होगा और अनुभव के आधार पर और योजना बनाई जायेगी। सम्मेलन इस प्रश्न पर भी विचार करेगा कि और किस तरीके से सहकारिता बढ़ाई जा सकती है।

प्रतिनिधि मंडल में शिक्षाशास्त्री तथा शिक्षा और शिक्षा की नीति से संबंधित प्रशासन के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।

(ग) पहले सम्मेल में निम्नलिखित चार कार्यक्रम बनाये गये थे। जिन को सभी राष्ट्रमंडलीय देशों ने लागू कर दिया है।

१. छात्रवृत्ति/अधिछात्रवृत्ति योजना

२. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

३. अध्यापकों का संभरण

४. टैक्नीकल शिक्षा का विकास।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैक्निकल संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन क्रम

†*१०८१. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैक्निकल संस्थाओं के अध्यापकों के लिये अखिल भारतीय टैक्निकल शिक्षा परिषद् ने जिन संशोधित वेतन-क्रमों की सिफारिशें की थीं उन्हें लागू करने में मैसूर राज्य सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) ऐसे राज्य और कौन कौन हैं जिन्हों ने उपरोक्त वेतन-क्रम लागू नहीं किये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तथा जम्मू और काश्मीर ।

पुर्नानियुक्त भूतपूर्व सैनिकों के वेतनक्रम

*१०८२. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में जो यद्यपि पेंशनर हैं, किन्तु पुर्नानियुक्त किये गये हैं, वेतन आयोग द्वारा अनुमोदित वेतन-क्रमों को लागू करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : प्रतिरक्षा संस्थाओं में असैनिक पदों पर पुर्नानियुक्त किए गए सभी सैनिक पेन्शनरों को तन्ख्वाह के निमित संशोधित दरों का सुभीता देने के लिए, १६ मई, १९६१ को आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

काल्टैक्स आयल रिफाइनरी

†*१०८३. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटैक्स आयल रिफाइनरी, विशाखापटनम में जनता को बेचने के लिये गैस बनाने का प्रस्ताव इस बीच निश्चित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गुजरात राज्य में पाकिस्तानी

*१०८५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री खीमजी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जीनचन्द्रन् :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में बहुत से पाकिस्तानी अवैध रूप से घुस आये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि तस्कर व्यापार करने के अतिरिक्त वहां साम्प्रदायिक भावना को भी भड़का रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वे जूनागढ़ और कच्छ में जासूसी भी कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) पहली जनवरी से तीस जून, १९६१ तक की अवधि में १६१ पाकिस्तानी अवैध रूप से गुजरात राज्य में घुस आये ।

(ख) यह पता लगा कि १२ पाकिस्तानी तस्कर व्यापार में लगे थे, परन्तु साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के सम्बन्ध मे कोई नहीं लगा था ।

(ग) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) सीमा पर सतर्कता तथा गश्ती दस्ते की शक्ति बढ़ा दी गई है । अवैधानिक रूप से प्रवेश करने वालों के विरुद्ध भारतीय पासपोर्ट एक्ट १९२०, और विदेशी एक्ट, १९४६ के अधीन कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें देश से निकाला जा रहा है ।

अंकलेश्वर का तेल

†*१०८५. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री वि० दास गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल को अंक्लेश्वर से बम्बई के तैल शोधक कारखानों में शींघ्र शोधन के लिये ले जाने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे तैल के परिवहन के लिये काफी संख्या में टंकी-डिब्बे देने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस दर पर और क्या वर्तमान भाड़ा दर मितव्ययी हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां । अंकलेश्वर का कच्चा तेल रेल द्वारा बम्बई शोधनशाला को भेजा जायेगा ।

(ख) और (ग). रेलवे अधिकारियों से मामले पर बातचीत हो रही है ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में कर्मचारियों का स्थायी बनाना

†*१०८६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थापनों में ८० प्रतिशत अनौद्योगिक तथा औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने के अन्तिम आदेश दे दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उप-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) अस्थाई पदों को स्थाई बनाने के सिद्धान्त के बारे में सामान्य आदेश जारी किए गए हैं । कुछ ब्रांचों / डायरेक्टोरेटों में ऐसे परिवतनों के अधिकार देने के विशिष्ट आदेश भी जारी कर दिए गए हैं । शेष मामलों में ऐसे आदेश जारी करने से पूर्व ब्यौरे बनाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नाइजीरिया के टेक्निकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण

*†१०८७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत नाइजीरिया के टेक्निकल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रशिक्षण किस किस्म का होगा और योजना का ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) नाइजीरिया सरकार से देश की आवश्यकताओं के बारे में ब्यौरेवार प्रस्ताव बनाने के लिये कहा गया है ।

सरकारी विभागों का व्यय

†*१०८८. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विमानों द्वारा किये जाने वाले व्यय में कोई छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह छूट किस किस मंत्रालय में लागू की जा रही है ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). वित्तीय-नियंत्रण कीं वर्तमान पद्धति का पुनर्गठन करने की योजना विचाराधीन है । इस योजना को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय तथा खाद्य विभाग में प्रयोग के रूप में लागू किया जायेगा । मुख्यतः इसके द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों को इनके द्वारा इनसे संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को वित्तीय अधिकार मिल जायेंगे । वित्त मंत्रालय केवल बजट से पूर्व की और मंत्रालयों आदि से प्राप्त रिपोर्टों की कहीं कहीं से जांच करेगा और काम का अध्ययन करेगा ।

नवेली का उर्वरक कारखाना

†*१०८९. **श्री तंगामणि** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली के उर्वरक कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने की कोई निश्चित तारीख निर्धारित हो गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह तारीख क्या है : और

(ग) आरम्भ में निर्धारित की गई तारीखों में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) यूरिया का वाणिज्यक उत्पादन जून १९६३ में आरंभ होगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*१०९०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० ने रूरकेला के 'हाट स्ट्रिप' और 'कोल्ड रोलिंग मिल्स' का संचालन तथा संधारण अमरीका के १९ विशेषज्ञों के एक विश्व निकाय को सौंप दिया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ठेके की शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी हां। हिन्दुस्तान स्टील ने अमरीकी सलाहकार निगम से करार किया है कि ६२ लाख रुपये पर रूरकेला इस्पात कारखाने के 'हाट स्ट्रिप' और कोल्ड रोलिंग मिल्स को चलाने के लिये दो वर्ष की अवधि के लिये १९ विशेषज्ञों की व्यवस्था करे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसको चलाने के लिये पर्याप्त अनुभव वाले कर्मचारी भारत अथवा पश्चिम जर्मनी में उपलब्ध नहीं थे रोलिंग मिलों को चलाने में विशेषज्ञ अमरीकी फर्म से आशा की जाती है कि वह करार की अवधि में इन मिलों में उत्पादन निर्धारित क्षमता अनुसार करा देगी।

भारत सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में अग्निकांड

†*१०९१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में लगी आग की जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था इसलिये पुलिस किसी भी व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं डाल पाई।

†मूल अंग्रेजी में

ताज तथा अन्य स्मारकों में प्रवेश टिकट

†*१०९२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा में ताजमहल, फतहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा, आदि में प्रवेश-टिकट लगाने के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य--उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि १५ वर्ष तथा इससे अधिक की आयु वाले वयस्कों पर आगरा में ताजमहल, फतहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा आदि समेत भारत के अन्य संरक्षित स्मारकों में प्रवेश के लिये २० नया पैसा प्रति व्यक्ति शुल्क आगामी वित्तीय वर्ष से लिया जाये।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी शिक्षा निधि

†*१०९३. { **श्री नेकराम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सेना नौ-सेना और वायु बल कर्मचारियों के लिये अंशदायी शिक्षा निधि की योजना की जांच पड़ताल कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). सेना के जे सी ओ/ओ आर/एन सी (ई) और नौसेना तथा वायुसेना के इन्हीं पदों के अधिकारियों के बच्चों के लिये शिक्षा योजना पर सरकार अभी विचार कर रही है।

इंजीनियरिंग कालेज तथा पालिटेक्निक संस्थायें

†*१०९४. { **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेकराम नेगी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री क० भे० मालवीय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना में नये इंजीनियरिंग कालिज और पालिटेक्निक संस्था खोलने की योजना निश्चित हो गई है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में खुलने वाले प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिजों में से कितने कालिज वस्तुतः खुल गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). राज्य योजना के अधीन १० इंजीनियरिंग कालिज तथा ६७ पालटैक्नीक स्थापित करने का विचार है। केन्द्र योजना में दिल्ली में एक कालिज तथा आठ प्रादेशिक कालिज स्थापित करने की व्यवस्था है। इन आठ कालिजों में एक दूसरी योजना में स्वीकार किया गया था परन्तु आरंभ नहीं किया गया था ।

(ग) इस वर्ष तीन प्रादेशिक कालिज आरंभ करने का विचार है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

संगीत नाटक अकादमी

†*१०९५. **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री आसर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत अकादमी के खातों में कथित अनियमितताओं की जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच पड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) १० अगस्त, १९६१ को विशेष पुलिस संगठन ने दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट की अदालत में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध दावे दायर किए हैं ।

प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन इकाइयों में तालमेल

†*१०९६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०, बंगलौर तथा एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग डिपो, कानपुर के बीच अनुसन्धान और उत्पादन के मामलों में तालमेल कैसे रखा जाता है; और

(ख) क्या इन दो इकाइयों के कामों में कोई अतिछादन है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय और टैक्नीकल विकास और उत्पादन (वायुसेना) के निदेशक के द्वारा तालमेल बनाया जा रहा है ।

(ख) दोनों इकाइयों में अतिछादन नहीं हो रहा है जिससे दोहरा काम हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विध्वंसक जहाजों का निर्माण

†*१०९७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विध्वंसक जहाज़ों के बनाये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). विध्वंसक जहाज़ों के भारत में निर्माण पर विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम का संशोधन

†२७५२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :** / **श्री चुनी लाल :**

क्या **वित्त** मंत्री ८ मार्च १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के संशोधन का कार्य प्रगति पर है।

भूतपूर्व सैनिक संस्था, कपूरथला

†२७५३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :** / **श्री चुनी लाल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से भूतपूर्व सैनिक संस्था, कपूरथला से, भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं के सैनिकों की पेंशन बढ़ाने के बारे में, प्राप्त अभ्यावेदन की जांच करली है ; र

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व पेप्सू राज्य (कपूरथला समेत) की राज्य सेनाओं के पेंशन पाने वालों की पेंशन में १ अप्रैल, १९५८ से इस तिथि से पंजाब सरकार के असैनिक पेंशन पाने वालों को ग्राह्य दरों पर अस्थायीं वृद्धि करने के सरकारी आदेश १८ अगस्त, १९६१ को जारी किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड

†२७५४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
{ **श्री चुनी लाल :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों से राज्यों में सभी समाज कल्याण-कार्य को राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्डों को सौंपने के बारे में अनुरोध करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ;

(ख) उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उनको अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, कोई नहीं क्योंकि राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये गये हैं और उनके नियंत्रणाधीन हैं। राज्य सरकारें राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड को कोई भी समाज कल्याण कार्य जो वह उचित समझें, सौंप सकती हैं और मद्रास सरकार ने राज्य में महिला और बच्चों के कल्याण का समूचा कार्यक्रम पुनर्गठित राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड को सौंप दिया है :

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड को और अधिकार देने का फैसला किया है और प्रथम दृष्टया उनको एक-वर्षीय अनुदानों के बारे में ऐच्छिक संगठनों को सहाय्य--दान के बारे में पूरे अधिकार (कुछ सीमाओं के भीतर) दे दिये हैं।

विदेशों में भारतीयों की आस्तियां

†२७५५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
{ **श्री चुनी लाल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) विदेशों में कुल कितने भारतीयों की आस्तियां हैं; और

(ख) उनकी कुल रकम कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान १२ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५ के भाग (क) के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। रक्षित बैंक ने वर्ष १९५५ के बाद भारत की विदेशी दायित्व और आस्तियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, इस बारे में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग से उपलब्ध जानकारी के आधार पर आंकड़े नियमित रूप से रक्षित बैंक द्वारा अपने मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं। नवीनतम लेख उस प्रकाशन के मई, १९६१ के अंक में पृष्ठ ६७४--६८१ पर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

†२७५६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति की गयी है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). दूसरे भाग पर कार्य प्रगति पर है और उसके अगले वर्ष पूरा होने की आशा है। उसके बाद, तीसरे भाग का कार्य आरम्भ किया जायेगा और उसके पूरा होने में एक वर्ष या कुछ अधिक समय लगेगा।

हिन्दी विश्व कोष

†२७५७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल : }

क्या शिक्षा मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दी विश्व कोष में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को प्रयोग करने के बारे में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उद्देश्य और नीति पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के परामर्श से यह फैसला किया गया है कि सभा द्वारा भारत सरकार की ओर से तैयार किये जा रहे हिन्दी विश्व कोष में प्रयोग के लिये अंकों के रूप के बारे में निम्नलिखित नीति अपनायी जाये :

(१) वैज्ञानिक और प्रविधिक विषयों सम्बन्धी सभी लेखों और वैज्ञानिक और प्रविधिक विधि और समीकरण में भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप अपनाया जाये। इसके अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

(२) सभी गैर-प्रविधिक मामलों में देवनागरी अंक प्रयोग किये जा सकते हैं।

कोयला परिषद्

†२७५८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३६

†मूल अंग्रेज़ी में

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से कोयला परिषद की बाकी सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). कथित सिफारिशों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :

(१) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के बीच तृतीय योजना में, क्षेत्रवार और श्रेणीवार, कोयले के अतिरिक्त उत्पादन का आवंटन किया गया है।

(२) कोयला परिवहन योजना का व्योरा बनाया जा रहा है। परिवहन के वैकल्पिक तरीके, जैसे जलमार्गों, सड़कों, रस्सी-मार्गों और पाइप लाइनों के जरिये, निकाले जा रहे हैं। इतने समय में तटीय नौवहन द्वारा कोयले की अतिरिक्त मात्रा का परिवहन करने की योजना लागू की गयी है।

(३) चुने हुए स्थानों पर कोयला भंडार बनाने सम्बन्धी प्रस्थापना पर राज्य सरकारों और सम्बन्धित रेलवे के साथ विचार किया गया। पंचाब में अमृतसर और भटिण्डा में और उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ शहर और इलाहाबाद में ये भंडार बनाये जा चुके हैं। जुलाई, १९६१ से इन भंडारों को कोयले का परिवहन आरम्भ हो गया है।

महाराष्ट्र में भूतपूर्व सैनिक

†**२७५९. श्री पांगरकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के अन्त में महाराष्ट्र में, जिला-वार, भूतपूर्व सैनिकों की क्या संख्या है; और

(ख) उनमें से कितने, जिलावार, काम पर लगा लिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी केवल उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में उपलब्ध है जिन्हें अविभाजित बम्बई राज्य और महाराष्ट्र में सरकारी और गैर-सरकारी स्थानों पर रोजगार मिल गया है। मई, १९५१ से अप्रैल, १९६० तक अविभाजित बम्बई राज्य और मई, १९६० से दिसम्बर, १९६० तक महाराष्ट्र राज्य के आंकड़े क्रमशः १०७२५ और ७३५ हैं।

लोक सहायक सेना

†**२७६०. श्री पांगरकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में महाराष्ट्र में लोक सहायक सेना के कितने शिविरों का आयोजन किया गया; और

(ख) उनमें कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १३ ।

(ख) ६,३७१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में जूनियर टेक्निकल स्कूल

†२७६१. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कितने जूनियर टेक्निकल स्कूल मंजूर किये गये;

(ख) क्या इस बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार की सिफारिश पर चालू वर्ष में एक जूनियर टेक्निकल स्कल मंजूर किया गया है जो एक गैर-सरकार समिति द्वारा चलाया जायेगा ।

मध्य प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२७६२. **श्री पांगरकर**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के क्या नाम हैं जिनका पिछले तीन वर्षों में भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया; और

(ख) इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप उपपत्तियां क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों के भागों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया :

बस्तर, बेटल, भीलसा, भोपाल, बिलासपुर, छत्रपुर, छिंदवाडा, दमोह, देवास, द्रुग, ग्वालियर, होशंगाबाद, झबुआ, नरसिंहपुर, निमार (खाना), पन्ना, रायसन, रायगढ़, रीवा, शादोल, सतना, सागर, सरगूजा, सियोनी और सिधी ।

(ख) जांच का संक्षिप्त विवरण वार्षिक रिपोर्टों में शामिल है, जिसकी प्रतिमा, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के रिकार्डों के रूप में प्रकाशित होने पर, संसद् पुस्तकालय को भेज दी जाती हैं। तथापि, इस अवधि में की गयी प्रगति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]**

कोरबा कोयला-क्षेत्र की भूमिगत खानें

†२७६३. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने तब से कोरबा कोयला क्षेत्र की भूमिगत खानों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). कुल १७ लाख टन कोयला वार्षिक की क्षमता वाली दो भूमिगत खानों के बारे में रूसी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदनों का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने परीक्षण कर लिया है और उन्हें मंजूर कर लिया है। अब ये परियोजना प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

महाराष्ट्र में कोयले की कमी

†२७६४. **श्री पांगरकर**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में सोफ्ट कोक की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में हाल में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). कभी-कभी महाराष्ट्र में सोफ्ट कोक की कमी के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। राज्य सरकार के परामर्श से, प्रति माह ब्लाक रेक में सोफ्ट कोक के २२५ वैगनों के परिवहन की इजाजत दे दी गयी है। जनवरी से जून, १९६१ की अवधि में औसतन २१२ वैगन प्रति मास गये हैं। यदि बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से सोफ्ट कोक के अंशतः बदले में भिलाई से नट कोक का संभरण जैसा कि सुझाव है, प्राप्त हो गया तो घरेलू कोयले का कुल संभरण बढ़ जायेगा।

उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी

†२७६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६० में उत्तर प्रदेश में पश्चिम पाकिस्तान से बिना पारपत्र के लोगों के प्रवेश में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से पाकिस्तानी जो पारपत्र लेकर उत्तर प्रदेश आये, अपने पारपत्रों की वैधता की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को जिनके ठहरने के अवधि समाप्त हो गयी है और उन लोगों को जो बिना पारपत्र के घुस आये हैं वापस भेजने के बारे में और पश्चिम पाकिस्तान से अवैध व्यक्तियों के उत्तर प्रदेश में प्रवेश को रोकने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जब कि वर्ष १९५९ में ३२ पाकिस्तानी राष्ट्रजन बिना पारपत्र के मिले थे, ऐसे व्यक्तियों की संख्या वर्ष १९६० में ३० थी।

(ख) और (ग). इस समय ऐसे १०६४ व्यक्ति हैं। इनमें से ३८३ ने लेख और असैनिक दावे दायर किये हैं। बाकियों पर मुकदमा चलाने और वापस भेजने के लिये विदेशी अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा रही है। जिन्होंने बिना पारपत्र के भारत में प्रवेश किया, उन पर भारतीय पारपत्र अधिनियम, १९२० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है और फिर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के अवैध प्रवेश के मामलों को पकड़ने के लिये कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

†२७६७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां और मकान बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब को अब तक वर्ष-वार कितनी रकम दी गयी;

(ख) केन्द्रीय सहायता से अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने परिवारों को मकान दिये गये ; और

(ग) कितनी रकम व्यपगत हुई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय योजनायें

†२७६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब के लिये राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये स्वीकार की गयी केन्द्रीय पुरस्कृत योजनायें कौन सी हैं;

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति की गयी;

(ग) इन योजनाओं के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गयी;

(घ) क्या मंजूर की गयी रकम पूरी तरह खर्च की गयी; और

(ङ) यदि नहीं तो पूरी रकम खर्च न करने के क्या कारण हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ङ). एक विवरण सभा सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७]**

पंजाब में माध्यमिक शिक्षा

†२७६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और संवर्द्धन के लिये पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां।

(ख) वर्ष १६५६–५७ से १६५६–६० तक ११६.०६ लाख रुपये। वर्ष १६६०–६१ में केन्द्रीय सहायता समूचे शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिये दी गयी। अतः इस वर्ष शिक्षा के

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न क्षेत्रों के लिये पृथक् आंकड़े देना संभव नहीं है। तथापि कुल मिलाकर सामान्य शिक्षा के लिये १२०.१३ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी ।

भारतीयों द्वारा रूस में स्नातकोत्तर अनुसंधान

२७७०. श्री क० भे० मालवीय : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री महोदय को उन के रूस यात्रा के समय यह आश्वासन दिया गया है कि रूस में स्नातकोत्तर अनुसन्धान की सुविधा भारतीयों को दी जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) रूस की सरकार के साथ सांस्कृतिक समझौते के अनुसार १९६१–६२ में वैज्ञानिकों की अदला बदली का कार्यक्रम मंजूर किया गया है। रूस की ऊंची पढ़ाई वाली संस्थाओं में इस साल पोस्ट-ग्रेजुएट पढ़ाई और अनुसंधान के लिये भारतीय स्कालरों को दी जाने वाली ५० छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है । इनके लिये चुनाव किये जा रहे हैं।

बच्चों के लिये हिन्दी-कोष तैयार करना

२७७१. श्री क० भे० मालवीय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों के लिये हिन्दी-कोष बनाने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना बनाई जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस आवश्यकता को गैर-सरकारी प्रयत्नों द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसलिये ऐसी कोई योजना तैयार करने का विचार नहीं है।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग

२७७२. श्री क० भे० मालवीय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने धीरे-धीरे हिन्दी में काम करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने सरकारी काम में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को सुगम बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

१. हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों का यथा संभव हिन्दी में उत्तर दिया जाता है।

२. फाइलों पर यथासंभव हिन्दी में टिप्पण करने की आज्ञा दे दी गई है ।

३. राजस्थान सरकार से यह फैसला हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन उस राज्य सरकार को सब पत्र हिन्दी में भेजेगा ।

४. हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को कहा गया है कि वे एक साल के अन्दर हिन्दी सीखें ।

५ अनुदेश जारी किये गये हैं कि प्रशासन के हर कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी टाइपराइटर मौजद हो ।

६. फार्मों और रजिस्टरों के शीर्षकों में अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है ।

७. यह अनुदेश जारी हो गये हैं कि सब विज्ञप्तियों और आदेशों को हिन्दी में जारी किया जाये ।

"संस्कृत प्रतिभा"

२७७३. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृत प्रतिभा नाम की पत्रिका निकाली जाती है;

(ख) यदि हां, तो उस की एक, प्रति पर कुल कितना औसत व्यय आता है; और

(ग) उस के कितने ग्राहक हैं और उन से कितना चन्दा प्राप्त होता है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां । छमाही प्रकाशन हैं ।

(ख) एक कापी की छपाई पर रुपये १.८० नये पैसे ।

(ग) औसतन दो सौ । सालाना चन्दा ४ रुपये है :

आम चुनावों के परिणाम

२७७४. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ के आम चुनावों के परिणाम मार्च, १९६२ में घोषित कर दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो राज्यानुसार इस के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) १९६२ के साधारण निर्वाचनों के लिये मतदान और उस के परिणामों के घोषणा की तारीखें अन्तिम रूप से नियत नहीं की गई हैं । परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि निर्वाचन आयोग ऐसी योजना बना रहा है कि कुछ बर्फीले निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान १ मार्च तक और मतगणना तथा परिणामों की घोषणा का काम ५ मार्च तक पूरा कर लिया जाये ।

(ख) निर्वाचन तथा सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों की अधिक संख्या में नियुक्तियां, बेहतर संगठन और इस बात पर अधिक जोर कि काम तेजी से और शीघ्रता से किया जाये कुछ ऐसे कदम हैं जो इस प्रयोजन के लिये सभी राज्यों में उठाये गये हैं ।

पुलिस वालों के ग्राचरण सम्बन्धी नियम

२७७५. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिये हाल ही में पुलिस के ग्राचरण सम्बन्धी कुछ नियम तैयार किये गये हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पुलिस में ग्राचरण का स्तर ऊंचा हो इस हेतु कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का समावेश एक चरित्र संहिता के रूप में किया गया ग्रौर उसे राज्य सरकारों के पास उन के विचार के लिये १९६० के फरवरी माह में भेजा गया। प्रशिक्षण संस्थाग्रों में इन सिद्धान्तों की शिक्षा दी जा रही है।

(ख) पुलिस के ग्राचरण सिद्धान्तों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, ग्रनुबन्ध संख्या ७८]**

सरकारी कर्मचारियों को उपहार

२७७६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भेंट स्वीकार किये जाने सम्बन्धी नियमों में कोई परिवर्तन किया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी में कार्य

२७७७. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने हिन्दी में कार्य करने के बारे में कौन-कौन से ग्रादेश जारी किये हैं; ग्रौर

(ख) क्या उन में से प्रत्येक की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ग्रौर (ख). इस विषय पर जारी किये गये खास खास ग्रादेशों का एक सैट सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ३१७७/६१]**

इन ग्रादेशों के ग्रनुसरण में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये कार्यकारी ग्रनुदेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रखना जरूरी नहीं जान पड़ता ।

भारत में ग्राने वाले विदेशी राष्ट्रजन

२७७८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६० से जुलाई, १९६१ तक किन-किन देशों के कितने नागरिकों तथा राष्ट्र-मंडल के नागरिक भारत ग्राये; ग्रौर

(ख) इन में से देशानुसार कितने ग्रपनी ग्रवधि से ग्रधिक भारत में ठहरे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) सूचना का एक विवरण-पत्र सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ख) विदेशियों को दिये जाने वाले प्रवेश-पत्रों की सामान्य अवधि तीन मास की है । अतः भारत में आये बहुत से विदेशी अपने प्रवेश पत्र में दिये गये अवधि के अनुसार भारत में रहेंगे ।

हिन्दी जानने वाले अस्थायी कर्मचारी

२७७९. { **श्री क० भे० मालवीयः**
श्री जगदीश अवस्थी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अन्य कार्यालयों में ऐसे कितने कर्मचारी (मंत्रालयवार) हिन्दी का काम कर रहे हैं जो जुलाई, १९६१ के अन्त तक अस्थायी रूप से काम कर रहे थे ; और

(ख) सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा उक्त कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मछली पकड़ने वाले जहाज

†२७८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार उड़ीसा सागर तट के निकट मछली पकड़ने के लिये अपने जहाज न भेजने के लिये राजी हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस मामले की अभी दोनों सरकारें जांच कर रही हैं ।

लद्दाख के बर्फ से ढके क्षेत्रों में सड़कें

†२७८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख और जम्मू तथा काश्मीर के बर्फ वाले क्षेत्रों में और सड़कें बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा बताना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बच्चों के लिये बंगला शब्दकोष तैयार करना

२७८२. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बच्चों के लिये बंगला शब्दकोष तैयार करने की एक योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य भाषाओं में भी इसी प्रकार के शब्दकोष तैयार किये जायेंगे ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) लेखक समन्वय समिति, लिमिटेड नाम की एक ग़ैर सरकारी एजेंसी को सरकार ने बच्चों का एक बंगला शब्दकोष तैयार करने के लिये मदद देने का वादा किया है परन्तु इसके लिये सरकार की खुद कोई स्कीम नहीं है ।

(ख) समिति ने जो स्कीम बनाई है उसमें इलस्ट्रेशनों, साफ छपाई और बच्चों की जरूरत और रुचि को पूरा करने वाले शब्दों के चुनाव का खास ध्यान रखा गया है ।

(ग) और अर्जियों पर योग्यता के आधार पर विचार होगा ।

पंजाब में तेल का पाया जाना

†२७८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पंजाब के किसी भाग में तेल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों से केन्द्रीय करों और शुल्क की वसूली

†२७८४. **श्री सम्पत् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम दो योजना-कालों में (वार्षिक) वसूल की गयी केन्द्रीय करों और शुल्क की रकम के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

आयात तथा निर्यात शुल्क की वसूली

†२७८५. **श्री सम्पत् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम दो योजना-कालों में, राज्यवार और पत्तन-वार निर्यात और आयात शुल्क के रूप में कितनी रकम वसूल की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में अनुसूचित जातियां

†२७८६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लईमराम खुजेन की अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों को उपलब्ध सुविधायें तथा छूटें नहीं दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मनीपुर प्रशासन ने सूचित किया है कि मनीपुर में लईमराम खुजेन नाम का कोई गांव नहीं है। हां, लईमराम खुनजाओ अर्थात् खुलेन नाम का एक गांव है। इस गांव में अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अनुसूचित जातियों को सुविधायें तथा छूटें न देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में अनुसूचित जातियों का कल्याण

†२७८७. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के अनुसूचित जाति परामर्शदाता बोर्ड को तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये अधिक धन की मांग पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मांग स्वीकार कर ली गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मांग पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

भारत में किराया-खरीद

†२७८८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या विधि मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित-प्रश्न संख्या २१४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में किराया-खरीद के बारे में विधान बनाने के प्रश्न की नवीनतम स्थिति क्या है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : इस बीच सरकार को किराया-खरीद सम्बन्धी विधि आयोग की रिपोर्ट मिल गई है जो छप रही है। रिपोर्ट पर सरकार के विचार कर लेने के बाद विधान बनाने की बात पर विचार किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन, नई दिल्ली

†२७८९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन की वृहत योजना (मास्टर प्लान) का स्वरूप निश्चित होने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) और (ख). दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी-गृह की वृहद् योजना अभी निश्चित नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर नगर

†२७९०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर नगरी बनाने के कार्य में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया था ; और

(ग) अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) दुर्गापुर नगरी का निर्माण-कार्य ८५ प्रतिशत पूरा हो गया है । जुलाई, १९६१ के अन्त तक ५३७८ मकान बन गये थे । इनमें से अधिकतर मकान में पानी के नल, बिजली और भूगर्भित नाली से सज्जित कर दिये गये हैं । एक अस्पताल, सात होटलों, चार बाजारों और चार स्कूलों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है । चालीस मील लम्बी सड़कें बन गई हैं ।

(ख) १७२,९९०,००० रु० ।

(ग) १२८,९१०,००० रु० ।

खम्भात की खाड़ी में तेल का सर्वेक्षण

†२७९१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० क० ब० मेनन : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में तेल के लिये छेद करने की संभावनाओं का निर्धारण करने के लिये एक भूकम्पीय सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ख) क्या गुजरात के गोहिलवाड़ जिले में भावनगर से, लगभग १२ मील दूर एक बस्ती में, जिसका नाम घोगा है, 'स्ट्रक्चरल ड्रिलिंग' करने का भी विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर कितना का व्यय किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). हां, श्रीमान ।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार है कि छेद करने के लिये उपयुक्त स्थान निश्चित करने के लिये खम्भात की खाड़ी में 'रिफ्लेक्शन सीस्मिक प्रोफाइल्स पद्धति से सर्वेक्षण किया जाये । आशा है कि भूकम्पीय से सर्वेक्षण कार्य १९६२ में आरम्भ हो जायेगा ।

घोगा के दक्षिण-पश्चिम में लगभग १।। मील दूर स्थित एक स्थान पर ८०० मीटर की गहराई का एक 'स्ट्रक्चरल' कुआं खोदने का विचार है ।

(घ) खम्भात की खाड़ी में भूकम्पीय सर्वेक्षण पर लगभग ४२ लाख रु० और घोगा में छेद करने पर लगभग २०१ लाख रु० व्यय होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्टाफ-कार

†२७९२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में स्टाफ कारों का व्यय 'स्थायी संस्थापन' से लिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) १९६०-६१ में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में स्टाफ-कारों के चलाने, रख-रखाव, आदि पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). यद्यपि व्यय की राशि प्रति वर्ष भिन्न हो सकती है परन्तु फिर भी उनका रूप निश्चित है और सामान्यतया उन्हें "स्थायी व्यय" माना जाता है। तदनुसार, स्टाफ-कारों के चलाने तथा रख-रखाव का व्यय सामान्यतया "स्थायी व्यय" माना जाता है। स्टाफ कारों के ड्राइवरों के वेतन और भत्ते "स्थायी व्यय" या "नया व्यय" माना जाता है और यह इस बात पर निर्भर है कि वे जिन पदों पर हैं वे स्थायी हैं या अस्थायी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और उपबन्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लेह में संग्रहालय

†२७९३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह में कोई संग्राहालय बनाने का विचार है;

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हैदराबाद में टकसालें

†२७९४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद और अन्य स्थानों की टकसालें बहुत समय से बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इस के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) से (घ). नहीं, श्रीमान् । वास्तव में अलीपुर, बम्बई और हैदराबाद की टकसालों में, दशिमक सिक्कों की मांग पूरा करने के उद्देश्य से, सामान्य कार्य-समय से अधिक समय तक कार्य हो रहा है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

हतबुद्ध बच्चों[1] की शिक्षा

†२७९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हतबुद्ध बच्चों की शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

काश्मीर में खनन परियोजना

†२७९६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में काश्मीर के लिये खनन परियोजनाओं की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ खनन योजनाओं का प्रस्ताव रखा है । योजना आयोग को अभी उन पर अन्तिम निर्णय करना है ?

बिक्री-कर अपवंचकों का गिरोह

†२७९७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर अपवंचकों के गिरोह द्वारा करापवंचन के आंकड़ों की जांच पड़ताल पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). मामला जांच पड़ताल के लिये दिल्ली के पुलिस के अपराध संबंधी जांच पड़ताल विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट को दे दिया गया था जो अभी मामले की जांच पड़ताल कर रहा है ।

दिल्ली में शिक्षा की सुविधायें

†२७९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में स्कूल और कालिज शिक्षा के विस्तार का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये कार्य-दल की रिपोर्ट पर संबंधित प्राधिकारियों ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mentally deficient children.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). कुछ प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि भावी विकास के योजना बनाते समय रिपोर्ट में उल्लिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा और कुछ अधिकारी अभी उस पर विचार कर रहे हैं ।

वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति

†२७९९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों की कार्यान्विति में अनियमिततायें कम करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें पूरा करने के लिये किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१८ के उत्तर का संबंध पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारित करने के बारे में वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिश से था । सरकार ने इस बारे में स्थिति पर विचार किया है और साधारण आदेश शीघ्र ही दे दिये जायेंगे ।

केन्द्रीय असैनिक सेवा नियम

†२८००. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को, जिन्हें केन्द्रीय असैनिक सेवा (संशोधित) नियम, १९६० के संशोधनों के फलस्वरूप अपने वेतन तथा भत्तों में हानि होगी, संशोधित वेतन नियमों को ढीला करके या १ जुलाई, १९५९ के अतिरिक्त अन्य कोई तारीख चुनने का अवसर दे कर, संरक्षण देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). सरकार ने उन उपलब्धियों को (अर्थात् मूल वेतन और उस पर उचित मंहगाई भत्ता) जो २ अगस्त, १९६० को, अर्थात केन्द्रीय असैनिक सेवा (संशोधित वेतन) नियम, १९६० के प्रख्यापन की तारीख को, प्राप्त होती थी, सुरक्षित रखने का निर्णय कर लिया है । १ जुलाई, १९५९ के बाद नियुक्त या पदोन्नति किये गये व्यक्तियों को वेतन उपरोक्त नियमों के अधीन संशोधित वेतन-क्रमों में निर्धारित होंगे और २ अगस्त, १९६० को प्राप्त होने वाला उपलब्धियों तथा इस प्रकार निर्धारित वेतन के अन्तर को व्यक्तिगत वेतन माना जायेगा जिसका समायोजन भावी वेतन वृद्धि से होगा ।

मध्य प्रदेश में मैंगनीज की खानें

†२८०१. {
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महारजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अल्प सूचना-प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के

†मूल अंग्रेजी में

संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश की मैंगनीज की खानों का पट्टावधि के नवीकरण के लिये सीधी और राज्य सरकार से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). सेन्ट्रल प्राविन्सेज मैंगनीज और कम्पनी लि० के मैंगनीज के खनन पट्टों के नवीकरण के मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई प्रार्थना न मिली है। निश्चित समय में पट्टे के नवीकरण की उन की प्रार्थनाओं को निपटाने में राज्य सरकार के असफल रहने पर फर्म की परीक्षण प्रार्थनायें मिली थीं जो अस्वीकार कर दी गईं।

सिक्यूरिटी पेपर मिल, हुशंगाबाद

†२८०२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में हुशंगाबाद में एक सिक्यूरिटी पेपर मिल स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है और उसका क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : संभव है कि निकट भविष्य में सम्बंधित विदेशी फर्म से टेक्निकल सहयोग करार हो जायेगा। इस बीच, मिल तथा मकानों के लिये भूमि ले ली गई है। १७६ क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है और उनके निर्माण के नक्शे आदि तैयार हो रहे हैं।

इस्पात पर बिक्री-कर

†२८०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात पर केन्द्रीय बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में बदलने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

औद्योगिक सन्थाओं में असमानता

†२८०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :

†क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक सन्थाओं में असमानताओं को दूर करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग की शेष सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). औद्योगिक-कर्मचारियों के छुट्टी के अधिकार के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग की अन्य सिफारिशें अब भी वित्त मंत्रालय में सरकार के विचाराधीन हैं ।

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी जांच रिपोर्ट

†२८०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच रिपोर्ट पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रशासी परिषद् के विचार सरकार को प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

"नाइट रनर्स आफ बंगाल" नामक उपन्यास

†२८०६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जो कास्टर के उपन्यास "नाइट रनर्स आफ बंगाल" पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या इस पुस्तक को जब्त करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). पुस्तक अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो

†२८०७. **श्री कोडियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में सुधार सेवाओं का एक केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभाग की रचना और कार्य क्या होंगे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यूरो गृह-कार्य मंत्रालय का अधीन कार्यालय है और एक निदेशक उसके प्रभारी हैं । यह अपराध निवारण और अपराधियों को सुधारने सम्बन्धी मामलों में समन्वय नीति में सहायता देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५१२ आर्मी वर्कशाप, किर्की

†२८०८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किर्की में ५१२ आर्मी वर्कशाप के उन ७ कारीगरों की अपीलों पर निर्णय ले लिया गया है जिन्होंने जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण दण्ड दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दण्ड की मात्रा कम कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितना कम किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल

†२८०९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किर्की के गोला बारूद कारखाने और अधिक विस्फोटक पदार्थ कारखाने के उन तीन कारीगरों द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों पर विचार कर लिया गया है जिनकी सेवायें जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मात्रा कम कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कम कर दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इनमें से दो कारीगरों ने याचिकायें प्रस्तुत की थीं जिन पर विचार किया गया और अस्वीकार कर दिया गया ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आने और पैसे के सिक्के

२८१०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आने और पैसे के सिक्कों को कब तक वापस ले लिया जायेगा ताकि फिर नये पैसे को पैसा घोषित कर दिया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ज्यों ही दशमिक प्रणाली के आवश्यक सिक्के काफी संख्या में तैयार हो जायेंगे, आने और पैसे वाले सिक्कों का चलन से वापस लिया जाना शुरू हो जायगा । इस समय निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं कि ये सिक्के कब चलन से वापस लिये जायेंगे ।

भारत का राज्य बैंक

२८११. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वित्त** मंत्री ४ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९६० से अब तक उत्तर प्रदेश में भारत के राज्य बैंक की कितनी शाखायें और उप-शाखायें खोली गईं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अगले पांच वर्षों के लिये इस सम्बन्ध में जो विस्तार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) राज्य बैंक ने १ जुलाई, १९६० से १५ अगस्त, १९६१ तक उत्तर प्रदेश में ३ शाखायें और ११ उप-कार्यालय खोले ।

(ख) राज्य बैंक ने अपने द्वारा स्थापित की गई एक उप-समिति की यह सिफारिश मान ली है कि अपने सहायक बैंकों सहित, राज्य बैंक को १ जुलाई, १९६० से ३० जून, १९६५ तक की, पांच वर्ष की अवधि में ३०० केन्द्रों में शाखायें खोलनी चाहियें ।

विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विशेष विमान सेवा की व्यवस्था

२८१२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट राष्ट्रीय अधिकारियों जैसे प्रधान मंत्री, गृह-मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री के लिये विशेष विमान सेवा की व्यवस्था का प्रबन्ध है ;

(ख) गत चार वर्षों में कितनी बार उन्होंने इन सेवाओं का उपयोग किया और वे कहां-कहां गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि विशिष्ट राष्ट्रीय अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति इन विमानों में यात्रा करें, तो उन्हें किराया देना पड़ता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उन अन्य व्यक्तियों से किराया वसूल किया गया जिन्होंने इन विमानों में यात्रा की ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों से किराया वसूल नहीं किया गया, और उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ङ) तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री और अन्य अधिकृत व्यक्तियों के प्रयोग के लिये भारतीय वायुसेना के पास, एक वायुसेना मुख्यालय का काम्यूनिकेशन स्क्वाड्रन है । जब लोकहित में आवश्यक हो, अथवा राज्य कार्य के लिये या प्रकृति के प्रकोप के दौरान में देख रेख के लिये उड़ानों या दयनीय स्थितियों में सहायतार्थ इनमें अनाधिकृत व्यक्तियों को भी ले जाया जा सकता है । इन विमानों का प्रयोग १९५३ में बनाए गए नियमों के अधीन होता है । इन नियमों के अधीन कई दशाओं में किराया वसूल करने का विस्तृत विधान भी है । जिन व्यक्तियों से किराया वसूल किया जाना था, कर लिया गया है ।

जनता द्वारा बचत

†२८१३. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री हेडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैशनल काउन्सिल फॉर अप्लाइड इकानामिक रिसर्च के अभी हाल के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के लोग उद्योग आयोग के अनुमान से अधिक ऊंची दर पर बचत कर रहे हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ठीक ठीक ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उस सर्वेक्षण की प्रति सभापटल पर रखी जायगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) नैशनल काउन्सिल फॉर अप्लाइड इकानामिक रिसर्च के अनुसार भारत में बचत की औसत दर १९५७–५८ में राष्ट्रीय आय के करीब ९ से १० प्रतिशत है । योजना आयोग ने बचत का कोई तुलनात्मक अनुमान नहीं लगाया है ।

(ख) नैशनल काउन्सिल फॉर अप्लाइड इकानामिक रिसर्च द्वारा प्रकाशित "सेविंग्ज इन इंडिया" में ब्योरे उपलब्ध हैं ।

(ग) चूंकि यह प्रकाशन एक सार्वजनिक प्रलेख है और संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है, इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर

†**२८१४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये समाज कल्याण बोर्ड के पास कोई निधियां हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस मद पर कुल कितनी रकम खर्च करेगी ;

(घ) पश्चिम बंगाल में इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम नियत की गई है; और

(ङ) क्या यह सच है कि अध्यापिकाओं के लिये ऐसे होस्टल चालू करने वाली संस्थाओं को राज्यों के शिक्षा विभाग केवल ऋण देते हैं और उन्हें कोई अनुदान नहीं मिलते ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ) विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ९२३ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सब राज्य योजनाओं में लगभग ३६७.३५ लाख रुपये की कुल रकम शामिल की गई है । केन्द्रीय सहायता का स्वरूप अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

(घ) राज्य से प्राप्त योजना के अनुसार, अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर बनाने के लिये १९६१–६२ में राज्य योजना में २.८८ लाख रुपये की रकम शामिल की गई है ।

(ङ) अध्यापिकाओं के लिये ऐसे क्वार्टर बनाने के लिये राज्य सरकार ऋण और अनुदान दोनों ही मंजूर करती है । अध्यापिकाओं के लिए होस्टल बनाने की कोई योजना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छात्रों के स्वास्थ्य का नमूना सर्वेक्षण

†२८१५. **श्री आचार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा किये गये छात्रों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि ७७ प्रतिशत छात्र किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार कलकत्ते में कालेजों के सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम को खासकर ध्यान में रखते हुये संपूर्ण भारत में छात्रों के स्वास्थ्य की समस्या पर ध्यान देगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण से यह प्रकट नहीं होता कि ७७ प्रतिशत छात्र किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं यद्यपि उससे कालेज के छात्रों में बीमारी की बारंबारता मालूम होती है ।

(ख) भारत सरकार ने स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य और भोजन के वर्तमान प्रभाव का अंदाजा लगाने तथा छात्रों का स्वास्थ्य सुधारने के मार्ग और उपाय सुझाने के लिये श्रीमती रेणुका राय की अध्यक्षता में एक स्कूल स्वास्थ्य समिति पहले ही नियुक्त कर दी है ।

विदेशों में जीवन बीमा निगम के निवेश[1]

†२८१६. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने विदेशों में पूंजी लगायी है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन साल में उसने किस प्रकार पूंजी लगायी है ;

(ग) क्या विदेशों में जमीन और इमारत में कोई रकम लगायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) जीवन बीमा निगम के निवेश ये हैं :—सरकारी प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज़), म्युनिसिपल आदि सिक्योरिटीज, जाइन्ट स्टाक कंपनियों के ऋणपत्र और अंश (शेअर्स) और भूमि और इमारतें ।

(ग) जी हां ।

(घ)

इमारत का नाम	जमीन और इमारत में लगायी गई रकम
१. नौरोबी स्थित डिविजनल आफिस की इमारत	३४ लाख रुपये (लगभग)
२. नैरोबी में कर्मचारियों के क्वार्टर	अब तक ७.६१ लाख रुपये (इमारतें बन रही हैं) ।

पी० एल० ४८० निधियां

†२८१७. **श्री मुरारका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० ४८० निधि का कुछ भाग विदेशी बैंकों में जमा है ;

(ख) क्या इन निधियों के सम्बन्ध में उन बैंकों पर कोई निर्बन्धन हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Investments.

(ग) क्या इन निधियों को उधार देने से इन बैंकों को जो मुनाफा होता है वह ले लेने की उन्हें अनुमति होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विदेशों को रुपया भुगतान

†**२८१८. श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० के वर्षों में कुल कितना रुपया भुगतान किया गया ;

(ख) किन-किन देशों को भुगतान किया गया ; और

(ग) किस प्रयोजन के लिये उनका यहां उपयोग किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]**

विज्ञान शिक्षक

†**२८१९. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विज्ञान शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये कोई सेन्ट्रल कालेज खोले जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(१) और अधिक विज्ञान शिक्षक तैयार करने के लिये बी० एससी० और एम० एस० सी० स्तर पर छात्रों की भरती बढ़ाना ।

(२) विश्वविद्यालयों द्वारा सुगठित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था ।

(३) सेवा में पेशेवर प्रशिक्षण ।

(ख) प्रस्तावित प्रशिक्षण कालेजों में विज्ञान प्रशिक्षण एक विषय होगा ।

"एड इंडिया क्लब" के साथ बातचीत

†**२८२०. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एड इंडिया क्लब' के प्रत्येक सदस्य के साथ सहायता के ब्यौरे तथा उसके प्रकार के बारे में बातचीत करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). 'एड इंडिया क्लब' के सदस्यों के साथ बातचीत के लिये कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । फिर भी इस मामले को सर्वोच्च

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राथमिकता दी जाती है और सम्बन्धित देशों/संस्थाओं के साथ बातचीत की गई है और हो रही है। संघ (कन्सॉर्शियम) की पिछली बैठक में जितनी सहायता देने का बचन दिया गया था उसमें से कुल ४७.६७ करोड़ डालर (२२८.४ करोड़ रुपये) के ऋण करारों पर अब तक हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

उड़ीसा में निर्वाचन

२८२१. श्री विभूति मिश्र : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाल में किये गये निर्वाचनों में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत दिये ;

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों ने अलग-अलग कितने प्रतिशत मत प्राप्त किये; और

(ग) १६५७ के सामान्य निर्वाचनों की तुलना में विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त किये गये मतों में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) उड़ीसा में हाल में किये गये निर्वाचन में ३६.६० प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत दिये थे।

(ख) और (ग) ब्यौरा इस प्रकार है :

राजनीतिक दल	प्राप्त मतों की प्रतिशतता	१६५७ के साधारण निर्वाचन के परिनाम की तुलना में कमी या बढ़ती
कांग्रेस . . .	४३·२८	+ ५·०२ प्रतिशत
गणतंत्र परिषद् .	२२·३४	−६·४१ ,,
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पी० एस० पी०)	११·४०	+ १·०० ,,
कम्यूनिस्ट . . .	७·६८	− ०·४२ ,,
अन्य दल और निर्दलीय . .	१५·००	+ ०·८१ ,,

राज्य शिक्षा विभाग के सचिवों का सम्मेलन

२८२२. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के सचिवों का एक सम्मेलन जून के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में शिक्षा के बारे में कुछ विशेष निर्णय किये गये थे ;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की कालावधि में योजनाओं की कार्यान्विति के लिये इस सम्मेलन में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) तक। सम्मेलन द्वारा की गई सिफ़ारिशों का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा हुआ है । देखिये संख्या एल० टी०-३१७८/६१]**

त्रिपुरा में झूमियां

†२८२३. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में और ३१ मई, १९६१ तक कितने झूमियां परिवारों को त्रिपुरा में पुनर्वास सहायता मिली है ;

(ख) क्या फिल हाल झूमियां अनुदानों का भुगतान बंद किर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) वर्ष १९६० में और ३१ मई, १९६१ तक जितने झूमियां परिवारों को त्रिपुरा में पुनर्वास सहायता मिली है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

(१) १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९६० तक . ३२३६ परिवार

(२) १ जनवरी से ३१ मई, १९६१ तक . २३२४ परिवार ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डी० एम० कालेज, मनीपुर

†२८२४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० एम० कालेज, इम्फाल के प्रधानाध्यापक को मनीपुर प्रशासन ने ब्रिटेन में अध्ययन दौरे पर भेजा है ; और

(ख) क्या विमान से उनके इंगलैंड आने जाने का खर्च मनीपुर प्रशासन उठायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) डी० एम० कालेज के प्रिन्सिपल को ब्रिटिश कौन्सिल के अतिथि के रूप में, जिसने उन्हें ब्रिटेन के विश्वद्यिलयों तथा संस्थाओं को देखने की सुविधायें दी थीं, ब्रिटेन में अपनी छुट्टियां बिताने की इजाजत दी गयी थी ।

(ख) जी नहीं ।

आगरा में चीनी-का-रोज़ा

†२८२५. { **श्री बहादुर सिंह** :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में शिराजी के मिर्जा शकरुल्ला खां का मकबरा, चीनी-का-रोजा के कब्रिस्तान कक्ष के अन्दर चित्रों को ठीक करने और उनके परिरक्षण के लिए रसायनिक सफाई पर कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वह काम पूरा हो गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) ३,०२० रुपये ।

(ख) जी नहीं ।

इस्पात आवंटन

†२८२६. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री खीमजी : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ की पहली छमाही के लिए इस्पात दिये जाने के संबंध में सरकार ने कोई छूट दी है ;

(ख) क्या लोहा और इस्पात की कतिपय श्रेणियों पर कुछ नियंत्रण अब भी है ;

(ग) यदि हां, तो किन किन श्रेणियों पर ;

(घ) उसके कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या वस्तु आदेशों के लिए कोई समय-सीमा भी निर्धारित की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) १९६०-६१ की पहली छमाही से इस्पात नियत करने की कोटा प्रणाली चद्दरें (१४ गाँज से अधिक पतली), तार और टीन के चद्दरों को छोड़ सभी नियंत्रित श्रेणियों के लिये सरल कर दी गयी थी। उपभोक्ता और स्टाक रखने वाले उपर्युक्त के अलावा अन्य श्रेणियों के लिये अपनी आवश्यकताओं के वस्तु आदेश, बिना किसी कोटा प्रमाणपत्र या प्रमाणीकरण के, दे सकते हैं। वास्तविक उपभोक्ताओं को भी सीधे नियंत्रित स्टाक रखने वालों से, बिना किसी कोटा प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र के अपनी आवश्यकता भर मात्रा मिल सकती है। रियायत वाली श्रेणियों के लिए वस्तु आदेश पूरी योजना से बनाये जाते हैं। १९६०–६१ की पहली छमाही के बाद और आगे कोई छूट नहीं दी गयी है। चूंकि निर्बन्धित श्रेणियां कुल मांग से कम मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिये और आगे छूट तभी संभव हो सकती है जबकि सप्लाई की स्थिति और अधिक अच्छी हो जाये।

(ङ) रियायत वाली श्रेणियों, अर्थात चद्दरों (१४ गाँज से अधिक पतली), तार और टीन की चद्दरों को छोड़कर, वस्तु आदेश प्रस्तुत करने के लिये कोई समय-सीमा नहीं है।

भारतीय लड़के का प्रत्यार्पण

†२८२७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ के एक भारतीय वैज्ञानिक श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के लड़के माईकेल मोहिन्दर दारा जोनासन को किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कानूनी राय लिये बिना या पार्टियों को न्यायालय का आदेश प्राप्त करने के लिये कहे बगैर लौटा दिया; और

(ख) क्या प्रर्त्पण से पहले, उस बच्चे के पिता को प्रत्यार्पण कार्यवाही की सूचना या उस बारे में जानकारी दी गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) माइकेल मोहिन्दर दारा जोनासन विवाह संबंध से उत्पन्न हुआ था और स्वीडिश न्यायालय के आदेश से अपनी स्वीडिश मां के पास था। श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव उसको नाजायज तरीके से स्वीडन से बिना उचित यात्रा प्रलेखों के, किसी तरह भारत में ले आया । स्वीडिश कानून के मुताबिक वह लड़का, स्वीडन में उसकी पैदाइश होने के सबब से, स्वीडन का नागरिक था और भारत से बाहर पैदा हुआ अवैध बालक होने के कारण नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ४ के अधीन वह भारतीय नागरिक नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए उस बच्चे को भारत से चले जाने के लिये कहा गया और उसे अपने वैध अभिभावक मां को दे दिये जाने के लिये स्वीडिश दूतावास, दिल्ली को वह सौंप दिया गया ।

(ख) जी, हां। बच्चा वापिस दे देने के लिये पिता को राजी कराने के सभी प्रयत्न किये गये थे ।

टैंकों का निर्माण

†**२८२८. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैंक तैयार करने के लिये आवदी का स्थान चुना गया है ;

(ख) आवदी का स्थान चुनने के क्या कारण हैं ; और

(ग) किस प्रकार का विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है और किन शर्तों पर ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) आवदी को चुनने के कारण इस प्रकार हैं :

(१) उस स्थान पर वर्तमान प्रतिरक्षा परिसम्पद् उपलब्ध होने के कारण पूंजीगत व्यय कम होगा ।

(२) उपयुक्त जमीन का तुरन्त मिल जाना। इसके अलावा, भूमि की खरीद की कीमत जिसमें विकास की लागत भी शामिल है, तुलनात्मक दृष्टि से कम है।

(३) रेलवे और सड़कें वहां पहले से उपलब्ध होने के कारण वास्तव में कारखाना बनाने के लिए सामान का लाना ले जाना नयी जगह की अपेक्षा वहां अधिक जल्दी शुरू हो सकता है ।

(४) परियोजना के प्रारंभिक दौर के संबंध में जैसे कुशल कारीगरों के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं कायम करना, कार्यवाही अस्थायी इमारतें उपलब्ध होने के कारण बिना किसी अनुचित विलंभ के, शुरू की जा सकती है ।

(५) समुद्री बन्दरगाह नजदीक होने के कारण, आरंभ में आयात किये गये साज-सामान को आसानी से लाने ले जाने में सुविधा होती है ।

(६) मद्रास जैसा बड़ा शहर नजदीक होने से जहां संभवत: काफी संख्या में कर्मचारी और मजदूर रह सकते हैं, घरेलू आवास के लिये बस्ती कायम करने का खर्च कम हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सम्बन्ध में जानकारी उसके प्रकाशन की तारीख के बाद सभा पटल पर रखी जायेगी जिसके लिये करार के दोनों पक्ष सहमत हैं ।

दिल्ली छावनी कर्मचारी

†२८२९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी कर्मचारियों की यह मांग रही है कि उनका पद और उनकी स्थिति सेना के असैनिक कर्मचारियों के पद और स्थिति के बराबर कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस मांग पर भारत सरकारी की क्या राय है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) छावनी निधि कर्मचारियों ने यह मांग की है कि उन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के तौर पर माना जाये ।

(ख) अखिल भारतीय छावनी निधि कर्मचारी संघ की दूसरी मांगों के साथ-साथ यह मांग भी निर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज दी गई है । न्यायाधिकरण ने यह मांग अस्वीकार कर दी और सरकार ने उसका निर्णय मान लिया है । फिर भी इन कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनक्रम तथा अन्य लाभ न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार काफी बढ़ा दिये गये हैं ।

सीमा प्रतिरक्षा समिति

†२८३०. **श्री आसर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सीमा प्रतिरक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें कीं ;

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ने सुझावों को लागू करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (घ). यह एक अध्ययन गोष्टी (समिति नहीं) है जो ऐसे मामलों की आवश्यक समीक्षा के लिये नियुक्त की गई और काम कर रही है । इसकी सिफारिशों पर सरकार विचार करती है और जहां ठीक हों, उन्हें लागू करती है । उनका काम और उनकी रिपोर्ट गोपनीय हैं अतः उन्हें पटल पर रखना लोक हित में नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५०१ की ओर आकर्षित करता हूं ।

अफ्रीका में शिक्षा विकास सम्मेलन

†२८३१. **श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अफ्रीका में शिक्षा विकास सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था जो यूथोपिया में एडिस एबाबा में हुआ था और १५ और २५ मई, १९६१ के बीच यूनेस्को द्वारा बुलाया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यूनेस्को ने आमंत्रण के लिये क्या आधार रखे थे और क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में सहमति दी थी ;

(ग) क्या भारत एशिया और अफ़्रीका के उन भाइयों की शिक्षा में दिलचस्पी लेता है जो अफ़्रीका में रह रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारत इस के लिये क्या कदम उठा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) अफ़्रीका के सदस्य राज्यों तथा यूनेस्को के सम्बद्ध सदस्यों से कहा गया था कि वे सम्मेलन में भाग लेने के लिये एक शिष्ट मण्डल भेजें । अन्य सब सदस्य राज्यों से यह कहा गया था कि इस के लिये वे चाहें तो एक या दो पर्यवेक्षक भेजें ।

भारत सरकार ने यूनेस्को के सदस्य होने के कारण और अफ़्रीका के शिक्षा-विकास में दिलचस्पी लेने के कारण एक पर्यवेक्षक भेजने का निश्चय किया ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार भारत में अध्ययन और प्रशिक्षण के लिये एक आम छात्रवृत्ति योजना चला रही है जिसके अन्तर्गत अफ़्रीकी देशों में बसे एशियाई व्यक्तियों और राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां उपलब्ध हो सकती हैं । राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति योजना, जिस में भारत भाग ले रहा है, के अधीन भी छात्रवृत्तियां मिल सकती हैं । अध्यापक प्रशिक्षण योजना के अधीन सरकार अफ़्रीकी देशों के अध्यापकों को सुविधायें देती है और उन देशों से मांग आने पर भारतीय अध्यापकों को वहां भेजती है । इसके अलावा सरकार अफ़्रीका के शिक्षा विकास में यूनेस्को के आयात कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता में भी योग दे रहा है । हम ने पहले ही भारत में अफ़्रीकी विश्वविद्यालय के ५ व्यक्तियों को सदस्यता देने को कह रखा है ।

दहेज निषेध अधिनियम, १९६१

†**२८३२. श्री कालिका सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ के अधीन दहेज मांगने वालों को दण्ड देने के लिये राज्य अधिकारी नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या अधिनियम के अधीन किसी राज्य में कस शुरू हुए हैं ;

(ग) दहेज अधिनियम को पूरा प्रभावकारी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस अधिनियम के उपबन्ध सारे देश में प्रकाशित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) दहेज निषध अधिनियम, १९६१ के अधिनियमन के तुरन्त बाद राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया था कि अधिनियम के अधीन दहेज मांगने वालों को दण्ड देने के लिये अफसरों को नियुक्त करे । निम्नलिखित सात राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन से सूचना मिली है कि इस काम के लिये निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त किये गये हैं :—

१. आंध्र प्रदेश —अपने अपने न्यायक्षेत्र में जिला कलक्टर ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

२. बिहार —अपने-अपने न्यायक्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट ।

३. मद्रास —जन्म, मरण, विवाह का रजिस्ट्रार जनरल, मद्रास और अपने-अपने क्षेत्र में भारतीय पंजीयन एक्ट, १९०८ के अधीन काम करने वाले सबरजिस्ट्रार ।

४. महाराष्ट्र—(क) वृहत्तर बम्बई—पुलिस कमिश्नर ।
(ख) अन्य क्षत्र—अपने-अपने न्यायक्षत्र में जिला मजिस्ट्रेट ।

५. उड़ीसा—अपने अपने न्यायक्षेत्र में सबडिवीजनल अफसर (राजस्व) ।

६. पंजाब—अपने अपने-अपने न्यायक्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट ।

७. पश्चिमी बंगाल—(क) कलकत्ते का प्रेज़ीडेन्सी नगर, पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता ।
(ख) अन्य क्षेत्र अपने-अपने न्यायक्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट ।

८. दिल्ली—जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली ।

अन्य राज्य सरकारों और संघक्षेत्र सरकारों को फिर याद दिलाई गई है और उनका जवाब किसी भी समय आ सकता है ।

(ख) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि किसी राज्य में इस अधिनियम के अधीन कोई केस शुरू हुये हैं । यहां यह भी बता देना चाहिये कि एक्ट १ जुलाई, १९६१ से लागू हुआ ।

(ग) और (घ). यह अधिनियम भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के राजपत्रों में छप चुका है। २२ मई, १९६१ और १९ जून, १९६१ के दो प्रेस नोटों द्वारा इस एक्ट की प्रमुख बातें जनता को बता दी गई हैं। इस एक्ट का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है और राज्य सरकरों से कहा गया है कि वे प्रादेशिक भाषाओं में इस का अनुवाद करायें ।

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची

†२८३३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १ जुलाई, १९६१ तक सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की एक सूची पटल पर रखी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** जी, नहीं । क्योंकि सूची बहुत लम्बी है। जो कोई भी उसे देखना चाहे भारत के पुरातत्व विभाग में देख सकता है ।

द्विभाषी चार्ट

२८३४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक वर्णमाला के कितने द्विभाषी चार्ट तैयार किये जा चुके हैं और कितनों को तैयार करने का काम आरम्भ किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : सात द्विभाषी वर्णमाला चार्टों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और पांच तैयार किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में जनगणना रिपोर्ट

२८३५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनगणना रिपोर्ट अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाली जनगणना रिपोर्ट तथा आंकड़ मुख्य रूप से अंग्रेजी में होंगे, परन्तु आंकड़ों तथा परिणामों का सारांश हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाएगा।

बच्चों के लिये पुस्तकों का प्रकाशन

२८३६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल पुस्तक न्यास ने सरकार की सहायता से अब तक बच्चों के लिये कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं; और

(ख) उन में हिन्दी की पुस्तकें कितनी हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). पुस्तकों के प्रकाशन के लिये बाल पुस्तक न्यास को कोई सहायक-अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया है। न्यास ने अपना पहला प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेज़ी में तैयार किया है और वह प्रैस में है।

हिन्दी का प्रयोग

२८३७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उससे संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग हैं और उनमें कितने ऐसे अनुभाग हैं जिन में हिन्दी जानने वालों की बहुसंख्या है ; और

(ख) कितने अनुभागों को हिन्दी में पत्रों के प्रारूप और टिप्पण प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) क्रमशः १३० और ५४ ।

(ख) दो ।

शिक्षा मंत्री की पाकिस्तान यात्रा

२८३८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री ने उन्हें पाकिस्तान की यात्रा के लिये आमंत्रित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

पिछड़े वर्ग के छात्रों को सहायता

†२८३९. **श्री कुम्भार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ध्यान में यह बात आई है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश न मिलन के कारण उन्हें शिक्षा सहायता नहीं मिल रही है; और

(ख) क्या राज्य विभिन्न तथा केन्द्रीय सरकारें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के छात्रों के प्रारम्भिक से विश्वविद्यालय स्तर तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिये कक्षाओं तथा छात्रावासों में कुछ स्थान सुरक्षित करने का विचार रखती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं, भारत सरकार को एसी किसी बात का पता नहीं है ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रवन्धित संस्थाओं के बारे में एक विवरण पटल पर रखा जाता है । इसी प्रकार राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा प्रबन्धित संस्थाओं की सूचना भी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

केन्द्रीय शिक्षा संस्था, नई दिल्ली

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं । स्थान पर्याप्त होने के कारण छात्रावासों में स्थान सुरक्षित करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

अन्धे बच्चों का आदर्श स्कूल, देहरादून

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं ।

प्रति व्यक्ति शुल्क[1]

†२८४०. **श्री झूलन सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्राविधिक, कृषि तथा चिकित्सा संस्थाओं में अन्य राज्यों के छात्रों के प्रवेश के हेतु लगाये गये प्रति व्यक्ति शुल्क (केपीटेशन फी) की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, क्या इन राज्यों की स्थिति को देश में आम नागरिकता के मूलभूत अधिकारों के अनुकूल बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) सहकारी संस्थाओं के बारे में ऐसी किसी बात की सूचना सरकार को नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

२८४१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में अध्ययन के लिये केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिये कितनी छात्र-वृत्तियां मंजूर की गई और कितनी मंजूर करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Capitation fees.

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादन में अध्ययन के लिये केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोई छात्र-वृत्ति नहीं दी जाती, न ही ऐसी छात्र-वृत्ति देने का विचार है ।

चम्पारन जिले में अशोक स्तम्भ

†२८४२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृति-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्पारन जिले में अशोक के कुछ स्तम्भ हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्हें क्षति से बचाने के लिये उन की देख भाल करने वाला कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या करना चाहती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) नन्दनगढ़ में इमारत के लिये जो चौकीदार है, वह वहां स्थित टीलों के अतिरिक्त लौढ़िया नन्दनगढ़ के स्तम्भ की देखभाल करता है । अन्य स्थानों पर उस क्षेत्र के इन्चार्ज ओवरसियर द्वारा स्तम्भों की देखभाल की जाती है ।

यात्रियों के सामान नियम का पुनरीक्षण

†२८४३. **श्री खीमजी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के सामान के नियम १ जनवरी, १९६१ से दोहराये गये हैं;

(ख) उस के फलस्वरूप वे किस अंश तक सख्त बना दिये गये हैं ; और

(ग) १९६१ की पहली छमाही में ७५ रुपये से अधिक मूल्य का सामान आयात करने के लिये लगाया गया कुल कितना शुल्क प्राप्त हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां ।

(ख) मुख्य अन्तर यह है कि पहले प्रत्येक यात्री अपने साथ कुछ मंहगी चीजें ला सकता था जैसे एक केमरा, एक वहनीय टाइपराइटर, दो घड़ियां बशर्ते कि वे इस्तेमाल के लिये हों । यह विभिन्न वस्तुओं के लिये स्वीकृत ५०० रुपय की राशि के अतिरिक्त था । नये नियमों के अधीन यह राशि यात्री के विदेश ठहरने की अवधि को ध्यान में रखते हुए ५०० से १००० तक कर दी गई है । केमरा और टाइपराइटरों आदि के लिये कोई अलग छूट नहीं है । इस समय ७५ रुपये से अधिक की कोई भी वस्तु निःशुल्क आयात नहीं की जा सकती ।

पहले ५००० रुपये के मूल्य तक के आभूषण निःशुल्क आयात किये जा सकते थे किन्तु अब पुनरीक्षित नियमों के अधीन केवल २००० रुपय के आभूषण लाये जा सकते हैं ।

(ग) केवल उन वस्तुओं पर लगाये शुल्क की राशि बताना संभव नहीं है जो ७५ रुपय से अधिक मूल्य की हैं किन्तु जो सामान के तौर पर सारी वस्तुओं पर शुल्क लगाया गया है उसकी सूचना एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के समीप खानपुर गांव में विस्फोट

†२८४४. { **श्री आसर :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पास ४ जुलाई, १९६१ को खानपुर गांव में एक बम फट गया जिस के फलस्वरूप दो लड़के मर गये;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी आदमी को गिरफ्तार किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां ।

(ख) स्थानीय सेना प्राधिकारियों को ४ जुलाई, १९६१ को १९.३० बजे यह सूचना मिली कि तुगलकाबाद ग्राम क्षेत्र में एक विस्फोट हुआ जिस से दो लड़के, एक १७ साल का और दूसरा ११ साल का, मर गये । एक जांच अदालत नियुक्त की गई है । उस की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

(ग) जी नहीं ।

समुद्र से गन्धक

†२८४५. **श्री झूलन सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान पटना के 'इंडियन नेशन' दिनांक ७ जून, १९६१ (अन्तिम प्रातः संस्करण) की सूचना 'समुद्र से गन्धक' की ओर गया है;

(ख) क्या उस में बताई गई विधि के अनुसार कोई उपक्रम किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) मैं ने हाल ही में दिनांक ७ जून, १९६१ को पटना के 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित 'समुद्र से गन्धक' रचना पढ़ी है ।

(ख) और (ग). इस प्रकार के निक्षेप भारत के भीतरी जल में अथवा समुद्र तट पर अभी तक कहीं नहीं खोजे गये हैं अतः इस बारे में प्रयत्न का प्रश्न नहीं उठता ।

बोर्ड आॅफ विजिटर्स

†२८४६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अचिनलेक समिति द्वारा सिफारिश किये गये विजिटर बोर्ड बनाने के प्रस्ताव के बारे में कोई निश्चय किया गया है जिसमें विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

के सदस्य तथा सभापति और एसे ही अन्य अधिकारी जैसे संसद्-सदस्य हों जिन ने शिक्षा क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). अचिनलेक समिति ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के चार वर्ष के पाठ्यक्रम की कल्पना की थी जिस के बाद एक डिप्लोमा दिया जाता जो बी० ए० डिग्री के बराबर समझा जाता। उन का यह भी सुझाव था कि पाठ्यक्रम पूरा होने पर यह जरूरी नहीं होना चाहिये कि छात्र सेना में भर्ती हो ही। इस समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी पूर्णरूपेण सैनिक संस्थान है और छात्रों को सेना में कमीशन के लिये तैयार करना है। यह सोचा गया है कि सैनिक शिक्षा संस्थानों में विजिटर बोर्ड की आवश्यकता नहीं है।

असम के आदिम जातीय लोग

†२८४७. { **श्री प्र० ग० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के आदिम जातीय लोगों को तीन लिपियां सीखने में कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). तीन भाषा के सिद्धान्त के अनुसार भारत के समस्त भागों में सेकण्डरी स्कूलों में आम तौर से तीन भाषायें सीखनी पड़ती हैं। इस से तीन लिपियां सीखनी पड़ती हैं। हाल ही में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिये एक ही लिपि होनी चाहिये और इस उद्देश्य को सामने रख कर काम किया जाना चाहिये।

पंजाब में अनधिसूचित आदिम जातियां

†२८४८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ के लिये पंजाब में अनधिसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कोई रकम पंजाब को दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां।

(ख) २.३५ लाख रुपये; और

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमालय सीमा रक्षा

†२८४९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमालय सीमा-रक्षा के लिये सरकार हमारी नीति और कार्य-विधि बदलने पर विचार कर रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) डा० राम सुभग सिंह, संसद् सदस्य की रिपोर्ट और उस क्षेत्र में प्रधान मंत्री की यात्रा के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सीमा क्षेत्रों की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर सदैव विचार होता रहता है।

(ख) सरकार को डा० राम सुभग सिंह के दृष्टिकोण का पता है जो उन ने प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री को कृपा कर के बताया है।

प्रधान मंत्री ने मई, १६६१ में उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी का दौरा किया। दौरे का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कुछ सड़क परियोजनाओं को देखने का था।

भारतीय बैंकों मे अनध्यर्थित धन[1]

†२८५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न बैंकिंग समवायों में ३ करोड़ रुपये से अधिक धन अनध्यर्थित है; और

(ख) यदि हां, तो अनध्यर्थित धन को काम में लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) बैंकों में ३१ दिसम्बर, १६५६ को अनध्यर्थित निक्षेप की कुल राशि ३.४१ करोड़ रुपये थी।

(ख) यद्यपि इन निक्षेपों को दस वर्षों तक निकाला नहीं गया है । तब भी जब कभी ये निक्षेप निकाले जायें तो विधि के अनुसार वे लौटाये जाने होंगे क्योंकि इन के निकाले जाने के लिये कोई कालावधि निर्धारित नहीं है। बैंकों ने वास्तव में ऐसा धन उन लोगों को लौटा दिया है जिन के दावे जायज थे। इसलिये ऐसे धन को काम में लाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कांगो में भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना

†२८५१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना का एक डकोटा विमान, जिसे भारतीय विमान चालक चला रहे थे, कांगो के कासाई प्रान्त में चिपका नामक स्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा भारत के एक और विमान को लिओपोल्डबिल से १५० मील दूर किकीवित में रोका गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो वस्तुस्थिति क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). तथ्य इस प्रकार है :—

२४ जून, १६६१ को राष्ट्र संघ के एक विमान को, जिसे भारतीय विमान-चालक चला रहे थे, विमान के रेडियो उपकरण के काम न करने के फलस्वरूप किकीवित्त में उत्तरना पड़ा। चूंकि विमान का इस प्रकार उतरना पूर्व-निर्धारित न था इसलिये कांगोली राष्ट्रीय सेना ने उसे वहां रोक लिया। कांगो स्थित राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ने जब यह मामला उठाया तो विमान-चालकों को विमान ले जाने की अनुमति दे दी गयी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Unclaimed Money.

२९ जून, १९६१ को शिकापा में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह भी राष्ट्र संघ का था और उसे भारतीय वायु सेना का एक चालक चला रहा था। विमान जिस समय धीमी गति से उड़ रहा था उस समय उसका स्टार बोर्ड इंजन खराब हो गया और विमान चालक विमान को ज़मीन पर उतारने के लिये बाध्य हो गया। चालक कर्मचारियों में से किसी को चोटें नहीं आई ।

इन दोनों दुर्घटना ग्रस्त विमानों में से कोई भी भारतीय वायु सेना का नहीं था।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला

†२८५२. **श्री सूपकार :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) कालेज और छात्रावास की इमारतों का निर्माण कब शुरू होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) राज्य सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र से "निर्बाध प्रवेश नीत्ति" के आधार पर रूरकेला में एक इंजीनियरिंग कालेज चलाने की इच्छा व्यक्त की है। इसलिये प्रादेशिक कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में किये गये निर्णय पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

(ख) इस कालेज के बारे में विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन

†२८५३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन के बारे में उटकमण्ड में हुए सेमिनार में क्या निर्णय किये गये ;

(ख) तीसरी योजनावधि के लिये कितना धन रखा गया है ; और

(ग) इस योजना के कार्यान्विय में अब तक क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन सम्बन्धी अखिल भारतीय सेमिनार की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(१) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन शिक्षा संस्थाओं के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का सामान्य अंग होना चाहिये।

(२) राज्यों को परीक्षा केन्द्रों के लिये आर्थिक सहायता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु, राज्य सरकारों को निम्न कार्यों के लिये खण्ड अनुदान दिये जायें :

(एक) परीक्षा लेने के लिये चुने गये कर्मचारियों के लिये नवीकरण पाठ्यक्रम तैयार करना और उन्हें चलाना ; और

(दो) विशेष मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों के केन्द्रों के लिये आवश्यक उपकरण का व्यय पूरा करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) शिक्षा संस्थाओं के अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान, चेम्बर आव कामर्स, पुलिस संगठन, रेलवे, डाक तथा तार, प्रतिरक्षा सेवायें, राज्यों के खेल कूद निकाय, सामुदायिक विकास खण्ड, व्यायामशाला, नगर निगम, नगरपालिका समिति, समाज सेवा अभिकरण आदि परीक्षण केन्द्र चलायें।

राज्यों में खोले जाने वाले परीक्षण केन्द्रों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाये।

(४) प्रतिवर्ष १९ से २१ जनवरी तक का समय इस आन्दोलन के लिये रक्षित किया जाये।

(५) १९६१-६२ का आन्दोलन वर्तमान 'परीक्षा बैटरी' के आधार पर चलाया जाये किन्तु उस में से साइकल चलाना, पी० टी० टेबल, सूर्य नमस्कार, योगिक आसन और टेनिस की गेंद फैंकना आदि मदें निकाल दी जायें।

(६) १९६२-६३ के दौरान और उस के बाद आन्दोलन संशोधित परीक्षा बैटरी और संशोधित आयु समूह के आधार पर चलाया जाये। १५ से लेकर ३६ वर्ष और उससे अधिक आयु के ५ समूह होने चाहियें (जब कि इस समय आयु समूह दो हैं) और पुरूष और महिलाओं के लिये अलग अलग 'परीक्षा टेबल' रहें ताकि दक्षता के स्तर का अधिक सही मूल्यांकन किया जा सके।

भाग लेने वाले उम्मीदवारों के वास्तविक कार्य के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद विभिन्न परीक्षाओं का स्तर निर्धारित किया जाये।

(७) विभिन्न परीक्षा केन्द्र जिन कर्मचारियों के मातहत रखे जाने हैं उन्हें ३ दिन के नवीकरण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाये और ये प्रशिक्षण राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किये जायें।

(८) भारत सरकार राज्य सरकारों से राज्य के स्तर पर आन्दोलन के लिये किसी अधिकारी को नामजद करने के लिये कहे ताकि भारत सरकार ऐसे अधिकारी के साथ सीधा पत्र-व्यवहार कर सके और प्रशासनिक विलम्ब को कम कर सके।

(९) प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राजधानी में एक समारोह आयोजित किया जाये जिस में प्रत्येक राज्य के छः सर्वोत्तम कायकर्ता आमंत्रित किये जायें और इस समारोह के लिये ५० 'राष्ट्रीय पुरुस्कार' रखे जायें।

(१०) जिन लोगों में विशेष क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की असाधारण प्रतिभा पाई जाये उन्हें प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक तथा तार आदि विभागों में छात्रवृत्ति और / या रोज़गार दिया जाये और इस आन्दोलन को खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद की दृष्टि से असाधारण प्रतिभाओं की खोज के लिये काम में लाया जाये।

(११) आन्दोलन के प्रचार के लिये १६ मिलिमीटर फिल्म बनाना, प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तिकायें छापना, आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार और अभियान की स्मृति को स्थायी बनाने के लिये डाक के टिकट जारी करना भी शुरू किया जाये।

(ख) १०,००,००० रू०

(ग) १९५९-६० का आन्दोलन बहुत सफल रहा क्योंकि भाग लेने वाले ४४,००० अधिक व्यक्तियोंने पुरस्कार प्राप्त किये।। १९६०-६१ के लिये इस योजना के संशोधित ढांचे के प्रति, जिस में भारत सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाना था और वर्ष में चार बार परीक्षायें ली जानी थीं, राज्य सरकारों ने विशेष उत्साह नहीं दर्शाया।

आशा है कि यह योजना, जिस में संशोधन किया जा रहा है, सभी संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा स्वीकार की जायेगी और इस देश भर में योजना के प्रति दिलचस्पी पैदा कर देगी। अगला आन्दोलन जनवरी, १९६२ में होगा।

दिल्ली नगर निगम

२८५४. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋण के रूप में दिल्ली नगर निगम के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की है; और

(ख) इसी कालावधि में कितनी राशि का अनुदान दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

जम्मू और काश्मीर

†२८५५. श्री बलराज मधोक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध-विराम रेखा को पार कर या पाकिस्तान से कितने लोग आये जिन्हें जम्मू और काश्मीर राज्य में बसने दिया गया है ;

(ख) गत एक वर्ष में कितने लोग भारत में आ गये जिन्हें "अन्य आदेश दिये जाने तक" जम्मू और काश्मीर राज्य में बसने दिया गया है ;

(ग) इस प्रकार अवैध प्रवेश करने वाले लोगों के किस कानून के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर राज्य में बसने दिया गया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि इन में से बहुत लोग इस राज्य में पाकिस्तान के एजेन्ट और भेदियों का कार्य करते रहते हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). जम्मू और काश्मीर सरकार विस्तृत जानकारी मांगी गयी है और वह प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में खास भूमि

†२८५६. श्री दशरथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में खास (सरकारी) भूमि के बन्दोबस्त के लिये कोई नजराना निश्चित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी दर क्या है ;

(ग) क्या ये दरें वर्तमान दरों से ज्यादह हैं ;

(घ) यदि हां, तो नजराने की दर बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या नजराना न देने के कारण किसी को बेदखल किया गया है ?

†गृह-काय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख). (ग) और (घ). खास (सरकारी) भूमि के बन्दोबस्त के लिये कोई नयी दरें निर्धारित नहीं की गयी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु, आशा है कि त्रिपुरा लगान और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत ये दरें जल्दी ही निर्धारित कर दी जायेंगी।

(ङ) जी, नहीं।

विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का ब्याज

†२८५७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत सरकार को सूचित किया है कि ऋण देते समय प्रचलित दर से ब्याज लिया जायेगा न कि उस दर से जो ऋण के मंजूर होने के समय प्रचलित रही हो;

(ख) यदि हां, तो क्या उससे भारत पर अधिक बोझ आ पड़ेगा और योजना में बाधा उत्पन्न हो जायेगी; और

(ग) किन कारणों से बाध्य होकर नीति में परिवर्तन किया गया है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत के औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम जैसे विकास बैंकों को छोड़कर अन्य सभी ऋण की ब्याज की दर ऋण के करार में ही उल्लिखित होती है। इन बैंकों को उपलब्ध किये गये ऋण पर ब्याज की दर प्रत्येक उप-ऋण के लिये अलग-अलग रहती है। ऐसे मामलों में भी ब्याज की दर वास्तव में ऋण देते समय प्रचलित दर पर निर्भर नहीं करती।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते।

उत्कल विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान

†२८५८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल विश्वविद्यालय को १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने अनुदान दिये; और

(ख) आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुसन्धान के लिये १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक कितनी छात्रवृत्तियां दीं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क)	१९६०–६१	३,४६,४२१ रुपये १३ नये पैसे।
	१९६१–६२	२,४७,९९१ रुपये १८ नये पैसे (३१–७–१९६१ तक)।
(ख)	१९६०–६१	तीन।

१९६१–६२ अनुसन्धान के लिये छात्रवृत्ति की योजना १ अप्रैल, १९६१ से शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है। इस बीच उत्कल विश्वविद्यालय के छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है।

दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध दिल्ली के न्यायालयों में दायर किये गये मुकदमे

†२८५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध कर्मचारियों तथा अन्य लोगों ने १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में न्यायालयों में कितने मुकदमे दायर किये;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने मुकदमों में फैसला सरकार के खिलाफ दिया गया; और

(ग) इन मामलों के बारे में कार्यवाही करने के लिये कितना धन खर्च किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

†**२८६०. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में (मुख्यतः सेवा से निवृत्त) कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को सरकार ने जमीन देकर या कोई और सहायता देकर बसाया है;

(ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों ने अपने पुनर्वास के लिये आवेदन किये किन्तु जिन्हें कोई सहायता नहीं मिली; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) और (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी प्राप्त करने में जितना समय और मेहनत लगेगी वह उसके परिणाम के अनुरूप नहीं होगी।

(ख) और (घ). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८१]**

दिल्ली में कत्ल

†**२८६१. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अप्रैल, १९६१ से लेकर अगस्त, १९६१ तक कितने कत्ल हुए; और

(ख) उनके क्या कारण थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) (१५ अगस्त १९६१ तक) २०।

(ख) पुरानी दुश्मनी	५
यौन सम्बन्धी कारण	४
घरेलू कारण	२
विविध	६
ऐसे मामले जिनके कारण ज्ञात नहीं हैं	३
योग	२०

भारत में भूटानी छात्र

†**२८६२. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने भूटानी छात्र रह रहे हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय में ऐसे कितने-कितने छात्र हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छोटी बचत योजना के अन्तर्गत फीरोजपुर में एकत्रित धन

†२८६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के फीरोज़पुर जिले में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत १६६०–६१ के दौरान कुल कितना धन एकत्र किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : लगभग ४५·१४ लाख रुपये।

दिल्ली के लाल किले में प्रवेश शुल्क

†२८६४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का लाल किला देखने के लिये प्रवेश शुल्क लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो १६६०–६१ के दौरान कितना धन प्राप्त हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि किले के भीतर फिल्मों की शूटिंग के लिये कुछ फीस ली जाती है;

(घ) यदि हां, तो इस मद के अन्तर्गत १६६०–६१ के दौरान कितना धन प्राप्त हुआ; और

(ङ) १६६०–६१ के दौरान किले के रख-रखाव पर कितना धन खर्च हुआ ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) १,२८,४६१ रुपये २४ नये पैसे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) लगभग ४७,३८२ रुपये।

लाहौल और स्पिति का विकास

†२८६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लाहौल और स्पिति के सीमावर्ती जिले के विकास के लिये १६६१–६२ में कितनी आर्थिक सहायता दी गयी; और

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा व्यय का क्रमशः कितना प्रतिशत वहन किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). तीसरी योजना के दौरान लाहौल और स्पिति के सीमावर्ती जिले के विकास के लिये १३४ लाख रुपया रखा गया है। पंजाब सरकार ने इस क्षेत्र के लिये १९६१–६२ के लिये ३०·४१ लाख रुपये की एक वार्षिक योजना बनाई है। १३४ लाख रुपये में आर्थिक सहायता का प्रतिशत इस प्रकार होगा :—

(१) राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर किया जाने वाला अपेक्षित व्यय

२८·५ लाख रुपये	५० प्रतिशत ऋण
(२) शेष १०५·५० लाख रु०	७५ प्रतिशत अनुदान
	२५ प्रतिशत ऋण

१९६१–६२ में दी जाने वाली आर्थिक सहायता इस वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वास्तव में किये गये व्यय पर निर्भर करेगी।

पंजाब के लघु उद्योगों के लिये कोयला

†२८६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने लघु उद्योगों के लिये दिये जा रहे कोयले का कोटा बढ़ाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला मांगा गया है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है;

(घ) क्या सरकार पंजाब के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण उसे अधिक कोयला देने का सोच रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कोयले का अधिक आवण्टन कब मंजूर किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी हां। राज्य सरकार ने प्रार्थना की थी कि चावल के कोटे में परिवर्तन कर लघु उद्योगों का कोटा प्रतिवर्ष ७२ वैगन अधिक दिया जाये और राज्य सरकार की प्रार्थना स्वीकार की गई थी।

(घ) और (ङ). वर्तमान आवण्टन राज्य सरकार के परामर्श से और इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि वास्तव में कितना माल पहुंचाया जा सकता है। इस आवण्टन को बढ़ाना संभव नहीं है। किन्तु सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील रहेगी कि यातायात की जो व्यवस्था की गयी है वह ठीक ढंग से कार्यान्वित की जाये ।

दिल्ली में पूर्व देशीयभाषा विज्ञों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†२८६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पूर्व देशीय भाषाविज्ञों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा;

(ख) यदि हां, तो कब ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले देशों और संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इस सम्मेलन में किन मामलों पर चर्चा की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) और (ख). जी हां। पूर्व देशीय भाषाविज्ञों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में १६६३ में होगा।

(ख) आशा है कि ऐसे अध्यापनों में दिलचस्पी रखने वाले सभी देश और संस्थायें शामिल होंगे।

(ग) निम्न भाषाओं सम्बन्धी विषयों की चर्चा होगी :

१. इजिप्टोलोजी

२. सेमिटिक भाषाएं

(क) बेबिलोनिया, असीरिया आदि

(ख) हैब्रिक भाषाएं

३. हिटाइट और कौकेशियन भाषायें

४. अल्टाइक और टर्कालोजी

५. इरानियन भाषायें

६. इन्डोलोजी

७. दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन

८. सुदूर पूर्वी भाषायें

९. इस्लामिक अध्ययन

१०. अफ्रीकी अध्ययन

पर्वतारोहण प्रशिक्षण के लिये महिला प्रशिक्षार्थी

†२८६८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में महिलाओं के पर्वतारोहण शिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी स्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, १९६० में सात लड़कियों को सिक्किम में ८० मील पहाड़ी मार्ग पर चलने के लिये भेजा गया था और बाद में दार्जिलिंग में पहाड़ी पर चढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया था। अप्रैल-मई, १९६१ में हिमालय पर्वतारोहण संस्था द्वारा एक विशेष मूल प्रशिक्षण क्रम चलाया गया था, जिस में २४ लड़कियों को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया गया।

दिल्ली में अधिक कालेजों की स्थापना

†२८६९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य शिक्षा के लिये दिल्ली में २ और कालेजों की स्थापना का ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : इस वर्ष आरम्भ किये गये दो नये कालेजों संबंधी विस्तृत सूचना नीचे दी गई है :—

कालेज का नाम	प्रैपेटरी (आर्टस्) आवंटित विद्यार्थी संख्या	पढ़ाये जाने वाले विषय	बी० ए० (पास) आवंटित विद्यार्थी संख्या	प्रथम वर्ष पढ़ाये जाने वाले विषय
१. श्री वेंकटेश्वर कालेज, नई दिल्ली (सहशिक्षा)	१८०	अंग्रेजी हिन्दी गणितशास्त्र अर्थशास्त्र इतिहास और नागरिक विज्ञान	१५०	अंग्रेजी हिन्दी तामिल तेलगु गणित शास्त्र अर्थशास्त्र इतिहास राजनीतिशास्त्र
२. डब्ल्यू० ए० एफ० मैमोरियल शिवाजी कालेज, नजफगढ़ नई दिल्ली,	१२०	अंग्रेजी संस्कृत हिन्दी अर्थशास्त्र नागरिक विज्ञान इतिहास वाणिज्य बुककीपिंग और लेखापालन		इतिहास अर्थशास्त्र दर्शन संस्कृत अंग्रेजी वाणिज्य राजनीति शास्त्र हिन्दी ।

दिल्ली में एशियाई इतिहास वेत्ताओं का सम्मेलन

†२८७०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री मुहम्मद इलियास : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐशियाई इतिहास वेत्ताओं का सम्मेलन दिल्ली में होगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) किन देशों को आमंत्रित किया गया है और किन देशों ने निमंत्रण अभी तक स्वीकार किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) ९ से १३ सितम्बर, १९६१ ।

(ग) किसी देश को बुलाया नहीं गया और उन की स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता ।

†मूल अंग्रेजी में

भावनगर के समीप मूर्ति की प्राप्ति

†२८७१. **श्री वी० चं० शर्मा: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर के समीप घोघा के नवखंड जैन अभयस्थान में एक तहखाने के आले में जैन देवताओं की १८८ प्रतिमूर्तियां पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो खोज का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). सरकार को इस के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

सेना मुख्यालय में सेना सचिव की सेवानिवृत्ति

†२८७२. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्यालय के सेना सचिव को उस की सेवानिवृत्ति की तिथि में एक सप्ताह पूर्व कार्यनिवृत्त कर दिया गया ; और

(ख) किन कारणों से ऐसा करना पड़ा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख): जून, १९६१ में उस समय के सेना सचिव ने १७ जुलाई, १९६१ से सेवानिवृत्ति से पूर्व की छुट्टी और ३१ जुलाई, १९७१ के स्थान पर, जब उसे साधारणतया सेवानिवृत्त होना था, १७ मार्च, १९६२ से सेवानिवृत्त होने की प्रार्थना की। उस की शाखा के बारे में जांच न्यायालय की कार्यवाही के परिणामस्वरूप, उसे उस के द्वारा बताई गई तिथि से एक सप्ताह पूर्व कार्य मुक्त कर दिया गया ।

लन्दन में प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय सलाहकार समिति

†२८७३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंकैस्टर हाउस, लन्दन में प्रतिरक्षा विज्ञान संबंधी राष्ट्रमंडलीय सलाहकार समिति के सम्मेलन में कौन कौन देश आये थे ;

(ख) सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने सम्मेलन में किस विषय पर भाषण दिया ;

(ग) क्या छोटे शस्त्रों के मानकीकरण का और सब मैरिन विरोधी युद्धकला के वैज्ञानिक पहलुओं संबंधी विषयों पर सम्मेलन में चर्चा की गई थी; और

(घ) क्या इंगलैंड के प्रतिरक्षा मंत्री ने १७ जुलाई, १९६१ को अपने भाषण में सदस्यों से अपील की कि वे साम्यवादी देश के विरुद्ध स्वतन्त्र देशों को सज्जित करें ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया)**: (क) सम्मेलन में आस्ट्रेलिया, इंगलैंड, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रोडेशिया और न्यासलैंड में प्रतिनिधि थे। अमरीका का प्रतिनिधि एक पर्यवेक्षक था ।

(ख) डा० ए० एस० भगवंतम, प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता था। तथापि भाषण मेजर जनरल बी० डी० कपूर ने दिया था, जिस ने राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वे विषय जिन पर चर्चा की गई गोपनीय हैं।

(घ) सम्मेलन के शासकीय प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†२८७४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य अंशदायी योजना चालू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार के अन्य उपक्रम भी अपने कर्मचारियों के लिये ऐसी ही योजनायें चलायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां। देहरादून में आयोग के मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये।

(ख) योजना दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हुई योजना के नमूने पर है।

(ग) और (घ). यह मामला ऐसा है जिस पर संबद्ध उपक्रमों के व्यवस्थापकों को निर्णय करना है।

साहित्य अकादमी की हिन्दी में पत्रिकायें

†२८७५. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी कोई साहित्यिक पत्रिका हिन्दी में नहीं निकालती;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई पत्रिका निकाली जायेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). निकट भविष्य में नहीं निकाली जायेगी क्योंकि भारतीय साहित्य पर कई हिन्दी पत्रिकायें पहिले से ही निकलती हैं।

कटक में आयकर कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२८७६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में आय कर कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण कार्य में अब तक कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन को पूरा न करने में क्या कठिनाई है; और

(ग) कितने क्वार्टर बनाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां, इस काम के लिये टेंडर मंगवाये गये हैं ।

(ग) सोलह। इन में से १० आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिये हैं और छः केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये हैं ।

विद्यार्थी सदन, क्लब और स्वास्थ्य केन्द्र

†२८७७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना-काल में विद्यार्थी सदनों, क्लबों और स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिये विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा २९,४८,६८३.९९ रुपये का राज्य-वार आवंटन क्या है ;

(ख) द्वितीय योजना-काल में उड़ीसा में स्थापित किये गये गैर-निवासी विद्यार्थी केन्द्रों की क्या संख्या है ;

(ग) द्वितीय योजना-काल में उड़ीसा में ऐसे कितने विद्यार्थी सदन, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) वर्ष १९६१–६२ में इस कार्य के लिये विश्वविद्यावय अनुदान आयोग ने उड़ीसा को कितनी रकम दी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]**

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये निधि

†२८७८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० में उड़ीसा में बाढ़ पीड़ित अनसूचित जातियों के लोगों को विशेष सहायता देने के लिये उड़ीसा सरकार ने केन्द्र द्वारा उड़ीसा सरकार को पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि निकाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि निकाली गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राज्य सरकार को सूचित किया गया कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये स्वीकृत कार्यक्रमों को बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में केन्द्रित किया जा सकता है और इन कार्यक्रमों के लिये कुल आवंटन में से धन लिया जा सकता है । तदनुसार राज्य सरकार के ७ लाख रुपये खर्च किये हैं।

रद्दी लोहे का निर्यात

†२८७९. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में भारत से रद्दी लोहे की कितनी किस्मों और कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या प्रतिबन्धित किस्मों की एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या सभी प्रतिबन्धित किस्मों की भारत में खपत हो जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में खपाये गये लोहे की क्या प्रतिशतता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(ख) जुलाई दिसम्बर, १९६१ की अवधि के लिये रद्दी लोहा निर्यात नीति के अन्तर्गत हैवी गलाने वाला रद्दी लोहा, स्टेनलेस स्टील की रद्दी और अन्य रद्दी के, जो देश में इंस्तेमाल हो सकती है, निर्यात की आज्ञा नहीं है ।

(ग) जी, हां । जहां तक उपलब्ध हो ।

(घ) सरकारी क्षेत्र---८ प्रतिशत

गैर-सरकारी क्षेत्र---९२ प्रतिशत

कुफ्री स्कीइंग क्लब

२८८०. श्री नेक राम नेगी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली का एक स्कीइंग का विशेषज्ञ हिमाचल प्रदेश में कुफ्री स्कीइंग क्लब का निरीक्षण करने आया था ;

(ख) क्या उसने भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) क्या स्कीइंग करने वाले भारतीयों को विदेश में प्रशिक्षण के लिये भेजने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कुफ्री में अखिल भारतीय स्कीइंग क्लब स्थापित करने की सम्भावना पर सलाह देने के लिए इटली के एक स्कीइंग विशेषज्ञ ने भारत सरकार के निमंत्रण पर कुफ्री का इस वर्ष के प्रारम्भ में निरीक्षण किया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आशा है कि अखिल भारतीय खेल परिषद् इस मामले पर अपनी अगली बैठक में विचार करेगी । इस मामले में सामान्यतः भारत सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर अपनी कार्रवाई निश्चित करेगी ।

सवारी भत्ता

†**२८८१. श्री बलराज मधोक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि सरकारी कर्मचारियों के लिये बनी अधिकांश बतियां केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से तीन मील से अधिक की दूरी पर हैं और सवारी पर भारी खर्च को ध्यान में रखते हुए, सरकार का अपने निम्न-वेतन कर्मचारियों को सवारी भत्ता देने पर विचार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार की नीति कार्य-स्थान और निवास स्थान के बीच यात्रा के लिये अपने कर्मचारियों को परिवहन सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार करने की नहीं है। इस नीति का हाल ही में पुनर्विलोकन किया गया है और वेतन आयोग की सिफारिश पर हमारे कार्यालय ज्ञापन संख्या ११/७/इ.४ (बी०)/६० दिनांक ११ अगस्त में आवश्यक आदेश जारी किये गये थे जिसकी एक प्रति ४ मई, १६६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या ४५३२ के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गयी थी।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें

†२८८२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में २४ वर्ष की आयु से अधिक के सरकारी कर्मचारियों को असिस्टेंटों और सेक्शन आफिसरों की श्रेणी में पदोन्नति के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालयों में और इसके सम्बद्ध कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ३५ वर्ष की आयु तक उसी परीक्षा में बैठने दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध इस भेदभाव को हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवलाय सेवा की असिस्टेंट श्रेणी में पदोन्नति के लिये इस समय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई परीक्षायें नहीं की जा रहीं और ये पदोन्नतियां अयोग्य व्यक्तियों को निकाल कर, वरिष्ठता के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की प्रथम श्रेणी (अर्थात् अपर डिवीजन क्लर्क श्रेणी) से की जाती हैं। सेक्शन आफिसरों के नियमित अस्थायी प्रतिष्ठान में ५० प्रतिशत नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं। इस परीक्षा में बैठने के लिये कोई आयु-सीमा नहीं है परन्तु विभागीय पदोन्नति परीक्षा होने के नाते इसमें केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवा के असिस्टेंट ही बै सकते हैं जिन्होंने कम से कम निर्धारित समय तक सेवा की हो। अतः इस परीक्षा में बैठने के लिये अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को अनुमति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

दुर्व्यवहार सम्बन्धी परिपत्र

†२८८३. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये मीमो संख्या ई० (एल०) ६ एस० टी० ५ दिनांक २ फरवरी, १६६१ के "घोर-दुर्व्यवहार" सम्बन्धी स्पष्टीकरण का पता है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय में अन्य विभागों को ऐसे परिपत्र जारी करने के आदेश दिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां । स्पष्टीकरण उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर को रेलवे बोर्ड ने दिनांक २ फरवरी, १९६१ को एक गोपनीय अर्ध-सरकारी पत्र संख्या ई० (एल०) ६१–एस० टी० आई०–५ में दिया था।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) रेलवे मंत्रालय ने उसके अधीन प्राधिकारियों के पास लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया था । क्योंकि भारत सरकार के अन्य विभागों में लम्बित अधिकांश मामले हड़ताल में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के प्रति सरकार की नर्म नीति को ध्यान में रखते हुए निपटा दिये गये थे, इस बारे में और कोई स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

†२८८४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक सब जज के समक्ष चल रहे श्री बन्सल बनाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के मुकदमें में सब-जज ने वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् पर अपेक्षित स्थानान्तरण कागजात न पेश करने के लिये २० रुपये का जुर्माना किया ;

(ख) क्या श्री बन्सल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में नियोजित किये गये थे ;

(ग) ये जो कागजात पेश नहीं किये गये, क्या ये गोपनीय हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कागजात को पेश न करने के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं । मामला अभी लम्बित है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्रीनगर आदि के गांवों में सुविधायें

†२८८५. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर, कृष्णनगर, समरेन्द्रगंज और साबरूम में माधवनगर के गांवों में सड़कों, चिकित्सालयों और पीने के पानी की कोई सुविधायें नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो ये सुविधायें देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा जाति के विद्यार्थी

†२८८६. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा जाति के अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को आसाम के सरकारी स्कूलों और कालिजों में ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, यद्यपि वे विद्यार्थी आसाम राज्य के स्थायी निवासी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस जाति के सदस्यों को ये सुविधायें न देने के, जो अन्य राज्यों में दी जा रही हैं, क्या कारण हैं?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). "त्रिपुरा" जाति आसाम में अनुसूचित आदिम जाति नहीं है। अतः जाति के सदस्यों को उस राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाने वाली शिक्षण सम्बन्धी और अन्य रियायतें देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू तथा काश्मीर में दण्ड प्रक्रिया संहिता

†२८८७. { डा० क० ब० मेनन :
श्री रामजी वर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ तक संशोधित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसको लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हैं तो प्रक्रिया संबंधी कानून में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता संविधान की समवर्ती सूची की द्वितीय प्रविष्टि से संबंधित है। द्वितीय प्रविष्टि जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं है।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर पर लागू भारत के संविधान के अनुसार दण्ड प्रक्रिया के संबंध में विधान बनाने का पूर्ण अधिकार राज्य विधान मंडल का है। परन्तु राज्य में एक दण्ड प्रक्रिया संहिता है जो मुख्यतः भारतीय संहिता ही है।

त्रिपुरा में भूमि राजस्व

†२८८८. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार को वहां के किसानों का त्रिपुरा में भूमि राजस्व की दर बढ़ाने के प्रस्ताव के विरुद्ध कोई विरोध पत्र मिला है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार को अब तक कितने आवेदन पत्र मिले हैं ; और

(ग) त्रिपुरा के किसानों द्वारा उठाये गये विरोध के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आर्मी मेडिकल कोर

†२८८९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी मैडिकल कोर में कई श्रेणियों के अधिकारियों को दोबारा अपनी अवधि पूरी करने के बाद और कुछ परीक्षायें पास करने के बाद ऊंचे वर्ग में पदोन्नत कर दिया गया था ;

(ख) क्या दूसरे वर्ग के हवलदार के जमादार बन जाने पर उसको "सी" वर्ग में रख दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अनियमितता को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) स्पष्ट है कि प्रश्न ए० एम० सी० के अधिकारियों के सम्बन्ध में नहीं है अपितु अपर रैंक्स के बारे में है। ए. एम. सी. की टैक्नीकल श्रेणी में भरती नर्सिंग सहायक के रूप में की जानती है जिको वेतन के लिये वर्ग (सी) में रखा जाता है। चुने हुए नर्सिंग सहायकों को अधिक वेतन वाले वर्गों में नर्सिंग टैक्नीकल श्रेणियों में नियुक्त कर दिया जाता है। परन्तु इनको ऐसी नियुक्ति के लिए निश्चित सेवावधि पूरी करनी पड़ती है और अर्हता नियमों के अनुसार विभिन्न परीक्षायें पास करेनी पड़ती हैं। "दोबारा अपनी अवधि पूरी करने के बाद" शब्दों का तात्पर्य मैं नहीं समझा।

(ख) से (घ). हवलदार के पद तक एक सैनिक को वेतन वर्ग ए से एच (ए० एम० सी० के लिये जैसे वर्ग बी अथवा सी) में उसके काम के अनुसार रखा जाता है। चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो। परन्तु जे० सी० ओ० बन जाने के बाद उसको, कुछ विकल्पों के साथ, उसी वेतन वर्ग (ए० एम० सी० का वर्ग सी) में रखा जाता है, जिस दल का वह होता है। इसी लिए ए०एम० सी० का एक हवलदार जमादार बनने पर वेतन वर्ग बी में से वेतन वर्ग सी में आ जाता है। पदोन्नति होने पर उनका वेतन बढ़ जाता है। जे० सी० ओ० तथा ओ० आॅर० के वेतन में अन्तर ही दोनों के कामों में अन्तर लाता है। १९४७ में लागू वर्गीकरण में योग्यतानुसार परिवर्तन कर दिया जाता है।

मनीपुर में वर्दी पहनने पर प्रतिबन्ध

†२८९०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में किसी व्यक्ति द्वारा वर्दी अथवा वर्दी से मिलते जुलते कपड़े पहनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध किन स्थितियों में लगाया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) मनीपुर में लागू पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९६० के अधीन लागू सार्वजनिक सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया था। संघ सेनाओं, पुलिस तथा कानून के द्वारा निर्मित ऐसे दल के व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा इन दलों की वर्दी अथवा वर्दी से मिलते जुलते कपड़े पहनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

मनीपुर में असैनिक प्राधिकारियों को सेना द्वारा सहायता

†**२८९१. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के कुछ क्षेत्रों में असैनिक अधिकारियों के सहायतार्थ संघ सशस्त्र सेनायें भी नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो वह किन सब-डिवीजनों में हैं ; और

(ग) इन सब-डिवीजनों में किन अवधियों में सशस्त्र सेना (आसाम तथा मनीपुर विशेषाधिकार) अधिनियम १९५८ के अधीन शस्त्र सेनायें बुलाई गईं थीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख) जी हां। (१) उखरुल, (२) माओ मरम और सदर तथा (३) तामेंगलांग सब-डिवीजन, मनीपुर में असैनिक अधिकारियों की सहायतार्थ सशस्त्र सेनायें लगाई गईं। इन क्षेत्रों को सशस्त्र सेना (आसाम और मनीपुर) विशेषाधिकार अधिनियम, १९५८ की धारा ३ के अधीन गड़बड़ वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

(ग) २२ फरवरी से २९ जून, १९६१ तक पुरानी कछार सड़क के उत्तर में तामेंग लांग सब-डिवीजन को गड़बड़ वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया था।

३० जून से २९ अक्तूबर, १९६१ तक समस्त तामेंगलांग सब-डिसवीजन ।

७ अक्तूबर, १९६० से ७ नवम्बर, १९६१ तक समस्त उखरुल सब-डिवीजन।

१३ जनवरी से १२ नवम्बर, १९६१ तक माओ मरम सर्किल ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी० ए० परीक्षायें

†**२८९२. श्री तंगामणि** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में एक अनिवार्य पेपर होता है ;

(ख) क्या इसके नम्बर उतीर्ण होने के लिए अथवा अतिरिक्त योग्यता के लिए जोड़े जाते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मद्रास तथा अन्य अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उतीर्ण होने के लिये आवश्यक नम्बर हासिल करने पर भी प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता क्योंकि वह हिन्दी में अनुतीर्ण होते हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मार्च, १९६० तक तथा मार्च, १९६१ में हुई परीक्षाओं के ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(ङ) क्या ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र देने का प्रस्ताव है जिससे विद्यार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकें; और

(च) क्या यह भी सच है कि विदेशी विद्यार्थियों को इसकी छूट देने की व्यवस्था है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) अप्रैल, १९६०——८ (इनमें से चार हिन्दी की अनिवार्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं और डिग्री लेने के उपयुक्त घोषित कर दिये गए हैं)

अप्रैल, १९६१ —४

(ङ) जी नहीं । ऐसे विद्यार्थियों को अस्थाई रूप में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है परन्तु यह शर्त लगादी जाती है कि वह उसी वर्ष सितम्बर में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में हिन्दी की अनिवार्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे ।

(च) अभारतीयों को छूट है ।

१९६० की हड़ताल

†**२८९३. श्री तंगामणि** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९६० की हड़ताल के सभी मामलों पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लम्बित २५ मामलों में से कितने व्यक्तियों को पुनः नियुक्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या ५५ पदच्युत व्यक्तियों के मामलों पर पुनः विचार होगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). १ अप्रैल, १९६१ को लम्बित २५ मामलों में से केवल ५ मामलों पर अन्तिम निर्णय लेना बाकी है ।

सभी २० कर्मचारियों को सेवा में लगा दिया गया है ।

(ग) और (घ). जब भी अभी उन में से किसी का प्रतिनिधान अथवा अपील मिलेगी तभी उस पर विचार किया जायेगा ।

विदेशी गैर-सरकारी विनियोजन

†**२८९४. श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६०–६१ में विदेशी गैर सरकारी विनियोजन बढ़ गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) १९६० के अन्त में कुल कितना विनियोजन हुआ है ;

(घ) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार के गैर सरकारी विनियोजनों को हतोत्साह करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). १९६० तथा १९६१ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) और (ङ). उद्योग के द्रुत विकास के लिये आवश्यक है कि विदेशी गैर सरकारी पूंजी भारत में लगे। सरकार इसका स्वागत करेगी कि देश में उनके द्वारा स्वीकृत शर्तों पर विदेशी गैर सरकारी पूंजी लगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के विकास पर व्यय

†**२८९५. श्री तंगामणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजनावधि में अनुसूचित जाति के विकास के लिये आवंटित धनराशि में से मार्च, १९६१ के अन्त तक मद्रास में कितनी धनराशि व्यय हुई है ; और

(ख) इस विषय के अधीन व्यय न हुई राशि को सरकार किस प्रकार व्यय करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये मद्रास राज्य को दी गई ४३४.२६ लाख रुपये में से ४१७.९१ लाख रुपये व्यय किये गये थे।

(ख) तीसरी योजना में १९६१–६२ के लिये आवंटित धन में से अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का व्यय राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है।

विधि आयोग का प्रतिवेदन

†**२८९६. श्री तंगामणि** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवाह विच्छेद अधिनियम, १९५६ के सम्बन्ध में विधि आयोग के अट्ठारहवें प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय लिया गया ; और

(ग) निर्णयों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (ग). धर्म परिवर्तन विवाह विच्छेद अधि-नियम १८६६ के सम्बन्ध में विधि आयोग के अटठारहवें प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है। प्रतिवेदन की सिफारिशों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस कर्मचारियों का वेतन क्रम

†**२८९७. सरदार अ० सि० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की पुलिस के अधिकारी सब इंस्पैक्टर और सहायक सब इंस्पैक्टरों को छोड़ कर केन्द्रीय वेतन क्रम के अनुसार वेतन लेते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सब इस्पैक्टरों तथा सहायक सबइंस्पेक्टरों को केन्द्रीय वेतन क्रम क्यों नहीं दिए गए हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद से इन पुलिस अफसरों को पुनरीक्षित वेतन क्रम देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). सब इंस्पैक्टर तथा सहायक सब इंस्पैक्टर समेत अन्दमान तथा निकोबर पुलिस दल के सभी अफसरों को केन्द्रीय वेतन मिलते हैं ।

(ग) सब इंस्पैक्टरों तथा सहायक सब इंस्पैक्टरों समेत अन्दमान तथा निकोबर पुलिस दल की विभिन्न श्रेणियों के पदों को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन क्रम दिये जा रहे हैं ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

†२८९८. { **श्री गु० के० जेधे** :
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये नया कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी नहीं । प्रतिरक्षा कारखानों अथवा संगठनों में नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय म न्यायाधीश

†२८९९. { **श्री गु० के० जेधे** :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश नियुक्त हैं; और

(ख) उनमें से राज्य के बाहर के कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) ११ स्थाई और ५ अतिरिक्त न्यायाधीश ।

(ख) कोई नहीं ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में पदोन्नतियां

†२९००. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय में ऐसी व्यवस्था है कि लोअर डिवीजन से अपर डिवीजन में पदोन्नति के लिये स्नातको को मैट्रिकुलेटों से मान्यता दी जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या इसको गृह-कार्य मंत्रालय और संघ लोक-सेवा आयोग की स्वीकृति है; और

(घ) क्या अन्य प्रतिरक्षा संगठनों में भी यही प्रक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा टाइप की परीक्षा

†**२९०१. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन क्लर्कों ने सशस्त्र सेना मुख्यालय, नई-दिल्ली में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनको संघ लोक सेवा आयोग की टाइप की परीक्षा पास करने से छूट दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रियायत उन क्लर्कों को भी दी गई है जो अन्य प्रतिरक्षा संगठनों से सशस्त्र सेना मुख्यालय से आये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं । परन्तु जो क्लर्क क्लर्की ग्रेड के आरंभिक गठन की तिथि १ अगस्त १९५१ को नियुक्त थे और जो १ अगस्त १९५१ के बाद से होने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों के स्थायी पदों पर स्थायी होने वाले हैं; उनको संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति से संघ लोक-सेवा आयोग के टाइप परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दे दी गई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) क्योंकि ऐसे व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय में १–८–१९५१ के बाद आये इसलिए उनको इस परीक्षा की छूट नहीं दी गई।

मुज़फ्फरपुर में जनगणना विभाग

†**२९०२. श्री भोलानाथ विश्वास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में प्रत्येक महीने में दूसरे शनिवार के पूरे दिन की छुट्टी रहती है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह सामान्य आदेश होने पर भी मुज़फ्फरपुर (बिहार) का जनगणना विभाग का टैबुलेटर आफिस में दूसरे शनिवार की छुट्टी नहीं होती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) भारत सरकार जिन असैनिक कार्यालयों में सचिवालय जैसा काम होता है वह प्रत्येक महीने में दूसरे शनिवार की छुट्टी रखते हैं।

(ख) और (ग). जनगणना टैबुलेशन आफिस एक अस्थाई कार्यालय है जिसमें १९६१ की जनगणना में इकट्ठा किए गए आंकड़ों का थोड़ी अवधि में टैबुलेशन होगा और जिसमें अतिरिक्त अस्थाई कर्मचारी नियुक्त हैं। क्योंकि टैबुलेशन का काम थोड़े ही समय में अनुसूची के अनुसार पूरा करना है इसलिए आवश्यक है कि इनको दूसरे शनिवार को खुला रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति

†२६०३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं, जिनके पास भारत सरकार की तृतीय श्रेणी की सेवा में आने के लिये अपेक्षित शिक्षा संबंधी तथा अन्य योग्यताएं हैं;

(ख) क्या उन्होंने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि जब पद रिक्त हों उनको तृतीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नत किया जाये; और

(ग) सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की इस न्यायोचित मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली हैं और जो इस प्रकार क्लर्की सेवा की नियुक्ति के लिये शिक्षा की दृष्टि से योग्य हैं।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संथा से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उनमें शिक्षा की दृष्टि से जो लोग योग्य हैं उनको क्लर्की सेवा में पदोन्नत किया जाए।

(ग) पदोन्नति के अवसर दो मुख्य आधारों पर किये जाते हैं, पहला कार्य में उन्नति करने के लिये जो प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और दूसरे निम्न श्रेणी के विभागीय अनुभव को उच्च श्रेणी में लाना जिसका उच्च श्रेणी में लाभ होने की संभावना है। ये दोनों बातें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होतीं अतः उनको तृतीय श्रेणी की क्लर्की सेवा में नहीं लिया जाता। तथापि उन कर्मचारियों को "आपत्ति नहीं" प्रमाणपत्र दे दिये जाते हैं ताकि वे तृतीय श्रेणी के पदों के लिये अपने नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज रखा सकें और उनको नियुक्ति के लिये प्राथमिकता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के योग्य कर्मचारियों के बारे में उनके अपने दफ्तरों में तीसरी श्रेणी के पदों की भरती के लिये रोजगार दफ्तर के द्वारा भेजे गये लोगों के साथ विचार किया जा सकता है, चाहे उनके नाम रोजगर दफ्तर के द्वारा भेजे गये लोगों की सूची में न हों।

राम रूप विद्या मन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल, कमला नगर, दिल्ली

†२६०४. { **श्री तंगामणि** :
श्री कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम रूप विद्या मन्दिर हायर सैकेंडरी स्कूल, कमला नगर, दिल्ली के कार्य-कर्ताओं के बारे में शासकीय जांच की गई थी;

(ख) क्या शासकीय जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(ग) यदि हां तो उसका क्या ब्योरा है;

(घ) उस पर क्या निर्णय और क्या कार्य किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या यह सच है कि स्कूल के व्यवस्थापकों शिक्षा निदेशालय के पत्र क्रमांक २(१०) ए० ई० वि० मं०/१/१५/१/६१/३४८९ दिनांक २१७ जुलाई के अनुसार एक अध्यापक को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने से मना कर दिया; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता से कुछ शिकायतें प्राप्त होने के कारण ।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). जांच अफसर के प्रतिवेदन से पता चला है कि स्कूल अनधिकृत तरीके से कुछ शुल्क ले रहा था और अनिवार्य आधार पर अल्पाहार शुल्क लेता था। शिक्षा निदेशक से कहा गया कि वह स्कूल को अनधिकृत शुल्क लगाने से रोकने और अल्पाहार शुल्क को अनिवार्य के स्थान पर वैकल्पिक बनाने के लिये हिदायत दे।

(ङ) जी, हां।

(च) संबद्ध अध्यापक २० अगस्त, १९६० से प्रविधिक अध्यापक के तौर पर लगाया गया था और प्रोबेशन पर था। वह प्रिंसिपल की अनुमति से आकस्मिक छुट्टी पर अपने घर चला गया। वहां से उसने चिकित्सा आधार पर एक महीने की छुट्टी के लिये अर्जी भेज दी। क्योंकि छुट्टी देय नहीं थी , उसे तुरन्त काम पर आने के लिये कहा गया। वह नहीं आया। क्योंकि पढ़ाने के काम में हानि हो रही थी और अध्यापक का काम संतोषजनक नहीं था, स्कूल व्यवस्थापकों ने २ मई, १९६१ से उसकी नौकरी समाप्त कर दी । तथापि शिक्षा निदेशक इस मामले की जांच कर रहा है।

दिल्ली छावनी में बिजली

२९०५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में प्रतिरक्षा सेवाओं की बिजली की पूरी आवश्यकताओं का हिसाब लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या असैनिक उप-भोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हों, तो लगभग कब तक असैनिकों को बिजली के कनेक्शन दिये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बिजली इन्स्टालेशन की वर्तमान कार्य-क्षमता प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी काफ़ी नहीं है वर्तमान कार्य-क्षमता को बढ़ाने के बाद ही असैनिक उपभोक्ताओं को बिजली से संचालित मशीनों में बिजली का कनेक्शन देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैन्टोनमेंट फंड क्वार्टर

२९०६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में केन्टोनमेंट फंड के क्वार्टरों में से ९० प्रतिशत क्वार्टर, जिनमें असैनिक कर्मचारी रह रहे हैं, अगस्त, १९६० के भूकम्प में बुरी तरह टूट-फूट गये थे और उनकी मरम्मत की तुरन्त आवश्यता है ;

(ख) क्या दिल्ली केन्टोनमेंट बोर्ड ने एक संकल्प पास किया था, जिसमें इन क्वार्टरों की मरम्मत के लिये सरकार से एक लाख रुपये के विषेश सहायता अनुदान को स्वीकृत करने की मांग की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्टोनमेन्ट बोर्ड द्वारा मांगी गई धनराशि स्वीकार कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक सरकार यह धन स्वीकार कर देगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) दिल्ली छावनी में छावनी फंड के लगभग ५० प्रतिशत क्वार्टर, जिनमें इस समय छावनी फंड के कर्मचारियों समेत असैनिक रहते हैं, अगस्त, १९६० के भूकम्प द्वारा क्षतिग्रस्त हो गए थे। बोर्ड ने उनकी आवश्यक मरम्मत पर १७,३५८ रुपये खर्च किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) कमान मुख्यालय ने बोर्ड को सूचित कर दिया है, कि विशिष्ट सहायक अनुदान केवल विकास कार्यों के प्रयोजन से दिए जाते हैं, और मरम्मत का काम बोर्ड के निजी साधनों और अतिरिक्त मांगी गई धनराशि के बारे में, साधारण सहायक अनुदान द्वारा की जानी चाहिए।

कानपुर जिले के अकबरपुर का स्मारक

२९०७. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर जिले में स्थित अकबरपुर की मुगलकालीन प्राचीन इमारत को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस के मुख्य तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी, हां श्री जगदीश अवस्थी के नोट के साथ ज्ञापन आया था।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि अकबरपुर में एक तालाब जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह अकबर के समय में बनाया गया था और १८५७ के आन्दोलन से सम्बन्धित है, रक्षित किया जाये या ठीक ठाक किया जाय।

(ग) मामले पर विचार हो रहा है।

बागेश्वर (उत्तर प्रदेश) में मन्दिर

†२६०८. **श्री ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में बागेश्वर के पुराने मन्दिरों को बागेश्वर में नदी की बाढ़ों के जल से खतरा था; और

(ख) नदी द्वारा की जाने वाली तबाही से पुरातत्वीय स्मारकों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और

(ख) ये मन्दिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में रक्षित नहीं हैं; और भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग उनके संधारण के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

दिल्ली के स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें

†२६०९. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों में सातवीं श्रेणी के लिये समाज शास्त्र और संस्कृत विषयों के लिये जो पाठ्य पुस्तकें नियत की गई हैं उनमें निर्धारित पाठ्य-क्रम पूरा नहीं होता और बाद की पुस्तक काफी कठिन है ।

(ख) क्या इन पुस्तकों के बारे में कोई अभ्यावेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच करवाई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सामान्य ढंग की कुछ शिकायतें विभिन्न श्रेणियों के लिये इस वर्ष चुनी गईं पाठ्य पुस्तकों के घटियापन के बारे में प्राप्त हुई हैं । दिल्ली प्रशासन को कहा गया है कि वह यथाशीघ्र इस मामले की पूरी और स्वतन्त्र जांच करे । जांच का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है । जांच में यह भी पता किया जायगा कि आया निर्धारित पाठ्य पुस्तकें पाठ्य-क्रम के अनुरूप हैं ।

दिल्ली के स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें

†२६१०. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस वर्ष दिल्ली स्कूल के लिये नियत की गई पाठ्य पुस्तकों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि शिक्षा निदेशक दिल्ली ने दिल्ली स्कूलों के तीन खंडों के लिये प्रत्येक विषय पर पुस्तकों के लिये पाण्डुलिपियां मंगवाई थीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य पाण्डुलिपियां अच्छी नहीं समझी गईं; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार ने किन परिस्थितियों के कारण समूची दिल्ली के लिये प्रत्येक विषय पर केवल एक पुस्तक ही अनुमोदित की ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । कुछ विषयों में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). क्योंकि एक ही नगर में विभिन्न खंडों में भिन्न-भिन्न पाठ्य पुस्तकें नियत करने से बहुतेरी कठिनाइयां पैदा होती हैं, इसलिये यह फैसला किया गया कि पाठ्य पुस्तकें समूचे नगर के लिये नियत की जायें, खंडों के आधार पर नहीं। तदनुसार समूची दिल्ली के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किया गया।

उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियां

†२९११. **डा० सामंत सिंहार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक पुरी और बालासोर प्रत्येक जिले में अनुसूचित आदिम जातियों ने पृथक-पृथक कितनी नावें खरीदीं; और

(ख) प्रत्येक नाव का दाम क्या था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मास्टर तारासिंह और योगीराज सूर्यदेव की गिरफ्तारी के वारंट का जारी किया जाना

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं नियम १९७ के अधीन गृह-कार्य मंत्री का ध्यान, भारतीय दंड संहिता की धारा १८६ के अधीन मास्टर तारासिंह तथा योगीराज सूर्य देव के विरुद्ध कथित जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंटों तथा उपासना स्थानों में पुलिस के दाखिल होने के सम्बन्ध में सरकार की नीति की ओर, आकर्षित करता हूं, तथा उन से निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य भी दें :

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : श्री त्यागी के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के बारे में पंजाब के प्राधिकारियों से मैं ने जानकारी प्राप्त कर ली है।

असलियत यह है कि ३ अगस्त, १९६१ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन अमृतसर के लिये कुछ आदेश जारी किये गये थे जिस के अनुसार पंजाबी सूबा की मांग के बारे में भाषण देना, पोस्टर जारी करना अथवा तत्सम्बन्धी बातों का प्रचार करना निषिद्ध होगा। चूंकि मास्टर तारासिंह तथा संत फतह सिंह ने भाषण दे कर इस आज्ञा का उल्लंघन किया था अतः स्थानीय मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा १८८ के अन्तर्गत इन को गिरफ्तार करने के लिय वारंट जारी किये थे।

हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिस से पुलिस को किसी उपासना स्थान में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये मनाही हो। फिर भी इन प्रयोजनों से पुलिस इन पवित्र स्थानों में दाखिल नहीं होती है। पंजाब में एक पुरानी प्रथा चली आती है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिस के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी किये गये हों गुरुद्वारा या किसी धार्मिक पवित्र स्थान में शरण ले लेता है ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को या गुरुद्वारा के या सम्बद्ध पवित्र स्थान के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मैनेजर को नोटिस जारी करता है, जिस में तथ्यों को उस के ध्यान में लाया जाता है और उस से अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रार्थना की जाती है। सामान्यतया सरकार ऐसी स्थिति में यह आशा करती है कि गुरुद्वारा अथवा मंदिर आदि के अधिकारी सरकार के साथ सहयोग करेंगे और पवित्र स्थानों को ऐसे लोगों को शरण देने के लिये काम में नहीं लाया जायेगा जिन के विरुद्ध कि वारंट जारी किये गये हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/१५१ के अन्तर्गत श्री सूर्यदेव की गिरफ्तारी के वारंट जारी जारी किये गयें हैं।

हम नहीं चाहते कि राजनैतिक उद्देश्योंके प्रयोग के लिये इन पवित्र स्थानों का प्रयोग किया जाना चाहिये। यह आवश्यक है कि उन की पवित्रता स्थिर रखी जाय। मैं नहीं समझता कि यह प्रथा अच्छी है। इस मामले की ओर हमें कुछ ध्यान देना होगा। जहां तक वर्तमान स्थिति की बात है यह पंजाब सरकार पर निर्भर करता है कि वह जैसे चाहे इस स्थिति का मुकाबला करे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मनीपुर भूमि लगान तथा भूमि सुधार नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं मनीपुर लगान और भूमि सुधार अधिनियम १९६० की धारा १६९ के अन्तर्गत, दिनांक ३१ मई, १९६१ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १४०/१२/६०--एम (बी) की एक प्रति, जिस में मनीपुर लगान और भूमि सुधार नियम, १९६१ दिये हुए हैं। सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१७१/६१**]

रक्षित और सहायक वायु सेना अधिनियम (संशोधन) नियम

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : मैं रक्षित और सहायक वायु सेना अधिनियम १९५२ की धारा ३४ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७८ में प्रकाशित रक्षित और सहायक वायु सेना अधिनियम (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३७७२-६१**]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३७ की एक प्रति।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक १९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३८।

(ख) दिनांक १९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३७७३/६१ और ३७७४/६१]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति

अठासीवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अठासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे यह बताना है कि पश्चिमी बंगाल म मुर्शिदाबाद निर्वाचन क्षेत्र के संसद् सदस्य श्री मुहम्मद खुदाबख्श ने २५ अगस्त, १९६१ से लोक-सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** वर्ष १९६१—६२ के लिये आय कर (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मागों पर चर्चा जारी रहेगी।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० च० जोशी):** बच्चों के लिये फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। श्री शांताराम को बच्चों के लिये बनाये गये फिल्म "फूल और कलियां" नामक चित्र पर २०,००० रुपये का पुरुस्कार दिया गया है।

फिल्म पुरुस्कार समारोह के लिये आमतौर पर प्रमुख कलाकारों को आमन्त्रित किया जाता है। प्रमुख निदेशक एवं उत्पादक भी भाग लेते हैं। मंत्रालय किसी भी पुरुस्कृत फिल्म के दो से अधिक कलाकारों को आमंत्रित नहीं करता। सामान्यतः सभी कलाकारों के लिये आम तौर पर आमंत्रण रहता है। जिन कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है उनको दुहरा प्रथम दर्जे का किराया भी दिया जाता है। कलाकारों को समारोह में भाग लेने के लिये निदेशक एवं उत्पादक ही चुनते हैं। निर्यात वृद्धि के दृष्टि से हमने भारत के बाहर केवल एक ही फिल्म समारोह, वह भी हिन्देशिया में, किया था : प्रादेशिक संगठनों के परामर्श के आधार पर आकाशवाणी के चलचित्र विभाग ने उस समारोह के लिये कलाकारों का चयन किया था।

श्री तंगामणि ने जिन दो कलाकारों के बारे में आपत्ति की है। वे दोनों पति पत्नी हैं लेकिन साथ ही उच्चकोटि के कलाकार भी हैं। फिर उनका चुनाव फिल्म फैडरेशन आफ इंडिया ने किया था। उनके विरोध का आधार पति-पत्नी दोनों का एक साथ होना था। यह तो भारतीय परम्परा के **अनुकूल** ही है कि पति पत्नी साथ-साथ यात्रा करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरुस्कार देने के लिये फिल्मों को चुनने के सम्बन्ध में नियमित व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रादेशीय एवं केन्द्रीय समितियां हैं। वे ही चित्रों का चयन करती हैं और मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के नाम भेजती हैं। फिल्मों के लिये प्रादेशीक पुरुस्कार भी दिये जाते हैं।

श्री अटल सिंह का कहना है कि शिक्षा के महत्व की दृष्टि से अच्छे चित्र तथा वृत्तचित्र अधिक संख्या में नहीं बनाये जा रहे हैं। जहां तक वृत्तचित्रों की बात है वे तो पूरी क्षमता में तैयार किये जा रहे हैं। जब वृत्तचित्र के लिये कार्यक्रम तैयार किया जाता है तो राज्यों से पूछ लिया जाता है और वे हमारे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: मांग संख्या १२ के बारे में श्री गोरे ने कहा था कि स...ार पैंशन के बारे में भूतपूर्व राज्य के अधिकारियों और सैनिकों तथा भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों के बीच विभेद कर रही है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह बात सच नहीं है। यह प्रश्न सामान्य नहीं है बल्कि यह प्रश्न व्यक्तिगत है जो कि ले० गुरुदेव सिंह के बारे में है। चूंकि उसका मामला अभी तक अनिर्णीत स्थिति में है अतः इस बारे मे विस्तृत रुप से तो नहीं बताऊंगा।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: जहाजों द्वारा कोयले के आवागमन के बारे मे श्री बरूवा ने आपत्ति की है। इस योजना के अनुसार कोयला महाराष्ट्र, गुजरात तथा तटीय स्थानों को भेजा जायेगा। चूंकि जहाज़ों द्वारा कोयला ढोने में थोड़ा खर्चा अधिक होगा, यह सोचकर कि उपभोक्ता उद्योगों पर इसका भार अधिक न पड़े ससंद ने एक विधान बनाया जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जहाजों द्वारा ढोये जाने के अधिक खर्चे की पूर्ति के लिये अतिरिक्त उपकर लगाया जायेगा। वास्तव में रेल द्वारा अधिक दूरी तक कोयला की ढुलाई में रेलों को कुछ अधिक खर्चा करना पड़ता है और उन्हें इसके बदले में कुछ मिलता नहीं है, अतः इन्हें कुछ सहायता दी जाती है।

कभी-कभी रेलों द्वारा कोयला ढोने में कुछ रुकावट आ जाती है, ऐसी स्थिति में ट्रकों द्वारा कोयला ढोया जाना चाहिये। यह काम कोई आसान बात नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है।

सिंगरैनी कोयला खानों से अधिकाधिक कोयला निकालने की नीति सरकार की है। इसके सम्बन्ध में एक वृहद योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। उनका सुझाव है कोयला रखने के लिये मद्रास में चार स्थान और बनाने चाहिये। चूंकि हमारी परिवहन स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं है अतः ऐसा करना अब संभव नहीं है। चूंकि यह सुझाव अच्छा है अतः जब परिवहन समस्या ठीक हो जायेगी हम इसे क्रियान्वित करेंगे।

एक और प्रश्न पूछा गया था कि मई से समुद्र द्वारा कितने कोयले का यातायात किया गया। मेरे पास आंकड़े हैं। १ मई से, १५ अगस्त, तक लगभग ४.२५ लाख टन कोयला जहाज द्वारा लेजाया गया था। कोयले की और अधिक मात्रा समुद्र द्वारा ले जायी जानी चाहिये थी और मैं समझता हूं कि उपयुक्त प्रबन्ध हो जाने पर अधिक मात्रा में कोयला ले जाया जा सकेगा। हमारा अन्तिम उद्देश्य यह है कि लगभग २० लाख टन कोयला अर्थात् प्रतिमास १.६ लाख टन कोयला समुद्र द्वारा ले जाया जा सके। पहले इस से भी कम कोयला समुद्र द्वारा ले जाया जाता था। किन्तु कुछ राज्यों की यह शिकायत थी कि जहाज द्वारा कोयले के यातायात से उन पर अधिक दायित्व आ पड़ता है क्योंकि उन्हें उसका अधिक मूल्य देना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : कड्डालोर पत्तन कोयले के यातायात के लक्ष्य को पूरा करने के लिये कहां तक सहायक होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस बात का उत्तर तो परिवहन मंत्रालय दे सकता है कि वे इस पत्तन पर कैसी व्यवस्था कर रहे हैं और पत्तन में कितना सुधार कर रहेहैं।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)**: कल श्री गोरे और श्री भरूचा ने कुछ बातें कही थीं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री गोरे के कथन से मुझे यह प्रतीत हुआ कि उन्हें देश में तेल उद्योग के विकास के बारे में हमारी नीति के सम्बन्ध में संदेह है। उन्होंने असम आयल कम्पनी के कार्य की गति के विषय में यह विचार प्रकट किया कि वह धीमी है। मैं उनके विचार के लिये कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। असम आयल कम्पनी ने अपना पहला कुआं १९५४ में खोदा था तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपना पहला कुआं १९५७ में खोदा था और उन्हें यह काम पूरा करने में ९२ दिन लगे थे। तब से अर्थात् ३½ वर्ष में आयोग ने गुजरात में ३२ कुएं खोदे हैं। उन्होंने एक रिंग (बरमा) से काम शुरू किया था दूसरे वर्ष वे दूसरा रिंग ले आये और तीसरे वर्ष में उन्होंने खम्बात और अक्लेश्वर में लगभग ७ या ८ रिंग चालू कर दिये। असम आयल कम्पनी ने जो कुछ किया था यह उससे कहीं अधिक है। असम आयल कम्पनी ने ६ वर्षों में १०५ कुएं खोदे थे जिन में से अधिक १९५८, १९५९ और १९६० में तैयार हुये थे। पहले तीन वर्षों में उनका कार्य इतना संतोषजनक नहीं था जितना कि श्री गोरे ने कल बताया। मैं सभा को संतोष दिलाना चाहता हूं कि आयोग जो अनुभव और ज्ञान अब प्राप्त कर रहा है वह इस बात का परिचालक है कि हमारे व्यय की गति बहुत तेज़ है। निस्संदेह तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के अन्त में तेल की आवश्यकता इतनी ही होगी जितनी श्री गोरे ने कही है। अर्थात् यह आवश्यकता १३० या १४० लाख टन हो जायेगी और उस समय तक हम ८०-९० लाख टन अशुद्ध तेल निकाल सकेंगे। अतः हम चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में आत्म निर्भर हो जायेंगे। अतः खपत को पूरा करने के लिये हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बिना चारा न था। प्रस्तुत काम को पूरा करने के लिये आयोग की क्षमता बढ़ रही है और मुझे इस में कोई संदेह नहीं कि हमें जितना तेल चाहिये उसे हम संतोषजनक रूप में पैदा कर सकेंगे। मैं अपने माननीय मित्र को संतुष्ट करने के लिये इस थोड़े से समय में उन सब बातों को नहीं ले सकता जिन से अगले ५—१० वर्ष में देश तेल के विषय में आत्म निर्भर हो जायेगा किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सरकार देश की भावी आवश्यकताओं के प्रति पूर्णतः सतर्क है और हम उन्हें पूरा कर देंगे।

श्री भरूचा की बात को लीजिये। हमने बर्मा आयल कम्पनी के साथ आधे का साझा किया है। इस नई व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है और विचार विमर्श के पश्चात क्या परिणाम निकलेगा और इस व्यवस्था का क्या ढांचा होगा यह बाद में देखा जायेगा। किन्तु हाल में किये गये करार के अनुसार मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं। निदेशकों के बोर्ड में ६—८ निदेशक होंगे जिनमें भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के निदेशक बराबर संख्या में होंगे। निदेशकों के बोर्ड का सभापति भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी द्वारा बारी बारी प्रति वर्ष नाम निर्देष्ट किया जायेगा। इस पर सहमति दे दी गई है कि पहला सभापति भारत सरकार का होगा। सभा को विदित होगा कि हमने राज्य सभा के सदस्य श्री खंडूभाई देसाई के नाम का सुझाव भी दे दिया है और वे प्रथम सभापति बन रहे हैं। आयल इंडिया का प्रबन्ध निदेशक भारत सरकार द्वारा बर्मा आयल कम्पनी के परामर्श से और कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सूची में से नियुक्त किया जायेगा इसी प्रकार भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी परस्पर परामर्श से और भारत सरकार को प्रस्तुत की गई सूची में एक वित्तीय निदेशक नियुक्त करेंगे जो कि कम्पनी के काम को नियंत्रित और विनियमित करेगा। वह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० दे० मालवीय]

पूर्णतः निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होगा । इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा एक प्रबन्ध निदेशक बर्मा आयल द्वारा प्रस्तुत सूची में से नियुक्त किया जायेगा । दूसरी बार कैसे किया जायेगा इस पर अभी विचार करना है । हमारा विचार है कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी । बाद में परस्पर परामर्श से दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि चुने जायेंगे । ये दो बातें कल की चर्चा के लिये प्रकरण संगत थीं और मुझे आशा है कि मैंने इनका सन्तोषजनक उत्तर दे दिया है ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मेरे कुछ साथियों ने कुछ प्रकरण संगत बातों का उत्तर दे दिया है और मेरे लिये दो तीन बातें ही रह गई हैं जिनका मुझे उत्तर देना है ।

श्री अरुण चन्द्र गुह ने तेल पर बढ़ाये गये उत्पादन शुल्क के ४ करोड़ रुपये के परिचालन के बारे में बात उठाई थी । कोयले और साफ्ट कोक पर ८० नया पैसा हार्ड कोक पर १.२० रुपया प्रति टन उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है । हार्ड कोक का तो उत्पादन बहुत कम है । कोयला और साफ्ट कोक प्रति वर्ष अनमानतः ५०० लाख टन भेजा जाता है जिस पर प्रति वर्ष ४ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा ।

दूसरी बात यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकर में जो वृद्धि की गई है उसके बारे में हम उच्चतम न्यायालय से अपील कर सकते हैं । श्री बलराज मधोक ने कहा कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ । पहले वेतन प्रतिकर १४ रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया गया था । बाद में कुछ जमींदारों द्वारा न्यायाधिकरण में आवेदन देने पर न्यायाधिकरण ने ७५ रुपये निर्धारित कर दिये जिस पर विधि मंत्रालय के परामर्श से वित्त मंत्रालय पुनर्वास मंत्रालय, सुधार न्यास और दिल्ली के स्थानीय प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय से अपील की और अब यह मामला उस न्यायालय में है । संभवतः राजनैतिक या अन्य कारणों से माननीय सदस्य ने यह कहा कि न्यायालय में जाना सरकारी धन का दुरुपयोग है । हम केवल इसलिये न्यायालय में गये हैं कि जो प्रतिकर निर्धारित किया गया है वह बहुत अधिक है ।

दूसरी बात स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के सहायक बैंकों का प्रबन्ध हाथ में लेने के बारे में गुजरात और पंजाब की सरकारों को दिये गये तदर्थ अनुदान के बारे में उठाई गई । श्रीमती इला पालचौधरी ने कहा कि यह साधारण अनुदान है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नित्य प्रति का अनुदान नहीं वरन् यह राशि विशेष आधार पर दी गई । सहायक बैंक अधिनियम १९५९ की प्रथम अनसूची के उपबन्ध धारा १४ के साथ पढ़ने पर प्रतिकर की राशि, बैंक के कुल दायित्व से बैंक की आस्तियों का वसूल किया जाने वाला मूल्य जितना अधिक हो उतनी निर्धारित की गई थी । किन्तु गुजरात और पंजाब राज्य सरकारों ने यह कहा कि हम ने बैंकों के वार्षिक लाभ के हिसाब में नहीं लिया । अधिनियम के अनुसार हम इन दो बैंकों के बारे में भेदभाव पूर्ण नीति नहीं अपना सकते थे और अधिक प्रतिकर निर्धारित नहीं कर सकते थे । अतः विधि सम्बन्धी और अन्य कारण थे जिनसे अधिक प्रतिकर न दे सके और हमने इन सरकारों को तदर्थ अनुदान देने का निश्चय किया । यह अनुदान अनावर्तक है ।

†**श्री अ० ब० गुह** (बारसाट) : क्या यह उससे अधिक है जो कि राज्य बैंक को अधिनियम के अधीन मिल सकता है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री ब० र० भगत : जी हां, फिर यह पूछा गया था कि वास्तविक राशि क्या है। गुजरात के बारे में राज्य बैंक ने सौराष्ट्र के राज्य बैंक को १,६५,६२,५०० रुपये प्रतिकर दिया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने १,३४,३७,५०० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया है। यह राशि उन के पिछले तीन वर्ष के लाभ के आधार पर निश्चित की गई थी। इसी तरह, पंजाब को ७०,१६,२०० रुपये का प्रतिकर दिया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनावर्तक अनुदान २०,८०,८०० रुपये है।

†श्री अ० च० गुह : जैसा कि अनपूरक मांगों में व्यवस्था है ?

†श्री ब० रा० भगत : ज़ी हां, यह तदर्थ अदायगी है––२०,८०,८०० रुपये।

इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि अनपूरक मांगें सदन के द्वारा स्वीकार की जायें।

अनपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :––

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१८	४	श्री पाणिग्रही	सिक्किम और भूटान को अपनी योजनायें पूरी करने के लिये अतिरिक्त साहाय्य	१०० रुपये
४२	१०	श्री पाणिग्रही	चीनी के निर्यात का घाटा पूरा करने के लिए चीनी उद्योग को साहाय्य	१०० रुपये
१८	२	श्री आसर	काश्मीर और चीन के आक्रमण के बारे में हमारे दूतावासों की भारत की नीति स्पष्ट करने में असफलता	१०० रुपये
१८	३	श्री आसर	हमारे दूतावासों के खर्च में कमी करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३४	७	श्री आसर	बैंकों के प्रति सरकार की नीति	१०० रुपये
४२	११	श्री आसर	चीनी का उत्पादन व्यय कम करने में असफलता	१०० रुपये
६१	१४	श्री आसर	फिल्मों को इनाम देने के लिए चुनाव में त्रुटि	१०० रुपये
६१	१५	श्री आसर	फिल्मों पर नियंत्रण करने में असफलता	१०० रुपये
७३	१६	श्री आसर	आयोग की प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने में असफलता	१०० रुपये
७३	२०	श्री आसर	रष्ट्रीय एकता सम्बन्धी आयोग	१०० रुपये

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ९ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१८	वैदेशिक-कार्य	१,५६,१५,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	१,०००
३४	राज्यों को सहायता अनुदान . . .	१,०००
४२	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	५,५०,००,०००
६१	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	७५,०००
७३	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . . .	३,०१,०००
८५	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	२,७५,००,०००
१३२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	४,५८,००,०००

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय दंड संहिता में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

यह विधेयक छोटा और अविवादास्पद है। इसका उद्देश्य धारा १५३क और धारा २९५क और ५०५ में संशोधन करना है। पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं से आप को मालूम होगा कि भारत में कुछ शक्तियां हैं जो न केवल राष्ट्र विरोधी हैं बल्कि नफरत की भावनायें भी पैदा करती हैं। वे जाति, भाषा, धर्म के आधार पर फूट डालने की कोशिश करते हैं। देश को उन के लेखों, भाषणों और कार्यों से बहुत हानि पहुंची है। इस लिये राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिये कुछ ठोस उपाय करना आवश्यक है।

इस संबंध में कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय एकता समिति कायम की थी उसके प्रतिवेदन पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने विचार किया था। उस समिति ने एक सिफारिश की थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा १५३क को संशोधित किया जाये और अच्छी तरह लागू किया जाये। मुख्य मंत्रियों ने कहा था कि फूट डालने वाली प्रवृत्तियों पर कड़ा नियंत्रण करना चाहिये उन्होंने एक मत हो कर कहा है कि धारा

---

†मूल अंग्रेजी में

१५३क का दायरा बढ़ाना चाहिये अर्थात इस को स्पष्ट बनाना चाहिये और इस में कुछ वृद्धियां भी करनी चाहिये। धारा १५३क अंग्रेजों ने १८९३ में बनाई थी। अब चूंकि इस अधिक स्पष्ट बनाना है और इस में विशिष्ट प्रयोजनों का उल्लेख किया जाना है, इस लिये इसे बिल्कुल नया रूप दिया गया है।

नई धारा १५३क में तीन उद्देश्य दिये गये हैं। पहला यह है कि समुदायों के बीच धर्म, जाति और भाषा के आधार पर घृणा फैलाने को रोका जाये। अब घृणा पैदा करने वाले कारणों का विशिष्ठ उल्लेख किया जायेगा। इस लिये नई धारा में धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के अतिरिक्त 'या अन्य किसी कारण से' शब्द भी रखे गये हैं। इस के अलावा, यह भी आवश्यक समझा गया था कि दो कारणों से कुछ और विशिष्ट अपराध भी होने चाहिये। पहला को ऐसा काम करना था, जो समरूपता के विरुद्ध हो। ऐसे अवसर आये हैं जब कि कुछ ऐसे कार्य किये गये थे जिन के फलस्वरूप भाषा आदि के सवाल पर लोगों के सम्बन्ध खराब हो गये थे। इस लिये इसको एक विशिष्ठ अपराध बनाया गया है।

हमें राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिये जो कार्य करने हैं उन में यह एक है।

१८९३ में भारतीय दंड संहिता में जब धारा १५३क रखी गई थी, तो उन्होंने अधिकतम दंड २ वर्ष का रखा था। अब यह समझा जाता है कि यह काफी नहीं होगी। इस लिये अब यह कहा गया है कि अपराधी जो नये अपराध करें, उसके लिये तो १ साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों किये जायें। इस के अतिरिक्त इसके द्वारा जो विशेष अपराध बनाया गया है उस के विषय में धारा २९५क में यह शब्द और जोड़ दिये गये हैं :—

"भाषण अथवा लेख द्वारा या इशारों अथवा इंगित अथवा अन्य प्रकार से" यह स्पष्टीकरण या उदाहरण साधारणतया सभी दंड सम्बन्धी कानूनों में मिलते हैं। यह भी समझा गया कि धारा २९५क में जो दंड निर्धारित किया गया है, वह काफी नहीं है। इस लिये "दो साल" के स्थान पर तीन साल" कर दिये गये।

धारा ५०५ में "दो साल" के स्थान पर "तीन साल" कर दिये गये हैं। यही मुख्य परिवर्तन किये गये हैं। मुझे पूरी आशा है कि सभा गत वर्ष या इसी प्रकार की हालत को देखते हुये इस पर विचार करेगी। यह बड़े दु:ख की बात है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के बजाय भारत में कई ऐसी ताकतें हैं जो इसको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं और धर्म, भाषा तथा इसी प्रकार की अन्य चीजों पर अभी बल दे रही हैं।

भारत एक महान देश है और इसकी महानता प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत की सबसे बड़ी महानता यह है कि यहां अनेकता में भी एकता है।

यह विविधता एकता का कारण होनी चाहिये परस्पर फूट डालने का कारण नहीं बननी चाहिये।

भाषा में भी कई बातें एक सी हैं। देश के उत्तर पूर्व और पश्चिम की अधिकांश भाषायें संस्कृत से निकली हैं। दक्षिण की भाषायें भी बहुत हद तक संस्कृत से बनी हैं। इस प्रकार यद्यपि भारत में अनेक भाषायें हैं परन्तु वे एक दूसरे से मिलती हैं और उन की एक ही संस्कृति है जिसे हम मिश्रित संस्कृति कह सकते हैं। इस लिये मेरा यह विचार है कि भारत का अतीत बहुत गौरवमय रहा है और उसका भविष्य भी बहुत उज्ज्वल होगा।

[श्रीं दातार]

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में एक बात लिखी है जो कि एक भविष्य वाणी सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा है कि भाषा एकता लाने वाली है परन्तु साथ ही यह भी कहा है कि भाषा से फूट भी पड़ सकती है और बड़े दुःख की बात है कि आज कल देश के कुछ भागों में यही हो रहा है। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये। हम सब को राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये। अगर इस के बावजूद भी कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्व हों, जो कुछ खास परिस्थितियों से नाजायज़ फायदा उठाना चाहें और लोगों में घृणा पैदा करें और जनता में एकता न बनी रहने दें तो आप सहमत होंगे कि उन्हें दण्ड देने के लिये सरकार के हाथ में पर्याप्त शक्ति चाहिये। इसी लिये यह विधान प्रस्तुत किया गया है।

जब कोई व्यक्ति ऐसे काम करे, जिससे शांति और व्यवस्था भंग हो और जनता में अशांति फैसे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये अयथा भारत प्रगति नहीं कर सकता। कुछ सदस्यों ने ऐसे संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि विधेयक को परिचालित करना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि जनता की राय किस लिये जानी जाये क्यों कि वह तो पहले पता ही है। उदाहरण के लिये मुख्य मंत्रियों की राय वहां की जनता की राय ही है। इस लिये जितनी जल्दी इस विधेयक को लाया जाये, उतना ही अच्छा है। मैं इसे परिचालित करने के हक में नहीं हूं क्योंकि यह तो केवल एक देर लगाने का तरीका है। श्री नलदुर्गकर के संशोधनों में कोई सार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को १५ मार्च, १९६२ तक जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये।

विधेयक में जिन उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया गया है, उन से ज्ञात होता है कि देश में साम्प्रदायिक और विघटनकारी मनोवृत्तियों के निर्मूलन के लिये सरकार जो अनेक कदम उठाने जा रही है, उन में से एक के अन्तर्गत यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस में भारतीय दंड विधान की धारा १५३ए का विस्तार किया गया है, जिस से मजहब, जाति, भाषा और सम्प्रदाय, इन सब का उस में समावेश किया जा रह सके। परिभाषा को विस्तृत बनाया गया है और दंड के रूप में दो साल के बजाये तीन साल की सजा की व्यवस्था की गई है।

गृह मंत्री महोदयने विधेयक को प्रस्तुत करते हुये राष्ट्रीय एकीकरण का उल्लेख किया, इस के लिये कांग्रेस पार्टी ने जो समिति बनायी है, उस के निर्णय की चर्चा की, मुख्य मंत्रियों ने जो फैसले किये हैं, उनका उल्लेख किया है और इस बात का प्रतिपादन किया कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिये रचनात्मक और भावात्मक कदम उठाने के साथ साथ कुछ दंडात्मक कदम भी उठाने चाहिये। सचमुच में स्वतंत्रता के पन्द्रहवें वर्ष में हम राष्ट्रीय एकीकरण के लिये कानूनी कदम उठाने की बात करें, राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने के लिये हम ने इन पन्द्रह वर्षों में जो भी प्रयत्न किये हैं, यह उनकी विफलता का परिचायक है और इस विफलता के लिये वर्तमान शासन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता और जो पार्टी इस शासन को चला रही है, वह भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : इसी लिये तो यह कानून लाया गया है।

श्री वाजपेयी : स्वतंत्रता के पंद्रहवें वर्ष में हम राष्ट्रीय एकीकरण के लिये कदम उठाने जा रहे हैं। क्या हम यह स्पष्ट समझते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण से हमारा अभिप्राय क्या है? क्या राष्ट्रीय

एकीकरण की समस्या केवल कानून की, पुलिस की, दंड की समस्या है ? इंडियन पीनल कोड का जो पुराना प्रावधान था, क्या वह पर्याप्त नहीं है ? यदि दो साल के बजाये तीन साल की सज़ा दी गई, तो क्या विघटनकारी मनोवृत्तियां सिर नहीं उठायेंगी ? क्या केवल परिभाषा को विस्तृत करने से ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा ? मैं आशा करता था कि गृह मंत्री महोदय इस सदन के सामने ऐसे मामले रखेंगे, जिन से साबित हो सके कि परिभाषा संकुचित और संकीर्ण थी और उस में मज़हब और भाषा का समावेश नहीं था, इस लिये इतने मामलों में सज़ा नहीं दी जा सकी, इस लिये विघटन-कारी प्रवृत्तियां बढ़ गईं और राष्ट्रीय एकीकरण ख़तरे में पड़ गया। उन्होंने ऐसे कोई मामले नहीं रखे कि जिन में परिभाषा के संकुचित होने के कारण दंड प्राप्त करने वाले सज़ा नहीं पा सके। फिर इस परिभाषा को बढ़ाने का कारण क्या है ? क्या पुरानी परिभाषा के अन्तर्गत मज़हब के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद पैदा करने वाले, संघर्ष पैदा करने वाले व्यक्ति को सज़ा नहीं मिल सकती थी ? क्या पुराने विधान के अन्तर्गत भाषा के नाम पर जाति और जाति के बीच में वैमनस्य उत्पन्न करने वाले को दंडित नहीं किया जा सकता था ? अगर इस सदन के सामने ऐसे मामले लाये जाते, जिन से यह पता चलता कि सरकार सज़ा देना चाहती थी, लेकिन दे नहीं सकी, क्योंकि परिभाषा संकुचित थी और उस में मज़हब, भाषा, जाति, इन सब का समावेश नहीं था, तो हम विधेयक की उपयोगिता को समझ सकते थे, लेकिन ऐसे कोई उदाहरण सदन के सामने नहीं लाये गये। इस लिये मेरा निवेदन है कि सरकार जो संशोधन करने जा रही है, वे संशोधन आवश्यक नहीं हैं।

परिभाषा को विस्तृत करते हुए उस में से एक्सप्लेनेशन को भी निकाल दिया गया है। मनुष्य मनुष्य के सम्बन्ध अच्छे रहें, साम्प्रदायिक सद्भावना रहे, मज़हब का शोषण न किया जाये, जाति के आधार पर लोगों की हीन भावनाओं को उत्तेजित न किया जाये, इस में कोई मत-भेद नहीं है। लेकिन मैं गृह-मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पुरानी धारा १५३-ए में जो एक्सप्लेनेशन है, उस का निकालने का क्या कारण है। अगर कोई ईमानदारी से यह मांग करे कि उन परिस्थितियों को दूर किया जाये, जिन से साम्प्रदायिकता पैदा होती है, तो इस नये संशोधन के अन्तर्गत वह ऐसा काम नहीं कर सकता। नये संशोधन के अन्तर्गत वह सज़ा का भागी होगा। आज हमारे देश में ऐसे कई तत्व मौजूद हैं, जिन के रहते देश में राष्ट्रीय एकीकरण असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है। मैं आप के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। इस विषय में संसद् में एक विधेयक भी पेश हुआ है। देश में कुछ ऐसे पूजा के स्थान हैं, जिन को पिछले हज़ार, पांच सौ वर्षों में दूसरे मज़हब के मानने वालों ने उन के मूल उपासकों से छीन कर अपने अधिकार में कर लिया, चाहे वह कृष्ण जन्म-स्थान हो, चाहे राम जन्म-स्थान हो, चाहे वह काशी विश्वनाथ का मन्दिर हो। उन परिस्थितियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर स्वतंत्रता के बाद यदि हम राष्ट्रीय एकीकरण चाहते हैं, तो क्या यह मांग करना एकीकरण के हित में नहीं है कि सम्प्रदायों के बीच में इस प्रकार के भेद पैदा करने वाले, पुरानी कटुता को, बर्बता और अत्याचारों की स्मृति को ताज़ा रखने वाले जितने भी पूजा के स्थान हैं, फिर चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों, अगर उन को खंडित और भ्रष्ट कर के दूसरे सम्प्रदाय ने उन पर अपने पूजा के स्थान बनाये हैं, तो दोनों सम्प्रदाय मिल कर, बैठ कर, परस्पर विचार-विनिमय कर के, सद्भावना से उन पूजा के स्थानों को उन के मूल उपासकों को वापस कर दें ? क्या साम्प्रदायिक एकता के लिये, राष्ट्रीय सद्भावना के लिये यह आवश्यक न होगा ?

यह ठीक है कि इस प्रश्न को यदि कोई सम्प्रदायों के सम्बन्ध बिगाड़ने के लिये उपयोग में लाता है, तो वह ग़लत है, और उस की निन्दा होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से अगर कोई यह मांग करता है—जब डा० कैलाशनाथ काटजू गृह मंत्री थे, तो उन्होंने एक लेख में यह मांग की थी, जिस की प्रतिक्रिया भी हुई थी, कि इस प्रकार के जितने भी पूजा के स्थान हैं, वे उन के मूल

[श्री वाजपेयी]

उपासकों को वापस कर देने चाहिए—, अगर कोई वर्ग या संगठन ईमानदारी से यह अनुभव करता है, तो एक्सप्लेनेशन को निकाल देने के बाद ईमानदारी और नीयत का सवाल नहीं रहता है । इस कानून को इतना व्यापक बनाया जा रहा है कि अब नीयत को कसौटी पर नहीं कसा जायगा, उद्देश्य नहीं देखा जायगा, मन्तव्य की परीक्षा नहीं की जायगी और उस को इस कानून के अन्तर्गत दंड का भागी बनना पड़ेगा ।

जहां तक परिभाषा को व्यापक बनाने का सवाल है, मज़हब के साथ साथ भाषा भी लाई गई है । भाषा अभी हमारे देश में बड़े विवाद का विषय है—कुछ विवाद का विषय हो गई है और कुछ बना दी गई है । उदाहरण के लिये अंग्रेज़ी और हिन्दी का विवाद है । भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि १६६५ तक अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी को ले लेना चाहिए, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यह परिवर्तन नहीं किया गया । अब यह मांग की जाय कि हिन्दी को उस के योग्य स्थान मिलना चाहिये, राज काज में, अन्तर्प्रांतीय व्यवहार में हिन्दी प्रयुक्त होनी चाहिये, तो क्या वह इस नये संशोधन के अन्तर्गत सजा का एक कारण बनेगी? पंजाब का भाषा विवाद हम जानते हैं, असम की भाषा समस्या हमारे सामने है । असम में बंगला को भी स्थान मिलना चाहिये, यह मांग इस संशोधन को स्वीकार करने के बाद नहीं की जा सकेगी । सवाल हिन्दी का या बंगला का नहीं है, यदि कोई ईमानदारी से यह समझता है कि अंग्रेज़ी कायम रहनी चाहिये कयामत तक तो मैं उस से मतभेद जरूर रक्खूंगा, लेकिन मैं उस को उस के विचारों के प्रचार की पूरी छूट देना चाहूंगा । लेकिन आप ने तो भाषा के सवाल पर एक ऐसा संशोधन रख दिया है कि भाषा के विवाद में अपनी प्रामाणिक राय प्रकट करना भी जुर्म के अन्तर्गत आ सकता है । आप कहेंगे कि सामान्यतः इसे लागू नहीं किया जायेगा जब तक संघर्ष पैदा न हो, जब तक उस से सम्प्रदायों के बीच में कटुता पैदा न होगी, तब तक वह इस संशोधन की परिधि में लाया नहीं जायेगा । लेकिन मैं देखता हूं कि कटता पैदा हो जाती है, कभी कभी कटुता पैदा की जाती है । परन्तु अगर शान्ति और व्यवस्था भंग होती है तो उस के लिये इंडियन पेनल कोड में अलग विधान है, उन के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है । अगर कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है, किसी के जीवन को, किसी की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उस के लिये अलग सजा की व्यवस्था है । क्या इस परिभाषा को विस्तृत बनाने में इस बात की आशंका नहीं है कि इस का दुरुपयोग किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के छः महीने पहले इस प्रकार का अनावश्यक संशोधन करना, सरकार के हाथ में ऐसे व्यापक अधिकार देना, जिन का दुरुपयोग हो सके, किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं । राज्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्रियों के किसी सम्मेलन की और उस में हुए फैसलों की चर्चा की थी । जहां तक समाचारपत्रों से पता लगता है, मुख्य मंत्रियों ने यह फैसला किया है कि अगर कोई यह मांग करेगा कि वह भारत के किसी हिस्से को भारत से अलग करना चाहता है, तो यह भी जर्म होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही और निर्णयों की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई थी और प्रतियां परिचालित भी की गई थीं ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी हां ।

श्री वाजपेयी : उस में यह निर्णय किया गया है कि अगर भारत से किसी भाग को अलग करने की मांग की जायेगी तो वह अपराध होगा, लेकिन यह चीज अभी लागू नहीं होगी, आम चुनाव के बाद लागू की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे** (पूना) : यही मद्रास के मुख्य मंत्री ने कहा था ।

श्री वाजपेयी : क्योंकि उन को यह आशंका है कि उन के ऊपर आरोप लगाया जायेगा कि आम चुनाव में विरोधी दलों के मार्ग में असुविधा उत्पन्न करने के लिये शायद कानून बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश के किसी भाग को देश से अलग करने की मांग करना बड़ा भारी जुर्म है। लेकिन अगर आम चुनाव को दृष्टि में रख कर उस का लागू करना रोका जा सकता है . . .

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या यह तथ्य है कि इस को चुनाव खत्म होने तक रोका जाये ?

श्री वाजपेयी : यह माननीय मंत्री से पूछा जा सकता है । समाचारपत्रों में यही छपा है ।

मेरा निवेदन है कि जो भी मुख्य मंत्रियों द्वारा निर्णय किये गये हैं यदि वे किसी एक प्रान्त में वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए या आम चुनाव को दृष्टि में रख कर स्थगित किये जा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि इंडियन पेनल कोड में जो नये संशोधन किये जा रहे हैं उन के सम्बन्ध में भी लोकमत जानने का प्रयत्न न किया जाय । अन्ततोगत्वा साम्प्रदायिकता, जातीयता या भाषावाद का निराकरण कानून से या पुलिस के डंडे से नहीं हो सकता । इस के लिये तो लोगों के दिलों और दिमागों में जो संकीर्णता अनेक कारणों से प्रविष्ट हो गई है उस को दूर करना होगा, और यह आवश्यक है कि हम इस सम्बन्ध में जनमत का जागरण करें । इन संशोधनों के जो भी अर्थ हो सकते हैं उन के बारे में हम लोगों को बतलायें, उन्हें शिक्षित करें, जिस से जो जान में या अनजान में इन नये होने वाले संशोधनों का उल्लंघन करें वे सजा के भागी न बनें, और इस के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिये हम जनमत का प्रशिक्षण करें । केवल मुख्य मंत्रियों की राय से जनमत को शिक्षित करने की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती । गृह मंत्री महोदय ने अभी माना है कि हमें और भी रचनात्मक विधायक कदम उठाने पड़ेंगे । इस के लिये सर्वदलीय सम्मेलन की योजना भी की जा रही है । मैं समझता हूं कि केवल जनमत के जागरण और प्रशिक्षण के लिये ही यह विधेयक है तो मेरे संशोधन को स्वीकार करने में शासन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि यह विधेयक जनमत जानने के लिये प्रचारित कर दिया जाय। इस से हमारे दोनों उद्देश्य पूरे होंगे । हम इस विधेयक में जो परिभाषा विस्तृत कर रहे हैं और दंड में वृद्धि कर रहे हैं तथा मजहब के साथ जाति, सम्प्रदाय, भाषा आदि का जो समावेश कर रहे हैं, उन के बारे में भी लोगों को जानकारी होगी । उन के दिल और दिमाग तैयार होंगे उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिन के बिना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो सकता ।

मेरा संशोधन इस आरोप का भी खंडन करेगा कि शासन आम चुनावों को दृष्टि में रख कर कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है जिनसे विरोधी दलों के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की जा सकेंगी, क्योंकि हम इस संशोधन को पीपल्स **रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट** का जो संशोधन किया जा रहा है उस से अलग कर के नहीं देख सकते। हमने परिभाषा व्यापक कर दी । भाषा, जाति, सम्प्रदाय आदि के नाम पर अगर कोई भावनायें उभारेगा, चाहे ईमानदारी से ही उभारे, वह दंडनीय होगा और वह दंड उसे जेल के रूप में भी भुगतना पड़ सकता है। अगर वह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है तो उस को अपने प्रतिनिधित्व से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी निर्णय करने से पूर्व शासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अभी चुनाव में छः महीने बाकी हैं। जो अधिकार शासन को अब तक थे वे विघटनकारी मनोवृत्तियों का सामना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

करने के लिये पूर्ण समर्थ थे, मगर यह शासन उनका उपयोग नहीं कर सका। इसलिये नये अधिकार देने की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें कि शासन इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करने का दोषी सिद्ध हुआ।

मैं एक उदाहरण आपके सामने देकर समाप्त कर दूंगा। अभी दिल्ली में एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ था, और कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अपने मुस्लिम सदस्यों को इस बात की अनुमति दे दी कि उसमें जाकर भाग लें। वे पहले कांग्रेसी हैं या मुस्लिम हैं, वे पहले मुसलमान हैं या भारतीय हैं, इसकी चिन्ता किए बिना इस तरह की अनुमति दे दी गयी। वह सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये आरोप लगाये गये कि मुस्लिम सम्प्रदाय वालों को दूसरे दरजे का नागरिक माना जाता है, उनके साथ संगठित रूप से शासन में, शिक्षा में, वाणिज्य में, व्यापार में भेदभाव किया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं कि उस सम्मेलन में दिए गए भाषणों से, उसमें किए गए निर्णयों से देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला या नहीं मिला? गृह मंत्री महोदय इस संबंध में स्पष्ट उत्तर दें और अगर उस सम्मेलन से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला तो फिर उसके संयोजकों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? ये इंडियन पीनल कोड की धारायें क्यों तिजोरी में बंद करके रखी गयीं?

जब एक हिन्दू सम्मेलन की बात हो रही है। हिन्दू सम्मेलन से हम सहमत नहीं हैं। भारतीय जनसंघ ने निर्णय किया है कि हिन्दू सम्मेलन नहीं होना चाहिये। इस हिन्दू सम्मेलन की आवश्यकता नहीं है। मगर हमारे गृह मंत्री महोदय ने एक प्रच्छन्न धमकी दीं है कि सरकार ऐसे सम्मेलनों को करने की इजाजत दे या न दे इस पर वह गम्भीरता से विचार कर रही है, और सम्मेलन के संयोजकों के कान में यह बात कही जा रही है कि अगर आप हिन्दू सम्मेलन करेंगे तो हो सकता है कि सरकार इस पर रोक लगा दे, हो सकता है कि सरकार आपको पकड़ कर जेल में बन्द कर दे। हो सकता है कि यह नया संशोधन उस प्रस्तावित हिन्दू सम्मेलन के संयोजकों के खिलाफ काम में लाया जाए। मैं जानना जाहता हूं क्या मुस्लिम सम्मेलन से साम्प्रदायिकता नहीं बढ़ी। उस सम्मेलन में यह आरोप लगाया गया था कि इस देश की बहुसंख्यक सरकार इस सम्प्रदाय के लोगों के साथ भेदभाव का बरताव करती है, और शासन के एक मंत्री ने जाकर उस सम्मेलन में भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में एक सम्प्रदाय के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। क्या उन आरोपों का खंडन करने के लिये इस प्रकार का सम्मेलन करना साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना होगा? क्या सरकार साम्प्रदायिकता को नापने के लिए दो मापदंड रख कर साम्प्रदायिकता का निराकरण कर सकती है? क्या एक सम्प्रदाय की पृथकता की भावना को बढ़ावा देकर देश में राष्ट्रीय एकीकरण किया जा सकता है? मगर उस सम्प्रदाय के वोट चाहियें, केवल कांग्रेस को ही नहीं और पार्टियों को भी वोट चाहियें। इसलिए उस सम्प्रदाय की साम्प्रदायिकता को छिपाया जाता है, उसके संयोजकों के खिलाफ सरकार कार्यवाही नहीं करेगी। मगर अगर उसके जवाब में, उसमें लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिये कोई सम्मेलन किया जायेगा तो फिर यह सरकार-साम्प्रदायिकता जगायी जा रही है का हौआ खड़ा करेगी और अभी जो अधिकार प्राप्त किये जा रहे हैं उनका दुरुपयोग किय। जायेगा। मेरा निवेदन है कि साम्प्रदायिकता का निराकरण कानून से, पुलिस के डन्डे से नहीं हो सकता। इसके लिये शासन को, शासन को चलाने वाली पार्टी को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। यह बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की भाषा समाप्त हो जानी चाहिये।

भारतीय जनसंघ एक असाम्प्रदायिक राज्य का हामी है। हम ऐसे राज्य के हामी हैं जिसमें मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जनसंघ के दरवाजे देश के हर एक नागरिक के लिये खुले हैं। किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कोई साम्प्रदायिक आधारों पर मांग करेगा, अगर अल्पसंख्यको के नाम पर इस देश में पृथक अधिकार मांगे जायेंगे, विशेष सुविधाएं मांगी जाएंगी, कोई केन्द्र का मंत्री यह मांग करेगा कि एक सम्प्रदाय के लिए सरविसेज़ में अलग सुरक्षित स्थान होने चाहियें और फिर वह भाषण करते हुए धमकी देगा कि अगर इस सम्प्रदाय को संतुष्ट न किया गया तो भारत स्पेन हो जाएगा . . .

श्री त्यागी : सेंटर का मंत्री ? . . .

श्री बाजपेयी : जी हां, केन्द्र के एक मंत्री श्री हुमायून् कबिर ने हुबली सम्मेलन में भाषण करते हुए कहा था कि यदि इस सम्प्रदाय की समस्या को हल नहीं किया गया तो भारत स्पेन बन जायेगा, भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। आप देखें कि यह केन्द्र के एक मंत्री का भाषण है। यह तो गृहयुद्ध के लिये आमंत्रण है, यह तो लोगों को भड़काना और उकसाना है, मगर इसके लिए इंडियन पीनल कोड को धाराएं काम में नहीं लायी जाएंगी, वे तो हमारे लिए गढ़ी जा रही हैं। आज कांग्रेस शासन साम्प्रदायिकता का एक हौआ खड़ा करके अपनी असफलताओं की ओर से जनता का ध्यान हटाना चाहता है। अगर शासन वास्तव में इस विधेयक की आवश्यकता समझता है तो उसे जनमत जानने के लिये हमारे प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिये। यदि शासन हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह अपनी ओर से प्रस्ताव ला सकता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय ताकि उसमें बैठकर इस सदन में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है उन दलों के प्रतिनिधि इस परिभाषा को व्यापक करने के प्रश्न पर विचार कर सकें।

एक माननीय सदस्य : इसमें बड़ा समय लगेगा।

श्री वाजपेयी : हमारे मित्र कहते हैं कि बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर १५ साल में देश टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया तो एक दो महीने में टुकड़े टुकड़े होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो जनमत को जानने के लिए इस विधेयक को प्रचारित किया जाये या उसे एक सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये और यह प्रस्ताव शासन की ओर से आना चाहिये। अगर इन दोनों बातों की उपेक्षा की गयी तो आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह व्यापक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न होगा और इस प्रयत्न को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : यद्यपि मैं विधेयक में उल्लखित मूल सिद्धांतों से जो कि देश के ध्वंसात्मक और साम्प्रदायिक तत्वों को रोकने के लिये रखे गये हैं सहमत हूं। तथापि मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे अभी भी उन त्रुटियों को इस विधेयक से हटा लेवें जो कि इसनें आगयी हैं और मेरे विचार से इसके उद्देश्यों के संबंध में जनता में काफी सहमति है अत : मेरे विचार से इस संबंध में जनता की राय जानना आवश्यक है।

गृह मंत्री ने यह कहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकीकरण समिति की नियुक्ति की थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही यह मसौदा तैयार किया है। इस संबंध में सरकार अन्य दलों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श करने का विचार कर रही है अतः यह अधिक उचित होता कि सरकार इस संबंध में अधिक व्यापक विधेयक तैयार करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यद्यपि मैं सरकार की इस नीति से सहमत हूं कि हमें विखंडनात्मक तत्वों का उन्मूलन करना चाहिये तथापि मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह बातें केवल विधि पारित करने से दूर नहीं हो सकती हैं और इन पर केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से विचार करने पर कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुत: इस समय आवश्यकता यह है कि संसद एक व्यापक और प्रभावशाली अधिनियम पारित करे जिससे राज्यों को साम्प्रदायिकता, जातीयता इत्यादि का उन्मूलन करने को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हो जायें।

हम कोई भी विधान बनायें वह इस प्रकार का होना चाहिये कि लोकतंत्रात्मक शक्तियों को कार्य करने का पूरा अवसर मिले। तथापि हमें इससे इस प्रकार का वातावरण नहीं मिल सकता है।

उदाहरण के रूप में धारा १५३ क बहुत व्यापक है और उसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें सभी बातें आ जाती हैं। इस पर श्री रघुवीर सहाय ने भी अपना संशोधन रखा है तथापि मैं उससे भी सहमत नहीं हूं।

मेरे विचार से सरकार इस मामले में बहुत शीघ्रता कर रही है और वह इस संबंध में जनता की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहती है। अभी हाल हमारे गृह मंत्री आसाम गये थे और उन्होंने वहां की भाषा संबंधी कठिनाइयों के सुधार के लिये शास्त्री सूत्र रखा था। उन्होंने वहां यह अनुभव किया होगा कि सर्वसाधारण को भाषा संबंधी भावना को किसी भी प्रकार से विखंडनात्मक नहीं कहा जा सकता है तथा बिना किसी सहायता और आश्वासन के अभाव में अल्पसंख्या भाषा भाषी सीधी कार्यवाही पर भी उतर सकते हैं।

इसी प्रकार पंजाब में भी भाषा संबंधी भावना पर सर्वसाधारण में काफी उत्तेजना है आप इसे केवल विधेयक पारित करने से दबा नहीं हकते हैं।

हम देखते हैं कि लोग तरह तरह की मांगें करते हैं। उदाहरणार्थ दक्षिण में एक समुदाय ऐसा भी है कि जो पृथक तामिल नाद की मांग करता है। सरकार को चाहिये कि वह इन बातों का पता लगाये कि इनका वास्तविक कारण क्या है? जनता को इनके संबंध में सहीं सलाह देनी चाहिये। जो लोग इस प्रकार आवेश में बह जाते हैं बह बहुत गलत बात है। अत: बजाय इसके कि सरकार चुनावों के पूर्व इस अस्त्र को अपने हाथों में ले सरकार को चाहिये कि वह वस्तुस्थिति का सही पता लगाये।

हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिये कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर हल करने का प्रयत्न करना चाहिये। जिस प्रकार श्री लाल बहादुर शास्त्री भाषा समस्या का हल करने के लिये आसाम गये थे ठीक उसी प्रकार कुछ राष्ट्रीय नेताओं को चाहिये कि वे अमृतसर जायें और पता लगायें कि वास्तव में उनकी मांग के क्या कारण हैं।

दुख की बात यह है कि स्वयं कांग्रेस ही सांम्प्रदायिक तत्वों के साथ गठबंधन करती है। मुस्लिम लीग, जो कि देश के विभाजन के लिये जिम्मेदार है, उसके साथ कांग्रेस ने केरल में गठबंधन किया हुआ है। हमने केरल की विधान सभा के अध्यक्ष पद पर चुनावों के बारे में भी कांग्रेस से कहा था कि यदि कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे तथापि यदि वह मुस्लिम लीग का उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। इसके

लिये कांग्रेस ने यह किया कि उम्मीदवार से उन्होंने मुस्लिम लीग से इस्तीफा देने को कहा। इस प्रकार जो मार्ग उन्होंने अपनाया उसे कभी शोभनीय नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक राष्ट्रीय एकता आदि का संबंध राजनीतिक दलों के लिये एक आचरण संहिता होनी चाहिये। कांग्रेस पर देश का सर्वाधिक शक्तिशाली दल होने के नाते बहुत जिम्मेदारी है। इस संबंध में किसी दल को राजनीतिक अवसरवाद से गुमराह नहीं होना चाहिये।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक पर राय जानने की अथवा इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह कहना कि यह विधेयक चुनावों के पहिले एक डंडे की तरह से है जिसका शासक दल अपने कार्य में उपयोग करेगा गलत है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस विधेयक का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है। यदि राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध संबंधी कोई विधान लाया जाता या किसी संवैधानिक संशोधन को प्रस्तुत किया जाता तो इस प्रशंसनीय उद्देश्य की पूर्ति अधिक अच्छी प्रकार से की जा सकती थी। यह कहना गलत है कि इस प्रकार की बात करने की संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों में अनुमति नहीं दी गयी है। हमें विदित होना चाहिये कि संविधान में हमारे मूल अधिकारों पर न्यायोचित प्रतिबन्ध है। संविधान के प्रत्येक संगत अध्याय में जो भी अधिकार रखा गया हैं वह लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा अन्य शर्तों के अधीन है।

जहां सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों की गारेंटी दी गयी है वहां किसी प्रकार के साम्प्रदायिक आधार का वचन नहीं दिया गया है।

मैं पुनः यह बताना चाहता हूं कि यह विधेयक पूर्ण सदाशयता से रखा गया है और यह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इसका क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं किया जाये। मेरे विचार से इसके लिये संविधान में ऐसा संशोधन करने की आवश्यकता है कि सभी साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लग जाये तभी कहीं जाकर यह उद्देश्य सफल हो सकता है।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट): मेरे विचार से इस विधेयक के द्वारा देश के एकीकरण में जरा भी सहायता नहीं मिलेगी। वस्तुतः भारतीय दंड संहिता की धारा १५३ (क) में ऐसे कार्यों के संबंध में काफी शक्तियां दी गयी हैं जिनसे किसी भी कारण से लोगों की विभिन्न श्रेणियों में शत्रुता के बढ़ने की सम्भावना हो।

वस्तुतः आसाम या जबलपुर में जो भी दंगे हुए उसका कारण यह नहीं था कि सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं अपितु इसका कारण कुछ और था। धारा १५३क की व्याख्या में ईमानदारी तथा शुद्ध भावना से व्यक्त किये विचारों के संबंध में संरक्षण की व्याख्या की गयी है परन्तु इसे वर्तमान विधेयक में बिल्कुल हटा देने की चेष्टा की गयी है। इसके स्थान में यह कहा गया है कि "यदि कोई कार्य विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों अथवा भाषा संबंधी समुदायों के बीच सद्भावना पर आघात करता हो तथा जिससे शांति और व्यवस्था पर आघात होता हो ऐसा कोई कार्य..." इत्यादि। तथापि एक न्यायाधीश यह निर्णय नहीं कर सकता कि पारस्परिक सद्भावना पर किस प्रकार आघात हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णस्वामी]

आश्चर्य है कि क्या सरकार ने हमारे देश के अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी तथा अन्य अधिकारों सबंधी संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी है या नहीं। उस भाषा अथवा संस्कृति के परिरक्षण के लिये यदि कोई आन्दोलन हो तो क्या आप उस आधार पर रोक सकते हैं कि उससे दो सम्प्रदायों की सद्भावनाओं पर आघात होगा।

इसके पूर्व भी इस प्रकार के उपबंधों का प्रयोग हमारे देश में लोकमत के दमन के लिये किया गया है। यह बात एक दूसरे दृष्टिकोण से भी गम्भीर है क्योंकि इसका उपयोग जनमत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त करने में किया जा सकता है।

निसंदेह कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा कि अधिक कड़े नियम बनाने से राष्ट्रीय एकता बनायी रखी जा सकती है। मेरे विचर से विघटनात्मक तत्वों का मुकाबला करने के लिये इस प्रकार के साधनों को अपनाना कभी भी लोकतंत्रात्मक नहीं कहा जा सकता है।

इसलिये यह आवश्यक है कि हम अन्य तरीकों का प्रयोग करें। हमें स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों से अधिक प्रभावशाली तरीकों से सम्पर्क प्राप्त करना होगा। संसार में अन्यत्र कहीं भी राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को इस तरीके से नहीं सुलझाया गया है।

इस विधेयक के अनुसार आप अपनी स्वतंत्र और ईमानदार राय कभी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और यदि हम इसे पारित करने के उपरांत भी इसको लागू नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति और भी उपहासजनक हो जाती है।

राष्ट्रीय विघटन की ये समस्यायें केवल साम्प्रदायिक दलों पर रोक लगा कर हल नहीं की जा सकती हैं और सच्चाई तो यह है कि धर्मनिरपेक्ष कही जाने वाली संस्थाओं में घोर साम्प्रदायवादी घुसे हुए हैं। मेरे विचार से इस विधेयक से नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगती है अतः मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं।

†**श्री त्यागी:** मेरे विचार से वर्तमान विधि इस कार्य के लिये पर्याप्त है। आज हमारी निगाहों में विधि का आदर कम होता जा रहा है इसका कारण यह है कि स्वयं प्रशासक ही विधि का सम्मान नहीं करते हैं। और कभी कभी तो विधि की बहुत खींचतान की जाती है और कभी उसकी नितांत उपेक्षा की जाती है।

मुझ पर विरोधी पक्ष के सदस्यों के भाषणों का बहुत प्रभाव पड़ा है और मेरा सुझाव है कि इस संबंध में उनकी भावनाओं को पूर्ण मान्यता दी जानी चाहिये।

वर्तमान विधि के संशोधन पर दल विशेष के दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिये, इस मामले में आलोचकों के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये।

विधेयक में 'कारण' शब्द रखने से स्थिति और भी जटिल होजायेगी। इस समय किसी व्यक्ति को उस समय तक दंड नहीं मिल सकता जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाये कि उसने धर्म के कारण-वश आदि कोई बात की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज की जो स्थिति है उसके अनुसार बिना कुछ आधार बताए अथवा दोष सिद्ध किये किसी के विरूद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इससे स्थिति बड़ी जटिल हो जायेगी। किसी व्यक्ति को तब तक कोई दण्ड नहीं दिया जा सकेगा जब तक की यह सिद्ध न हो जाये कि उसने धर्म साम्प्रदाय अथवा जाति के कारणवश कोई अपराध किया है। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि इस व्याख्या के हटा देने से भी अधिनियम का क्षेत्र कम हो जायेगा। इससे भी बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। यही एक उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में संरक्षण की व्यवस्था का उपबन्ध है जो लोगों से शत्रुता बढ़ाने वाले कार्यों से परे रहने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मेरे ख्याल में सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के सिद्धांतों का विचार नहीं रखते अतः इससे कानून का भय कम होने की ही सम्भावना है। आज कल हम देखते ही हैं कि लोग कानून का आदर बहुत कम करते हैं। यही कारण है चोरी, डाके इत्यादि अपराध बढ़ रहे हैं। मेरा सभी दलों से निवेदन है कि उन्हें सम्मिलित रूप में प्रयत्न कर लोगों को कानून का आदर करना सिखाना चाहिये।

[**श्री मूल चन्द दूबे** पीठासीन हुए]

वास्तव में मेरा विचार यह है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वर्तमान १५३ (क) धारा के होते हुए किसी अन्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के अपराधों को लिया जा सकत था। इस विधान द्वारा सजा को दो से तीन साल कर देने का कोई सामूहिक लाभ नहीं होगा।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : सभापति महोदय, अभी हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि इस कानून की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहला कानून ही इस काम के लिये काफ़ी है। मैं वकालत नहीं जानती हूं, इस लिये मैं शब्दों की बारीकियों में नहीं पड़ती हूं। एक बात के बारे में मैं त्यागी जी के साथ कतई सहमत हूं कि कोई भी हुकूमत जो कुछ भी करना चाहे, वह कर सकती है। चाहे पुलिस आफ़िसर हों या मजिस्ट्रेट अगर वे कुछ करना चाहें, तो इस वक्त भी कानून में इतनी धारायें हैं कि उन के द्वारा बहुत सी बातों को रोका जा सकता है। देखते तो हम यह भी हैं कि जब किसी को पकड़ना होता है, किसी को जेल में बन्द करना होता है, तो पुलिस यह नहीं पूछती कि कानून है या नहीं और अगर नहीं पकड़ना है, तो फिर सारी ताज़ीराते-हिन्द और दुनिया भर के कानून भी चाहे सामने रख दिये जायें, यही पूछते हैं कि किस कानून के मातहत कार्यवाही की जाये।

फिर भी चूंकि मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि चूंकि कानून में कमियां थीं, जिन की वजह से हम इन टेन्डेन्सीज़ को, इन प्रवृत्तियों को नहीं रोक सकते थे, इस लिये इस कानून की ज़रूरत है। इस कारण मैं इस कानून का स्वागत करती हूं। मुझे उम्मीद है कि आज तक जो कुछ हुआ है, इस के बाद उस पर पाबन्दी लगाई जा सकेगी।

हमारे साथियों ने कहा कि इस कानून की ज़रूरत नहीं है और यह कि इलैक्शन के पहले इस को क्यों पास करना चाहते हैं। मैं उन से पूछना चाहती हूं कि इस कानून में कौन सी बुरी बात है। अगर यह कहा जाये कि मज़हब और ज़बान और दूसरी बातों के नाम पर नफरत नहीं फैलाई जा सकती है और एक दूसरे से नफ़रत नहीं करवाई जा सकती है, तो इस में कौन सी बुरी बात है ? मैं उन भाइयों से यह पूछना चाहती हूं कि आखिर वे इस बात की आज़ादी क्यों चाहते हैं, ख़ासकर इलैक्शन्ज़ के पहले यह आजादी क्यों चाहते हैं। मैं समझती हूं कि अगर इस कानून की कोई ज़रूरत है, तो इलैक्शन से पहले खासकर ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव एक ऐसा मौका होता

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

है, जब आदमी आगे आने के लिये और लीडरशिप कायम करने के लिये खराब से खराब हथियार इस्तेमाल करने पर उतारू हो जाता है। तमाम पार्टीज़ के लोग उतारु हो सकते हैं और आपस में नफरत फैलाने और लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में इस से ज्यादा हीनस क्राइम कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आज हमारे सामने आसाम के जले हुए घर बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जली हुई दीवारें खड़ी हैं। हमारे सामने उतरे हुए सिन्दूर हाहाकार कर रहे हैं, यतीम बच्चे रो रहे हैं। आज फिर्कापरस्त लोगों ने—दोनों किस्म के फिर्कापरस्त लोगों ने, अकालियों ने और हिन्दू फिर्कापरस्त लोगों ने—पंजाब को जिस तरह से एक बैलकनो पर खड़ा कर दिया है, जिस तरह से आज पंजाबी सूबे की बात को ला कर खड़ा कर दिया गया है वह हमारे सामने है। आज कोई पंजाबी सूबे की बात कर रहा है, कोई हिन्दी बोलने की बात कर रहा है। तो सब को चिन्ता हो रही है। जो इस नफरत को उभारा गया है उस नफरत का नतीजा हमारे सामने दिखाई देता है। आज हिन्दुस्तान के दो टकड़े हुए। इन दो टकड़ों के होने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रक्खी जाती है, चाहे वे जिस वजह से हुआ हो। कहा जाता है कि हम लोग उस के जिम्मेदार थे, हमने उसे स्वीकार किया। मैं कहती हूं कि आखिर इस चीज की जड़ और बुनियाद में क्या था? खुले आम हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते रहे, जो चाहा करते रहे। कल यहां पर पंजाबी सूबे की बात हुई। उस का जिक्र मैं आज नहीं करना चाहती हूं, लेकिन काफी भाइयों ने इस पर रोशनी डाली। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कुछ बातों की। मैं सोचती थी कि मैं उन तकरीरों को सदन के सामने लाऊं जो हिन्दी एजिटेशन के वक्त की गई, उन तकरीरों को ले आऊं जो अकाली एजिटेशन के वक्त में की गई, उन तकरीरों को आप के सामने ले आऊं जो मध्य प्रदेश में रोज की जाती हैं और हर चुनाव के पहले की जाती हैं। हर चुनाव के पहले रायट किये जाते हैं। मध्य प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान रायट होते हैं, मध्य प्रदेश में हिन्दू और ईसाई रायट होते हैं, हरिजन और नान-हरिजनों के रायट होते हैं, और खास कर चुनाव के पहले किये जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर कुछ भाई आजादी चाहते हैं तो आखिर किस चीज की आजादी चाहते हैं? चुनाव के पहले किस चीज की आजादी चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ भड़कायें और उस के बाद डिमाक्रेसी का नाम लें? क्या डिमाक्रेसी एक ही मजहब के लोगों के वास्ते हो सकती है, क्या एक ही धर्म के लोगों के लिये आजादी हो सकती है कि वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिये, अपनी भाषा की उन्नति करने के लिये दूसरों के खिलाफ नफरत फैलायें?

मुझे ताज्जुब हुआ अपने साथी श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी की इस बात से कि उन को भी इस आजादी में रुकावट मालूम होती है। कहते हैं कि अगर लोगों के ठीक ग्रीवान्सेज होंगे तो उनका क्या होगा? क्या ठीक ग्रीवान्सेज को दूर करने के लिये इस चीज की आजादी दी जाय कि डिमाक्रेसी के नाम पर वे किसी भी सीमा तक चले जायें? किसी हद्द तक भी चले जायें? आज असम में फसाद होते हैं, मध्य प्रदेश में फसाद होते हैं, मैं दर्ख्वास्त करूंगी मि० मुकर्जी से कि वे मध्य प्रदेश जाकर अपनी पार्टी के लोगों से पूछें कि वहां के अखबार क्या छापते हैं? जो कुछ वहां के अखबार छापते हैं वही हम लोगों के मुंह के सामने रख दिये जाते हैं। जो खबरें वहां छपती हैं उन के कोटेशन्स हमारे सामने रक्खे जाते हैं कि आखिर यह क्या हाल है कि सरकार उन अखबारों के खिलाफ कुछ नहीं कहती? कहा जाता है कि यह कैसी हुकूमत है जो इस किस्म की स्पीचेज की इजाजत देती है? अगर आज श्री मुकर्जी की तमाम नागरिकों के पास जाने की इच्छा नहीं है, या उन के पास टाइम

नहीं है, तो वे अपने मध्य प्रदेश के साथियों से पूछें जो आज तक अखबारों की कटिंस वहां से भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से नफरत फैलाने की इजाजत यह हुकूमत क्यों देती है। मैं ने तो उस वक्त भी उन से कहा और आज भी कहती हूं कि जब लोक सभा के सामने कानून आता है अखबारों पर पाबन्दी लगाने के लिये या स्पीचेज पर पाबन्दी लगाने के लिये तो यही कम्यूनिस्ट पार्टी के भाई सब से ज्यादा विरोध करते हैं और आजादी और डिमाक्रेसी का नाम लेते हैं। आज उन की बात सुन कर मझे ताज्जुब हुआ। मैं उन से अदब से अर्ज करना चाहती हूं चाहे कि कोई जमात हो सयासत के नाम पर इस नीति पर चल कर कि अपने घर में आग जला कर, फूंक कर अपना घर, हाथ सेंका जाय, यह देश के लिये हानिकर साबित होगा। इसलिये जब यहां पर कोई आये तो ईमान्दारी से बोले कि वह किस चीज को किस चीज के लिये सपोर्ट करता है, किस नीयत से सपोर्ट करता है और किस लिये विरोध करता है।

इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि यह जो नफरत फैलाने की बात है वह सिर्फ चनाव की बात नहीं है। नफरत फैलाने की बात, चाहे वह धर्म के नाम से हो चाहे जबान के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, उस ने हमारे देश में कानून को तुड़वाया, लोगों के घरों को जलवाया, लेकिन इस से भी ज्यादा हमारे देश का नक्सान उस ने यह किया कि हमारी मारल वैल्यूज को चेन्ज किया। आज जो झगड़ा होता है तो जो आदमी झगड़ा कराता है वह छाती तान कर चलता है, जो आदमी बचाता है वह छिप कर चलता है गलियों में कि किसी को मालूम न हो जाय। साधारण मनोवृत्ति, या भावनायें यह होती हैं कि मनुष्य इन बातों को अपने दोस्तों से भी छिपा कर रखना चाहता है। हमारी कोशिश यह होती है कि बदला लेने की हमारी भावना, नफरत करने की भावना, किसी मजलूम को सताने की भावना को हम अपने दोस्तों से और मिड़ों से भी छिपा कर रक्खें। मगर आज नफरत फैलाने वाले लोग, जो आजादी चाहते हैं इस चीज की और चाहते हैं कि कानून न बने, इस चीज को रोका न जाय, वही नफरत फैलाने वाले लोग ऐसे हैं जिन्हों ने हमारी वैल्यूज को चेन्ज कर दिया है, उन को बदल दिया है। आज वे पब्लिक प्लेटफार्म से भाषण देते हैं कि हम इस को नहीं रहने देंगे, इस चीज का बदला लेंगे, हभ फलां जाति को नहीं रहने देंगे, फलां बिरादरी को नहीं रहने देंगे, फलां भाषा को नहीं सीखेंगे। जैसा मैं नें अर्ज किया मैं चाहती थी कि मैं उन भाषणों को यहां पर रख कर सुनाऊं फिर मैं ने सोचा कि जिन भाषणों पर मुझे खुद एतराज है उन को मैं लोक सभा के सामने दोहराऊं, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

मुसलमान मोहल्लों के सामने जा कर हमारे वे लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। मुसलमान मोहल्लों में जा कर पब्लिक मीटिंःस में हजारों लोगों के सामने कहते हैं कि हम मुसलमानों को हिन्दुस्तान में नहीं रहने देंगे। जितने दिन जवाहरलाल हैं, मसलमान रहते हैं, जवाहरलाल के जाने के बाद वे नहीं रह सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : जरूर रहेंगे।

श्री वाजपेयी : मैं ने कहा था ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : फिर्कापरस्ती बढ़ाने वाली जमातें कहती हैं। मैंने खुद मध्य प्रदेश में एक साहब का भाषण सुना, उन्हों ने मेरे सामने कहा कि हिन्दुस्तान में जितने करोड़ मुसलमान हैं, हम उन में से एक को भी हिन्दुस्तान में नहीं रहने देंगे, हम कहते हैं कि उन में से एक एक ग़द्दार है। वहां सिटी सुपरिन्टेंडेंट मौजूद, वहां मैजिस्ट्रेट मौजूद, बड़े बड़े हाकिम मौजूद, फिर भी उन्हों ने

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

कहा कि हम किसी को नहीं रहने देंगे क्योंकि वह सारे गद्दार हैं और उन की गद्दारी के जो नमूने और कहानियां उन्हों ने पेश कीं उन को आज मैं सब के सामने सुनाना नहीं चाहती हूं। इस में प्रोपेगेन्डा है, उस में झूठा प्रचार है जोकि एक मजहब के नाम से चलाया जाता है। इसीलिये मैंने अर्ज किया कि हम ने चरित्र की वैल्यूज को चेन्ज कर दिया फिर्कापरस्ती और नफरत फैला कर के।

आज जो बिल आया है, मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें दो साल से तीन साल करने में क्या फर्क पड़ने वाला है। दो साल की सजा हो या तीन साल की हो, इस में क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर भी एक कदम है जोकि उठाया गया है। मझ को उम्मीद है कि इस को लागू कर के देखा जायेगा। अभी जो कानून था उसे काफी नहीं समझा गया तो इस कानूनको इस्तेमाल करके देख लिया जाय।

श्री त्यागी : कानून जो अब तक था वह काफी था, लेकिन उस का इस्तेमाल नहीं किया गया।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : तो उस को लागू करने की कोशिश की जायेंगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसा मैंने कहा देश के लिये सबसे बड़ा हीनसक्राइम है जो जमातों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है। आज श्री मुकर्जी ने ग्रीवान्सेज का जिक्र किया। आज अगर कोई हुकूमत से लड़ता है या जो लोक सभा के सामने हुकूमत के लिये कुछ कहे, चाहे वह हिंसा से लड़े या अहिंसा से लड़े, चाहे किसी तरह से मुकाबला करे और हुकूमत को बदलना चाहे, यह तो मेरी समझ में आता है, पर जो आज एक इन्सान को दूसरे इन्सान से मरवाये, एक जाति से दूसरी जाति को मरवाये, एक धर्म वालों से दूसरे धर्म वालों को मरवाये, एक जबान बोलने वालों से दूसरी जबान बोलने वालों को मरवाये, वह देश के लिये सब से बड़ा क्राइम करता है।

अगर इस बिल में कोई कमी है तो मैं होम मिनिस्टर साहब से दर्ख्वास्त करूंगी कि वह उस को ठीक करें, उस को और सख्त बनायें। जैसा त्यागी जी ने भी कहा, मैं भी अर्ज करूंगी कि कानून से भी ज्यादा कानून को इम्प्लिमेंट करने की जरूरत है। चाहे हमारे आफिसर्स हों, चाहे हमारी जमातों में हो, चाहे उन जमातों में हों जो अपने को फिर्कापरस्त नहीं कहती हैं, चाहे वह हुकूमत में हों चाहे पुलिस में हों या मैजिस्ट्रेट हों, अगर किसी भी अच्छे कानून को कोई लागू करना चाहते हैं तो कोई भी रुकावट उन के बीच में नहीं आ सकती। यहां पर यह कहना भी जरूरी है कि कोई लोग कानून न लागू करें तो न करें, अलग बैठें, लेकिन कम से कम कानून के खिलाफ वह खुद काम न करने लग जायें। जिन को बचाने के लिये उन लोगों को रक्खा गया है उन को न बचाने में उन के लिये कम खतरा है, लेकिन खतरा तब हो जाता है जब अधिकारी लोग उस काम को खत्म करने लगते हैं जिस काम को करने के लिये उन को मकर्रर किया जाता है। इसलिये कानून बनाने के साथ इस चीज पर भी खास ध्यान देना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : यह खेद की बात है कि पंद्रह वर्ष के पश्चात कांग्रेस दल की सरकार सभा के समक्ष एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर रही है जिससे उन शक्तियों का मुकाबला किया जायेगा जो देश की एकता को हानि पहुंचा रहे हैं। इस दिशा में हमें यह सोचना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्माण हुई। लोगों से अपील की जा रही है कि वे साम्प्रदायिकता जातिवाद तथा भाषावाद से हमेशा बचने का प्रयत्न करें। मेरा मत यह है कि इस अपील का समर्थन तो सभी दल

†मूल अंग्रेजी में

करेंगे परन्तु सत्तारूढ़ दल को यह समझ लेना चाहिये कि दण्ड की धमकी से देश की एकता को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। इस से एकता बढ़ने के स्थान पर कम ही होगी। मेरा आग्रह यह है कि यह समस्या बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। इस का हल शीघ्रता से नहीं किया जाना चाहिये। इस समस्या का परस्पर सूझ बूझ तथा सहानुभूति से ही हल होना चाहिये। हम उसी अवस्था में लोगों में एकता की भावना निर्माण कर सकेंगे। यदि इस दिशा में राष्ट्रीय आधार पर सम्मिलित रूप में कार्यवाही की जाये। यह सचमुच दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद, पंद्रह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात हमारी एकता की भावना देश भर में बड़े भयंकर रूप से कमजोर हो गई है। इस का एक यह भी कारण है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को एक दल विशेष की आवश्यकताओं के अधीन कर दिया गया है मेरे विचार में देश की एकता को जो खतरा आज दिखाई दे रहा है उस का मुख्य कारण यह है।

मेरा यह निश्चित मत है कि यदि शासक दल सच्चे हृदय से एकता चाहता है तथा फूट डालने वाली मनोवृत्तियों को रोकना चाहता है तो कानून कोई अड़चन नहीं डाल सकता। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए मेरा निवेदन है कि विधेयक को अनुचित शीघ्रता से पारित नहीं करना चाहिये। हमें इस विधेयक के समर्थन में आवश्यक राष्ट्रीय जाग्रति पैदा करनी चाहिये। इस विधेयक को लोगों को शिक्षित करने तथा लोकमत निर्माण करने के उद्देश्य से प्रचालित किया जाना चाहिये। जब हम ऐसा करें तो लोगों में यह चेतना पैदा की जानी चाहिये कि वह समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों से प्रभावित न हो। लोगों में यह क्षमता पैदा हो कि वह पूरी शक्ति से इन समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध खड़े हो सकें। भारत की एकता का प्रश्न एक दल का प्रश्न नहीं इस के लिये सारे राष्ट्र के सहयोग की आवश्यकता है। यदि सरकार सचमुच देश में एकता की भावना का निर्माण करना चाहती है तो उसे अपने दल विशेष के संकीर्ण दृष्टिकोण को छोड़ना ही होगा। भारत के भविष्य के जो स्वप्न हम लेते रहते हैं उन सब का आधार देश की एकता का संरक्षण है। यदि ऐसा न किया गया तो देश का सर्वनाश हो जायेगा।

ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर इतनी ज्यादा बहस हो चुकी है कि मुझे इस पर बहुत ज्यादा अर्ज नहीं करना है, लेकिन ताहम मैं आप की इजाजत से दो एक प्वायंट्स अर्ज़ करना चाहता हूं।

जिस ज़माने में हमारे मुल्क में स्ट्रगल फ़ार लिबर्टी चल रही थी, उस वक्त इण्डियन पीनल कोड की दफा १२४ए और १५३ए को बेहद इस्तैमाल किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह सोचा हुआ था कि इन दो सेक्शन्ज़ से उन लोगों को रोका जा सकेगा, जो कि सेडीशन करते थे और जो स्ट्रगल फ़ार लिबर्टी को चला रहे थे। जब हम लोगों ने कांस्टीट्युशन बनाया, तो ये सब बातें हमारे सामने थीं कांस्टीटंयुएन्ट असेम्बली ने सबसे पहले सैक्शन १२४ए को, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में एक ज़बर्दस्त हथियार था, हटा दिया और लब्ज सेडीशन को उड़ा दिया गया। सैक्शन १२४ए और सैक्शन १५३ए के अलफाज शुरू से कुछ मिलते जुलते हैं। सच बात यह हे कि विलायत में इस बारे में लॉ है, वह १५३ए का नहीं है। सैक्शन १५३ए का जुर्म सेडीशन में मौजूद है और उस को सेडीशन ही कहा जाता है। ये दोनों कानून इस तरह मिलते जुलते थे कि इसमें दरअसल फ्रीडम आफ़ स्पीच एण्ड एक्सप्रैशन का सवाल आता है। चुनाचे जब हमने कांस्टीट्यूशन में फण्डामेंटल राइट्स रखे, तो उन में सबसे अव्वल जगह, प्रीमियर प्लेस, दफा १९ (i) को दी, जो कि इस तरह है—"सभी नागरिकों को अधिकार होगा—

(क) भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होगी।"

[श्री ठाकुरदास भार्गव]

बाकी चीज़ें पीछे थीं, लेकिन फ्रीडम श्राफ स्पीच एण्ड एक्सप्रैशन को बड़ी भारी जगह दी गई। मैं भी उन लोगों में से हूं, जिन्होंने सेडीशन को उड़ाने के लिये श्रमेंडमेंट भेजा था। उसके थोड़े श्ररसे बाद तकलीफ हुई, क्योंकि लोग सेडीशन स्पीचिज़ करते थे श्रौर लोगों को वायरलेंस के लिये कहते थे श्रौर हमारे पास उस को दुरुस्त करने के लिये कोई कानून नहीं था। इसकी वजह से हम को लॉ में तबदीली करनी पड़ी, जिस से इस सिलसिले में गवर्नमेंट को कुछ हक हासिल हो गया। लेकिन उस मौके पर हम यह भूल गये कि सेडीशन के बारे में हमने जो लॉ बनाया, उसकी वजह से दूसरे लॉ में इनरोड हो गया था।

मास्टर तारासिंह के केस के सिलसिले में ईस्ट पंजाब हाईकोर्ट ने दफ़ा १२४ए श्रौर १५३ए को इनवैलिड ठहराया श्रौर कहा कि वे दोनों दुरुस्त नहीं हैं। आपको याद होगा कि उस के बाद कांस्टीट्यूशन (फ़र्स्ट श्रमेंडमेंट) एक्ट श्राया, जिसकी रू से हाईकोर्ट के फैसले को मुस्तरिद कर दिया गया। लेकिन इससे ट्रबल दूर नहीं हुई। मैंने चन्द दफा श्रर्ज़ की है कि हम दफा १२४ए श्रौर १५३ए को एडैप्ट करें श्रौर कोई ऐसा कानून बनायें, जो हमारी गर्ज़ को पूरा करे श्रौर लीगल भी हो। कांस्टीट्यूशन (फर्स्ट श्रमेंडमेंट) एक्ट पंजाब हाईकोर्ट के फ़ैसले को तो हटाता है, लेकिन उसकी रीज़निंग को नहीं हटा सका है। श्रगर कांस्टीट्यूशन (१)श्रमेंडमेंट न होता तब तो यह सारा कानून मुस्ताद कर दिया जाता, लेकिन श्रब भी इस फैसले के मुस्तरद न होने से यह ट्रबल दूर नहीं हुई। मैं श्रर्ज करता हूं कि हमें इस लाइट में इस को देखना पड़ेगा कि हम जो नया कानून बना रहे हैं उससे, जो इस लॉ को बनाने का मंशा है उससे, १९(१) में जो **फ्रीडम श्राफ स्पीच एड एक्स्प्रेशन** की बात है, उस को तो धक्का नहीं पहुंचता है। यह कानून उस के बर्खिलाफ तो नहीं जाता है। हमारे सामने यह सवाल होगा जिसको हमें सोचना होगा। हमें देखना चाहिये कि जो हमारा फडामेंटल राइट है, जो हमारे लिये एक फंडामेंटल चीज है, उसके साथ हम खेल नहीं सकते। यह हमारे कांस्टीट्यूशन के श्रन्दर जो चीज दी हुई है उसको हमें जरूर देखना होगा। हम उसके बर्खिलाफ नहीं जा सकते। इसके बारे में जो चीज हमें मदद दे सकती है वह जो इसके श्रन्दर १९ (२) में रिजवशन किया गया है, वह है। यह इस तरह वह है :

> (२) खण्ड (१) के उपखण्ड (क) की कोई बात श्रपमानलेख, श्रपमान-वचन मानहानि, न्यायालय श्रावमान से श्रथवा शिष्टाचार या सदाचार पर श्राघात करने वाले, श्रथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने श्रथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले वाले किसी विषय, से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव श्रथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

सिर्फ इन चन्द श्रगराज के वास्ते जो बहुत लिमिटेड हैं, उनके इन्टरेस्ट में हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स रख सकते हैं, वर्ना श्रौर किसी इंटरेस्ट के वास्ते हम **फ्रीडम श्राफ स्पीच एंड एक्स्प्रैसन** पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते। हर एक कानून को बनाने के लिये यह जरूरी होगा देखना कि श्राया यह जो श्रल्फाज हैं, यह जो इंटरेस्ट हैं, उनमें से कोई उस चीज में श्राता है जो हम करने जा रहे हैं। श्राज नहीं तो कल श्राप इस कानून को बना लीजिये लेकिन यह हाईकोर्टस श्रौर सुप्रीम कोर्ट में जायेगा श्रौर यह चीज देखी जायेगी कि जहां तक १९(२)का सवाल है, यह उसकी रिक्वायरमेंटस को पूरा करता है या नहीं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि १२४ (ए) के अन्दर तीन एक्सप्लेनेशन्स थे और १५३ में एक एक्सप्लेनेशन था। यह एक्सप्लेनेशन इतने जरूरी हैं **फ्रीडम ग्राफ स्पीच एण्ड एक्सप्रेशन** के वास्ते जिसका ठिकाना नहीं है। आखिर आप क्या चाहते हैं बहुत से रिलीजन हैं जिनकी हम कद्र करते हैं, लेकिन उन रिलीजन्स का इन्फ्लुएन्स इसलिये नहीं हुआ कि उनमें बड़ी खराबियां भी थीं और उन्होंने ह्यूमन सोसायटी के अन्दर बड़ी खराबियां की हैं। बहुत से रिलीजंस लीडर्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। उनके अन्दर कितने ही गुण थे जिनकी वजह से उन की पूजा होती है, लेकिन उन के अन्दर अवगुण भी थे। किस तरह से आज उन की खराबियां बयान की जाती हैं कि हमारे लीडरों ने ऐसा किया, ऐसा किया। हमारे पैगम्बरों की बेइज्जती की जाती है, हमारे देवताओं की बेइज्जती की जाती है, लीडर्स की बेइज्जती की जाती है। लेकिन अगर दरअस्ल सोसायटी को बढ़ाना है, साइंस को बढ़ाना है और सही मानों में हमें उन्हें एप्रिशिएट करना है या जो बुराइयां फिल वाक्या उनमें थीं, उन को एक्सप्रेस किया जाता है अपने कांडक्ट को ढालने में, तो हर्गिज किसी किस्म का ऐतराज इसमें नहीं होना चाहिये।

जनाब को याद होगा कि, पंजाब के अन्दर एक बड़ा भारी मुकदमा चलाया गया जिस को "रंगीला रसूल केस" कहते हैं। उस केस के अन्दर क्या करार दिया गया? जहां तक इस बात का सवाल है कि हर पैगम्बर अच्छा है, उसकी इज्जत की जाय, यह सब ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स इन चीजों को दूर करने के वास्ते जो पैगम्बरों ने गलतियां की हैं, कोशिश करे या प्रोपेगण्डा करे तो वह जायज चीज है, वह गलत चीज नहीं है। इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि इसे देखना चाहिये कि क्या इस प्वाइंट ग्राफ व्यू से यह जो एक्सप्लेनेशन था, जो कि एक तरह से सेफ्टी वाल्व था, उस का हटा देना हमारे लिये जायज है या नहीं, और उसे हटा देने के बाद **फ्रीडम ग्राफ स्पीच ऐंड एक्सप्रेशन** का जो हमारा **फंडामेंटल राइट** है वह बचता है या नहीं।

मैं खुद इसका हामी हूं कि **फेसिपोरस ऐंड सेपरेटिस्ट टेन्डेंसीज** न हों और कौन ऐसा है जो आज के दिन आसाम का झगड़ा देखते हुए न चाहे कि यह झगड़े फौरन बन्द हों। कानून से बन्द हों, और अगर कानून से न बन्द हो सकें तो और तरह से बन्द हों। जैसा मेरे और दोस्तों के ने बतलाया, और मैं उन से ऐग्री करता हूं, कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिन से यह बन्द होने चाहियें, थे, और अगर वह उनसे बन्द नहीं होते और यह चीजें तरक्की पर हैं तो उसमें खुद हमारी गवर्नमेंट का कुसूर है। उनका रवैया इस तरह का नहीं है जिससे कि इस तरह की चीजें पैदा न हों। उनका रवैया ऐसा है जिस की रू से, भले ही आप उसे पार्टी का प्रेशर कहिये या किसी पार्टी की सपोर्ट कहिये जिस को यह नाराज नहीं करना चाहती, जस्टिस से काम नहीं लेती। इस की वजह से यह चीजें मौजूद हैं और उनको हटाना चाहिये। यहां पर श्री नाथ पाई ने फरमाया कि फिल वाकया और भी चीजें हैं, हमारा कांडक्ट है, गवर्नमेंट का कान्डक्ट, सब का कांडक्ट, गवर्नमेंट आफिशल्स का कांडक्ट, सब इसके लिये जिम्मेदार हैं कि हम इन्साफ से काम नहीं करते। हम पार्शियलिटी करते हैं, जिससे यह सब चीजें पैदा होती हैं, और उसको दूर करना चाहिये। लेकिन आज के दिन यह सवाल नहीं है।

आज के दिन मैंने जो तकरीरें सुनीं, बहुत से जनरल टापिक्स पर, वह फिल वाकया जर्मेन नहीं हैं इस बहस में। हमारे सामने सिर्फ सवाल यह है कि जिस कानून को बदलने की बात की जा रही है, उसको बदलने के लिये हर शक्स को अपनी बात पेश करनी चाहिये जो कि उस को बदलवाना चाहते हैं। जो दो से तीन बरस की सजा लाना चाहते हैं अगर वह सजा सख्त हो तो पब्लिक माइण्ड बहुत संगीन हो जाता है, अगर इस वजह से इस चीज को रक्खा गया है तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिये कि कितनों को दो साल की सजा दी गई और वह डिटरेंट साबित नहीं हुई,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जिसकी वजह से तीन साल की सजा की जा रही है। इस तरह की कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलीं। त्यागी साहब की यह शिकायत है कि इस बिल को अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया। तब सवाल यह है कि हम क्यों इस को तबदील करना चाहते हैं। अगर पुराने सेक्शन को हम देखेंगे, १५३(ए) को, जिसकी लीगल वैलिडिटी के वास्ते आज मास्टर तारासिंह का मुकदमा डाउट दिलाता है, उस को देखिये, दोनों सेक्शन्स को, पुराने और नये, मिलायें तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि फिल वाकया यह बिल मिसकंसीव्ड है। सब से अव्वल जो सवाल है वह यह कि इस में चार ग्राउण्ड्स लिखी हैं :

"धर्म, जाति, भाषा, जातपात अथवा सामुदाय के आधार पर जो कुछ भी हो।"

यह लिखा है कि **"आन एनी ग्राउंड व्हाटएवर"** इसमें मिस्टर त्यागी का उज्र यह है कि ग्राउण्ड वगैरह सारी की कुछ न कुछ मालूम करनी होंगी। यह जायज बात है। जब तक आप यह नहीं बतलायेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि कोई न कोई ग्राउण्ड होनी चाहिये। पहले जो अल्फाज थे वह बहुत वाइड थे, कोई ग्राउण्ड्स नहीं थीं जिनको लिखने की जरूरत थी। कोई नहीं कह सकता कि जो ग्राउंड बतलाये गये हैं वह सारे गलत हैं। अगर कोई ग्राउंड नहीं बतलायेंगे तो कोई सन्देह नहीं यह बहुत बुरी परम्परा होगी। आप इस को क्यों नहीं तब्दील करना चाहते हैं? आप ने लिखा है कि **"आन एनी ग्राउंड व्हाटएवर"** लेकिन ग्राउंड तो है। पहले जो ला था उस के अन्दर यह नहीं था। उस के अन्दर अगर कोई फीलिंग पैदा कर दे तो वह जिम्मेदार होता था। आप उस को रेस्ट्रिक्ट करते, बजाय इसके कि चौड़ा करते। इस बिल पर मेरा जो सब से बड़ा ऐतराज है वह यह है कि यह बिल एक तरह से ऐसी चीज को जुर्म बनाता है जो कि फिल वाक्या जुर्म नहीं है।

जुर्म की असली चीज़ इंटेंशन है। अगर किसी शख्स का इंटेंशन खराब नहीं है, वह नेक मोटिव से कोई काम करता है, तो भले ही आप उसे जुर्म बना दें लेकिनज वह जायज जुर्म नहीं है। अगर वह किसी चीज को सही समझता है अपने कनविक्शन के मुताबिक, तो लोग उस के साथ हमदर्दी रक्खेंगे। आज इस बिल में इंटेंशन का कोई जिक्र नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा काम करता है जिस से जो इस में दर्ज है उसका प्रमोशन हो जाय, चाहे उस की फीलिंग जो हो, तब भी वह जरूर जिम्मेदार है। इस में कोई इंटेंशन का सवाल नहीं रखा गया है। मैं जानता हूं कि तमाम रूलिंग्स हैं बम्बई हाई कोर्ट की और दूसरे दो तीन हाई कोर्ट्स की, जिनके अन्दर इन अल्फाज को लिखा गया है : कि प्रोत्साहन देता है अथवा प्रोसाहन देने का प्रयत्न करता है। इस के अन्दर उन्होंने एक तरह से कंस्ट्रक्टिवली लिखा है कि इस के अन्दर करार दिया गया है कि बू आती है, लेकिन फिल वाक्या कितनी ही रूलिंग्ज हैं जिन के अन्दर कोई कि १५३ के जुर्म के इंटेंशन का सवाल नहीं है। कुछ रूलिंग्स का इशारतन जिक्र किया गया लेकिन कुछ रूलिंग्स उस के बखिलाफ भी हैं। अब अगर फीलिंग्स या हेट्रेड वहां बन जाय तो इंटेंशन चाहे जो हो, **ही विल बी गिल्टी**। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह वाजिब नहीं है। इस उसूल को लेकर इस के अन्दर जो एक्सप्लेनेशन है, उसे आप ने हटा दिया। इसके माने हैं कि आप ने साफ कर दिया कि इंटेंशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर किसी शख्स की तहरीर से या तकरीर से यह चीज पैदा हो जायगी तो उस का कैसा भी इंटेंशन हो, यह गिल्टी हो जायेगी। यह चीज बिल्कुल नाजायज है।

मैं जानता हूं कि आपने लैंग्वेज लब्ज बढ़ाया है। मैं पंजाब से आता हूं और मैं जानता हूं कि लोगों की फीलिंग्स कितनी एक्ससाईज हो रही है। आसाम का किस्सा हमारे सामने है, बंगाल का

किस्सा हमारे सामने है, आल इंडिया किस्सा हमारे सामने है, हिन्दी पर और अंग्रेज़ी पर तूफान है, स्क्रिप्ट पर बहस थी कि उस को आल इंडिया कर दिया जाय। इस पर बड़े से बड़े बुजुर्ग राजाजी भी इस के वखिलाफ हैं और जो चाहते हैं वह कहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी इस से ऐग्री नहीं करते अगर यह ऐसा नहीं कहते तो वे सब से सब बेईमान हैं, जो उन सब के पार्शिल इंटरेस्ट हैं उन को वे ऐडवान्स करते हैं तो गलती करते हैं। लेकिन जो इसे नाजायज कहते हैं और चाहते हैं कि तब्दील हो जाय, तो लैंग्वेज़ के मुताबिक उन पर जुर्म होता है, वे कहां जायें? अगर आप इस की इजाजत नहीं देंगे और सेफ्टी वाल्व नहीं रक्खेंगे तो मुझे डर है कि आप जिस चीज को रोकना चाहते हैं वह डीप रूटेड हो कर अन्दर ही अन्दर कायम रहेगी और इस से ज्यादा नुक्सान पहुंचेगा। असल इलाज यह है कि आप सब चीज का मुकाबला करें दलील से खुले तौर पर जो चीज सामने आये उसे देखें। चाहे रीजन से या प्रोपेगंडा से, मुकाबला होना चाहिये। कानून से उसका इजहार बन्द करना वाजिब नहीं है। इस वास्ते मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई शक्स इल्लेजीटिमेट ? कार्रवाई करे तो उसको तो आपको जुर्म करार देना चाहिये लेकिन जो ऐसा न करे उसके खिलाफ यह कानून नहीं लागू किया जाना चाहिये।

आपने बर्थ से शिड्यूल्ड कास्ट बनाए हैं और मैं कई बार इस के बारे में कह चुका हूं कि यह मुनासिब नहीं है क्योंकि ऐसा करते हुये आप जो कास्टलैस सोसाइटी बनाना चाहते हैं वह कैसे बन सकती है। इस तरह तो आप जो चीज बनाना चाहते हैं उसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिये मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस चीज के बारे में लोगों में इमानदारी से इख्तिलाफ राय है उसको आप इस कानून की जद में न लाएं, अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी राय का सप्रेशन होगा और सप्रेशन से यह चीज दूर नहीं हो सकती।

अभी कल आपने सिखिस्तान का किस्सा सुना, हम अछूतिस्तान की बात भी सुनते हैं, कोई कोई जाटिस्तान की बात भी कहते हैं, द्रविड़िस्थान की बात भी की जाती है। सरकार इनको दूर करना चाहती थी लेकिन कानून होते हुये भी दूर नहीं कर सकी। ये चीजें इस तरह से दूर नहीं हो सकती। यह चीज तो फर्मनैंस से, समझाने से और प्रोपेगेंडा से दूर हो सकती है। अगर आप लोगों की राय को सप्रेस करेंगे तो ज्यादा खराबी आएगी। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह चीज इंटररेस्ट आफ जस्टिस के खिलाफ है, फंडामेंटलज राइट्स के खिलाफ है कि किसी की राय को इस तरह दबाया जाए। परमात्मा ने जब आदमी को जबान दी तो उसका मंशा था कि वह उसको जायज तौर पर इस्तैमाल करे। अगर कोई जायज तौर पर उसका इस्तैमाल करता है तो उसको इस कानून की जद में नहीं लाना चाहिये। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने एक्सप्लेनेशन हटा कर गलती की है। दफा १२४ का जो एक्सप्लेनेशन था उस पर बाल गंगाधर तिलक ने स्टेंड लिया था और उससे हजारों आदमियों को प्रोटेक्शन मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए उनमें उसने कुछ लूपहोल रखे थे और वे कहते थे कि उनसे उनको मदद मिलती है। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन को हटाना मुनासिब नहीं है। ऐसा करना मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है।

इसके अलावा आप मुलाहिजा फरमाएं। इसका एक दूसरा पैरा है उसमें यह लिखा है: "कि कोई ऐसा कृत्य करता है जो कि देश की एकता और विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषा वर्गों के विरुद्ध जाता है। और जिसको जनशांति के भंग होने की सम्भावना हो अथवा होती हो। मैं यह अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो ये अल्फाज़ हैं। "विच इन्ज़ प्रेजूडीशियल टू हारमनी"

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ये वेग हैं और मिसचीवियस हैं। इनके बीच में बहुत सी चीजें आ जाएंगी। मैं समझता हूं कि इन अल्फाज को रखना मुनासिब नहीं है। ये अल्फाज अभी तक किसी कानून में नहीं आए हैं और इनके बारे में कोई राय नहीं दी गई है। इसलिये इनको इसमें न रखा जाए —इसमें दो शक्लें हैं, एक तो है "विच डिसट्बर्स पबलिक ट्रांक्विलिटी" और दूसरी है "विच इज लाइकली टू डिस्टर्ब दी पबलिक ट्रांक्विलिटी" जहां तक पहले हिस्से का सवाल है वह तो कांस्टीट्यूशन का दफा १९ (२) में आ जाता है लेकिन दूसरा हिस्सा उस दफा के खिलाफ जाता है। अगर इसी तरह इस कानून को बना दिया गया और अल्फाज "लाइकली टू डिस्टर्ब दी पबलिक ट्रांक्विलिटी" को रहने दिया गया तो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको गैर कानूनी करार दे देगी। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इसका पहला हिस्सा तो जायज है, लेकिन जब आप कहते हैं "लाइकली टू डिस्टर्ब" तो इससे कानून बहुत चौड़ा हो जाता है।

इसलिये मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आप इस कानून को सीमित कीजिये, इसमें एक्सप्लेनेशन को रखिये और कांस्टीट्यूशन की दफ़ा १९ (२) की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कीजिए, नहीं तो यह डर है कि यह ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के फैसले की वेजूहात जद में आ जाएगा और गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। आपके कानून का पहला हिस्सा १९ (२) को ओफेंड करता है और दूसरा बहुत वसी है।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं): आशा थी कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् देश के लोग जीवन के सभी अंगों में देश को आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। और देश के गौरव और एकता की हर कीमत पर रक्षा करने का प्रयत्न होगा। परन्तु यह खेद की बात है कि ऐसा हो नहीं पाया। देश में यदा कदा राष्ट्रीय एकता खण्डित होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यद्यपि हमारी इच्छा सदैव राष्ट्रीय एकता बनाये रखने की होती है। सच मुच यह बड़े खेद की बात है कि हम लोग अब भी जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर सोचते हैं। ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। अभी हाल आसाम और जबलपुर में जो कुछ हुआ है उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समस्या पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जिन कारणों से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उन बुराईयों को केवल कानून से ही समाप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु ऐसी घटनाएं न हों इस के लिये बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरा मत यह है कि यदि निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग समय पर रहने दिया जाता तो कोई बुरी घटना न हो पाती। इस कानून का समुचित प्रयोग नहीं किया गया है।

जो परिवर्तन हम कर रहे हैं उससे धारा १५३ का क्षेत्र कम हो जायेगा मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मत यह है कि यह सोचना गलत है कि प्रस्तुत से नयी धारा १५३ का क्षेत्राधिकार कम हो जायेगा। मैं तो यही कहूंगा कि यह संशोधन बड़ा उचित संशोधन है जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। धर्म के नाम पर सरकार के विरुद्ध जो निराधार आरोप लगाये जाते हैं, उन की और सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये। अभी हाल दिल्ली में जो मुस्लिम सम्मेलन हुआ था उसके कुछ प्रस्ताव इस बात के सजीव उदाहरण हैं। इस सम्मेलन में कई एक ऐसी निराधार बातें कही गई जिनका प्रतिवाद हमारे पुनर्वास मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना

†मूल अंग्रेजी में

ने किया। इन सब बातों को देखते हुये मुझे आशा करनी चाहिये कि सरकार मेरे संशोधन की ओर समुचित ध्यान देगी। मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं यद्यपि इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो विधान पास किया जा रहा है उससे समस्या का हल होना सम्भव नहीं। इस पर भी मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा यह भी मत है कि हमारा देश प्रतिक्रियावादी परिस्थितियों में रहा है आज भी विघटन की भारी समस्या देश के समक्ष है। देश की समस्या को कानून द्वारा हल करना कोई समस्या का ध्यावहारिक हल नहीं है।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुई]

मैं इस विचार का भी हूं कि राज्य की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिये धारा १५३ का जैसा उपबन्ध बड़ा आवश्यक है इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष बना रहे। इस बात के लिये हमारी सरकार को हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। वैसे तो मैं यही महसूस करता हूं कि देश में इस समय जो स्थिति विद्यमान है उसका सामना करने के लिये यह विधेयक बड़ा ही आवश्यक है। जो कुछ आसाम तथा अन्य स्थानों पर हुआ है उससे स्पष्ट हो जाता है कि लोगों की रक्षा तथा सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने के लिये विधि की शरण लेनी ही पड़ती है। कोई उपाय न रह जाये तो कानून द्वारा अराजकता को रोकना ही पड़ता है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश) : जो विधेयक इस समय सदन के समक्ष है हमें उस पर विचार करते समय यह देखना चाहिये कि क्या उससे राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य प्राप्त किया. जा सकेगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह विधेयक एक सरल विधेयक है। मेरा मत तो स्पष्ट है कि यह विधेयक अत्यन्त विवादास्पद विधेयकों में से एक है। सारी परिस्थितियों को देखते हुये प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रस्तावित संशोधन से समस्या का हल किया जा सकेगा? आम चुनाव आने वाले हैं। कई क्षेत्रों में चुनाव का मुख्य नारा भाषा पर आधारित होगा भाषा का प्रश्न केवल पंजाब और आसाम में ही देखने को नहीं मिलेगा प्रत्युत इसकी आवाज महाराष्ट्र में भी सुनाई देगी। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यदि चुनाव के अवसर पर दिये गये किसी भाषण का कुल मिला कर प्रभाव यह हो कि उससे वैमनस्य उत्पन्न होता है तो उस पर धारा १५३ का लागू होगी। चाहे भाषण देने वाले का आशय बुरा न रहा हो। मेरा मत यह है कि यह कमी धारा के प्रथम भाग में "द्वेष भाव से" शब्द जोड़ कर दूर की जा सकती है। परन्तु इस स्थिति में द्वेष भाव सिद्ध करने की कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। इस धारा में भाषायी समूह का उल्लेख करने का परिणाम यह होगा कि भाषा के बारे में दिये गये किसी भी भाषण पर चाहे वह कितना ही निरूपद्रवी हो, विधेयक के अन्तर्गत आ जायेगा। अतः मैं सरकार से यह आशा करना चाहता हूं कि इस धारा पर सावधानी पूर्वक विचार कर इसे नये सिरे से बनाया जाये।

धारा १५३ क की व्याख्या को हटाने का सिद्धान्त तो ठीक है कि साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाले लोग उसका अनुचित लाभ न उठा सकें। व्याख्या में कहा गया है कि अपराध तब तक नहीं माना जायेगा जब कि यह सिद्ध न हो जाये कि उसके पीछे कोई बुरा मंशा था। लेकिन इन शब्दों को हटाने से पूरी धारा निरर्थक हो जायेगी। राष्ट्रीय एकीकरण विधान बना कर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

जैसे कि पंजाब में पंजाबी सूबे के समर्थन में किये जाने वाले हर प्रकार के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा देने से ही तो समस्या हल नहीं हो जायेगी।

हर विधान को देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप बनाना चाहिये। इसके लिये सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये। इलाज ऐसा तो नहीं होना चाहिये जिससे मर्ज और बढ़ जाये ––साम्प्रदायिक तनाव और बढ़ जाये।

मेरा दूसरा सुझाव है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। वही इसकी शब्दावली की यथासंभव अधिकतम उपयोगी रूप दे सकेगी।

मेरी राय में यह विधेयक अत्याधिक विवाद-ग्रस्त विधेयक है। इसका प्रारूप तैयार करना बड़ा दुष्कर कार्य है। किसी भी माननीय सदस्य ने इसका पूरा-पूरा समर्थन नहीं किया है। हम इसके सिद्धान्त का समर्थन करते हैं, पर इसका रूप अधिक उपयोगी और त्रुटिहीन बनाया जाना चाहिये। उसका तरीका यही है कि इसे राय जानने के लिये परिचालित किया जाये। और उसके बाद प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

†**श्री हिनिटा** (स्वायत्त ज़िले –रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : खेद की बात है कि आदिम जातियों के एक भी प्रतिनिधि को इस पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

†**सभापति महोदय :** आपको अवसर मिलेगा।

†**श्री गणपति सहाय** (सुलतानपुर) : भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय मंत्री ने इसके बारे में जो कहा है उससे मैं एक मोटे तौर पर सहमत हूं। इधर देश में साम्प्रदायिकता और वर्ग-भेद का बड़ा प्रचार हुआ है। उसे रोकना नितान्त आवश्यक है।

यह नयी धारा १५३ ख १८९८ में जोड़ी गई थी। तभी से इसका प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता रहा है। महान् देशभक्त बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध इसी धारा के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था।

अब इस नये संशोधन का उद्देश्य साम्प्रदायिक फूट को रोकना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि संशोधन के वर्तमान स्वरूप से यह उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिये कि इस धारा में से, इस संशोधन के अनुसार, "भारतीय नागरिकों के वर्गों" शब्दों को हटा देने से, पूरी धारा प्रभाव हीन हो जायेगी।

हमारे यहां चुनावों के समय जैसा प्रचार किया जाता है, उसे देखिये। गो-बध को भी प्रचार का साधन बनाया जाता है। उसे इस संशोधित धारा के अन्तर्गत नहीं रोका जा सकेगा। सभी चुनाव तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा २५ (१२) के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिये कुछ चुनावों पर वह भी लागू नहीं किया जा सकता। स्थानीय निकायों और पंचायतों, इत्यादि के चुनावों पर वह लागू नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये "भारतीय नागरिकों के वर्गों" के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले प्रचार को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिये। तभी यह धारा व्यापक अर्थों में लागू की जा सकेगी। इसलिये इन शब्दों को हटाया नहीं जाना चाहिये।

†श्री हिनिटा : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। पिछले पन्द्रह वर्ष में इससे अधिक अशोभनीय विधेयक सभा के सामने नहीं आया। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को त्रस्त करना है। इसके उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में स्पष्ट कहा गया है कि इसका उद्देश्य अलगाव की फूटपरस्त प्रवृत्तियां रोकना है। अलगाव किससे? संघ क्षेत्रों से?

नागाओं के अतिरिक्त और तो किसी ने भारतीय संघ से अलग कराने की मांग की नहीं है। इसका साफ मतलब है कि हम आगे से वैसी मांग न कर सकें।

हर भारतीय नागरिक का यह अधिकार है कि यदि राज्यों के वर्तमान गठन में उसे अपना व्यक्तित्व नष्ट होता मालूम पड़े, उसे अपनी भाषा का दमन होता दिखे, तो वह किसी दूसरे अच्छे प्रशासन की मांग करे।

मैं भारतीय इसीलिये हूं कि मैं आदिम जाति का हूं। दोनों रूप परस्पर विरोधी नहीं हैं।

लेकिन आसाम राज्य में हमारी आदिम जाति के रूप को, हमारी भाषा को कुचला जा रहा है। इसलिये आसाम से अलग होने की मांग करना हमारा मूलभूत अधिकार है।

कैबिनट मिशन ने आसाम को बंगाल में मिलाने की सिफारिश की थी, लेकिन आसाम ने बंगाल में मिलने से अलग रहना और भारतीय संघ को छोड़ना अधिक श्रेयस्कर समझा था। ऐसे लोगों को ही अब आप और मजबूत बनाना चाहते हैं।

आसाम में उन लोगों के लिये कोई स्थान नहीं जिनकी मातृभाषा आसामी नहीं है। आसामी भाषा सीखे बिना, मेरी वहां गुजर नहीं।

हमें गृह-कार्य मंत्री से आशा थी कि वह हम पर आसामीकरण को थोपने नहीं देंगे। लेकिन उनके ६ जून, १९६१ के वक्तव्य से हमारी आशाओं पर तुषारपात हो गया है। जब कि १७ मई, १९६१ को प्रधान मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था कि ज़िले के स्तर पर अपनी भाषा चुनने का अधिकार हमें मिलेगा।

इस विधेयक का एक मात्र उद्देश्य नागाओं को कुचलना है। यदि न होता, तो अन्य सभी प्रयोजनों के लिये वर्तमान अधिनियम की व्यवस्थायें पर्याप्त थीं।

इस विधेयक में उन लोगों के लिये दण्ड की व्यवस्था की जा रही है जो विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषा के लोगों में फूट फैलायें। अब यदि कोई बंगाली बंगाल जा कर लोगों को बताये कि आसाम में बंगालियों पर कितना अत्याचार किया गया है, तो सचाई कहने के लिये उसे इस विधेयक के अधीन दण्डित किया जायेगा। लोक तांत्रिक समाज में ऐसे विधेयक के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धान्त यही है कि जनता को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोगों को अपनी बात कहने का अवसर न दे कर, देश में एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासदुर) : मेरे पूर्व वक्ता ने इस विधेयक के विरोध में जो उत्तेजक बातें कही हैं, उनसे इसका औचित्य पूरी तौर पर सिद्ध हो जाता है ।

मैं उनको बताना चाहता हूं कि हर माननीय संस्था की भांति लोकतंत्र भी पूर्ण नहीं होता । मैं तो समझता हूं कि यह विधेयक सामाजिक स्वास्थ्य के लिये बड़ा लाभ-प्रद है। यह उन तमाम बुराइयों को दूर करने में हमारी मदद करेगा, जिन को दूर करने के लिये हम वर्षों से प्रयत्नशील रहे हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह बिल्कुल ग़लत है कि भारत सरकार आदिम जातियों की उन्नति में बाधक बन रही है । कोई नहीं कहता कि आदिम जातियों की अपनी भाषा नहीं होनी चाहिये । 'नेफा' में भाषाओं के विकास को पूरा-पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

हमारे प्रधान मंत्री ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि सरकार किसी भी व्यक्ति या भाषा के विकास में बाधक नहीं बनना चाहती ।

किसी ने कहा था कि कांग्रेस को चुनावों में जीतने की आशा नहीं है। इसीलिये यह विधेयक रखा जा रहा है। कांग्रेस भाषा के प्रश्न पर गड़बड़ी फैला कर चुनाव नहीं जीतना चाहती। हम कल्याणकारी राज्य के निर्माण के नारे के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। इस नारे पर हम दो जुनाव जीत ही चुके हैं ।

जो भी भारत की एकता और एकता को दृढ़ बनाने का हामी है, वह इस विधेयक का समर्थन अवश्य करेगा, क्योंकि सामाजिक बुराइयां दूर करने का यही एक मार्ग है ।

विभाजन से पहले के पंजाब में भी यही सब बुराइयां मौजूद थीं । जातियों और सम्प्रदायों में झगड़े चल रहे थे । उसी के फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ ।

अब अपने देश में उन बुराइयों को फिर से सिर नहीं उठाने देना चाहिये । इसीलिये इस विधेयक की बड़ी आवश्यकता है । देश की समूची जनता ऐसे विधेयक के पक्ष में है । भाषा के नारे पर फैलने वाली अव्यवस्था से किसी को भी प्रसन्नता नहीं है ।

मैं बिलकुल इसी पक्ष में हूं कि सभी साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये । लेकिन सरकार का ख्याल है कि अभी उसके लिये उपयुक्त परिस्थितियां नहीं हैं । लेकिन उसका भी एक दिन अवश्य आयेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस संशोधन को अनावश्यक बताया है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्थायें पहले से मौजूद हैं । परन्तु विभिन्न अवसरों पर हमें विभिन्न बातों पर अधिक जोर देना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक से मेरे राज्य में तो सामान्य स्थिति पैदा करने में अवश्य सहायता मिलेगी। आज धर्म को पृथक्वादी प्रवृत्तियों का अखाड़ा बना दिया गया है । इसलिये ऐसी व्यवस्था बड़ी जरूरी है ।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि दण्ड दो वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर देना पर्याप्त नहीं है; उससे कोई लाभ नहीं होगा । यह सब इस पर निर्भर करेगा कि इसे किस ढंग से कार्यान्वित किया जाता है ।

मैं इससे सहमत हूं कि इस विधेयक की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिये । मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाने वालों में सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा । मूल प्रश्न यह है कि क्या हम इसे भारत की एकता को ध्यान में रख कर कार्यान्वित करेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय की एक समिति इस समस्या का अध्ययन कर रही है। कांग्रेस दल भी इसका अध्ययन कर रहा है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार के विधान जनता में एकता की भावना पैदा करने, उसे दृढ़ करने के साधन हैं । इसका काम जमीन तैयार करना है । वैसे केवल विधान बनाने से समस्या हल नहीं होगी । हमें कुछ और भी करना पड़ेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा आगे की कार्यवाही शुरू करेगी ।

बाढ़ की स्थिति के बारे प्रस्ताव—(जारी)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री गोरे और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा २८ अगस्त, १९६१ को रखे गये प्रस्तावों पर आगे चर्चा करेगी । पहला प्रस्ताव बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत मंत्री के ७ अगस्त, १९६१ के वक्तव्य पर विचार करने का है; और दूसरा महानदी की बाढ़ों की रोकथाम के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक बाढ़-नियंत्रण उपायों की आवश्यकता के सम्बन्ध में है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष में हमारे देश में बाढ़ों का सबसे अधिक जोर रहा है । केरल, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी बाढ़ों का जोर रहा है । दिल्ली में भी बाढ़ आई है । इससे अकेले मद्रास राज्य को लगभग एक करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है । केरल में सौ व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं । उड़ीसा में, सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, ७,५०,००० व्यक्ति बाढ़-पीड़ित हुये हैं, बाढ़ों से १,८७५ गावों के ३,४००० घरों को हानि पहुंची है। सम्बलपुर, कटक और पुरी में छः लाख एकड़ भूमि की फसल बर्बाद हो गई है ।

बाढ़ों का प्रभाव १४ में से ८ राज्यों पर पड़ा है । इसलिये यही सबसे उपयुक्त समय है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय बाढ़ों की रोकथाम के लिये किये जा सकने वाले उपायों पर गम्भीरता से विचार करे । माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बाढ़ों के नियंत्रण के लिये कुछ अल्प कालीन और कुछ दीर्घकालीन उपाय किये जा चुके हैं । लेकिन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दसवीं बैठक में यह स्वीकार किया जा चुका है कि सभी राज्यों ने दीर्घकालीन उपाय नहीं किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वक्तव्य से यह पता नहीं चलता कि केन्द्र ने उन राज्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के प्रकाशनों से स्पष्ट है कि राज्यों ने इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकारों के प्रकाशनों से भी यह स्पष्ट हो जाता है।

केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड की दसवीं बैठक १६६० में हुई थी। बोर्ड ने यही निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी राज्य ने बाढ़-नियंत्रण की वृहद योजनायें तैयार नहीं की थी। इसका क्या कारण है ? शायद केन्द्रीय सरकार भी अब इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रभावशाली ढंग से बाढ़-नियंत्रण वास्तव में किया ही नहीं जा सकता। शायद इसीलिये उसने राज्य सरकारों को ढील दे रखी है।

मैं अभी-अभी मंत्रालय का प्रकाशन देखा है। उसमें देश के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की सूची में उड़ीसा को सम्मिलित ही नहीं किया गया है। जब कि सभी जानते हैं कि उड़ीसा पिछले सौ वर्ष से बाढ़-पीड़ित रहा है।

माननीय मंत्री जी से मैं इन चार बातों का उत्तर चाहता हूं। पहली तो यह कि भूमि संरक्षण के गहन उपाय करने की सिफारिश की गई थी। गत दस वर्ष में किन-किन राज्यों में थे उपाय किये गये दूसरे किन-किन राज्यों ने जलागम क्षेत्रों में गहन भूमि प्रबन्ध कार्यक्रम आरभ किया। किन-किन राज्यों ने भूमि संरक्षण कार्य के लिये अलग विभागों की स्थापना की। इस से हमें पता चलेगा कि सरकार ने गत दस ग्यारह वर्षों में इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया या नहीं। प्रत्येक राज्य में बाढ़ों के बारे में पहले से चेतावनी देने के केन्द्र खोलने की सिफारिश की गई थी। ऐसे कितने केन्द्र खोले गये। चौथे यह कि मौसमी जानकारी कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी जिन में आधुनिकतम उपकरण हों। इस बार महानदी में बाढ़ आने पर हीराकुद बांध के प्राधिकारियों को कलकत्ता के कार्यालय से मौसम सम्बन्धी जानकारी हासिल करनी पड़ी।

प्रथम जुलाई से लगातार वर्षा हो रही थी। पहले से यह निश्चित किया हुआ है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में हरिकुड जलाशय ने पानी का स्तर ५६० फुट रखा जायेगा तो क्या कारण है कि उसे ६१७ फुट रखा गया। इसकी जांच की जानी चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा था कि हमारे बांध इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाये गये हैं कि वे बाढ़ का पानी भी जमा कर सकें। हीराकुद बांध में ४० फुट की व्यवस्था की जा रही थी जो जुलाई, १६६१ में-१७ फुट ही रह गई जिस के कारण बाढ़ का और पानी उस में नहीं समा सका।

उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त की गई बाढ़ जांच समिति ने अपनी अन्तर्कालीन रिपोर्ट मुख्य मंत्री को पेश की जा चुकी है। माननीय मंत्री को अभी तक नहीं मिली। यह कैसे संभव है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार को विचार करना चाहिये।

माननीय मंत्री ने टीकरपाड़ा के स्थान पर २०० करोड़ रुपये की लागत से एक बान्ध बनाने के बारे में कहा है। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि चतुर्थ पंचगर्षीय योजना की समाप्ति तक यह बान्ध तैयार हो जाये।

धनुआ, कदुआ, पाची और कुसाभद्र के पानी निकलने के मार्गों में भी रेत जमा हो गई है इनकी रेत साफ कर दी जानी चाहिये ताकि बाढ़ का पानी शीघ्र समुद्र में जा सके। जिस से अब १५ या २० दिन लग जाते हैं। । इसके साथ चिल्का झील का भी विकास किया जाना चाहिये।

†**श्री बासप्पा** (तिप्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी यह शिकायत है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा निकाली गई पुस्तिका में और माननीय मंत्री के वक्तव्य में मैसूर की बाढ़ का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही सरकार ने बाढ़ नियंत्रण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। मैसुर की स्थिति ऐसी है कि कुछ महीनों में वहां बाढ़ का सामना करना पड़ता और कुछ महीनों में पानी की कमी का परन्तु दुर्भाग्य यह है कि केन्द्रीय सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, बंगाल और उत्तर प्रदेश जिलों में लगभग हर साल अधिक बाढ़ें आती हैं। इस के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी बाढ़ आती है परन्तु उतनी अधिक नहीं। इस बार मैसूर में १८ जिलों में से १४ जिलों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा। हेमवती, काबेरी, काली और तुंगभद्रा ने बहुत हानि पहुंचा। कुल मिला कर लगभग ३ करोड़ रुपये की हानि हुई।

हाल ही की बाढ़ों में सेना ने हेमवती पर पुल बनाकर और पानी से घिरे हुए लोगों को विमानों द्वारा खुराक पहुंचा कर सेना और वायु सेना ने हमारी जो सहायता की वह प्रशंसनीय है।

हर साल लगभग १०० करोड़ रुपये की हानि बाढ़ों के कारण होती है। इसका कोई उपाय किया जाना चाहिये। मैसूर और मद्रास और उधर मैसूर और आंध्र प्रदेश में कुछ विवाद होने के कारण मैसूर राज्य में बाढ़ नियंत्रण का कोई उपाय ही नहीं किया गया है।

द्वितीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिये ६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु ततीय योजना में यह उत्तर दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी केन्द्र को अपने ऊपर ही रखनी चाहिये।

पंचेट बांध और खड़कवासला बांधों का निर्माण करते समय वहां कुछ फाटक लगाये जाने चाहियें थे तो आपातकाल में खोल दिये जाते। इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये।

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचसाला योजना के अन्दर ६६१ करोड़ रुपया सिंचाई विभाग के लिये रखा गया है जिस में से सिर्फ ६१ करोड़ रुपया फ्लड कन्ट्रोल और वाटर लागिंग के लिए जहै।

आप जानते हैं कि पंजाब के अन्दर पिछले दस बारह सालों के अन्दर २०० करोड़ रुपया नहरों के ऊपर और बिजली के ऊपर खर्च हुआ है और उस के जरिए ६० लाख एकड़ जमीन सिंचाई के नीचे आयी। लेकिन उसी के साथ पिछले १०–१२ साल में पंजाब के अन्दर वाटरलागिंग के नीचे तीस लाख एकड़ भूमि आ गयी। उस के इन्तिजाम के लिए सौ दो सौ करोड़ रुपया नहीं चाहिए, ५०–६० करोड़ रुपए से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्लानिंग कैसा है कि उस के लिये यह रुपया नहीं दिया जाता। आप भाखड़ा डैम से तीस लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिए सौ करोड़ रुपया खर्च कर रहें वे और उस पर १४ साल से काम लगा हुआ है और अभी उस में और भी समय लगेगा तब कहीं उसका पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन यहां तो केवल ५०–६० करोड़ रुपए में उतना ही फायदा हो सकता है और उसका फायदा आप को दूसरे साल में ही मिलने लगेगा। लेकिन इस के लिए रुपया नहीं रखा गया। मेरा खयाल है कि जो ६१ करोड़ रुपया इस काम के लिख रखा गया है उसको बढ़ाना चाहिए और पंजाब को ज्यादा से ज्यादा रुपया मिलना चाहिए ताकि उस के वाटर लागड एरिया का इन्तिजाम हो सके और उस एरिया में फिर पहले जैसी पैदावार होने लगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पिछले साल भी मेरे जिले रोहतक और रोहतक शहर में बाढ़ आयी थी लेकिन उस वक्त मेरा पैर टूटा हुआ था और मैं अस्पताल में था। और यह बाढ़ ड्रेन नं० आठ की वजह से आयी थी।

उपाध्यक्ष महोदय: शुक्र कीजिए कि आप उस वक्त अस्पताल में थे।

चौ० रणवीर सिंह: मैं नहीं जानता कि अस्पताल में होने के लिए मुझे ईश्वर का शुक्र करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: फ्लड का असर इस वजह से आप पर नहीं पड़ा।

चौ० रणवीर सिंह: बाढ़ का असर तो मेरे चुनाव क्षेत्र के ऊपर पड़ना ही था। लेकिन मुझे खुशी है कि पंजाब की सरकार ने और हिन्दुस्तान की सरकार ने बाढ़ग्रस्त लोगों को ज्यादा से ज्यादा इमदाद की और मेरे हलके के ऊपर डेढ़ करोड़ के करीब रुपया खर्च किया गया बाढ़ग्रस्त लोगों को इमदाद देने में।

मैं आप से निवेदन करूं कि ड्रेन नम्बर ८ के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए पंजाब की सरकार ने एक करोड़ रुपया निकाला और वह उस स्कीम को तेजी के साथ पूरा करना चाहते थे लेकिन बदकिस्मती है रोहतक की और दिल्ली के देहात की कि वह काम पूरा न हो सका और आज रोहतक के २८६ गांवों में और दिल्ली के ६० गांवों में ड्रेन नम्बर ८ और ६ के पानी के कारण बाढ़ आ गयी। और यह बाढ़ केवल इसलिए आयी कि दिल्ली के कई नेताओं ने पंजाब की सरकार को काम नहीं करने दिया। पंजाब सरकार इस ड्रेन को जमुना में मिलाना चाहती थी और इस के लिये लोग वे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे। वह बहुत अच्छे इन्सान हैं और किसी आदमी की चोट से उनका दिल तड़प उठता है। तो उन्होंने समझा कि इस बात को देखा जाए। लेकिन दिल्ली के लोक सभा के सदस्यों ने पंजाब सरकार को काम नहीं करने दिया और आज फिर इस इलाके में बाढ़ आयी है और रोहतक जिले में काफी से ज्यादा नुकसान हुआ। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि उन दोस्तों ने, जो दिल्ली में भारत सेवक समाज के कार-मुख्तार हैं, ड्रेन को गहरा, डीपन, करने और नजफगढ़ झील के पानी को जमुना के साथ जोड़ने का ठेका लिया, लेकिन वे उस काम को नहीं कर पाये और न हीं उन्होंने पंजाब सरकार को काम करने दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के देहात में किसानों की लाखों रुपये की फ़सल तबाह हुई ---दिल्ली के ६० देहात को और रोहतक ज़िले के २८६ देहात को तबाही का मुंह देखना पड़ रहा है। श्री पाणिग्रही ने कहा कि पिछले दस बारह सालों में फ्लड कंट्रोल और ड्रेनज़ के बारे में कोई काम नहीं किया गया है। मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में काम किया गया है। हम जानते हैं कि पहले अम्बाला और करनाल में फ्लड्ज़ आते थे और उनका इलाज हो गया है। लेकिन उस के साथ ही उसका असर यह भी हुआ है कि अम्बाला और करनाल का सारे का सारा पानी रोहतक में आता है और पिछले चार पांच सालों से रोहतक ज़िले को तबाह करता है, क्योंकि ड्रेन नम्बर ८ का कोई आउट-फाल नहीं है जो किसी दरिया में गिरता हो। अब पंजाब सरकार ने कोशिश की थी कि उसको जमना से जोड़ दिया जाये, ताकि दिल्ली और रोहतक के देहात को बचाया जा सके, लेकिन यह बद-किस्मती हम देहातियों की कि ऐसा नहीं हो सका है। मैं जानता हूं कि यहां पर दिल्ली प्रदेश में देहातियों के नुमांयदे भी थे, लेकिन उन में से एक ने भी इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई, । जिन लोगों ने इस बड़े काम को इनने थोड़े अर्से में करने का ठेका लिया, वे उस में फेल हुए। वे दिल्ली राज्य के काम में भी रोड़ा बने और पंजाब सरकार के काम में भी रोड़ा बने।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसमें प्लानिंग की भी गलती है। अगर ड्रेन्ज वगैरह के सिलसिले में ऊपर के बजाय पहले नीचे आउटफ़ल इन्तजाम किया जाये, तो ज्यादा अच्छा होता है ताकि किसी को नुकसान न हो, वर्ना नतीजा यह होता है कि अम्बाला और करनाल तो तबाही से बच गये, लेकिन रोहतक और दिल्ली के देहात की तबाही बड़ी भयकर बढ़ती जा रही है। मैं मंत्रीं महोदय और हिन्दुस्तान की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा दोस्त हो, चाहे वह दिल्ली से लोक-सभा का सदस्य हो, चाहे कोई भाई सौ, दो सौ लोगों के साथ यहां पर आये, लेकिन अगर उसकी बात सही नहीं है, उस को नहीं माना जाना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि अगर कुछ भाई आते हैं, तो उनकी बात सुननी ही चाहिये। उनके दबाव को मानना कोई सही तरीका नहीं है। अगर कोई मुकाबला करना चाहे तो मैं उनसे दस गुना आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मंत्री महोदय की सेवा में पेश कर सकता हूं। लेकिन मैं मानता था और आज भी मानता हूं कि यह तरीका गलत है और इसीलिये मैं हिन्दुस्तान की सरकार के मंत्रियों, हाफिज जी और हाथी साहब, से प्रार्थना करता हूं कि वे किसी दबाव में न आयें और वे एक ही दबाव मानें और वह यह कि दिल्ली और रोहतक के देहात के लोगों की तबाही बचे। उनको तबाही से बचाने के लिये जो भी प्रोग्राम हो, उस को जल्दी से चलाया जाये। अगर दिल्ली का भारत सेवक समाज इस काम को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसको बीच में से निकाल दिया जाये और जो कोई भी ठेकेदार उस पानी को जमना से जोड़ सकता है--और वह जुड़ सकता है--उसको वह काम दिया जाये। यह तबाही कई महीने तक चलेगी। जहाजगढ़ के इलाके में तो तबाही पिछले पांच साल से चल रही है। लोग पिछले पांच साल से फसल नहीं बो सके हैं। उस तबाही से उस इलाके को बचाया जा सकता है और उसके लिये अहम कदम जितनी जल्दी हो सके, उटाये जायें।

भारत सेवक समाज से मेरा वास्ता रहा है और उसके लिये मेरे दिल में श्रद्धा है, लेकिन भारत सेवक समाज की संस्था से भी ऊपर भारत के नर-नारियों का हित है और वही सब से बड़ी सेवा है। अगर उसको बीच में से निकालने की आवश्यकता हो, तो उस को निकाला जाये।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगज) : श्रीमान्, मुझे गोरखपुर में रहते ३२ वर्ष हो गये हैं परन्तु मैंने इतनी भयंकर बाढ़ वहां पहले कभी नहीं देखी। चारों ओर पानी फैला हुआ है। जिले का एक तिहाई भाग पानी में डूबा हुआ है लगभग ५ लाख लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है और १० करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। मुख्य मंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दोरा करते समय भी यही कहा कि यह बाढ़ अभूतपूर्व है। पहले कभी इतनी हानि नहीं हुई। यह सारी तबाही गंडक नदी के मार्ग बदलने और उसका पानी रोहिनी और राप्ती नदियों में आने के कारण हुई ?

इसे रोकने के लिये आवश्यक है कि नेपाल में गंडक नदी पर बांध बनाया जाये। इससे नेपाल के कई क्षेत्र भी बाढ़ से बच जायेंगे और भारत के भी। यह सुझाव १९३८ में दिया गया था परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब भी यदि इसे कार्यान्वित कर दिया जाये तो गोरखपुर और बस्ती को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

१९५७ में मैंने गागरा और राप्ती नदी पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया था प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि तृतीय योजना में उस पर विचार किया जायेगा परन्तु योजना प्रकाशित हो चुकी है और इसका कहीं उल्लेख नहीं। उत्तर प्रदेश में और कोई विकास न किया जाये परन्तु यह काम अवश्य पूरा होना चाहिये। तभी वह प्रान्त बच सकता है।

सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार ५ करोड़ रुपये की फसल नष्ट हो चुकी है और कुल १० करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शि० ला० सक्सेना]

द्वितीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिये १७० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जो घटा-घटा कर ४८ करोड़ तक ले जायी गयी और तृतीय योजना में इस कार्य के लिये और भी कम रुपया रखा गया है। मेरे विचार से इसके लिये कम से कम १६० करोड़ रुपया रखा जाना चाहिये। सैकड़ों करोड़ रुपये की हानि हर साल होती है। उसे रोकने के लिये जितना खर्च करना पड़े, कर देना चाहिये। बाढ़ पीड़ित लोगों की जो सहायता की गई है वह अपर्याप्त है। यदि पूरा ध्यान न दिया गया तो हज़ारों लोग मर जायेंगे और स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

भक्ति भाव भादों नदी खूब चली गहराये,
सरिता सोई सराहिये जेठ माहिं ठहराय।

अभी जो विधेयक पहले चल रहा था वह एक प्रकार से विशेष प्रकार के विचार प्रवाह के बारे में था, जो देश के राजनीतिक जीवन में और देश के नित्यप्रति के जीवन में प्रवाहित है और सम्भव्तया जो जातिवाद की घृणा भाषा की घृणा तथा धर्म की घृणा की भवंरें थीं उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिये उस विधेयक को लाया गया था। लेकिन अब जो विचार चल रहा है वह बाढ़ों के प्रवाह के बारे में है जो कि सारे देश के अन्दर आती हैं। जिस तरह से चुनाव के वक्त विचारों की बाढ़ आती है जिन से कि खराबियां या घृणा फलती हैं और उन पर नियंत्रण होना चाहिये, उसी प्रकार से नदियों की बढ़ती हुई बाढ़ों को रोकने के लिये भी जितनी तेजी से प्रयत्न होना चाहिये उधर भी ध्यान दिया गया है। मैं उधर ज्यादा न जाते हुए यह कहूंगा कि हर वर्ष नदियों में बाढ़ आती है। हमारे इर्रिगेशन ऐंड पावर मंत्रालय ने, सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन ने और जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड है, उन्हों ने स्थिति का गवेषणा के साथ और वैज्ञानिक भावना के साथ कितना अध्ययन किया है, वह हमारे सामने नहीं आया है। यह बात नहीं है कि बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिये और वाटर लागिंग को रोकने के लिये और उसे सुखाने के लिये प्रयत्न नहीं हो रहा है। प्रयत्न जरूर हुए हैं, लेकिन वह सन्तोषजनक नहीं हैं। हमें न उन से कोई सन्तोष नहीं हुआ है। आज तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें कुछ प्रयत्न करना आवश्यक है। इस ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बाढ़ों का जोर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर रहा है। उड़ीसा के अन्दर, केरल के अन्दर, बाढ़ें आई, महाराष्ट्र के अन्दर पूना जैसा सुन्दर शहर बरबाद हुआ, लेकिन बाढ़ों की भयंकरात जैसी उत्तर प्रदेश के अन्दर रही है वैसी कहीं नहीं रही है। हमारे बंगाल के या उड़ीसा के या केरल के साथियों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ विचारों की बाढ़ है वहां नदियों में भी एक अजीब बाढ़ आई हुई है। लाखों एकड़ धरती पानी के नीचे डूब गई है, लाखों एकड़ फसलें बरबाद हो गई है और लगभग डेढ़ सौ जानें चली गई हैं। मैं समझता हूं कि वह स्थिति आपके सामने भी है। वह कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा समय मुझे मिला है उसमें सब से पहले आपका ध्यान अपने इलाके बुलन्दशहर की ओर, जिस तरफ बाढ़ का विशेष प्रभाव रहा है, आकर्षित करना चाहता हूं।

यों तो यमुना नदी में, काली नदी में और गंगा नदी में बाढ़ें आती हैं तो हमारा बुलन्दशहर घिर जाता है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस तरफ विहंगम दृष्टि भी की है, स्थिति का सिंहावलोकन भी किया है। माननीय मंत्री जी जो बैठे हुए हैं वे भी इस के बारे में महसूस करते हैं, और उन्होंने आकाश से उड़ कर देखा भी है उस स्थिति को। लेकिन यमुना के अन्दर जो बाढें आई हैं वह किसी तरह से कुदरत की ओर से नहीं, नेचर की जानिब से नहीं, बल्कि इन्सान की

अपनी जबर्दस्ती की वजह से और इस प्रवाह की वजह से आई है और उसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस तरह से यमुना के अन्दर बाढ़ आती है उसका प्रभाव हमारे उस दोआब के ऊपर पड़ता है जो कि हिंडन नदी या यमुना नदी के बीच में हैं या खादर के ऊपर जो कि यमुना का खादर कहलाता है, जो सीधे ओखला के सामने से या सीधे जेवर के ठीक दक्षिणी इलाके, खुर्जा तहसील और सिकन्दारा तहसील में फैला हुआ है, उस पर पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं यह जो पानी का प्रवाह हुआ वह पानी का प्रवाह अगर धीरे धीरे फैलता, उस बाढ़ का पानी धीरे धीरे बहता तो इन गांवों पर उतना प्रभाव न पड़ता और इतनी हानि नहीं होती।

लेकिन सब से बड़ा प्रश्न यह है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि जो लेफ्ट मार्जिनल बांध है, जिसकी लम्बाई ६ मील है उस पर जब पानी का जोर बढ़ा तो सातवें मील पर २०० फुट तक काटा गया, और इस प्रकार वह पानी तेजी के साथ बुलन्दशहर की ओर उबल पड़ा। जहां तक हिंडन कट का ताल्लुक है, उसके खर्च को, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और दिल्ली प्रशासन ने बराबर बराबर बर्दाश्त किया है। लेकिन दिल्ली की तरफ का जो हिस्सा है उसे सम्भाले रक्खा गया, उसे लोग ठीक करते रहे पर जो उत्तर प्रदेश की तरफ की पटरी थी उसको काटा गया। कुछ पानी तेजी से कटा, कुछ प्रवाह से कटा, लेकिन कुछ को तोड़ा गया, काटा गया और इस प्रकार से सारे का सारा पानी का तूफान, सारी तुगयानी बुलन्दशहर के ऊपर फैल गई। इस प्रकार के इस बाढ़ का प्रभाव और वाटर लागिंग का प्रभाव ३२० गांवों पर पड़ा है, ५५ गांवों पर अधिक प्रभाव पड़ा है और २३ गांव बिल्कुल मैरून्ड हो गये हैं और १४ गांव बिलकुल टापू बन गये हैं। मिनिस्टर साहब ने हवाई जहाज़ से उस एरिया की स्थिति को देखा, लेकिन हवाई यात्रा से स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता। आज जब वहां पानी उतर रहा है तो स्थिति और भी भयंकर हो रही है। उस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस सिलसिले में मैं एक सीधा आरोप सरकार पर लगाता हूं कि जान बूझ कर नहर की पटरी को काटा गया जिसका कारण बीसियों गांव बिल्कुल नष्ट हो गये और लाखों आदमी और जानवर बरबाद हो गये और काफी सम्पत्ति का नुकसान हुआ। मेरा यह आरोप सही है। इस नुकसान का अन्दाजा बीस लाख लगाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो धन की, घरों की फसलों की हानि हुई है और जो जानवरों की हानि हुई है उस सब को अगर मिला कर देखा जाय तो एक करोड़ से अधिक के नुकसान का अन्दाजा लगता है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इस बात की जांच करायी जाये। यह बाढ़ हिंडन-कट के और हिंडन नहर के टूटने से आई है। और यह बांध जान कर काटा गया। यह मेरा आरोप है और अगर आप जांच करेंगे तो इस को सही पायेंगे। अगर जिम्मेदारी से काम किया जाता तो बुलन्दशहर के इन गांवों पर इस प्रकार का असर न पड़ता। मैं चाहता हूं कि जो हमारे इलाके पर प्रभाव पड़ा है उसकी सारी बातें आपके ध्यान में आ जायें।

वैसे भी इस पिछड़े इलाके में इस प्रकार की मुश्किलें पैदा होती रहती हैं। इसके लिये मैं चाहता हूं कि परमानेन्ट प्रबन्ध किया जाये। मैं चाहता हूं कि उस इलाके के गांवों को ऊंचा किया जाये, रास्तों को ऊंचा किया जायें तो वहां की स्थिति सुधर सकती है।

इस कष्ट के समय उस इलाके के लोगों की सुरक्षा तथा तात्कालिक सहायता के लिये प्रबन्ध किया गया उसकी मैं तारीफ करता हूं। करीब तीन हजार आदमियों को और करीब दस हजार जानवरों को बचाया गया। मैं समझता हूं कि करीब १,१३,५०० एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी है। जिसमें से ७६,२०० एकड़ धरती खेती के काबिल है। ३,०३५ घर बरबाद हुए हैं। इस प्रकार कोई एक करोड़ से ज्यादा की हानि हुई है। इस सारी हानि का उत्तरदायित्व उन लोगों पर है जिन्हों ने बांध को काटा है।

[श्री बाल्मीकी]

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिये एक लाख रुपया दिया है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और हमारे मंत्री महोदय भी इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ बटायें। ऐसे समय में हमारे आर्मी के जवानों ने जिस लगन से, जिस तत्परता से, जिस जागरूकता से और जिस सजीविता और सहृदयता से कार्य किया है उसकी मैं तारीफ करता हूं। इस के अलावा हमारे जिले के जिलाधीश और दूसरे आफिसरों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है जिसकी कि मैं तारीफ करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से देश के अन्दर बाढ़ें आनी शरू हुईं तब से केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने अपने यहां पर केन्द्रीय और राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की। लेकिन अभी तक का जो बाढ़ों का इतिहास और जो इन बाढ़ों नियंत्रण बोर्डों का इतिहास है उससे स्पष्ट है कि ये बाढ़ नियंत्रण बोर्ड असफल साबित हुए। ऐसी हालात में मैं इन बोर्डों की आवश्यकता नहीं देखता क्योंकि जिस मर्ज को दूर करने के लिये इनकी स्थापना की गयी थी वह दूर नहीं हो पाया। इन बाढ़ नियंत्रण बोर्डों को तो समाप्त कर देना चाहिए और जो धन इन पर खर्च किया जाता है वह उन बाढ़ पीड़ितों पर खर्च किया जाना चाहिए जिनका नुकसान होता है। ऐसा करने से कम से कम उन लोगों को कुछ सहायता ही मिलेगी।

इस वक्त देश के विभिन्न भागों में बाढ़ आयी हुई है। परसों मैं अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा था तो मैं ने देखा कि कानपुर जिले में गत वर्ष छोटी नदियों के प्रकोप के कारण बाढ़ आयी थी लेकिन गंगा नदी ने कृपा रखी थी। गत वर्ष भीषण बाढ़ आयी और उससे जन-धन की काफी हानि हुई थी। लेकिन इस वर्ष छोटी नदियों ने तो कृपा रखी है लेकिन गंगा ने कानपुर जिले के २५ गांवों को जो कि निचले हिस्से में बसे हुए हैं बहुत प्रभावित किया है। परसों जब मैं उस क्षेत्र में घूम रहा था तो मैं ने देखा कि दो तीन गांव तो गंगा जी की धार में आ गए हैं और बिल्कुल ही बह गए हैं और उनका निशान तक नहीं रहा कि वे गांव कहां पर थे। सैकड़ों व्यक्ति किसी प्रकार बचाए गए। वे गृह हीन और भूमि हीन अवस्था में हैं, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कुछ व्यक्तियों ने उनको अपने घरों में स्थान दे दिया है।

हमारे मंत्री केवल एरियल सरवे कर के चले जाते हैं। लेकिन जो ठोस मदद उस इलाके के लोगों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है।

सब से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कानपुर जिले में गंगा के तट पर जो २५ गांव कछार में बसे हुए हैं उन पर प्रति वर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार को इन इलाकों के बारे में लिखा कि इनको बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में ले लिया जाए और इनका स्थायी प्रबन्ध किया जाए ताकि उनमें गंगा का पानी न आ सके, लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया कि वे गांव बच सकें। इसका परिणाम यह है कि वहां पर प्रति वर्ष हजारों लाखों का नुकसान होता है। मैं चाहूंगा कि बिठूर से लेकर कानपुर तक दस मील का जो पश्चिम का इलाका है, जो कि कछार कहलाता है और जहां बाढ़ से हर साल लाखों का नकसान होता है, उस इलाके के लिए कोई निश्चित योजना बनायी जाए और इन इलाकों में जो जन धन की हानि होती है उसको बचाया जाए। इस समय उस इलाके के लोगों की स्थिति यह है कि न उनके पास रहने को मकान हैं और और न कोई जमीन है। उन लोगों को इस प्रकार की सहायता दी जाए कि वे फिर से अपना जीवन निर्वाह प्रारम्भ कर सकें।

एक बात मुझे बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि जब इन लोगों की यह स्थिति हो जाती है तो राज्य सरकार की ओर से उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी माल गुजारी माफ हो जाएगी, लेकिन बाद में जब खरीफ की फसल आती है तो उनसे वह वसूल कर ली जाती है । उनको कुर्की और जब्ती का भय दिखाया जाता है, उनको जेल में बन्द करने की धमकी दी जाती है । अगर इस बात की शिकायत यहां मिनिस्टर साहब से की जाती है तो वह कह देते हैं कि इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह स्थिति भी तो बाढ़ के ही कारण होती है और इसलिए यह भी बाढ़ का ही एक हिस्सा है । इस बाढ़ के कारण ही राज्य सरकार घोषणा करती है कि उनकी मालगुजारी माफ कर दी जाएगी । सरकार को इस घोषणा के अनुसार उनकी मालगुजारी माफ करनी चाहिए ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि उन गांव वालों को ऐसी आर्थिक सहायता दी जाए कि उनके मकान बन जाएं और उनको वहां से हटा कर ऊंची जमीन में बसाया जाए और जिनको भूमि की आवश्यकता है उनको भूमि दे कर बसाया जाए ।

इसके साथ साथ मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जिस वक्त सिंचाई मंत्रालय पर बहस हो रही थी उस वक्त मैं ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया था । कानपुर जिले में जल निकासी योजना लागू करने की बड़ी आवश्यकता है । राज्य सरकार ने इस योजना को भेज दिया है लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ है । इसके अभाव में हर साल लाखों एकड़ जमीन जल निकासी न होने के कारण पानी के नीचे आ जाती है और रुक जाती है और इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है । मैं चाहूंगा कि इस जल निकासी योजना को जल्दी कार्यान्वित किया जाए ।

केन्द्रीय सरकार जो राज्य सरकारों को बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के लिए अनुदान और तकावी के नाम पर धन देती है वह अपर्याप्त है । इसका परिणाम यह होता है कि लोगों का जितना नुकसान होता है उसके अनुसार उनको सहायता नही मिल पाती । इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इन बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को आप अधिक सहायता दें । यह कहना कि धन नहीं है, काफी नहीं है क्योंकि यह तो एक स्थायी उत्तर बन गया है । जब सरकार दूसरे फिजूल के कामों पर करोड़ों रुपया खर्च करती है तो क्यों नहीं उसको बचा कर इस काम पर खर्च किया जाता ; सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के रुपए को बचा कर जो फिजूल के कामों पर खर्च होता है, इन लोगों को तकावी और अग्र-दान के रूप में सहायता करे ताकि उनकी ठीक प्रकार सहायता हो सके।

मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें और कानपुर जिले में जो गंगा के किनारे गांव हैं उनको उठा कर स्थायी रूप से ऊंची जमीन पर बसाया जाए ताकि आगे लोगों का बाढ़ से नुकसान न हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंहासन सिंह ।

श्री रघुनाथ सिंह : (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, बनारस की एक खास समस्या है, इसलिये मुझे भी अवसर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हर एक कांस्टीट्यूएंसी और हर एक जिले का जिक्र किया जाना है, तो फिर माननीय सदस्य सिर्फ पांच पांच मिनट लें ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, फ्लड कंट्रोल के विषय में जो पुस्तिका हमें दी गई है, उस में गवर्नमेंट की तरफ से यह आंकड़े दिये गये हैं कि १९५३ के बाद बाढ़ के कारण करीब सौ करोड़ रुपये का हर साल नुक्सान हो रहा है । १९५४ में फ्लड कंट्रोल बोर्ड और रिवर कमीशन बनाया गया और उनके द्वारा बाढ़ को रोकने के उपाय काम में लाये जाने लगे । अगर हमको इस आशय के आंकड़े मिलते कि उस से पहले बाढ़ से कितना नुकसान होता था और इन संस्थाओं के द्वारा उसमें कितनी कमी की गई है, तभी हम इनकी क्षमता और योग्यता के बारे में कुछ कह सकते थे । जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर इस बात का पता नहीं है कि जब से फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना है, तब से उसने बाढ़ों की कितनी रुकावट की और देश को कितनी हानि से बचाया । लेकिन यह तथ्य है कि देश में हर साल १०० करोड़ रुपये का नुकसान बाढ़ों से हो रहा है ।

फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने बाढ़ को रोकने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं, जिनको लांग टर्म, शार्ट टर्म और मीयडियम टर्म की श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है । मीडियम टर्म उपाय तो बीत गये, शार्ट टर्म उपाय सैकिंड प्लान में किये गये और लांग टर्म उपाय अब करने जा रहे हैं। शार्ट टर्म कार्यक्रम में चैनल डाइवर्शन, चैनल इम्प्रूवमेंट, रेजिंग आफ विलेजिज , कंस्ट्रक्शन आफ मोर एम्बैकमेंट्स, कंस्ट्रक्शन आफ मोर डैम्ज़ आदि हैं।

जहां तक चैनल्ज को बनाने और उनको इम्प्रूव करने का प्रश्न है, बहुत से चैनल्ज जो स्वभावतः प्राकृतिक रूप से बने हुए थे । उस को बन्द कर देने से पानी के बहने का रास्ता रुक गया । उनके रुकने के कारण बाढ़ की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक विचाराणीय प्रश्न है । १९५४ के फ्लडज हाइएस्ट कहे जाते हैं । उस वक्त नैचरल चैनल्ज खुले हुए थे । उनके बन्द होने के बाद अभी फ्लडज हाइएस्ट प्वायंट पर नहीं पहुंचे हैं और अभी बाढ़ की विषमता १९५४ से कम है , लेकिन नदियां और चैनल्ज बन्द होने के कारण बाढ़ों की गुरुता बढ़ रही है और उनसे नुक्सान हो रहा है । ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई है ।

दूसरी तरफ गांवों को उठाने की बात है । हमारे यहां गोरखपुर, बलिया, बस्ती और देवरिया आदि में:--गांव उठाये गये और उस से लोगों को काफी राहत मिली । लेकिन गांवों का उठाना इस ढंग से हुआ कि गांव नहीं उठे, घर उठे और गांव गांव में दरारें पड़ गईं और नालियां बन गई और बहुत से मकान उनप दरारों में, नालियों मे पानी बहने के कारण गिर जाते हैं मेरा तात्पर्य यह है कि गांवों को किसी सुनियोजित स्कीम के अनुसार नहीं उठाया गया ।

कई गांव तो ऐसे मिले जिन में जरा भी मिट्टी नहीं पड़ी, लेकिन उनके बारे में हजारों रुपया बिलो में दिखाया गया है । अगर फ्लड कंट्रोल और रिवर कमीशन ने इसी तरीके से गांव उठाने हैं, तो हम कहेंगे कि गांव न उठाये जायें । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वहां पर गये थे और उन्होंने कहा कि गांवों को उठाना है । अभी श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने जिक्र किया । उस क्षेत्र में कभी बाढ़ नहीं आई, लेकिन अब वहां का भी प्राबलम है । गांवों को उठाना है । लोग पेड़ों पर चढ़े और दूसरे लोगों ने उनको उतारा। वहां पर अधिकारियों ने काम किया और मेहनत की, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिली ।

इस सम्बन्ध में मेरा सजैशन यह है कि गांवों को उठाने का काम कंट्रेक्टर्ज को न दिया जाय ? यह गांव सभाओं की जिम्मेदारी है और उन को कहा जाय कि वे गांवों

को उठायें और चारों तरफ अगर रेजरवायर की तरह से मिट्टी डालें, तो तालाब बन सकते हैं और वहां पानी इकट्ठा हो सकता है । यह सब काम किसी स्कीम से होना चाहिए ।

चूंकि इन हालात में कितनी ही क्षति होती है और सरकार की मालगुजारी अलग खत्म हो जाती है, इस लिये मेरा सुझाव यह है—और यह कई बार कहा गया है—कि बाढ़-क्षेत्रों में कोई ऐसा उपाय किया जाये कि हम वहां पहले नदियों से पानी ले सकें । वह पानी ले कर फसल जल्द पैदा कर लेंगे और उसके बाद अगर बाढ़ आ भी जाये, तो उस फसल को घर में रख सकते हैं । जहां जहां गांव और घर ऊंचे कर लिये गये, वहां पानी आने के बाद भी आदमियों के निकालने का प्रोबलम नहीं पैदा हुआ और वे लोग गांवों में बसे हुए हैं । अगर नदियों से लिफ्ट कर के पानी का इन्तजाम हो जाये, तो अर्ली क्राप्स, मक्का और सांवा आदि, पैदा किये जा सकते हैं और इस तरह खाने की व्यवस्था हो सकती है । गोरखपुर के उस हिस्से में, जहां लेट पानी आया है, काफी मक्का बचा लिया गया है और उस से राहत हुई है । अगर मक्का की फसल भी न होती, तो दिक्कत होती ।

गोरखपुर में पानी आने की समस्या कोई नई नहीं है, वह तो हर साल का मसला है—हर साल पानी आता है, जब कि देश के और भागों में शायद किसी साल आ जाता हो। वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था करना भी आवश्यक है । जब माननीय मंत्री यू० पी० में मंत्री थे, उस वक्त भी यह योजना चली थी कि राप्ती और घाघरा का पानी नेपाल में दिया जाये । वह स्कीम आज तक कागज पर है । मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह बाढ़ के सम्बन्ध में सारे देश के आंकड़े देखें और जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां प्राथमिकता दी जाये । वह इस बात पर विचार करें कि राप्ती, रोहिणी और घाघरा नदियों से हर साल बाढ़ आती है और क्षति होती है : उन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैं ने इस रिपोर्ट में देखा है कि उन्हीं नदियों के नाम हैं, जहां हर साल बाढ़ नहीं आती है और जहां हर साल आती है, उन का नाम नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन का क्या करें ? उन की तो आदत हो गई है ।

श्री सिंहासन सिंह : प्रश्न तो यह है कि उन के सम्बन्ध में क्या कदम उठाया जा रहा है मेरा कहना यह है कि उन को ठीक करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री खुद वहां की स्थिति देखने के लिये जा रहे हैं । वह न सिर्फ हवाई जहाज से, बल्कि नीचे से भी सारी स्थिति को देखें और वहां के लोगों की अनुदान और सहायता से मदद करें, ताकि पीड़ित यह समझ सकें कि विपत्ति के समय सरकार उन के साथ है ।

श्री सरजू पाण्डेय: (रसडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बध में कुछ ज्यादा नहीं कहना है । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार ने स्वयं बाढ़ की भयंकरता को महसूस किया है और कहा है कि उस से १०० करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होता है । लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा है कि बाढ़ को रोकने में, उस को कंट्रोल करने में हम ही अक्षम नहीं हैं, अमरीका भी है : जब भी कोई बात इस हाउस में उठाई जाती है, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम ही नहीं, हमारी तरह सारी दुनिया फेल है । मैं कहता हूं कि अमरीका से तो हम जवाब तलब नहीं कर सकते. यह गवर्नमेंट बताये कि वह क्यों फेल है ।

इस रिपोर्ट में सरकार की तरफ से यह बताने की कोशिश की गई है कि हम बाढ़ को रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सारी दुनिया में बाढ़ आती है, इसलिये हम भी कुछ न कुछ करते रहेंगे । मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत सख्ती से कदम उठाना चाहिए । हम पूर्वी जिलों से आते हैं, जो सब से पिछड़े हुए हैं । गाजीपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर आदि ये आठ नौ जिले ऐसे हैं कि वहां पर कोई प्रोग्राम नहीं है । हां, विलेज रेज़िंग—गांव ऊंचा करने—का काम हुआ है, लेकिन खुद यू० पी० असेम्बली में इरिगेशन मिनिस्टर ने बताया है कि कई गांव ऐसे हैं, जिन का पता नहीं है, लेकिन कागजों में उन के नाम पर पेमेंट हो चुका है । मेरे जिले गाजीपुर मे इतनी लूट है । बहरहाल, उस लूट से इस सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा मंत्री महोदय कह सकते हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : ये भी शामिल हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पटवारी भी गलती कर दिया करते हैं और यूं ही लिख देते हैं कि इस जगह पर गांव है ।

श्री सरजू पाण्डेय : वह तो ठीक है, लेकिहैन खुद सरकार ने कहा है कि ऐसी गलती हुई है । अगर कोई गांव न हो और पेमेंट हो जाये, यह एक अजीब मामला है ।

श्री जगदीश अवस्थी : धन का निश्चय ही दुरूपयोग हुआ है ।

श्री सरजू पाण्डेय : यह कहा गया है कि रिवर कमीशन ने बड़ा काम किया है और इस रिपोर्ट के पेज ८ पर कहा गया है कि बलिया-बेरिया बांध, जो कि यू० पी० और बिहार के झगड़े के कारण बन्द था, बन कर कम्पलीट हो गया है । मेरी सूचना के अनुसार यह बात बिल्कुल गलत है । बांध तो बना है, लेकिन करीब करीब तीन चार मील अभी भी नहीं बना है और बिहार की गवर्नमेंट अब भी रोके हुए है । और आप ने इस में एक ऐसी बात लिख दी है जो कतई तौर पर सही नहीं है । मैं बलिया बेरिया बांध के बारे में कह रहा हूं । पेज ८ पर यह लिखा है :

> "नदी आयोग ने अन्तर्राज्यीय समस्या को सुलझाने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसमें सब से मुख्य बलिया बेरिया बांध समस्या है जिस बारे में यू० पी० बिहार के विचार को हल किया गया "

यह बिलकुल गलत है । बांध नहीं बना है । बिहार गवर्नमेंट ने रोक रक्खा है । मेरा यह कहना है कि बिहार गवर्नमेंट अब भी बांध को कम्पलीट नहीं करने दे रही है ।

इस सिलसिले में एक तो यहां कटान की बड़ी भारी प्राबलेम है । नदियां हर साल सैकड़ों गांवों को बहा कर ले जाती हैं । बाढ़ों को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी योजना बनाये जिससे जो यह परमानेंट बीमारी है वह खत्म हो । दूसरे बिहार का जो यह मामला है उस को बिहार गवर्नमेंट को लिख कर हल करें ताकि आप का बांध पूरा हो जाये । बलिया बेरिया बांध कम्प्लीट हो जिस से बाढ़ों में रूकावट डाली जा सके ।

दूसरी बात बाढ़ों के सिलसिले मे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के इंजीनियर वगैरह जो होते हैं आप उन्हीं लोगों से राय लेते हैं । न तो कमेटियों से राय लेते हैं न जिन प्रतिनिधियों से लेते हैं और मनमाने ढंग से काम करते हैं, जिस का नतीजा यह होता है

कि बहुत सी छोटी नालियों को एक नदी में या एक नाले में मिला दिया जाता है और उस नदी या नाले में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह पूरे पानी को बहा सके। नतीजे के तौर पर पानी बाहर फैलता है और सैकड़ों गांवों को बहा ले जाता है। इसलिये आप तमाम लोगों का सहयोग हासिल कीजिये और जो सुझांव आयें उन पर अमल कीजिये। सब जगह सही मानों में तख्मीना लगाया जाये और ठीक से काम किया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर): हरसाल बाढ़ आती है। सभा में उस पर चर्चा की जाती है। उपमंत्री और मंत्री महोदय यह कहते हैं कि समस्या को हल किया जा रहा है और लगभग सारी व्यवस्था कर दी गई है परन्तु अगले वर्ष पहले से भी अधिक भयंकर बाढ़ आती है। वास्तव में यदि जांच की जाये तो पता चलेगा कि बाढ़ नियंत्रण के सबन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

हिंडन बांध में हर साल द्राड़ें पड़ती हैं और सेना के जवान लोगों की जाने और माल की रक्षा करते हैं। परन्तु सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती।

उत्तर प्रदेश में जगह-जगह पर बाढ़ का प्रकोप है और उत्तर प्रदेश विधान मण्डलों में बाढ़ नियंत्रण की बजाये अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। मुख्य मंत्री को चाहिये कि वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करें। गत वर्ष जब वह प्रान्तीय कांग्रेस के प्रधान थे तो वह लखनउ में बाढ़ग्रस्त इलाके में पैदल घूमा करते थे परन्तु मुख्य मंत्री बनकर वह यह सब भूल गये। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान सदस्यों को त्यागपत्र दे देना चाहिये क्योंकि वे इस समस्या को हल नहीं कर सके। तक्कावी ऋण उदारता से दिये जाने चाहिये और इस वर्ष लगान नहीं लिया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का बाढ़ नियंत्रण कार्य वह अपने हाथ में ले लें।

श्री आसर (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, १२ जुलाई का दिन पूना के इतिहास में बड़ा भयंकर दिन रहा। उस दिन पूना में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उसका परिणाम यह हुआ कि पूना का कम से कम आधा भाग पानी में डूब गया इसका कारण बरसात का पानी नहीं था, बल्कि वहां पर जो फनशेन बांध मिट्टी का बना हुआ था, उसके टूटने के कारण ऐसा हुआ। जब इस बारे में महाराष्ट्र विधान सभा में जनसंघ सभासद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव रक्खा तो उसका जवाब देते हुए वहां के चीफ मिनिस्टर ने बतलाया कि जो बांध सन् १९६२ में पूरा होने वाला था उसको उन्होंने एक साल पहले ही पूरा किया, और ऐसा करने के लिये जो परमिशन दी थी वह सेंट्रल गवनमेंट के इंजीनिअरों को कन्सल्ट करने के बाद दी थी। उनके कन्सल्टेशन के बाद सह निर्णय किया गया। जब बांध टूटने का एक कारण यह था कि सन् १९६२ में पूरा होने वाला बांध सन् १९६१ में ही पूरा कर लिया लिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियरों ने इस बारे में सलाह दी थी तो वह क्या सलाह दी थी, और वह सलाह पूरी मानी गई या नहीं। अगर यह सलाह मानी गई तो उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर है इस बाढ़ के कारण पूना में १७ करोड़ रु० का नुक्सान हुआ है। हजारों घर गिर पड़े कई लाख लोग बेघर हुए और सैकड़ों मर गये।

महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पूना में जो बाढ़ आई उसमें १७ करोड़ रु० की हानि हुई है, इस हानि का प्रमुख कारण एक ऐसे बांध का बनना था

---

†मूल अंग्रेजी में

जिसके लिये श्री बासप्पा ने बतलाया कि उस के जो डोर्स थे उनको खोदने का प्रयत्न किया गया लेकिन वे खुदे नहीं। परिणाम यह हुआ कि यह बांध टूट गया। इस बांध को बचाने के लिये आर्मी के जवानों ने भी काफी परेशानी उठाई उन्होंने कोशिश की उनका धन्यवाद अगर वे प्रयत्न न करते तो जो हानि होती उसका अन्दाजा लगाना कठिन है। कम से कम ५० हजार आदमी मर गये नुक्सान तो बेहिसाब होता। मैं जानना चाहता हूं कि मिट्टी का डैम बनाते समय क्या हम ने इस बात का ध्यान रक्खा था कि मिट्टी का डैम बनाने के लिये यह स्थान अच्छा है या नहीं? इसके बारे में एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें यह कहा गया कि जो फनशेन का स्थान है उसमें मिट्टी का डैम बनाने से बड़ी हानि होगी। ऐसा वहां के बड़े इंजीनिअर्स ने बतलाया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या स्थिति है और उस पर विचार किया जाय।

जो स्टेटमेंट मंत्री जी ने दिया है महाराष्ट्र राज्य की बाढ़ के बारे में उसमें केवल पूना के बारे में बतलाया गया। लेकिन महाराष्ट्र के अन्य भागों में जो बाढ़ आई है उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। कोल्हापुर में बड़ी बाढ़ आई और बहुत काफी नुक्सान हुआ, सांगली में बड़ी बाढ़ आई। रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट में राजापुर, खारे पाटन, सेड आदि में बाढ़ आई, उसका उल्लेख भी नहीं किया गया। अन्य स्थानों में भी बाढ़ आई, लाखों रुपयों का नुक्सान हुआ, उसका कोई विवरण हीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सन् १९५८ में रत्नागिरि में बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें कि करीब करीब डेढ़ करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ था। बाद में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो बाढ़ें आती हैं उनको रोकने के लिये प्रयत्न किया जायेगा, लेकिन दुःख से कहना पड़ता है कि सन् १९५८ से लेकर सन् १९६१ तक वहां पर बाढ़ों को रोकने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। हरसाल वहां के शहरों में बड़ी परेशानी होती है और बाढ़ों से वहां पर बहुत नुक्सान होता है। इस बार राजापुर, खारे पाटन, खेड़ वगैरह में जो बाढ़ आई उससे वहां के बाजारों में पानी भर गया, और इस कारण वहां के छोटे-छोटे व्यापारियों को लाखों रुपयों का नुक्सान हो गया। इसका एक ही कारण है कि वहां की नदियां सिल्ट हो रही हैं। इस सिल्टिंग को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये, जो कि नहीं किया जाता तो इस ओर ध्यान दिया जाये।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा जो रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट प्लेस हैं वहां सी इरोजन का बड़ा प्रश्न है और यह चीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा और इसके लिए सहायता मांगी। इस सी इरोजन से ५-६ लाख रुपए का नुक्सान हो चुका है। यह समुद्र का आक्रमण दिन बर दिन बढ़ता जाता है और समुद्र के किनारे के जो गांव पानी में जा रहे हैं। इस बारे में मिनिस्ट्री ध्यान दे और कुछ सहायता करे। और इसको रोकने का प्रयत्न किया जाये। विशेष कदम उठाया जाये।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अपोजीशन के दो माननीय सदस्यों ने कहा कि जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड हैं इनको हटा देना चाहिए और एरियल सरवे भी नहीं होना चाहिए। मैं यह सुनकर हैरान हो गया कि ये माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। फ्लड की समस्या बढ़ती जा रही है और देश व्यापी होती जा रही है। इसलिए उसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। उस समस्या का सामना करने के लिए फ्लड-कंट्रोल बोर्ड

बनाए गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए और इनको हटा दिया जान चाहिए। यह तो विशेषज्ञों का बोर्ड है और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करती है। यह ठीक है कि यह चीज हमारे देश में नई है। पहले फ्लड का सवाल नहीं उठाया जाता था। लेकिन अब चूंकि हम आजाद हो गए हैं और मुल्क के चप्पे चप्पे के नुमायन्दे यहां आकर बैठते हैं इसलिए अब यह सवाल उठाया जाता है। इसलिए इसका हल करने के लिए फ्लड कंट्रोल बोर्ड का कायम करना लाजिमी था पहले भी फ्लड बहुत आते थे लेकिन अंग्रेजों के जमाने में कोई जनता की आँवाज सुनता ही नहीं था, हजारों लाखों लोंग मरते थे और लाखों एकड़ जमीन पानी में डूब जाती थी। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कह दिया जाता है कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड हटा दिए जाएं या एरियल सरवे न किया जाए ये गैर जिम्मेदारान बातें हैं।

श्री जगदीश अवस्थी : माननीय सदस्य ने शब्द "गैर जिम्मेदाराना" कहा, **यह अनपार्लियामेंटरी** है। इसको वापस लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई गैर पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है।

श्री च० कृ० नायर : मेरा यह बात कहने का इरादा नहीं था लेकिन जब लोगों ने यहां एसी बात कही तो मुझको कहना पड़ा।

देश के दूसरे भागों में बाढ़ आयी है और दिल्ली में भी बहुत भयंकर बाढ़ आयी है जो कि आप सब को मालूम है। लेकिन यह कितने अफसोस की बात है कि दिल्ली का नाम आपकी रिपोर्ट में नहीं आया। शायद हमारे यहां बहाव उसके बाद आया हो। लेकिन मैं जरूर निवेदन करूंगा कि इसको भी आप अपनी रिपोर्ट में चाहे तो सपलीमेंटरी तौर पर इसको शामिल कर लिया जाए और आगे इस पर ध्यान रखा जाए।

जहां तक दिल्ली शहर का ताल्लुक है इस साल इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी कि पहले होती थी। यह हम मानने को तैयार हैं ; शहादरा बांध बनाने के बाद वहां की जी० टी० रोड, रेलवे लाइन और शहादरा शहर ये सब बच गए हैं, और उसी तरह मारजिनल बांध नीचे बांधने से वहां गांधी नगर, गीता कालोनी, कृष्ण नगर ये सब बच गए हैं।

हमारी मुसीबत है नजफगढ़ का नाला। इसमें कोई १५ बड़ेबड़े नाले आकर मिलते हैं। यहां पर रोहतक के नुमायन्दे ने बड़ा अफसोस जाहर किया था कि ८ नवम्बर ड्रेन में पानी आता है और जहाज गढ़ की झील में भर जाता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वे लोग ८ नम्बर नाले को दिल्ली के बारडर में लाना चाहते थे। दिल्ली की परेशानी यह है कि पंजाब के कैनाल सिस्टम के नीचे है। इसलिए जब हम पानी चाहते हैं तो हमको पानी नहीं मिलता और सारा पानी पंजाब के लोग इस्तैमाल कर लेते हैं, और जब हम पानी नहीं चाहते तो सारी बाढ़ को यहां भेज देते हैं। टेबिल लैंड पर होने से दिल्ली की यह मुसीबत है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब वह देते हैं तब आप लेते नहीं, तो जब आप चाहते हैं उस वक्त वह क्यों दें।

श्री च० कृ० नायर : जब हम नहीं चाहते तो देते हैं और जब हम चाहते हैं तो नही देते।

दूसरी बात नजफगढ़ के नाले के बारे में यह है कि जब जहाजगढ़ की झील भर जाती है तो नजफगढ़ के नाले में पानी आता है। इससे दिल्ली को खतरा पैदा हो जाता है। अगर ८

नम्बर नाले को ६ नम्बर नाले में छोड़ा जाता तो वह पानी भी दिल्ली में आता और उससे दिल्ली के लिए खतरा पैदा होता। गुड़गांव और बादशाहपुर के नाले टट कर दिल्ली में आकर गिरते हैं। इसलिए नजफगढ़ का नाला हमारे लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है।

मैं शुक्रिया अदा करूंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड का कि उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम बनायी। उनकी पौने दो करोड़ रुपए की स्कीम है जिससे कि इस नाले को ज्यादा गहरा किया जाएगा और ज्यादा चौड़ा किया जाएगा ताकि पानी झील में भरने के पहले ही जमुना में चला जाए। आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि नाले की गहरायी कम है और लेविल भी स्लेपदार नहीं है। इसके कारण वर्षा के समय फैक्टरी एरिया से लेकर सारा पानी झील की तरफ बह जाता है। इसी प्रकार सोनीपत से जितना पानी आता है वह झील की तरफ जाता है, मंगसपुर की तरफ से जो पानी आता है वह झील की तरफ जाता है, जहाज गढ़ और बादशाहपुर की तरफ से जो पानी आता है वह भी झील की तरफ जाता है। कैंटोनमेंट का पानी झील की तरफ जाता है। इसका कारण यह है कि वहां एक अजीब किस्म की बनावट है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके पांच मिनट हो गए।

श्री च० कृ० नायर: अभी पांच मिनट नहीं हुए।

हमारे इंजीनियरों ने बहुत स्टडी कर के यह फैसला किया है कि इस झील को ज्यादा गहरा कर दिया जाये। लेकिन उस फैसले के बाद वह काम सेंट्रल पी० डबल्यू डी० को दे दिया गया। मैं ने हमेशा इस नजफ़गढ़ नाले के बारे में कहा है कि इसकी जिम्मेवारी किसी एक डिपार्टमेंट पर फिक्स नहीं है। इस वजह से सेंट्रल वाटर पावर कमीशन ने उसको सेंट्रल पी० डब्ल्यू डी० पर छोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: जब पांच मिनट हो जायेंगे तो मेम्बर साहब मुझे बतलायेंगे ?

श्री च० कृ० नायर: उनकी देरी की वजह से जो काम पांच साल पहले शुरू किया गया था उसको अभी तक पूरा नहीं किया जा सका।

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह तो आपका पांच मिनट कभी खत्म नहीं होगा।

श्री च० कृ० नायर: मैं ने पांच मिनट नहीं मांगा था, बल्कि दस मिनट मांगा था क्योंकि जो आरोप चौधरी रणबीर सिंह ने दिल्ली के मेम्बरो पर लगाया है उसको मुझे जबाब देना है।

उपाध्यक्ष महोदय: तो थोड़ी देर ठहरिए, मैं कुर्सी खाली कर के जाता हूं, फिर आप दस मिनट ले लें।

श्री च० कृ० नायर: मैं दो मिनट और लूंगा।

चौधरी रणबीरसिंह ने जो लांछन लगाया वह बिल्कुल गलत है। आठ नम्बर ड्रेन को वह ६ नम्बर ड्रेन में डाल कर लो लाइंग एरिया से लाकर जमुना में डालना चाहते थे। इस पर हमने प्रोटेस्ट किया। हमारी कोई वजारत तो है नहीं इसलिए हम सेंटर के मिनिस्टरों के पास जाते हैं, उनको यह भी खटकता है। और हम कहाँ जाएं। हम प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं और इर्रीगेशन मिनिस्टर के पास जा सकते हैं। तो हम ने जा कर कनविंसिंग प्रूफ दिया कि जो एलाइनमेंट

पंजाब इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने दिया है वह गलत है और इसको डा० खोसला ने भी मान लिया। उन्होंने कहा कि नीचे से नहीं जाना चाहिए ऊपर से जाना चाहिए, फूल प्रूफ एलाइंनमेंट वह है। सिर्फ चार मील ऊपर ले जाने की बात थी। लेकिन उसको पंजाब गवर्नमेंट इसलिए नहीं मानी कि वे कहते हैं कि उस में उनको जमीन एक्वायर करनी होगी और भी कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे तो ड्रेन नंबर ८ को रसोई गांव से ले जाकर सीधा जमुना में डाल सकती है जिससे दिल्ली भी बच जाएगी और पंजाब भी बच जाएगा।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का बाढ़ का सारा पानी मेरे शहर से होकर जाता है और उस सारी बाढ़ का असर हम पर पड़ता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो घाट हैं वे उस समय के बने हुए हैं जब देशी रियासतें थी, ताल्लुकदारियां थीं। बड़े बड़े लोगों ने उन घाटों को बनवाया था। बहुत से घाट राजाओं और ताल्लुकेदारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन में मुसलमानों ने भी कई घाट बनवाये हैं। लेकिन जब से आजादी मिली है तब से इन घाटों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब कोई राजा नबाब तो हैं नहीं। ये घाट हिन्दुओं ने, मुसलमानों ने सब ने बनवाए थे, लेकिन जब से आजादी मिली है तब से इन घाटों की मरम्मत तक नहीं हो रही है। जब गवर्नमेंट ने सब स्टेट्स को मर्ज कर के एक राष्ट्र बनाया है, तो उस के साथ इन घाटों की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट पर ही है। अगर इन घाटों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जायगा, उन की मरम्मत का इन्तजाम नहीं किया जायगा, तो मेरे शहर के पांच लाख आदमियों का सत्यानाश हो जायगा, उन का घर बिगड़ जायगा।

हम को टूरिस्ट से बीस करोड़ रुपये की आमदनी होती है और हर एक टूरिस्ट बनारस में जाता है। उस आमदनी को मद्दे-नज़र रख कर सरकार का यह फर्ज है कि वह इन घाटों की रक्षा करे, क्योंकि जिन स्टेट्स से इन घाटों के बनाने और इन की मरम्मत करने का ख़र्च आता था, उन को सरकार ने ले लिया है और उन की आमदनी भी उस ने ले ली है। लिहाज़ा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इन घाटों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले, वह इन घाटों को बनवाये और इन की मरम्मत करवाये।

सरकार की ओर से जो थोड़ा सा रुपया दिया गया है, उस से घाटों की मरम्मत नहीं हो सकती है। जो रुपया दिया गया है, वह स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। उस ने तीन चार घाट बनाये, लेकिन जितने घाट थे, वे तीन बरस में टूट गये। ऐसा इन्तज़ाम नहीं होना चाहिए। सैंट्रल गवर्नमेंट जो रुपया देती है, उस का ख़र्च किस तरह से होता है, यह देखने की ज़िम्मेदारी भी इस गवर्नमेंट पर ही है। इन घाटों की तरक्की के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को आपस में मिल कर ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए, जिस के अन्तर्गत इस रुपये का ठीक तरह से उपयोग हो और ये घाट कायम रहें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये घाट हिन्दुस्तान की श्री और गौरव हैं और उन से हिन्दुस्तान की तरक्की हो सकती है, ख़ास तौर पर जब कि टूरिस्ट्स यहां पर आते हैं।

†**श्री माइति** (घाटल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बाढ़ से लगभग १०० करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस प्रकार कई वर्ष से हम हानि सहन करते आ रहे हैं। इसे रोकने के लिये तृतीय योजना में जो ६१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण कार्य की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये जिस के अन्तर्गत बन लगाये जाने चाहियें। भूमि संरक्षण और जलोत्सारण आदि कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि जो परियोजनायें चल रही हैं उनकी कड़ी निगरानी की जानी चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि १६५६ में जब वर्षा के कारण बाढ़ आई हुई थी उस समय दामोदर घाटी निगम ने भी पानी छोड़ दिया। कुछ समय पूर्व जब पानी की जरूरत थी उस समय वहां से पानी छोड़ा जा सकता था। इसी प्रकार अब दामोदर घाटी निगम ने बहुत कम पानी छोड़ा है और यदि अक्तूबर में वर्षा अधिक हुई और इन्हें पानी छोड़ना पड़ा तो बाढ़ की स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की सफलताओं या असफलताओं का वर्णन करने के बजाय मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पूना, रोहतक या बुलन्दशहर की बाढ़ों की जिस भयंकरता का वर्णन किया गया है, उस से कई गुना, करीब सौ गुना क्षति होती है हिन्दुस्तान के उस हिस्से में, जिस को उत्तर प्रदेश कहते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा उद्योग-धंधों के विषय में की जाती है, उसी तरह से बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में भी हमारी उपेक्षा होती है। सम्भव है कि सरकार यह समझती है कि उत्तर प्रदेश के, और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हर साल बाढ़ आने के कारण इस के आदी हो गये हैं और उन को दुख झेलने की आदत हो गई है। लेकिन इस के साथ ही साथ इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हर साल जो सौ करोड़ रुपये की क्षति बाढ़ों के कारण होती है, उस में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।

इस दिशा में छोटी मोटी नदियों की बात छोड़ कर मैं उन तीन भयंकर नदियों का ज़िक्र करना चाहता हूं, जिन की चर्चा अभी हो चुकी है। वे नदियां हैं, बड़ी गंडक, जिसका संबंध केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं है, बल्कि बिहार से भी है, घाघरा और राप्ती। अभी यहां पर १६५४ की बाढ़ की बातचीत हो रही थी। उस से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने साधनों से छितौनी बांध बनवाया था, जिस से नदी की धारा करीब दस पन्द्रह मील तक बदलने से, उत्तर प्रदेश का और विशेषकर देवरिया ज़िले का जो नुक्सान होता था, उस को नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश की सरकार सफल हुई है। लेकिन वह आज तक आगे नहीं बढ़ सकी है। उत्तर प्रदेश और भारत की सीमा का जहां पर अन्त होता है, वहां नेपाल प्रारम्भ होता है, । मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा कि चूंकि इस विषय में नेपाल सरकार का भी सम्बन्ध है, इसलिये केवल उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस में भारत सरकार को अपनी ओर से कदम उठा कर सहायता और सहयोग देना होगा, ताकि छितौनी बांध का जो आठ मील का काम बाकी रहता है, वह पूरा किया जा सके। बड़ी गंडक का पानी घूम कर राप्ती तक और अन्य नदियों तक जाता है और कई नदियों को प्रभावित करता है, जिस से बड़ी क्षति होती है। यह केवल आठ मील का काम रह गया है और उस को केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये।

जहां तक धारा को पेरने का सम्बन्ध था, उत्तर प्रदेश सरकार उस में सफल हुई है, लेकिन रेलवे को बचाने का काम केन्द्रीय सरकार का है और वह उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार को छितौनी बांध की रक्षा और मरम्मत करने में सहायता करनी चाहिए।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में घाघरा के कटाव के कारण देवरिया जिले के एक बहुत बड़े कस्बे बरहज की रक्षा के लिये कुछ लाख रुपये मंजूर किये गये थे। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गईं और तीसरी योजना अब शुरू हो रही है, लेकिन उस कस्बे की रक्षा के लिये निश्चित रुपया न जाने कहां चला गया और योजना क्यों खत्म कर दी गई। उस पर तुरन्त काम होना चाहिए। मैं अभी अपने जिले से लौटा हूं। मालूम होता है कि अगर कटाव इसी तरह जारी रह गया, तो उस जिले का एक बहुत बड़ा कस्बा बरबाद हो जायगा और नदी की धारा बिल्कल दूसरी तरफ घूम जायगी। प्रश्न यह है कि प्रकृति के इस कोप को कैसे रोका जायेगा। यह एक मानी हुई बात है कि भारत में अभी प्रकृति पर काबू पाने के साधन नहीं हैं और इस संबंध में जो कुछ सम्भव हो सकता है, वह असम्भव जान पड़ता है, लेकिन यह आवश्यक है कि इस भयंकर नदी के बैंड को गहरा किया जाये और उसकी मिट्टी को अगल-बगल फेंकने से जो गहराई हो जायगी, उस के परिणामस्वरूप जो पानी वह बाहर की तरफ़ किनारों पर जाता है, उस को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की मास्टर प्लान की या कोई और बातें हुई हैं, कितनी ही तरह की चर्चायें चलती रही हैं। मास्टर प्लैन तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही चल रही है, लेकिन घाघरा और बड़ी गंडक के बारे में कोई ऐसी बात नहीं आई जिस से यह आशा हो कि जो लाखों एकड़ नहीं, सैकड़ों मील की बरबादी हुई है उस को काबू में किया जायेगा। कभी कभी यह बात कही जाती है, अभी पार साल ही यह चर्चा हुई थी, कि बड़ी गंडक की जो योजना है उस के कार्यान्वित होने के बाद शायद धारा को कंट्रोल करने में बड़ी सहायता मिले, लेकिन उस योजना में कुछ नहीं हुआ है। छोटे मोटे काम हुए हैं, लेकिन जो असली बैराज का काम है उस में देर हो रही है। ऐसी हालत में जो तात्कालिक काम है वह यह कि बिना सूद के तकावी दी जाय बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में। साथ ही साथ गांवों को ऊंचा करने की योजना जो थी वह भी एक या दो साल से बन्द पड़ी है। उस को चालू कर के न केवल गांवों को ऊंचा करने की बात हो बल्कि उन को पक्का करने की योजना चले। शहरों में ही पक्के मकान बनाने की योजना न चले, बल्कि विशेष ध्यान बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की ओर दीजिये। शहरों को साफ करने की बात होती है, लोगों के लिये अच्छे मकानों की बात होती है, लेकिन जो लोग आज भी पेड़ों पर रहते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया देता। देश में बहुतेरे ऐसे गांव हैं जहां के निवासी अपनी रक्षा के लिये कई कई घंटों तक, कई कई दिन तक पेड़ों पर जा कर रहते हैं। आप इस तरह के स्थानों की ओर ध्यान दीजिये। गांवों में ऐसे मकान बनवाइये जो पानी के आते ही गिर न जायें क्योंकि इस से उन की बड़ी क्षति होती है। तकावी, गांवों को ऊंचा करने और मकानों की योजनायें ऐसी बात हैं जिन के सम्बन्ध में तात्कालिक कदम उठाये जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी योजनायें हैं, देश के लिये मास्टर प्लैन हैं नदियों की बाढ़ों पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में। वे कब पूरी होंगी, इस का पता नहीं। उन में अभी बहुत देर है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के लिये तुरन्त केन्द्र से सहायता दी जाय।

कुछ दिनों पहले पहली पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सरकार ने एक नीति घोषित की थी कि यदि २ करोड़ या उस से ऊपर प्रादेशिक सरकारें व्यय करें तो लगभग ५० प्रतिशत उस में केन्द्रीय सरकार देगी। मैं चाहता हूं कि यह केवल सूखा के लिये ही न हो, बाढ़ के लिये भी हो। हम लोग जानते हैं कि विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में प्रलयकारी बाढ़ होती है। इसलिये जैसे आप ने स्कूलों के लिये और दूसरे कामों के लिये रुपया सुरक्षित किया है, उसी तरह इस सम्बन्ध में भी किया जाय। बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ यह जो कंस्ट्रक्टिव अर्थात् रचनात्मक कार्य हैं उन के लिये आप रुपया निर्धारित करें, ऐसे स्थायी कोष इस के लिये बनायें जो आप के बजट में हों, आप के कार्यक्रम में हों। कार्यक्रम में न सिर्फ यह हो कि प्लैन शुरू हो, बल्कि ठीक से काम

[श्री विश्वनाथ राय]

शुरू हो। अब हमें यह देखना चाहिये कि प्रति वर्ष हम कितने आगे बढ़ते जायेंगे। इसलिये हर साल के लिये योजना बननी चाहिये जिससे मालूम हो कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो तीन साल पहले प्रगति तेज थी, लेकिन इधर दो तीन सालों से वह कुछ धीमी पड़ गई है। जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं उनमें से दो तीन को मैं जानता हूं। वहां हर साल भयंकर बाढ़ आती है। वहां पर जो प्रगति चल रही थी गांवों की रक्षा के सम्बन्ध में वह कुछ धीमी पड़ गई है। इस चीज को दूर होना चाहिये। आज जो राष्ट्रीय हानि हो रही है उसको हमें कम करना है, लेकिन उससे रक्षा के लिये उतना सक्रिय प्रयास नहीं हो रहा है जो दो तीन साल पहले था। इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिये और तात्कालिक सहायता के रूप में प्रादेशिक सरकारों को, विशेषकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को धन दे कर जनता की रक्षा करनी चाहिये।

†**श्री क० स० रामस्वामी** (गोबीचेटीपलयम): हमारे राज्य में कावेरी और भवानी नदियों में बाढ़ आई। वह गंगा और ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों की तरह भयंकर तो नहीं थी परन्तु फिर भी हजारों लोग बेघर हो गये। अनुमान है कि एक करोड़ रुपये की हानि हुई। यह समाचार मिला था कि जिन राज्यों में एक करोड़ रुपये से अधिक हानि नहीं हुई है उन्हें केन्द्र आर्थिक सहायता नहीं देगा। कृपया माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि क्या यह सही है।

मेरा सुझाव है कि मेत्तूर बांध को और ऊंचा कर दिया जाये जिससे १२४ की बजाये १३० फुट तक पानी जमा हो सके।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि मेत्तूर से थोड़ा ऊपर कावेरी पर एक और बांध बनाया जाये। ऊपर भवानी बांध भी शीघ्र बना दिया जाय जिससे बाढ़ पर नियंत्रण होगा और गोबी, अविनाशी और इरोड की सिंचाई भी होगी।

नदियों के किनारे छोटे-छोटे बांध और तालाब बना कर बाढ़ के दौरान वहां पानी जमा कर लेना चाहिये जो पानी की कमी के समय काम में आ सकता है।

अन्तर्राज्यिक निदियों के बारे में भी काफी विवाद चल रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार को इनका निबटारा करने के लिये एक आयोग स्थापित करना चाहिये। तभी राज्य इस समस्या को सुलझाने की ओर ध्यान देंगे।

आंध्र प्रदेश की गोदावरी और कृष्णा नदियों में बहुत बाढ़ आती है इसका कुछ पानी चिंगलपट और उत्तर अर्काट की सिंचाई के लिये निकाला जा सकता है।

मद्रास राज्य सरकार बाढ़ नियमावली तैयार कर रही है जिस में विभिन्न प्रकार की बाढ़ों और तूफानों का मुकाबला करने के तरीके बताये जायेंगे और लोग प्रशिक्षित किये जायेंगे। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार किया जा सकता है।

आशा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास राज्य को ऋण तथा अनुदान द्वारा पर्याप्त सहायता दी जायेगी।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)**: अब तक जो भाषण दिये गये और उनमें जो बात कही गयीं उनके उत्तर में मैं ने बहुत से आंकड़े और जानकारी एकत्र की थी परन्तु अब समय नहीं इसलिये मैं कुछ मोटी-मोटी बातें ही कहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश की एक योजना के बारे में कुछ मित्रों ने कहा था जिस पर बहुत पहले विचार किया गया था परन्तु कोई अमल नहीं किया गया । मेरे माननीय मित्र किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं और हम इस विषय में विचार कर सकते हैं ।

हीराकुड के बारे में भी कहा गया । सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष से एक समिति इस बारे में विचार कर रही है कि हीराकुड बांध में बाढ़ के पानी के लिये कितने स्थान की व्यवस्था की जाये । इस बारे में विचार किया जा रहा है । इस विषय में मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

माननीय सदस्यों के भाषणों से यह ज्ञात हुआ कि मैसूर की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में शिकायत कर रहे हैं । वस्तुतः मैसूर में कभी ही एक बाढ़ आती है । अतः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । मैं मैसूर की सरकार के समक्ष सदस्यों द्वारा यहां प्रकट किये उद्‌गारों को रखूंगा तथा जो भी संभव होगा करूंगा । वे इस संबंध में योजनायें बना कर केन्द्र के समक्ष रख सकती हैं, उन योजनाओं पर उदारतापूर्वक विचार किया जायेगा ।

जहां तक नाली संख्या ६ और ८ का संबंध है मैं ने दो तीन महीने पूर्व इस मामले को व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों में लिया था । मैं ने ही श्री खोसला से अनुरोध किया था कि वे इस संबंध में कार्यवाही करें । तथापि अभी इस संबंध में अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि दिल्ली के गांवों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे । इस संबंध में किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

अभी तक मद्रास में बाढ़ों के आने की कोई आशंका नहीं समझी जाती थी । तथापि अब यह संकट वहां भी आरम्भ हो गया है अस्तु उसके प्रति भी वही नीति बरती जायेगी जो अन्य बाढ़ ग्रस्त राज्यों के प्रति बरती जाती है ।

जहां तक पूना का मामला है यह मामला उस आयोग को सौंप दिया गया है जो कि वहां के मुख्य मंत्री के अधीन नियुक्त हुआ है । अतः आयोग का प्रतिवेदन आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैं यह जानना चाहता था कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने जो सिफारिशें की हैं क्या राज्य सरकारों ने उन्हें क्रियान्वित किया है ?

†**श्री वासप्पा (बंगलौर)** : अध्यक्ष महोदय यह बता चुके हैं कि जिन बातों का उत्तर मंत्री महोदय नहीं दे सकते हैं उन्हें विवरण में बता दिया जायेगा । उसको शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दुःख की बात है कि यद्यपि मैं माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक कहने का अवसर दे रहा हूं तथापि वे मेरी कठिनाइयां समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं । यह एक गम्भीर मामला है । माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम** : मुझे अब कुछ नहीं कहना है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, ३० अगस्त, १९६१

(८ भाद्र, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	२८३७–६१
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०४५ मद्य निषेध	२८३७–४०
१०४६ पुर्तगाली विमानों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण .	२८४१
१०४८ कांगों में भारतीय दल	२८४२–४३
१०४९ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को दी गई पेशगी का वापसी भुगतान	२८४३–४५
१०५० वेतन आयोग की सिफारिशें . . .	२८४५–४७
१०५१ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये उपकरण का निर्माण .	२८४८
१०५२ आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदालियां . .	२८४८–५२
१०५५ भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन	२८५२–५४
१०५६ आयुध कारखाना कर्मचारियों के लिये औद्योगिक परिषद .	२८५५–५६
१०६२ स्कूल अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां.	२८५६–५९
१०६३ लुब्रीकेटिंग तेल कारखाना	२८५९
१०६८ केन्द्रीय विधि मंत्री का वक्तव्य	२८५९–६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२८६१–२९४१
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०४७ अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा . .	२८६१
१०५३ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्राक्कलन .	२८६१–६२
१०५४ खनन छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का निदेशालय . .	२८६२
१०५७ मशीनें तैयार करने वाले कारखानों के लिये जापान द्वारा सहयोग	२३६२–६३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५८	गैर-छात्र गोष्ठियां (यूथ क्लब)	२८६३
१०५९	दिल्ली में आदर्श हाई स्कूल	२८६३–६४
१०६०	केरल में खेल कूद	२८६४
१०६१	विदेश से ईंधन विशेषज्ञ	२८६४
१०६५	राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन	२८६५
१०६६	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) द्वारा आदिवासियों का निष्कासन	२८६५
१०६७	मध्य प्रदेश में सायंकालीन कामगर शिक्षा संस्था	२८६५–६६
१०६९	अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान	२८६६
१०७०	अमृतसर सीमा	२८६६–६७
१०७१	कटंगा में भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया जाना	२८६७
१०७२	सोवियत बनस्पति शास्त्र-विशेषज्ञ	२८६७–६८
१०७३	संस्था में छिद्रण	२८६८
१०७४	मिस्र में भारतीय दल द्वारा पुरातत्वीय संबंधी खुदाई	२८६८
१०७५	बड़ौदा के पास तेल शोधक कारखाना	२८६८–६९
१०७६	सैनिक सचिव की शाखा में जांच	२८६९–७०
१०७७	नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा संबंधी समिति	२८७०
१०७८	दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम	२८७०
१०७९	तेल प्रतिष्ठान	२८७०–७१
१०८०	राष्ट्र मंडल शिक्षा सम्मेलन	२८७१
१०८१	टैक्नीकल संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनक्रम	२८७२
१०८२	पुनर्नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों के वेतनक्रम	२८७२
१०८३	काल्टैक्स आयल रिफाइनरी	२८७२
१०८४	गजरात राज्य में पाकिस्तानी	२८७२–७३
१०८५	अंक्लेश्वर का तेल	२८७३
१०८६	प्रतिरक्षा संस्थापनों में कर्मचारियों का स्थायी बनाना	२८७३–७४
१०८७	नाइजीरिया के टैक्निकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण	२८७४
१०८८	सरकारी विभागों का व्यय	२८७४
१०८९	नेवेली का उर्वरक कारखाना	२८७४–७५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०६०	रूरकेला इस्पात कारखाना . . .	२८७५
१०६१	भारत सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून में अग्निकांड . .	२८७५
१०६२	ताज तथा अन्य स्मारकों में प्रवेश टिकट . . .	२८७६
१०६३	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी शिक्षा निधि . .	२८७६
१०६४	इंजीनियरिंग कालिज तथा पालिटेक्निक संस्थाय . .	२८७६–७७
१०६५	संगीत नाटक अकादमी	२८७७
१०६६	प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन इकाइयों में तालमेल . .	२८७७
१०६७	विध्वंसक जहाजों का निर्माण	२८७८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२७५२	समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम का संशोधन . . .	२८७८
२७५३	भूतपूर्व सैनिक संस्था, कपूरथला	२८७८
२७५४	राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड . .	२८७९
२७५५	विदेशों में भारतीयों की आस्तियां . .	२८७९
२७५६	भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास .	२८८०
२७५७	हिन्दी विश्व कोष . . .	२८८०
२७५८	कोयला परिषद्	२८८०–८१
२७५९	महाराष्ट्र में भूतपूर्व सैनिक . .	२८८१
२७६०	लोक सहायक सेना . . .	२८८१
२७६१	महाराष्ट्र में जूनियर टैक्नीकल स्कूल . .	२८८२
२७६२	मध्य प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	२८८२
२७६३	कोरबा कोयला क्षेत्र की भूमिगत खानें . .	२८८२–८३
२७६४	महाराष्ट्र में कोयले की कमी	२८८३
२७६५	उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी	२८८३
२७६७	पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां	२८८४
२७६८	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय योजनायें	२८८४
२७६९	पंजाब में माध्यमिक शिक्षा . .	२८८४–८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या

२७७०	भारतीयों द्वारा रूस में स्नातकोत्तर अनुसन्धान .	२८८५
२७७१	बच्चों के लिये हिन्दी कोष तैयार करना . .	२८८५
२७७२	हिमाचल प्रदेश प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग . . .	२८८५–८६
२७७३	"संस्कृत प्रतिभा" . . .	२८८६
२७७४	ग्राम चुनावों के परिणाम .. .	२८८६
२७७५	पुलिस वालों के आचरण सम्बन्धी नियम	२८८७
२७७६	सरकारी कर्मचारियों को उपहार .	२८८७
२७७७	हिन्दी में कार्य . . .	२८८७
२७७८	भारत में आने आने वाले विदेशी राष्ट्रजन . .	२८८७–८८
२७७९	हिन्दी जानने वाले अस्थायी कर्मचारी . . .	२८८८
२७८०	मछली पकड़ने वाले जहाज . .	२८८८
२७८१	लद्दाख के बर्फ से ढ़के क्षेत्रों में सड़कें .	२८८८
२७८२	बच्चों के लिये बंगला शब्दकोष तैयार करना	२८८९
२७८३	पंजाब में तेल का पाया जाना . . .	२८८९
२७८४	राज्यों से केन्द्रीय करों और शुल्क की वसूली . .	२८८९
२७८५	आयात तथा निर्यात शुल्क की वसूली .	२८८९
२७८६	मनीपुर में अनुसूचित जातियां . .	२८९०
२७८७	मनीपुर में अनुसूचित जातियों का कल्याण . .	२८९०
२७८८	भारत में किराया खरीद . . .	२८९०
२७८९	अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सदन, नई दिल्ली . .	२८९०
२७९०	दुर्गापुर नगर	२८९१
२७९१	खम्भात की खाड़ी में तेल का सर्वेक्षण	२८९१
२७९२	स्टाफ कार.	२८९२
२७९३	लेह में संग्रहालय	२८९२
२७९४	हैदराबाद में टकसालें	२८९२
२७९५	हतबुद्ध बच्चों की शिक्षा . .	२८९३
२७९६	काश्मीर में खनन परियोजना	२८९३
२७९७	बिक्री-कर अपवंचकों का गिरोह . . .	२८९३
२७९८	दिल्ली में शिक्षा की सुविधायें . .	२८९३–९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७९९	वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति	२८९४
२८००	केन्द्रीय असैनिक सेवा नियम	२८९४
२८०१	मध्य प्रदेश में मेंगनीज की खानें	२८९४–९५
२८०२	सिक्यूरिटी पेपर मिल, हुशंगाबाद	२८९५
२८०३	इस्पात पर बिक्री-कर	२८९५
२८०४	औद्योगिक संथाओं में असमानता	२८९५–९६
२८०५	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जांच रिपोर्ट	२८९६
२८०६	"नाइट रनर्स आफ बंगाल" नामक उपन्यास	२८९६
२८०७	दिल्ली में सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो	२८९६
२८०८	आर्मी वर्कशाप, किर्की	२८९७
२८०९	प्रतिरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल	२८९७
२८१०	आने और पैसे के सिक्के	२८९७
२८११	भारत का राज्य बैंक	२८९७–९८
२८१२	विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विशेष विमान सेवा की व्यवस्था	२८९८
२८१३	जनता द्वारा बचत	२८९८–९९
२८१४	ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर	२८९९
२८१५	छात्रों के स्वास्थ्य का नमूना सर्वेक्षण	२९००
२८१६	विदेशों में जीवन बीमा निगम के निवेश	२९००
२८१७	पी० एल० ४८० निधियां	२९००–०१
२८१८	विदेशी को रुपया भुगतान	२९०१
२८१९	विज्ञान शिक्षक	२९०१
२८२०	"एड इंण्डिया क्लब" के साथ बात चीत	२९०१–०२
२८२१	उड़ीसा में निर्वाचन	२९०२
२८२२	राज्य शिक्षा विभाग के सचिवों का सम्मेलन	२९०२–०३
२८२३	त्रिपुरा में भूमियां	२९०३
२८२४	डी० एम० कालिज, मनीपुर	२९०३
२८२५	आगरा में चीनी का रोजा	२९०३–०४
२८२६	इस्पात आवंटन	२९०४
२८२७	भारतीय लड़के का प्रत्यर्पण	२९०४–०५

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८२८	टैंकों का निर्माण . . .	२६०५–०६
२८२९	दिल्ली छावनी कर्मकारी . . .	२६०६
२८३०	सीमा प्रतिरक्षा समिति	२६०६
२८३१	अफ्रीका में शिक्षा विकास सम्मेलन .	२६०६–०७
२८३२	दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ . . .	२६०७–०८
२८३३	राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची	२६०८
२८३४	द्विभाषी चार्ट . .	२६०८
२८३५	हिन्दी में जनगणना रिपोर्ट . .	२६०९
२८३६	बच्चों के लिये पुस्तकों का प्रकाशन . .	२६०९
२८३७	हिन्दी का प्रयोग . .	२६०९
२८३८	शिक्षा मंत्री की पाकिस्तान यात्रा . .	२६०९
२८३९	पिछड़े वर्ग के छात्रों को सहायता. . .	२६१०
२८४०	प्रति व्यक्ति शुल्क	२६१०
२८४१	भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां. . .	२६१०–११
२८४२	चम्पारन जिले में अशोक स्तम्भ. . .	२६११
२८४३	यात्रियों के सामान नियम का पुनरीक्षण . .	२६११
२८४४	दिल्ली के समीप खानपुर गांव में विस्फोट .	२६१२
२८४५	समुद्र से गन्धक . . .	२६१२
२८४६	बोर्ड आफ विजिटर्स . .	२६१२–१३
२८४७	असम के आदिम जातीय लोग	२६१३
२८४८	पंजाब में अनधिसूचित आदिम जातियों . .	२६१३
२८४९	हिमालय सीमा रक्षा	२६१३–१४
२८५०	भारतीय बैंकों में अनध्यर्थित धन . . .	२६१४
२८५१	कांगों में भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना .	२६१४–१५
२८५२	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज, रूरकेला . .	२६१५
२८५३	राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता आन्दोलन . .	२६१५–१७
२८५४	दिल्ली नगर निगम	२६१७
२८५५	जम्मू और काश्मीर .	२६१७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२८५६	त्रिपुरा में खास भूमि	२९१७–१८
२८५७	विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का ब्याज	२९१८
२८५८	उत्कल विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदान	२९१८
२८५९	दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध दिल्ली के न्यायालयों में दायर किये गये मुकदमे	२९१८–१९
२८६०	पंजाब में भूतपूर्व सैनिक	२९१९
२८६१	दिल्ली में कत्ल	२९१९
२८६२	भारत में भूटानी छात्र	२९१९–२०
२८६३	छोटी बचत योजना के अन्तर्गत फीरोजपुर में एकत्रित धन	२९२०
२८६४	दिल्ली के लाल किले में प्रवेश शुल्क	२९२०
२८६५	लाहौल और स्पिति का विकास	२९२०–२१
२८६६	पंजाब के लघु उद्योगों के लिये कोयला	२९२१
२८६७	दिल्ली में पूर्वदेशीय भाषाविज्ञों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	२९२१–२२
२८६८	पर्वतारोहण प्रशिक्षण के लिये महिला प्रशिक्षार्थी	२९२२
२८६९	दिल्ली में अधिक कालेजों की स्थापना	२९२२–२३
२८७०	दिल्ली में एशियाई इतिहास वेत्ताओं का सम्मेलन	२९२३
२८७१	भावनगर के समीप मूर्ति की प्राप्ति	२९२४
२८७२	सेना मुख्यालय में सेना सचिव की सेवा निवृत्ति	२९२४
२८७३	लन्दन में प्रतिरक्षा विज्ञांन संबंध राष्ट्रमंडलीय सलाहकार समिति	२९२४–२५
२८७४	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	२९२५
२८७५	साहित्य अकादमी की हिन्दी में पत्रिकायें	२९२५
२८७६	कटक में आयकर कर्मचारियों के क्वार्टर	२९२५–२६
२८७७	विद्यार्थी सदन, क्लब और स्वास्थ्य केन्द्र	२९२६
२८७८	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये निधि	२९२६
२८७९	रद्दी लोहे का निर्यात	२९२६–२७
२८८०	कुफ्री स्कीइंग क्लब	२९२७
२८८१	सवारीभत्ता	२९२७–२८
२८८२	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें	२९२८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८८३	दुर्व्यवहार सम्बन्धी परिपत्र	२९२८–२९
२८८४	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्	२९२९
२८८५	श्रीनगर आदि के गावों में सुविधायें .	२९२९–३०
२८८६	त्रिपुरा जाति के विद्यार्थी	२९३०
२८८७	जम्मू तथा काश्मीर में दण्ड प्रक्रिया संहिता	२९३०
२८८८	त्रिपुरा में भूमि राजस्व . . .	२९३०–३१
२८८९	आर्मी मैडिकल कोर	२९३१
२८९०	मनीपुर में वर्दी पहनने पर प्रतिबन्ध . .	२९३१–३२
२८९१	मनीपुर में असैनिक प्राधिकारियों को सेना द्वारा सहायता	२९३२
२८९२	दिल्ली विश्वविद्यालय बी० ए० परीक्षायें . .	२९३२–३३
२८९३	१९६० की हड़ताल	२९३३
२८९४	विदेशी गैर-सरकारी विनियोजन. . . .	२९३३–३४
२८९५	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विकास पर व्यय	२९३४
२८९६	विधि आयोग का प्रतिवेदन . . .	२९३४
२८९७	अन्दमान तथा निकोबर द्वीप समूह के पुलिस कर्मचारियों का वेतन क्रम .	२९३४–३५
२८९८	ट्रैक्टरों का निर्माण	२९३५
२८९९	महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में न्यायाधीश .	२९३५
२९००	सशस्त्र सेना मुख्यालय में पदोन्नतियां . . .	२९३५–३६
२९०१	सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा टाइप की परीक्षा	२९३६
२९०२	मुजफ्फरपुर में जनगणना विभाग . .	२९३६
२९०३	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति .	२९३७
२९०४	राय राम रूप विद्या मन्दिर हायर सैकेन्डरी स्कूल, कमला नगर दिल्ली . .	३९३७–३८
२९०५	दिल्ली छावनी में बिजली	२९३८
२९०६	केन्टोमेंट फंड क्वार्टर .	२९३९
२९०७	कानपुर जिले के अकबरपुर का स्मारक .	२९३९
२९०८	बागेश्वर (उत्तर प्रदेश) में मन्दिर . . .	२९४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६०९ दिल्ली के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें . २६४०

२६१० दिल्ली के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें . . . २६४०-४१

२६११ उड़ीसा में अनुसूचित आदिम जातियां . . . २६४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २६४१-४२

श्री महाबीर त्यागी ने भारतीय दंड संहिता की धारा १८६ के अन्तर्गत जारी किये गये मास्टर तारासिंह और योगीराज सूर्यदेव की गिरफ्तारी के कथित वारंटों और पूजा स्थानों में पुलिस के प्रवेश के बारे में सरकार की नीति की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४२-४३

(१) मनीपुर लगान और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १६६ के अन्तर्गत, दिनांक ३१ मई, १९६१ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १४०/१२/६०---एम(वी) की एक प्रति, जिसमें मनीपुर लगान और भूमि सुधार नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

(२) रक्षित और सहायक वायु सेना अधिनियम, १९५२ की धारा ३४ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १७ जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७८ में प्रकाशित रक्षित और सहायक वायु सेना एक्ट (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(३) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३७ की एक प्रति ।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधि-नियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूच-नाओं की एक-एक प्रति :--

(क) दिनांक १९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३८ ।

पृष्ठ

(ख) दिनांक १९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३९ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २९४३

अठासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सदस्य द्वारा त्याग पत्र २९४३

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को बताया कि श्री मुहम्मद खुदा बख्श ने २५ अगस्त, १९६१ से लोक सभा की सदस्यता से तागपत्र दे दिया है ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६१-६२ २९४३-४८

वर्ष १९६१-६२ के लिये सामान्य आय-व्ययक के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुई ।

विधेयक विचाराधीन २९४८-७३

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । श्री बाजपेयी द्वारा विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९७३-९३

सर्वश्री गोरे और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा २८ अगस्त, १९६१ को क्रमशः प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर चर्चा पुनः आरम्भ हुई । सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने चर्चा का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

गुरुवार ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा और उस का पारित किया जाना । समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक और लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर चर्चा और उन का पारित किया जाना । भारत के खेतिहर मजदूरों के बारे में दूसरी जांच के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1203 (Ai) LS—6-10-61—125